उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ८६

मङ्गलवार, २६ दिसम्बर, सन् १९५० ई० से
बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, सन् १९५० ई० तक

इलाहाबाद
अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, भारत।

[मूल्य ४ आना

विषय-सूची

खंड ८६

मंगलवार, २६ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

बुधवार, २७ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

शासन

राज्यपाल

महामान्य श्री हारमसजी पेरोशा मोदी

मंत्रि परिषद्

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री तथा न्याय, सूचना और सामान्य प्रशासन मंत्री।

माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल. एल०बी०, निर्माण मंत्री।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, शिक्षा, वित्त तथा श्रम मंत्री।

माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, वन तथा माल मंत्री।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल०, बी०, कृषि तथा मंत्री पशुपालन।

माननीय श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प, जेल तथा मादक-कर मंत्री।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी०ए०,एल-एल०बी०,स्वशासन मंत्री।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम०ए०, एल-एल० बी, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

माननीय श्री लालबहादुर, गृह, (पुलिस) तथा वाहन मंत्री।

माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एस-सी०, उद्योग तथा विकास मंत्री।

सभा सचिव

माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव

१—श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल०बी०, एम० एल० ए०।

२—श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

३—श्री मङ्गला प्रसाद, एम० एल० ए०।

माननीय निर्माण मंत्री के सभा सचिव

१—श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०।

माननीय उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

१—श्री वहीद अहमद एम० एल० सी०।

माननीय माल मन्त्री तथा कृषि मन्त्री के सभा सचिव

१—श्री हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल सिंह	...	आगरा नगर
२—अजित प्रताप सिंह	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
३—अब्दुल ग़नी अन्सारी	....	जिला आजमगढ़ (पश्चिम),
४—अब्दुल बाक़ी	...	जिला आजमगढ़ (पूर्व)
५—अब्दुल मजीद	...	मुरादाबाद, अमरोहा, चन्दौसी नगर
६—अब्दुल मजीद ख्वाजा	....	अलीगढ़, हाथरस-मथुरा नगर
७—अब्दुल रऊफ़ खां	...	जिला फतेहपुर और बांदा
८—अब्दुल वाजिद, श्रीमती	...	मुरादाबाद जिला (उत्तर पूर्व)
९—अब्दुल हमीद	...	जिला देहरादून और सहारनपुर (पूर्व)
१०—अम्मार अहमद खां	...	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
११—अर्नेस्ट माइकेल फ़िलिप्स	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
१२—अलगू राय शास्त्री	....	जिला आज़मगढ़ (उत्तर पूर्व)
१३—अली जरीर जाफ़री	...	जिला गोंडा (उत्तर पूर्व)
१४—अल्फ्रेड धर्मदास	...	उत्तर प्रदेशीय भारतीय ईसाई
१५—असगर अली खां	...	जिला मुजफ्फ़रनगर (पश्चिम)
१६—अक्षयवर सिंह	...	जिला गोरखपुर (पश्चिम)
१७—आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री	...	फर्रुखाबाद-इटावा-झांसी नगर
१८—आर्चिबाल्ड जेम्स फ़ैन्थम	...	उत्तर प्रदेशीय ऐंग्लो इण्डियन
१९—इन्द्र देव त्रिपाठी	...	ज़िला गाज़ीपुर (पश्चिम)
२०—इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती	...	लखनऊ नगर
२१—इश्तियाक हुसैन	...	मेरठ-हापुड़-बुलंदशहर-खुरजा-नगीना नगर
२२—उदय वीर सिंह	...	जिला बस्ती (दक्षिण)
२३—एजाज रसूल	...	जिला हरदोई
२४—कमलापति तिवारी	...	जिला बनारस (पूर्व)
२५—करीमुर्रज़ा खां	...	बुदायूँ-शाहजहाँपुर-सम्भल नगर
२६—काली चरण टंडन	...	जिला फर्रुखाबाद (दक्षिण)
२७—किशनचन्द्र पुरी	...	उत्तर प्रदेशीय चेम्बर आफ कामर्स तथा उत्तर प्रदेशीय मर्चेन्ट्स चेम्बर
२८—कुँजबिहारी लाल शिवानी	....	जिला झांसी (उत्तर)
२९—कुशलानन्द गैरोला	...	जिला गढ़वाल (उत्तर पश्चिम)
३०—कृपा शंकर	....	जिला बस्ती (दक्षिण)
३१—कृष्ण चन्द्र	.....	जिला मथुरा (पश्चिम)
३२—कृष्ण चन्द्र गुप्त	...	जिला सीतापुर (दक्षिण)

३३—कृष्ण शरण आर्य	...	रामपुर (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
३४—केशव गुप्त	....	जिला मुजफ्फरनगर (पूर्व)
३५—केशव देव मालवीय, माननीय श्री	...	जिला मिरजापुर (दक्षिण)
३६—खानचन्द गौतम	...	जिला बुलन्दशहर (पूर्व)
३७—ख़ुशवक़ राय	....	जिला खीरी (उत्तर-पूर्व)
३८—ख़ुशी राम	...	जिला अल्मोड़ा
३९—ख़ूब सिंह	...	जिला बिजनौर (पूर्व)
४०—गंगाधर	....	जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)
४१—गंगा प्रसाद	...	जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)
४२—गंगा सहाय चौबे	...	जिला कानपुर (पश्चिम)
४३—गजाधर प्रसाद	....	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
४४—गणपति सहाय	...	जिला सुल्तानपुर (मध्य)
४५—गिरधारी लाल, माननीय श्री	...	जिला सहारनपुर (दक्षिण पूर्व)
४६—गुरु नारायण	...	अवध का बृटिश इण्डियन ऐसोसियेशन
४७—गोपाल नारायण सक्सेना	...	जिला सीतापुर (उत्तर पश्चिम)
४८—गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री	...	जिला बरेली-पीलीभीत-शाहजहाँपुर बदायूँ नगर
४९—गोविन्द सहाय	..	जिला बिजनौर (पश्चिम)
५०—चतुर्भुज शर्मा	..	जिला जालौन
५१—चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री	...	लखनऊ नगर
५२—चन्द्रभानु शरण सिंह	...	जिला गोंडा (दक्षिण)
५३—चरण सिंह	..	जिला मेरठ (दक्षिण पश्चिम)
५४—चेतराम	..	जिला बाराबंकी (उत्तर)
५५—छेदालाल गुप्त	...	जिला हरदोई (उत्तर पश्चिम)
५६—जगन्नाथ दास	...	जिला सहारनपुर (उत्तर पश्चिम)
५७—जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल	...	जिला सीतापुर (पूर्व)
५८—जगन्नाथ सिंह	..	जिला बलिया (उत्तर)
५९—जगन प्रसाद रावत	..	जिला आगरा (दक्षिण पश्चिम)
६०—जगमोहन सिंह नेगी	..	जिला गढ़वाल (दक्षिण पूर्व)
६१—जफ़र अहमद	...	जिला सहारनपुर (उत्तर)
६२—जमीलुर्रहमान क़िदवाई	....	जिला बाराबङ्की
६३—जयकृष्ण श्रीवास्तव	...	अपर इंडिया चेम्बर आफ़ कामर्स
६४—जयपाल सिंह	..	जिला फैजाबाद (पूर्व)

६५—जयराम वर्मा .... जिला बाराबंकी (उत्तर)
६६—जवाहर लाल रोहतगी ... कानपुर नगर
६७—जहूर अहमद ... इलाहाबाद-झाँसी नगर
६८—जाकिर अली ... आगरा-फर्रुखाबाद-इटावा नगर
६९—जाहिद हसन ... जिला सहारनपुर (दक्षिण पश्चिम)
७०—जुगल किशोर ... मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर
७१—त्रिलोकी सिंह ... जिला लखनऊ
७२—त्रेपन सिंह ... टेहरी गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
७३—दयाल दास भगत ... जिला रायबरेली (उत्तर पूर्व)
७४—दाऊदयाल खन्ना ... जिला मुरादाबाद (पूर्व)
७५—द्वारिका प्रसाद मौर्य .... जिला जौनपुर (पूर्व)
७६—दीन दयाल शर्मा ... जिला बुलन्द शहर (दक्षिण पश्चिम)
७७—दीनदयालु अवस्थी .... जिला इटावा (पश्चिम)
७८—दीन दयालु शास्त्री ... सहारनपुर-हरिद्वार-देहरादून-मुजफ्फरनगर नगर
७९—दीप नारायण वर्मा .... जौनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर
८०—नफीसुल हसन ... जिला इटावा और कानपुर
८१—नवाजिश अली खां ... फैजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर
८२—नवाब सिंह चौहान ... जिला अलीगढ़ (पूर्व)
८३—नाजिम अली ... जिला सुल्तानपुर
८४—नारायण दास ... लखनऊ नगर
८५—निसार अहमद शेरवानी, ... जिला मैनपुरी और एटा
माननीय श्री
८६—निहालुद्दीन .... जिला बदायूं (पूर्व)
८७—परागी लाल ... जिला सीतापुर (उत्तर पश्चिम)
८८—पुरुषोत्तमदास टंडन. ... इलाहाबाद नगर
८९—पूर्णमासी .... जिला गोरखपुर (उत्तर)
९०—पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती ... जिला मेरठ (उत्तर)
९१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... जिला मेरठ (उत्तर)
९२—प्रयाग नारायण ... अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन
९३—प्रेम किशन खन्ना ... जिला शाहजहाँपुर (पश्चिम)
९४—प्रेम लाल वैद्य ... टेहरी गढ़वाल (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
९५—फखरुल इस्लाम ... जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर पूर्व)
९६—फजलुर्रहमान खां ... जिला शाहजहाँपुर
९७—फतेह सिंह राणा ... जिला मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
९८—फूल सिंह .... जिला सहारनपुर (दक्षिण पूर्व)

१३२—मुहम्मद एवज ... जिला पीलीभीत
१३३—मुहम्मद जमशेद अली खां ... जिला मेरठ (पश्चिम)
१३४—मुहम्मद नबी ... जिला मुजफ्फर नगर (पूर्व)
१३५—मुहम्मद नजीर ... जिला बनारस और मिर्जापुर
१३६—मुहम्मद फारूक ... जिला गोरखपुर (पश्चिम)
१३७—मुहमम्द फारुक चिश्ती ... जिला गोरखपुर (पूर्व)
१३८—मुहम्मद याकूब ... जिला गाजीपुर और बलिया
१३९—मुहम्मद यूसुफ ... जिला इलाहाबाद (दक्षिण पश्चिम)
१४०—मुहम्मद रजा खां ... जिला बरेली (पूर्व, दक्षिण और पश्चिम)
१४१—मुहम्मद शकूर ... बनारस-मिरजापुर नगर
१४२—मुहम्मद शाहिद फाखरी ... गाजीपुर-जौनपुर-गोरखपुर नगर
१४३—मुहम्मद शौकत अली खां ... जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)
१४४—मुहम्मद सआदत अली खाँ ... जिला बहराइच (उत्तर)
१४५—मुहम्मद सुलेमान अधमी ... जिला बस्ती (उत्तर पूर्व)
१४६—यज्ञनारायण उपाध्याय ... जिला बनारस (पश्चिम)
१४७—रघुनाथ विनायक धुलेकर ... जिला झांसी (दक्षिण)
१४८—रघुवंश नारायण सिंह ... जिला मेरठ (पूर्व)
१४९—रघुबीर सहाय ... जिला बुदायूँ (पूर्व)
१५०—राघव दास ... फैजाबाद—बहराइच-सीतापुर नगर
१५१—राजकुँवार सिंह ... आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन
१५२—राजाराम मिश्र ... जिला फैजाबाद (पश्चिम)
१५३—राजाराम शास्त्री ... कानपुर औद्योगिक श्रम
१५४—राधाकृष्ण अग्रवाल ... जिला हरदोई (मध्य)
१५५—राधा मोहन सिंह ... जिला बलिया (दक्षिण)
१५६—राधेश्याम शर्मा ... जिला बस्ती (पश्चिम)
१५७—रामकुमार शास्त्री ... जिला बस्ती (उत्तर पूर्व)
१५८—राम कृपाल सिंह ... बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खुर्जा-नगीना नगर
१५९—रामचन्द्र सेहरा ... आगरा नगर
१६०—रामचन्द्र पालीवाल ... जिला आगरा (उत्तर पूर्व)
१६१—रामजी सहाय ... जिला गोरखपुर (मध्य)
१६२—रामधर मिश्र ... इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्व-विद्यालय
१६३—रामधारी पांडे ... जिला गोरखपुर (उत्तर पूर्व)
१६४—रामनन्दन सिंह ... बनारस (विलीन राज्य के नाम निर्देशित)
१६५—राम नारायण ... अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स
१६६—रामबली ... जिला सुल्तानपुर (पूर्व)

१६७—राममूर्ति ... जिला बरेली (उत्तर पूर्व)
१६८—राम शंकर लाल ... जिला बस्ती (दक्षिण पूर्व)
१६९—राम शरण ... मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौसीनगर
१७०—रामस्वरूप गुप्त ... जिला कानपुर (दक्षिण)
१७१—रामेश्वर सहाय सिंह ... जिला हरदोई (दक्षिण पूर्व)
१७२—रुकनुद्दीन खां ... जिला प्रतापगढ़
१७३—रोशन जमां खां ... जिला गोंडा (दक्षिण पश्चिम)
१७४—लक्ष्मी देवी, श्रीमती ... जिला फैजाबाद (पश्चिम)
१७५—लताफ़त हुसैन ... जिला मुरादाबाद (उत्तर पश्चिम)
१७६—लाखनदास जाटव ... जिला बुदायूँ (पूर्व)
१७७—लालबहादुर, माननीय श्री ... जिला इलाहाबाद (गंगापार)
१७८—लाल बिहारी टंडन ... जिला गोंडा (पश्चिम)
१७९—लीलाधर अष्ठाना ... जिला उन्नाव (पूर्व)
१८०—लुत्फ़ अली खां ... जिला मेरठ (पूर्व)
१८१—लोटन राम ... जिला जालौन
१८२—वंश गोपाल ... जिला फतेहपुर (पूर्व)
१८३—वंशीधर मिश्र ... जिला खीरी (दक्षिण पश्चिम)
१८४—विजयानन्द मिश्र ... जिला मिरजापुर (उत्तर)
१८५—विद्याधर बाजपेयी ... जिला सुल्तानपुर (पश्चिम)
१८६—विद्यावती राठौर, श्रीमती ... जिला एटा (दक्षिण)
१८७—विनय कुमार मुकर्जी ... लखनऊ-आगरा-अलीगढ़ इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम
१८८—विश्वनाथ प्रसाद ... जिला मिरजापुर (उत्तर)
१८९—विश्वनाथ राय ... जिला गाजीपुर (पूर्व)
१९०—विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी ... जिला उन्नाव (पश्चिम)
१९१—विष्णु शरण दुब्लिश ... जिला मेरठ (उत्तर)
१९२—वीरबल सिंह ... जिला जौनपुर (पश्चिम)
१९३—वीरेन्द्र शाह ... आगरा प्रान्त जमींदार एसोसियेशन
१९४—वैंकटेश नारायण तिवारी ... जिला कानपुर (उत्तर पूर्व)
१९५—शंकर दत्त शर्मा ... जिला मुरादाबाद (पश्चिम)
१९६—शान्ति प्रपन्न शर्मा ... जिला देहरादून
१९७—शिवकुमार पाँडे ... जिला इलाहाबाद (द्वाबा)
१९८—शिवकुमार मिश्र ... जिला शाहजहाँपुर (पूर्व)
१९९—शिवदयाल उपाध्याय ... जिला फतेहपुर (पश्चिम)
२००—शिवदान सिंह ... जिला अलीगढ़ (पश्चिम)
२०१—शिवमंगल सिंह ... जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)

२०२—शिवमंगल सिंह कपूर	.....	जिला आजमगढ़ (दक्षिण)
२०३—श्यामलाल वर्मा	....	जिला नैनीताल
२०४—श्यामसुन्दर शुक्ल	.....	जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री	...	जिला बांदा (उत्तर)
२०६—श्रीचन्द्र सिंघल	.....	जिला अलीगढ़ (मध्य)
२०७—श्रीपति सहाय	...	जिला हमीरपुर
२०८—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	...	बनारस नगर
२०९—सम्पूर्णानन्द, माननीय डा०	...	बनारस नगर
२१०—सरवत हुसैन	.....	जिला मुरादाबाद (उत्तर पूर्व)
२११—सलीम हामिद खां	....	जिला झांसी, जालौन और हमीरपुर
२१२—साजिद हुसैन	...	अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
२१३—सालिगराम जायसवाल	...	जिला इलाहाबाद (यमुनापार)
२१४—सिंहासन सिंह	...	जिला गोरखपुर (दक्षिण पूर्व)
२१५—सीताराम अष्ठाना	...	जिला आजमगढ़ (पश्चिम)
२१६—सुदामा प्रसाद	...	जिला गोरखपुर (उत्तर)
२१७—सुरेन्द्र बहादुर सिंह	.....	जिला रायबरेली (उत्तर पूर्व)
२१८—सुल्तान आलम खां	...	जिला फर्रुखाबाद
२१९—सूर्यप्रसाद अवस्थी	...	जिला उन्नाव (दक्षिण)
२२०—सईद अहमद	...	जिला नैनीताल अल्मोड़ा और बरेली (उत्तर
२२१—हबीबुर्रहमान अंसारी	...	जिला लखनऊ तथा उन्नाव
२२२—हबीबुर्रहमान खाँ	...	जिला खीरी
२२३—हरगोविन्द पन्त	...	जिला अल्मोड़ा
२२४—हरप्रसाद सत्यप्रेमी	....	जिला बाराबंकी (दक्षिण)
२२५—हरप्रसाद सिंह	...	जिला बाँदा (दक्षिण)
२२६—हसरत मोहानी	.....	कानपुर नगर
२२७—हुकुम सिंह, माननीय श्री	...	जिला बहराइच (उत्तर)
२२८—होती लाल अग्रवाल	...	जिला इटावा (पूर्व)
२२९—हैदर बख्श	...	जिला मथुरा तथा आगरा
२३०—(रिक्त)	.....	जिला फैजाबाद (पूर्व) सामान्य ग्रामीण
२३१—(रिक्त)	...	जिला रायबरेली मुस्लिम ग्रामीण
२३२—(रिक्त)	...	ट्रेड यूनियन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

१. माननीय श्री नफ़ीसुल हसन, एम०ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

२. रिक्त

सचिव

३. श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०

सहायक सचिव

४. श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए० (अवकाश पर)

५. श्री राधेरमण सक्सेना, एम०ए०,एल-एल०बी०,डी एल०एस-सी०
(स्थानापन्न)

अधीक्षक

६. श्री रामप्रकाश, बी० कॉम०, एल-एल० बी०।

७. श्री देवकीनन्दन मिश्र, एम० ए०, एल-एल० बी० (स्थानापन्न)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ, में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री नफ़ीसुल हसन, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६१)

अचल सिंह, श्री
अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अलगू राय शास्त्री, श्री
अलीजर्रार जाफरी, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
ईतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचंद पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदीलाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, श्री
जहूर अहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगुल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री

दीनदयाल शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागी लाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवान दीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मदद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटन राम, श्री
वंशगोपाल, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
बीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शिव कुमार पांडे, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
श्याम लाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री

साजिद हुसन, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह माननीय, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २६ दिसम्बर सन् १९५० ई०

[२१ दिसम्बर सन् १९५० ई० के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—[२७-१२-५० के लिए स्थगित किये गये।]

❀ ❀ ❀ ❀

*२२—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—[२७-१२-५० के लिए स्थगित किया गया।]

❀ ❀ ❀ ❀

*७१—७२—श्री ई० एम० फिलिप्स—[२७-१२-५० के लिए स्थगित किए गए।]

[२१ दिसम्बर सन् १९५० ई० के शेष प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

विलीन रामपुर राज्य की अवक्रांत म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछताछ

* ८४—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर राज्य की सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी के किन-किन कर्मचारियों को सरकार द्वारा खपाया गया है तथा किन-किन को पृथक किया गया है और किस-किस कारण से?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—कुल ८८ व्यक्तियों को पृथक किया गया। नामों की †सूची जिसमें हर एक के पृथक किये जाने का भी विवरण है, माननीय सदस्य की मेज पर रखी है। सरकार के लिए म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को खपाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

---

†सूची छापी नहीं गई है।

विलीन रामपुर राज्य की अवक्रान्त म्युनिसिपैलिटी को सिगरेट तथा दियासलाई की चुङ्गी से आय

*८५—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर राज्य की सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी में ३० जून सन् १९५० तक सिगरेट तथा दियासलाई पर पृथक-पृथक चुंगी की दरें क्या थीं ?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर—सिगरेट पर चुंगी की दर ३० जून सन् १९५० ई० तक ९ पाई प्रति रुपया मूल्यानुसार थी। ३१ जुलाई सन् १९४९ ई० तक दियासलाई पर चुंगी ४ आना प्रति ग्रुस ४० सींकवाले बाक्स पर तथा ५ आना प्रति ग्रुस ५० सींकवाले बाक्स पर थी। राज्य के विलीनीकरण के बाद वहां १ अगस्त सन् १९४९ ई० से यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट लागू है और तभी से म्युनिसिपल एकाउन्ट कोड की धारा १३१ के अन्तर्गत दियासलाई पर से चुंगी उठा ली गयी है।

*८६—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रामपुर राज्य की सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटी में १ जून सन् १९४९ ई० से ३० जून सन् १९५० ई० तक की अवधि में सिगरेट तथा दियासलाई की चुंगी से पृथक-पृथक कितनी आय हुई ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—१ जून सन् १९४९ ई० से ३० जून सन् १९५० ई० की अवधि में दियासलाई तथा सिगरेट पर से हुई आय इस प्रकार है :—

सिगरेट	..	..	.. ३,२२१ रु० १ आ० ९ पा०।
दियासलाई	..	..	.. कुछ नहीं।

मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग के लिए विकास योजना

*८७—श्री विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित)—मिर्जापुर जिले के कैमूर पर्वत के दक्षिणी भाग के विकास के लिए सरकार क्या योजना बना रही है या कार्यान्वित कर रही है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—मिर्जापुर जिले में स्थित कैमूर पर्वत के दक्षिणी भाग के विकास के प्रश्न पर दुद्धी जांच समिति ने विचार किया था और सन् १९४८ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस समिति के प्रस्ताओं पर की गयी कार्यवाहियों का एक पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था और तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में ३ अक्तूबर सन् १९५० ई० को पेश किया जाने वाला था। उस विवरण में दी गयी सूचना में आज तक की सूचना का फिर से समावेश कर दिया गया है। यह †विवरण मेज पर रख दिया गया है।

*८८—श्री विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर के दक्षिणी कैमूर भाग का क्षेत्रफल तथा आबादी क्या है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—क्षेत्रफल लगभग १२,४८,८२७ एकड़ तथा आबादी सन् १९४१ ई० की जन गणना के अनुसार १,९५,००० है।

*८९—श्री विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसमें उपजाऊ, अनुपजाऊ तथा जंगल क्षेत्र कितना है और इस क्षेत्र में खेती, सिंचाई और पानी पीने के साधन क्या-क्या हैं ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—उपजाऊ क्षेत्रफल लगभग १,५३,४१३ एकड़, अनउपजाऊ क्षेत्र लगभग ४,७४,३५२ एकड़ तथा जंगल क्षेत्र लगभग ७,३९,६५९ एकड़ है। उस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अति अभाव होने के कारण सरकार ने दुद्धी सरकारी रियासत की बंधियों के पुर्निर्माण तथा मरम्मत के निमित्त दुद्धी सुधार उप-समिति को ८५,००० रुपया दान दिया है। सरकार ने राजखौर बोर्डर एवं डमुहांव में बंधी बांधने के लिए लग-

---

†विवरण छापा नहीं गया।

भग ग्यारह लाख रुपया स्वीकृत किया है। उस क्षेत्र में पीने के पानी का भी अति अभाव है। दुद्धी सरकारी रियासत में पीने के पानी के कुंए बनाने के निमित्त सरकार ने आर्थिक वर्ष सन् १९४९—५० ई० में १५,००० रुपया व्यय किया और इस काय के निमित्त चालू आर्थिक वर्ष के बजट में भी ११,००० रु० रख दिया गया है।

मिर्जापुर जिले के दक्षिणी कैमूर क्षेत्र में पानी का अभाव

* ९०—श्री विजयानन्द मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि दक्षिणी कैमूर क्षेत्र के अनेक स्थानों में मुख्यतः चोयम दुद्धी के ३२ मील लम्बे पथ पर पीने के लिए पानी का कोई भी साधन नहीं है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय (उद्योग मंत्री)—जी हां। वर्षा के एकत्र हुए पानी से ही लोगों का काम चलता है।

विक्टोरिया पार्क, लखनऊ का संस्थापन

*९१—श्री नवाजिश अली खां—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ८—१० जिनका अन्तःकालीन उत्तर ८ सितम्बर सन् १९५० ई० को दिया गया था।]

८—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विक्टोरिया पार्क, लखनऊ को हुसेनाबाद ट्रस्ट ने स्थापित किया था? यदि हां, तो कब?

९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विक्टोरिया पार्क सरकार के अधिकार में कब और किस प्रकार आया?

१०—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या महारानी विक्टोरिया की मूर्ति हुसेनाबाद ट्रस्ट के प्रबंध काल में स्थापित की गयी थी?

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा-सचिव)—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ८—१० के उत्तर में ८ सितम्बर सन् १९५० ई० को जैसा कहा गया था एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है।]

८—हुसेनाबाद ट्रस्ट ने विक्टोरिया पार्क को सन् १८९० ई० से १८९३ ई० में सरकारी जमीन पर स्थापित किया था।

९—सरकार ने सन् १९०३ ई० में विक्टोरिया पार्क को हुसेनाबाद ट्रस्ट से इसलिए लिया था कि वह उसके निगरानी के खर्च से बचाया जा सके और यह भी तै हुआ था कि खर्च नजूल फंड से दिया जाय न कि हुसेनाबाद ट्रस्ट से।

१०—जी नहीं।

श्री नवाजिश अली खां—क्या हुसेनाबाद ट्रस्ट में यह शर्त है कि वक्फ के रुपये को सरकारी जमीन पर लगा कर बाग तैयार किया करें?

श्री लताफत हुसैन—यह तो ट्रस्ट के बाई लाज से आप को मालूम होगा।

यू० पी० ऐग्रीकल्चरर टेनेन्सी एक्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐक्ट के अन्तर्गत रुपये की अदायगी

* ९२—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ५१—५७ जिनका अन्तः कालीन उत्तर ९ सितम्बर सन् १९५० ई० को दिया गया था।

५१—क्या सरकार कृपया यहबतायेगी कि ३१ जनवरी सन् १९५० ई० तक कुल किस कदर रुपये की अदायगी बहक जमींदारान को जिम्मेदारी यू० पी० ऐग्रीकल्चरर टेनेंसी एक्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐक्ट के अन्तर्गत अपने ऊपर ले चुकी है?

५२—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिम्मेदारी ली हुई रकम में से किस कदर रकम अब तक गवर्नमेंट जमींदारों को मालगुजारी में मुजरा दे चुकी है और किस कदर रकम जमींदारों को बराहरास्त अदा कर चुकी है ?

५३—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि पहली फरवरी से ३० जून सन् १९५० ई० तक कुल किस कदर रुपये की अदायगी बहक जमींदारान की जिम्मेदारी यू० पी० ऐग्रीकल्चरर टेनेंसी एक्वीजीशन आफ प्रिविलेज ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार अपने ऊपर ले चुकी है ?

५४—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पिछली खरीफ की मालगुजारी की वसूली का औसत कुल सूबे का किस कदर रहा ? (जिलेवार ब्योरा दिया जाय।)

५५—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपर्युक्त ऐक्ट के अन्तर्गत जो काश्तकार खरीफ में दस गुना अदा कर चुके उनका रबी का आधा लगान भी गवर्नमेंट को जमींदारों को अदा करना है या नहीं ?

५६—(क) जो रुपया अदा करना है और जो अभी तक अदा नहीं हुआ है, क्या यह सही है कि रबी की मालगुजारी की वसूली में उस रुपये को मुजरा देने का हुक्म गवर्नमेंट ने दिया है या देने का इरादा किया है ?

(ख) यदि दिया है तो, क्या सरकार उस हुक्म की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

५७—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उन जमींदारों की माली कठिनता को दूर करने के लिए उसने क्या योजना तैयार की है जिनके ज्यादातर काश्तकारों ने अपना दस गुना लगान अदा कर दिया है और उनको आधा लगान गवर्नमेंट से नहीं मिला और जिन्होंने अपने जेब से मालगुजारी अदा की है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न ५१—५७ के उत्तर में ९ सितम्बर सन् १९५० ई० को जैसा कहा गया था । एक लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है ।]

५१—जमींदारी विनाश कोष के सम्बन्ध में ३१ जनवरी, १९५० की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ३१ दिसम्बर, १९४९ तक रुपया जमा करने वाले किसानों को १३५७ फ० के आधे लगान और २८ फरवरी, १९५० तक जमा करने वालों को चौथाई लगान की छूट दी गई। २८ फरवरी, १९५० तक जो रुपया जमा हुआ उसके कारण सरकार ३३,७३,२५४ रु० की देनदार हो गई।

५२—३१ अगस्त, १९५० तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मालगुजारी में मुजराई द्वारा २१,७२,९४७ रु० तथा नक़द ५६,९५८ रु० दिये गये। कुल योग २२,२९,९०५ रु० है।

५३—जैसा कि प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर में कहा जा चुका है, जमींदारी विनाश कोष के सम्बन्ध में ३१ जनवरी, १९५० को कोई विशेषता नहीं है। १ मार्च, १९५० से ३० जून, १९५० तक जमा किये हुये रुपये के कारण सरकार ५०,१९,७७० रु० की देनदार हो गई।

५४—पिछली खरीफ, १३५७ फसली की मालगुजारी की वसूली का औसत कुल सूबे का ९२६२ प्रतिशत रहा। जिलेवार † ब्योरा संलग्न है।

५५—जी हां।

५६—(क) सरकार ने यह आदेश दिया था कि जो रकम अदा करनी है, उसे मालगुजारी में मुजराई द्वारा अथवा नक़द अदा कर दिया जाए।

†ब्योरा छापा नहीं गया।

(ख) आदेश की एक † प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

५७--जिलाधीशों को समय-समय पर आदेश दिये गये कि अदायगी का काम शीघ्र समाप्त किया जाये और इस कार्य को करने के लिये उन्हें नये कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वीकृति भी दी गई थी।

*९३—श्री गुरु नारायण—[२७-१२-५० के लिये स्थगित किया गया।]

*९४—श्री बादशाह गुप्त--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ जनवरी सन् १९५१ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*९५—श्री खुशवक्त राय--[वापस लिया गया।]

[मंगलवार, २६ दिसम्बर सन् १९५० ई० के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद महिला ट्रेनिंग कालेज का तोड़ा जाना

*१—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद की महिलाओं का ट्रेनिंग कालेज तोड़कर आगरा कब और क्यों ले जाया गया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा-मंत्री)—राजकीय महिला शिक्षण विद्यालय, प्रयाग से जुलाई, १९५० ई० में आगरे भेजा गया, क्योंकि उसको तथा उसी के अहाते में स्थित राजकीय महिला गृह-शास्त्र विद्यालय को स्थान की बड़ी कमी थी और दोनों को पृथक स्थान दे देने से पर्याप्त स्थान तथा सुविधा प्राप्त हो जाती थी।

आगरा ट्रेनिंग कालेज का तोड़ा जाना

*२—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—आगरे का पुरुषों के लिए ट्रेनिंग कालेज क्यों और कब से तोड़ दिया गया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आगरे का पुरुष शिक्षण विद्यालय जुलाई, १९५० ई० में तोड़ दिया गया, क्योंकि स्थानीय बलवंत राजपूत कालेज आदि से संबंधित शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त स्थान रिक्त थे।

सोशल सर्विस स्कीम तथा फिजिकल एजुकेशन

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी सोशल सर्विस स्कीम के अन्तर्गत फिजिकल एजुकेशन भी है और उसमें क्या-क्या सिखाया जाता है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को सोशल सर्विस स्कीम में अब तक सालवार कितना कितना रुपया खर्च हुआ है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—

			रु०
१९४७-४८ में	..	..	३,३१,१७०
१९४८-४९ में	..	..	३,४२,३०४
१९४९-५० में	..	..	२,१६,४८०

† प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी के ताल जनौरा के बरसाती पानी को निकास सम्बन्धी रिपोर्ट

*५—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ताल जनौरा, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी का बरसाती पानी निकालने के मार्ग सम्बन्धी अन्तिम रिपोर्ट जो जिलाधीश तथा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (नहर विभाग) जिला मैनपुरी से मांगी गयी थी, क्या है?

श्री लताफत हुसैन—जनौरा ताल, तहसील भोगांव, जिला मैनपुरी का बरसाती पानी निकालने के बारे में जो रिपोर्ट चीफ इंजीनियर (नहर) और जिलाधीश, मैनपुरी ने सरकार के पास भेजी है, उनकी †कापियां मेज पर रखी हुई हैं।

*६—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को लगभग दो मास पूर्व कोई प्रार्थना-पत्र जिला मैनपुरी के सब मेम्बरान एसेम्बली ने उक्त जनौरा ताल के कुल कागजात चीफ इंजीनियर, लखनऊ के यहां से मंगाने के लिए दिया था?

श्री लताफत हुसैन—जी हां।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि चीफ इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट के दूसरे पैरा में जनौरा ताल का पानी निकालने के लिए दो योजनाओं पर विचार किया है?

श्री लताफत हुसैन—यह तो रिपोर्ट में मौजूद ही है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सिफारिश कलेक्टर महोदय ने अपनी रिपोर्ट में की है कि यह भूमि निकलने के लिये काली नदी की तरफ नाला बना दिया जाय, इस सम्बन्ध में अब सरकार क्या कर रही है?

श्री लताफत हुसैन—इसका ड्रेन बनाने का मसला गवर्नमेंट के सामने पहले भी दो मर्तबा आ चुका है। एक मर्तबा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी ने ड्रेन खुदवाया जो जिला फर्रुखाबाद से गुजर कर नदी में पड़ता था। इस पर फर्रुखाबाद के कल्टीवेटर्स ने, जिनकी जमीन खराब होती थी, कोर्ट में जाकर इंजेक्शन आर्डर ले लिया। इसलिये गवर्नमेंट को इसको रिजेक्ट करना पड़ा। अब फिर कागजात मंगाये हैं और गवर्नमेंट गौर कर रही है कि वह इस विषय में क्या कर सकती है।

श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद के काश्तकारों की कितनी भूमि इस नाले के खुदवाने के लिये लेनी पड़ेगी?

श्री लताफत हुसैन—इस वक्त मैं इसके ठीक फीगर्स नहीं बतला सकता।

१९४९-५० में कालेजों के लिये स्वीकृत धन का अपूर्ण संख्या में दिया जाना

*७—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय राज्य में किस-किस कालेज को कितना कितना रुपया वर्ष काल १९४९-५० में स्वीकृत होने के बाद दिया नहीं जा सका था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना निम्नांकित रूप से है:—

१,९२५ रु० का पूरक अनुदान बलवंत राजपूत कालेज, आगरा के होस्टल के लिये। २,४८४ रु० का आवर्त्त उपस्कार अनुदान उक्त कालेज के लिये।

गत वर्ष सरकारी सहायता न पाने वाले कालिजों को १९५०-५१ में सहायता

*८—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस वर्ष, अर्थात् वर्ष १९५०-५१ ई० में कितना-कितना रुपया किस किस ऐसे कालेज के लिए स्वीकृत हुआ है?

---

†कापियां छापी नहीं गई।

जिनको गत वर्ष रुपया नहीं मिला था और यह रुपया किस-किस काम के लिये दिया जा रहा है ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वर्ष (१९५०-५१) अभी तक ऐसे किसी भी डिग्री कालेज के लिये अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ है।

*९—१०—श्री गजाधर प्रसाद—[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ जनवरी सन् १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

११—१५—श्री खुशवक्त राय—[स्थगित किये गये।]

अदलपुरा जिला मिर्जापुर के काश्तकारों और मजदूरों में सत्याग्रह-आन्दोलन

*१६—श्री विश्वनाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में तहसील चुनार के अदलपुरा के काश्तकारों और मजदूरों में सत्याग्रह का आन्दोलन चल रहा है और बहुत से लोग जेल भेज दिये गये हैं ?

*१७—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उनकी मांगें क्या हैं और उसकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—इन सवालों के जवाब किसी अगली तारीख को दिये जायंगे।

किसानों की मांगें सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य के आदर्श गांव

*१८—श्री विश्वनाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जो आदर्श गांव सरकार ने बसाये हैं वे उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में बसाये गये हैं ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित ११ जिलों में आदर्श गांव बसाने का प्रयत्न किया गया है

इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, उन्नाव, कानपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, सीतापुर और फर्रुखाबाद।

फर्रुखाबाद जिला में अभी तक इसके लिये कोई उचित स्थान निश्चित नहीं हो सका है।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आफिसरों व डिप्टी कलेक्टरों के वेतन में अन्तर

*१९—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आफिसरों व डिप्टी कलेक्टरों के वेतनों में अन्तर क्यों है ?

श्री चरण सिंह (माननीय मुख्य मंत्री के सभा-सचिव)—डिप्टी कलेक्टरों व जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों, रेवेन्यू आफिसरों के कार्य समान नहीं हैं। डिप्टी कलेक्टरों को अधिक कठिन परीक्षा के पास करने पर नियुक्त किया जाता है और वे स्थायी कर्मचारी हैं। किन्तु जुडीशियल मैजिस्ट्रेट व रेवेन्यू आफिसर केवल अस्थायी हैं।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू मैजिस्ट्रेट कितने दिनों से अस्थायी चले आ रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जब से तकर्रुर हुआ है। कुछ सन् १९४७-४८ से और कुछ उससे पहले से।

नोट—तारांकित प्रश्न १६-१८ श्री रामकुमार शास्त्री ने पूछे।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि कितने दिनों तक उन्हें और अस्थायी रहना पड़ेगा ?

श्री चरण सिंह—सरकार उनकी कंडीशंस आफ सर्विस पर विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—तो फिर संभावना क्या है ? क्या वे स्थायी होंगे या इनके पद तोड़ दिये जायेंगे ?

श्री चरण सिंह—यदि पहिले से यह चीज तय हो गई होती तो विचाराधीन रहने का कोई सवाल ही न था।

रायबरेली जिले में वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट

*२०—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि जिला मैजिस्ट्रेट, रायबरेली ने जिले में वर्षा से क्षति की क्या रिपोर्ट भेजी है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—डिप्टी कमिश्नर रायबरेली की रिपोर्ट के अनुसार १३ और १४ अगस्त, १९५० ई० के बीच में रायबरेली जिले में भारी वर्षा हुई जिसके कारण रायबरेली, डलमऊ और सालोन तहसीलों के कुछ हिस्से में दूर-दूर तक नुक़सान हुआ। इन तीनों तहसीलों के १४ गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा। खास नुक़सान मकानों को पहुँचा जो पानी भर जाने से गिर पड़े। बहुत से लोग बेघर बार और असहाय हो गये। २ व्यक्ति और १८ मवेशी मरे। दो स्थानों पर रेलवे लाइन टूट गई। लखनऊ-बनारस और रायबरेली व महराजगंज सड़कें भी कट गयीं।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि डिप्टी कमिश्नर रायबरेली ने अपनी रिपोर्ट में माली नुक़सान कितना लिखा है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—इसकी तादाद मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

*२१—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि सरकारी सहायता क्या दी गयी है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जिले में बाढ़-पीड़ित को तत्काल मुफ्त सहायता पहुंचाने के लिये सरकार ने ३,००० रु० की एक धनराशि स्वीकृत की। लोगों को फिर से मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में जंगलों से बल्ली और पूले इत्यादि दिये जाने की आज्ञायें जारी कर दी गई है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली में जंगल कहां पर हैं जहां से उनको लकड़ी मिल सकेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—रायबरेली जिले में जंगल नहीं है।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—मेरा मतलब यह था जिस जंगल से लकड़ी और पूले वगैरा मिल की बात कही गई है वहां वह जंगल कहां पर है जहां से रायबरेली के लोगों को यह मिल सके ?

माननीय श्री हुकम सिंह—यह जंगल विभाग को लिख दिया गया है और वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कंटेक्ट करके जहां से आसानी पड़े वहां से उनको सप्लाई करें।

रायबरेली जिले के कुछ हाईस्कूलों में इन्टरमीडिएट क्लासेज खोलने की मनाही

*२२—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या यह सच है कि इस साल रायबरेली में कई हाई स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा इन्टरमीडियेट के दर्जे नहीं खोलने दिये गये ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं केवल एक स्कूल जिसने ग्यारहवीं कक्षा साहित्य में जुलाई १९५० में खोलने के लिये आवेदन पत्र दिया था उसको ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी गई।

*२३--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--यदि हां तो क्यों?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कारण निम्नलिखित हैं:--

(१) समुचित स्थायी कोष का अभाव जिससे प्रबन्धकारिणी अपने व्यय पर ग्यारहवीं कक्षा खोल सके।

(२) विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम केवल दस के लगभग होती। निर्धारित संख्या १४ है।

(३) समुचित इमारत का न होना।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन स्कूलों को ११ वां दर्जा खोलने की इजाजत दी गई?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसकी बाबत तो प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी मैं बतलाने की कोशिश करता हूं। एक तो बरखंडी विद्यालय है और दूसरा गान्धी विद्यालय और बछरावां है और एक नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल है। यह मैं अन्दाज से कहता हूं इसकी बाबत सवाल नहीं पूछा गया था।

*२४--२७--श्री बेचनराम गुप्त--[२७-१२-५० के लिये स्थगित किये गये।]

म्युनिसिपल बोर्डों में वेतन के सम्बन्ध में आडिट पार्टी की नियुक्ति

*२८--श्री फखरुल इस्लाम--(अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पे कमेटी के सरकारी रेजुल्यूशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वह प्रत्येक म्युनिसिपल बोर्ड में स्पेशल आफिसर के बजाय कोई आडिट पार्टी नियुक्त करने का विचार करती है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सेक्रेटरी यू० पी० म्युनिसिपल सर्विस एसोसियेशन का माननीय स्वशासन मंत्री को मेमोरियल

*२९--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि सेक्रेटरी, यू० पी० म्युनिसिपल सर्विस एसोसिएशन, कानपुर में विभाग के सम्बन्धित माननीय मंत्री से मिलने के बाद पत्र संख्या ३९/एम० एस० ए०, ता० ८ दिसम्बर, १९४९ ई० के साथ एक मेमोरियल भी भेजा जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड के अमले की ओर से शिकायतें लिखी गयी थीं?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--जी हां। उल्लिखित मेमोरियल में शिकायतें नहीं बल्कि वेतन की नई दरों के संपादन एवं संबंधित विषयों पर कुछ सुझाव दिये गये थे।

*३०--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या इस मेमोरियल के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--कुछ सुझावों में उल्लिखित विषयों पर सरकार ने अपने निर्णय दे दिये हैं। शेष सुझाव अधिकतर ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से गहन हैं। उन पर सरकार अभी विचार कर रही है।

*३१--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि यू० पी० म्युनिसिपल सर्विस एसोसिएशन के सेक्रेटरी एक डेपुटेशन के साथ २० फरवरी, १९५० ई० को लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी से मिले?

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर--जी हां।

प्रांतीय न्यायालयों में कौंसिल और असेम्बली के चुनाव के सम्बन्ध में एलेक्शन पेटीशन्स

*३२--श्री गुरु नारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किस-किस के और किस-किस के विरुद्ध एलेक्शन पेटीशन प्रान्तीय असेम्बली तथा कौंसिल से सम्बन्धित इस प्रान्त में न्यायालयों में पेश है ?

श्री चरण सिंह--उत्तर प्रदेश की असेम्बली व कौंसिल के निर्वाचनों से सम्बन्धित कोई भी एलेक्शन पेटीशन इस समय इस राज्य के न्यायालय में पेश नहीं है ।

१३५६, १३५७ फसली में कोर्ट आफ वार्ड्स की आय का प्रतिशत

*३३--श्री गुरुनारायण--क्या सरकार कोर्ट आफ वार्ड के कलेक्शन की परसेंटेज (प्रतिशत) १३५६, १३५७ फसली की हर साल अलग-अलग बतलाने की कृपा करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--कोर्ट आफ वार्ड्स का वार्षिक हिसाब माली साल के आधार पर तैयार किया जाता है । फसली साल १३५६ और १३५७ क्रमशः माली साल १९४८-४९ तथा १९४९-५० से संवादित है । माली साल १९४८-४९ में सम्पूर्ण आय की वसूली का प्रतिशत ९९.४७ था। माली साल १९४९-५० के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए है, परन्तु सम्भवतः वसूली पूर्व वर्ष के बराबर ही होगी ।

कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत रियासतें

*३४--श्री गुरु नारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी और कौन-कौन सी रियासतें इस प्रान्त की कोर्ट आफ वार्डस में है ? और किन-किन कारणों से सरकार ने उन्हे कोर्ट आफ वार्डस के प्रबन्ध में लिया है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--उत्तर प्रदेश को १८३ रियासतें कोर्ट आफ वार्डस के प्रबन्ध में है। †सूचना सम्बद्ध सूची में दी हुई है ।

श्री गुरु नारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन तमाम कोर्ट आफ वार्ड्स की रियासतों के वार्ड्स को जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था ... की वेलिडिटी को चैलेंज करना चाहते है गवर्नमेन्ट क्या सहूलियत देगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जो कानूनी सहूलियत दी जा सकेगी वह दी जायगी ।

श्री गुरु नारायण--अगर कोर्ट आफ वार्ड्स विभाग इस बात की इजाजत दे दे कि वह जमींदारी बिल की वेलेडिटी चैलेंज कर सके तो उसमें सरकार कुछ हस्तक्षेप तो नहीं करेगी ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--सरकार हस्तक्षेप करे या न करे, लेकिन कानून इस की इजाजत नहीं देता ।

श्री गुरु नारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो रियासतें लिखी गई है उनमें किस प्रकार का असन्तोष किसानों को था और क्या कुप्रबन्ध वहां था और उसकी क्या कोई जांच की गई ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--जी हां, जांच की गई और वहां बदइंतजामी थी और किसानों को हैरेस किया जाता था और दोबारा लगान वसूल किया जाता था। यही कारण थे ।

श्री पेजाज रसूल--जांच कैसे हुई और किसने जांच की ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--कोर्ट आफ वार्ड्स के जरिये से हुई और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये से हुई ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से सरकार को लाभ

*३५--श्री गुरु नारायण--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, कानपुर से जब से वह सरकार के हाथ में आयी कोई फायदा हुआ ?

श्री लताफत हुसैन--सरकारी प्रबन्ध में आने के बाद कानपुर बिजली घर को प्रति वर्ष जो लाभ हुए उनके आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष		लाभ
१६-९-४७ से ३१-३-४८ तक	..	२·१४ लाख रुपया
सन् १९४८ से १९४९ तक	..	३·२६ लाख रुपये
सन् १९४९ से १९५० तक	..	४·३० लाख रुपये

*३६--३७--श्रीमती विद्यावती राठौर--[स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा में श्री बद्रेश्वर के स्थान पर रामलीला का बन्द होना

*३८--श्री त्रिकोली सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा में श्री बद्रेश्वर के स्थान पर कुछ समय से रामलीला होती रही ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*३९--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या २ वर्ष से श्री बद्रेश्वर की भूमि पर रामलीला नहीं हो रही है ?

श्री चरण सिंह--सन् १९४९ से श्री बद्रेश्वर के स्थान पर रामलीला नहीं हुई।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि रामलीला का होना क्यों बन्द हो गया ?

श्री चरण सिंह--क्योंकि ८ जुलाई, १९४९ को अल्मोड़ा की हिन्दू पब्लिक के खिलाफ अदालत दीवानी की एक डिगरी हो गई और उसके बाद जो रामलीला की गई और एक सज्जन पर जिन्होंने उसमें प्रमुख हिस्सा लिया था उनको डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से एक महीने का सिम्पिल इम्प्रिजनमेन्ट हुआ। यह ४९ की बात है और उसके बाद पब्लिक ने कोई कोशिश नहीं की कि वहां रामलीला हो।

*४०--४१--श्री त्रिलोकी सिंह--[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थित के कारण ता० २ जनवरी सन् १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

बहराइच जिले में विधान सभा के मतदाताओं की सूची छपने में विलम्ब

*४२--श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि विधान सभा के मतदाताओं की सूची बहराइच जिले में पिछले अप्रैल में छप कर तैयार हो गई थी ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी हां।

*४३--श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है उसकी पूरी छपाई प्रेस मालिकों को अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी हां।

*४४--श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह भी सत्य है, प्रेस मालिकों ने आर्थिक संकट के कारण जिलाधीश, बहराइच को नोटिस भी दे रखा है ?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी हां।

*४५--श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--यदि हां, तो अब तक उनकी छपाई न मिलने का कारण क्या है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--बहराइच जिले में प्रेसों के बिलों के फौरन न स्वीकृत होने के कारण यह थे कि नियमों के अनुसार यह आवश्यक था कि बिलों की जांच सुपरिन्टेडेन्ट प्रिन्टिंग तथा स्टेशनरी से कराई जावे। वह कराई गयी। बहुत जगहां की रोल्स की आवश्यक प्रतियां पूरी न थी तथा छपाई में बहुत अशुद्धियां थीं और जो कागज प्रेसों को छपाई के लिये दिया गया था उसका ठीक हिसाब प्रेसों ने नहीं दिया था फिर भी प्रेस की असुविधा का ध्यान रखते हुये प्रत्येक को एक एक बिल के रुपया के अलावा जो उनकी रजामन्दी से रोक लिया गया है बाकी सब रुपया उनको दिया जा चुका है। जांच समाप्त हो जाने के बाद शेष रुपया भी बहराइच के प्रेस मालिकान को दे दिया जावेगा।

*४६--श्री भगवानदीन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह भी सत्य है कि सूबे के प्रायः सभी जिलों में यह धन प्रेस मालिकों को दिया जा चुका है?

माननीय श्री केशवदेव मालवीय--जी नहीं, २० जिलों की सारी प्रेसों को पूरी छपाई दी जा चुकी है शेष ३१ जिलों में प्रेसों को कुछ रुपया दिया गया है और कुछ बाकी है जांच समाप्त होने पर दिया जावेगा।

मैनपुरी जिला कोआपरेटिव अफसर का स्थानान्तरण

*४७--श्री श्याम लाल वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी, जिला कोआपरेटिव बैंक के बोर्ड की ओर से जिला कोआपरेटिव आफिसर को स्थानान्तर करने की मांग किन कारणों से और कब की गयी थी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में जिला सहकारी बैंक मैनपुरी के १ दिसम्बर, १९४९ के प्रस्ताव नम्बर १ की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६ पर)

*४८--श्री श्यामलाल वर्मा--उक्त आफिसर को स्थानान्तर करने के लिये आदेश कब दिया गया और किस प्रकार वह कार्यरूप में परिणत हुआ?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त आफिसर को स्थानान्तर करने का आदेश ३ जुलाई सन् १९५० ई० को दिया गया और उसने २० जुलाई को कार्यभार सौंप दिया था, किन्तु कुछ कारणों से उनको मैनपुरी में पुनः रोक लिया गया। अतः उन्होंने फिर २४ जुलाई, १९५० को कार्यभार ग्रहण किया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सरकार ने कहा है कि कुछ कारणों से, तो क्या सरकार बतलायेगी कि वे कौन से कारण थे?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक तो बैंक के मैनेजर ने तार दिया था कि वह काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसलिये उनको रहने दिया जाय और दूसरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वायरलेस से गवर्नमेंट को कहा था कि उनके चले जाने से बैंक को बड़ा नुकसान होगा इसलिये, उन्हें रहने दिया जाय।

*४९--श्री श्यामलाल वर्मा--उक्त आफिसर से दूसरे कोआपरेटिव आफिसर ने कितने दिन के लिए चार्ज ले लिया था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चार दिन के लिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--चार दिनों के लिये जो दूसरे अफसर नियुक्त किये गये थे उनके आने-जाने का भत्ता किसने दिया था?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कायदे के मुताबिक गवर्नमेंट ही देती है और उसी ने दिया होगा।

*५०—श्री श्यामलाल वर्मा—क्या यह सही है कि केवल ४ दिन के उपरान्त इन दूसरे आफिसर को पुनः स्थानान्तर कर दिया और उन्हीं पुराने आफिसर को मैनपुरी में रोक लिया?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*५१—श्री श्यामलाल वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन मैनपुरी स्थित कोआपरेटिव आफिसर के विरुद्ध क्या आरोप थे और उनपर क्या कार्रवाई की गयी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आरोप जिला सहकारी बैंक ने प्रस्ताव नं० १ में लिखे हैं। आरोपों की पुष्टि न होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इन आरोपों की जो जांच की गयी वह किस अधिकारी ने की?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला मैजिस्ट्रेट ने की और कुछ विभाग ने भी की।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार को किसी विशेष परिस्थिति में अपने सरकारी अफसरों की शान का भी खयाल रखना पड़ता है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अगर वह सरकारी काम अच्छा कर रहे हों तो उनकी शान का ख्याल करना ही चाहिये और उनकी शान सरकार की शान है।

जौनपुर जिले में उद्योगों के लिये बिजली का वितरण

*५२—श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में किस-किस उद्योग के लिये, किस-किस को, कितनी-कितनी बिजली दी गयी है?

श्री लताफत हुसैन—मांगी हुई सूचना के इकट्ठा करने में जो मेहनत सर्फ होगी वह उससे हासिल होने वाले नफे से बहुत ज्यादा होगी। इसलिये यह सूचना नहीं दी जा सकती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतला सकती है कि कितने आदमियों को दी गयी होगी?

श्री लताफत हुसैन—इस वक्त तो मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है कि मैं आपको यह बतला सकूं कि कितने आदमियों को दी गयी थी।

रामपुर के बिजली घर के सम्बन्ध में पूछताछ

*५३—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ से १९४९ तक, प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक, रामपुर के बिजली घर की उत्पादन शक्ति कितनी थी तथा इस समय कितनी है?

श्री लताफत हुसैन—रामपुर पावर हाउस (बिजली घर) की जनरेटिंग कैपेसिटी (उत्पादन शक्ति) सन् १९४६ से सन् १९४९ तक प्रत्येक वर्ष २,००० किलोवाट रही और इस समय भी २,००० किलोवाट है।

*५४—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के बिजली घर की पीक लोड सन् १९४६ से १९४९ तक प्रत्येक वर्ष पृथक-पृथक कितना रहा और वह किस-किस तारीख को?

श्री लताफत हुसैन—वार्षिक पीक लोड सन् १९४६ से १९४९ तक की तफसील यह है :—

वर्ष		वार्षिक पीक लोड		तिथि और मास जब पीक लोड हुआ
१९४६	..	१,९०० किलोवाट	..	२ मई
१९४७	..	२,००० ”	..	१, २ अप्रैल
१९४८	..	२,००० ”	..	२९ मई
१९४९	..	२,००० ”	..	१९ मई

*५५—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के बिजली घर में जनवरी सन् १९५० से जुलाई सन् १९५० तक प्रत्येक मास का पृथक-पृथक पीक लोड कितना रहा और वह किस-किस तारीख को?

श्री लताफत हुसैन—मासिक पीक लोड जनवरी, १९५० से जुलाई १९५० तक की तफसील यह है—

मास			मासिक पीक लोड		तिथि जब पीक हुआ
जनवरी	१९५०	..	१,७०० किलोवाट	..	१३ और १४
फरवरी	”	..	१,६५० ”	..	१० और २२
मार्च	”	..	१,६५० ”	..	९
अप्रैल	”	..	१,८०० ”	..	१५
मई	”	..	१,९७० ”	..	६
जून	”	..	१,९०० ”	..	१९
जुलाई	”	..	१,८८० ”	..	१ पहली

*५६—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के बिजलीघर से दिसम्बर सन् १९४९ के बाद, घरेलू कामों तथा औद्योगिक कामों के लिये पृथक २ कितने ऐसे और कितने-कितने किलोवाट के कनेक्शन दिये गये हैं जिनकी स्वीकृति वहां की पिछली सरकार द्वारा हो चुकी थी, परन्तु कनेक्शन दिये नहीं जा सके थे?

श्री लताफत हुसैन—ऐसे दिये गये कनेक्शनों की तफसील यह है:—

विषय		नं०		भार किलोवाट में
रोशनी और पंखा (domestic)	..	२२१	..	११०.५
पावर जिन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं	..	१९	..	६३.७५
पावर आफ पीक (off peak) के आधार पर जिनपर प्रतिबन्ध है	..	२८	..	१७३.६

*५७—श्री कृष्ण शरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४६ से १९५० की ३० जून तक, प्रत्येक वर्ष पृथक २ रामपुर के बिजली घर से किस-किस औद्योगिक कारखाने के लिये ४० हार्सपावर से अधिक तथा किस-किस के लिए ४० हार्स पावर से कम बिजली दी गई?

श्री लताफत हुसैन—इस काल में केवल एक कनेक्शन ५५ हार्स पावर का आफ पीक (off peak) में भारत मैटल वर्क्स के लिए स्वीकार किया गया था। उक्त ग्राहक ने इस स्वीकृति का उपयोग शुरू से ही नहीं किया, इसलिये इस स्वीकृति की अवधि समाप्त हो गई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७ पर)

*५८—६१—श्री जगमोहन सिंह नेगी—[स्थगित किये गये।]

लखनऊ रेजीडेन्सी (बेली गार्ड) के सम्बन्ध में पूछताछ

*६२—श्री बादशाह गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि कौंसिल हाउस, लखनऊ से पूर्व और लगभग एक मील दूर गोमती नदी के तट पर "बेली गार्ड" या "लखनऊ रेजीडेंसी" नाम की इमारतें हैं जहां एक विस्तृत पार्क भी है?

*६३—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त इमारतों की छतें अधिकांश में गिर चुकी हैं परन्तु उनकी दीवारें आदि सुदृढ़ अवस्था में वर्तमान हैं?

*६४—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त पार्क तथा इमारतों के सुप्रबन्ध तथा रखरखाव के निमित्त सरकार ने वर्षकाल १९४९-५० में कुल कितना व्यय किस-किस मद में किया है।

*६५—क्या सरकार ने १९५०-५१ में उक्त व्यय में कोई कमी की है? यदि हां, तो कितनी और किस मद में?

*६६—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भवनों में से कोई भवन किसी प्रयोग में भी आ रहे हैं या नहीं? यदि हां, तो कौन भवन और किस काम में?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि लखनऊ रेजिडेन्सी भारत-सरकार के रक्षा-मंत्री के अधीन है और उसकी देखभाल गैरिजन इंजीनियर (एम० ई० एस०), लखनऊ करता है, मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

अस्थायी सभापति समिति का निर्माण

माननीय अध्यक्ष--इस अधिवेशन की अस्थायी सभापति समिति के लिये मैं सर्वश्री मुकुन्दलाल अग्रवाल, रघुवीर सहाय, अब्दुल गनी अन्सारी, खुशवक्त राय और श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी को नामजद करता हूँ।

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश के शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत करने की अवधि १३ दिसम्बर, १९५० ई० से २६ दिसम्बर, १९५० ई० तक बढ़ाई जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधान सभा में प्रस्तुत करने की अवधि १३ दिसम्बर, १९५० ई० से २६ दिसम्बर, १९५० ई० तक बढ़ाई जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमन् मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेशीय शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट उपस्थित करता हूँ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८ पर)

वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के पूरक अनुदानों के लिये मांगें

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्रीमान्, मैं वित्तीय वर्ष १९५०-५१ के पूरक अनुदानों के लिये मांगें उपस्थित करता हूँ। जैसा कि इन पुस्तिकाओं से प्रकट है, यह १,११,४३,८०० रु० की स्वीकृति के लिये हैं। जैसा कि हमेशा होता है, कुछ जरूरी खर्च सामने आये जोकि उस वक्त सोचे नहीं जा सकते थे उन्हीं के सम्बन्ध में यह मांग है। ये सभी मांगें फाइनेंस कमेटी के सामने जा चुकी हैं। उनमें से कुछ काम ऐसे जरूरी थे कि जो रोके नहीं जा सकते थे और उन पर कंटिंजेंसी फंड में से रुपया खर्च किया गया। मैं आशा करता हूँ कि सदन इन मांगों को स्वीकार करेगा।

नगर पालिका-दमनकाल-विस्तार-सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव

श्री श्रीचन्द्र सिंघल--श्रीमान् स्पीकर साहेब, मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन हाल ही के अध्यादेश के प्रख्यापन का अनुशोच करता है जिसने सरकार को नगर पालिका के दमनकाल के विस्तार का अधिकार दिया है और इस अध्यादेश का अनुमोदन करता है, क्योंकि यह स्वशासन के सिद्धान्त का ही मूलोच्छेद करता है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। जो प्रस्ताव मेरे मित्र श्री श्रीचन्द्र सिंघल ने पेश किया है कि इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन म्युनिसिपैलिटीज का एक विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित हो चुका है

उन्हीं का इस आर्डिनेंस से सम्बन्ध है। जिनका यह प्रस्ताव है। उस पर भवन को विचार करने का मौका होगा। अगर वह विधेयक उपस्थित न होता तो ऐसी सूरत में ऐसे आर्डिनेंस पर इस प्रकार का प्रस्ताव होकर विचार हो सकता था।

लेकिन जब विधेयक उपस्थित हो गया है तो विधेयक पर विचार करने का भवन को मौका होगा और भवन को यह अधिकार होगा कि इस विधेयक को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। चूंकि विधेयक उपस्थित हो चुका है, इसलिये यह प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री श्रीचन्द्र सिंघल--कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हर एक सदस्य को ऐसा हो प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है और उसी अधिकार के मुताबिक मैं यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूँ।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)---इस सम्बन्ध में तीन प्रस्ताव हैं। एक तो वह है जिसे अभी पेश किया गया है और बाकी जो दो और हैं वह भी मैं समझता हूँ कि शायद इसी सम्बन्ध में हैं।

माननीय अध्यक्ष---इसके अलावा एक और म्यूनिसिपैलिटीज के आर्डिनेंस के मुताल्लिक है और एक और अलग है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--दो और रिजोल्यूशन हैं।

माननीय अध्यक्ष--नम्बर एक और दो पर जो प्रस्ताव श्री श्रीचन्द्र सिंघल और श्री खुशवक्त राय के हैं, इन दो में से एक ही पेश हो सकता ह, क्योंकि दोनों का मजमून एक ही है, लेकिन जो तीसरा प्रस्ताव है वह दूसरे आर्डिनेंस के सिलसिले में है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जैसा चाहें वैसा करें।

माननीय अध्यक्ष---जो आपत्ति श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने उठाई है, मैं समझता हूँ कि खाली विधेयक का सदन में आ जाना काफी नहीं है। इस सदन को यह मौका है और इस सदन को पूरा अख्तियार है कि आर्डिनेंस के मुताल्लिक अपनी राय जाहिर करे कि उसे नापसन्द करता है और उसे नामंजूर करता है और उसके बाद वही चीज कानून के जरिये मंजूर कर सकता ह। अभी वह उपस्थित हुआ है, अगर वह इस सदन से पास हो गया होता तब यह हो सकता था कि इस मसले पर बहस हो चुकी है, इसलिये इस पर मौका नहीं दिया जाना चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि यह प्रस्ताव हमारे संविधान का लिहाज रखते हुये अनियमित नहीं है और मैं इसकी इजाजत देता हूँ।

श्री श्रीचन्द्र सिंघल---श्रीमान् जी, सब से पहले मुझे यह कहना है कि यह आर्डिनेंस जो जारी किया गया है यह बिल्कुल गैरकानूनी है। दोनों हाउसेज के प्रोरोगेशन के बाद आर्डिनेंस निकल सकता है। जब कौंसिल काम कर रही थी और असेम्बली सेशन में नहीं थी, तो फिर प्रोरोगेशन आर्डर का जारी करना बिल्कुल गैरकानूनी था। इंगलैण्ड में जब प्रोरोगेशन होता है तो किंग हाउस आफ लार्ड्स में दोनों भवनों को प्रोरोग करता है। जब एक हाउस काम कर रहा हो तो प्रोरोगेशन आर्डर का जारी करना गैरकानूनी है, इसलिये मैं समझता हूँ कि यह आर्डिनेंस भी गैरकानूनी है। इसके सिलसिले में अखबारों में काफी चर्चा निकल चुकी है। मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट ने उस पर अपनी कोई राय प्रकट नहीं की। मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट आज जवाब देगी। श्रीमान् जी, सुपरसेशन खुशी की बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि सुपरसेशन को हमारी सरकार भी पसन्द नहीं करती होगी और सुपरसेशन की मियाद बढ़ाना और भी तकलीफदेह बात होती है। चुनाव के समय में बुरे से बुरे आदमी हारे के बल पर

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

और बिरादरी के नाम पर इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छे आदमियों को, काम करने वालों को, योग्य पुरुषों को वहां तक पहुँचने का मौका नहीं मिलता, इसलिये यह सब दिक्कतें हैं। लेकिन अफसोस यह है कि लखनऊ जैसा शहर और वहां की चुंगी अपना इन्तजाम न कर सके। यह शहर अपनी कलचर के लिये विख्यात है, चीफ कोर्ट भी रही है, शिक्षा का केन्द्र है, गवर्नमेंट का सेंटर भी है। हमारे मंत्री गण भी यहां पर रहते हैं, असेम्बली के मेम्बर भी यहां बसते हैं। जब यहां की चुंगी के नुमाइन्दे के ऐसे बड़े आदमियों के सम्पर्क रहने पर भी अपनी चुंगी का इन्तजाम न कर सकें तो यह बहुत ही शक पैदा करने की बात है। अगर डेमोक्रेसी लखनऊ शहर में असफल होती है तो शक दिलाती है कि वह पूरे देश से असफल न हो जाय, उसको सफल होने का कोई तरीका नहीं दीखता है। जो कि यहां पर चुंगी के प्रतिनिधि जनता ने भेजे वह तो चुंगी का काम नहीं चला सके, लेकिन जो प्रतिनिधि लखनऊ शहर ने असेम्बली को भेजे वह इतने बड़े योग्य पुरुष हैं। अपनी योग्यता से एक बड़े मंत्री हो गये हैं। वह यहां के गवर्नमेंट को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बल्कि प्रान्त की पूरी कांग्रेस को ही कंट्रोल किये हुए हैं और उनका इरादा तो पूरे इंडिया की राजनीति को कंट्रोल करने का है। वे डिकंट्रोल के विरुद्ध हैं। मुझे अफसोस है कि वह यहां के चुंगी के सदस्यों को कंट्रोल नहीं कर सके और उनका चुंगी को सुपरसीड करके चुंगी को कंट्रोल करना उनके लिये कोई गौरव की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूं। कि वह यहां की चुंगी के सदस्यों को ठीक तरह से कंट्रोल करते और उनसे उनके कर्तव्यों को पूरा कराते तो वह बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती। चुंगियों का कुप्रबन्ध होना बड़ी बुरी बात है। हेल्थ और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य चुंगियों के अधीन रहते हैं। अगर चुंगी इसमें लापरवाही करें तो हजारों आदमियों को जान मुसीबत में आ सकती है, लिहाजा ऐसी बदइन्तजामी को रोकना हर गवर्नमेंट का कर्तव्य है, लेकिन सुपरसेशन उसका कोई माकूल इलाज नहीं है। और भी बहुत से इलाज हैं। जिनसे वह रोकी जा सकती है। इंगलैण्ड एक सब से बड़ा डिमाक्रैटिक मुल्क है। अगर वहां के चुंगी के ऐक्ट को देखिये तो वहां पर सुपरसेशन के मुताल्लिक कोई भी क्लाज या दफा नहीं मिलेगी। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम "म्युनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन" है। इससे मालूम होता है वहां पर भी किसी-किसी चुंगी में भ्रष्टाचार है मैं उसमें से एक पैरा पढ़ कर सुनाये देता हूँ। उसमें लिखा है कि—

"During the second reading debate on Housing Bill, 1935, Earl Winterton said it was a matter of notoriety that corruption was creeping into local housing management. He quoted an instance in which all the 200 houses owned by a local Council were occupied by supporters of the political party in the majority and even by councillors and their friends."

(गृह-निर्माण विधेयक के द्वितीय पठन के वाद-विवाद के समय अर्ल विन्टरटन ने कहा था कि यह कुख्याति का विषय है कि स्थानीय गृह-निर्माण प्रबन्ध में भ्रष्टाचार का प्रवेश हो रहा है। उन्होंने एक ऐसे उदाहरण का उल्लेख किया, जिसमें बहुमत वाले राजनीतिक दल के समर्थकों, पार्षदों तथा उनके मित्रों का एक स्थानीय परिषद् के सम्पूर्ण २०० मकानों पर अधिकार था।)

लेकिन यहां पर करप्शन को रोकने का इन्तजाम यही है कि बुरे प्रतिनिधियों को सरकार पूरा दंड देकर निकाल देती है। अगर चुंगी के बारे में शिकायत हो तो जांच बैठाती है, इन्क्वायरी करते हैं कि किस सदस्य ने भ्रष्टाचार किया और कौन उसका जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार हो उस शख्स को वह कड़ी से कड़ी सजा

देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन चुंगी को सुपरसीड करके यह जाहिर नहीं करते कि वहां के लोग शहर का इन्तजाम खुद नहीं कर सकते। वहां पर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई करप्शन है, तो वहां का हेल्थ मिनिस्टर उनकी ग्रांट बन्द कर देता है। अगर शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ी है तो वहां का शिक्षा-मंत्री एजूकेशन ग्रांट बन्द कर देता है। ये सुधारने के तरीके हैं। सुपरसेशन से बहुत से भ्रष्टाचार फैलने की सम्भावना है। इस किताब में दिया हुआ है:—

"The exclusion of all influence of the Central Government in that matter is politically of great importance since an unscrupulous Government might easily be tempted to use its powers for other reasons than safeguarding the law. The power to annual a local election, to invalidate a list of candidates, to strike electors' names off the register under any pretext, often for a trivial informality or to initiate proceedings for that purpose before an administrative tribunal could be used by the Government to obtain the desired composition of the local authority or to exclude from it persons whom it considered undesirable on account of their political affinity, nationality or race."

(इस विषय में केन्द्रीय सरकार के समस्त प्रभाव का पार्थक्य राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विवेकहीन सरकार सुगमतापूर्वक विधि की रक्षा करने के अतिरिक्त अन्य कारणों से अपने अधिकार का उपयोग करने को लालयित हो सकती है। स्थानीय निर्वाचन को निरस्त करने, अभ्यर्थियों की सूची को अवैध करने, प्रायः तुच्छ अनौपचारिकताओं के आधार पर निर्वाचकों के नाम पंजी से काट देने अथवा एक प्रशासनात्मक न्यायालय के समक्ष तदर्थ कार्यवाही प्रारम्भ करने की शक्ति का उपयोग सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी की वांछित रचना को प्राप्त करने अथवा इसमें से उन व्यक्तियों को पृथक करने के लिये किया जा सकता है जिन्हें वह राजनीतिक संबंध, राष्ट्रीयता अथवा जाति के आधार पर अवांछनीय समझती है।)

तो इसका परिणाम यह हो सकता है। मुझे आशा नहीं है कि हमारे मंत्री इस तरह अपने को गिरा देंगे। हमारे मंत्री जी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, वह सत्य के पुजारी हैं। मैं उन पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। लेकिन जनता का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। एक मिनिस्टर का ईमानदार होना ही काफी नहीं है। इससे अधिक आवश्यक यह है कि मिनिस्टर अपने को जाहिर करे कि वह ईमानदार है, कोई पार्टी का असर उन पर नहीं है और किसी पार्टी के इन्टरेस्ट में उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है। एक बात यह भी है कि ऐसे कानूनों का रहना ठीक नहीं है। आज जो रूल कर रहे हैं उन पर कल रूल किया जा सकता है। आज जो ट्रेजरी बेन्चों पर हैं, कल वे अपोजीशन की बेन्चों पर आ सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ट्रेडीशन कायम कर दिया तो आगे के लिये उनको पछताना पड़ेगा। क़ानून ऐसा होना चाहिये कि अगर गवर्नमेंट अपोजीशन में आ जाय तो उनको क़ानूनों के बनाने पर पछताना न पड़े।

दूसरे हमारे म्युनिसिपल ऐक्ट्स में भी काफी धाराएं ऐसी हैं जो बग़ैर सुपरसेशन के भी काम चला सकती हैं। धारा ३२ के अधीन कमिश्नर और कलेक्टर देखभाल कर सकता है कि चुंगी में कोई गोलमाल तो नहीं हो रही है। धारा कहती है—

Supervision by Commissioner and District Magistrate:— The Commissioner or the District Magistrate, when he is not a member of the board, may, within the limits of his division or district, as the case may be

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

(a) inspect, or cause to be inspected any immovable property used or occupied by a board or joint committee or any work in progress under the direction of a board or of such committee;

(b) by order in writing call for and inspect a book or document in the possession or under the control of a board or of such committee;

(c) by order in writing require a board or such committee to furnish such statements, accounts, reports or copies of documents, relating to the proceedings or duties of the board or committee, as he thinks fit to call for; and

(d) record in writing, for the consideration of a board or of such committee, any observations he thinks proper in regard to the proceedings or duties of the board or committee."

[कमिश्नर तथा जिलाधीशों द्वारा निरीक्षण—कमिश्नर अथवा जिलाधीश जब कि वह बोर्ड का सदस्य न हो, अपनी कमिश्नरी अथवा अपने जिले की सीमा में यथास्थिति—

(क) किसी बोर्ड अथवा संयुक्त समिति द्वारा अधिकृत अथवा प्रयुक्त किसी भी अचल सम्पत्ति अथवा किसी कार्य का, जो बोर्ड अथवा ऐसी समिति के निर्देश द्वारा हो रहा हो, निरीक्षण कर अथवा करवा सकता है;

(ख) किसी बोर्ड अथवा ऐसी समिति के अधिकार अथवा नियंत्रण में किसी पंजी अथवा अभिलेख को लिखित आज्ञा द्वारा मंगवा अथवा निरीक्षण कर सकता है;

(ग) किसी बोर्ड अथवा ऐसी समिति से लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे वक्तव्य, हिसाब, अभिलेखों की प्रति अथवा प्रतिवेदन जो बोर्ड या समिति के कर्तव्य या कार्यवाही से सम्बद्ध हो पूर्त करने के लिये मांग कर सकता है;

(घ) किसी बोर्ड अथवा ऐसी समिति के विचारार्थ कोई विवरण, जिन्हें वह बोर्ड अथवा समिति की कार्यवाहियों तथा कर्तव्यों के संबंध में उचित समझता हो, लेखनी-बद्ध कर सकता है।]

मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि किसी कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट ने चुंगी की देखभाल की है और रिपोर्ट दी है?

दफा ३४ में इसमें है—

"Power of Commissioners or District Magistrates to supersede for default of the Board"

(बोर्ड के दोष के लिए कमिश्नर अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अवक्रमण का अधिकार।)

यह दफा भी बहुत काफी बड़ी है और बहुत काफी ताकत है। इस दफा से तो कलेक्टर व कमिश्नर हर वक्त बोर्ड को हर बात को रोक सकता है जिसको वह समझता हो कि वह कानून के खिलाफ हो रही है। दफा ३३ में भी :—

"Power of Commissioner or District Magistrate to prohibit further execution of resolution or order of board."

(बोर्ड के संकल्प अथवा आदेश को क्रियान्वित करने से निषेध करने के लिये कमिश्नर अथवा जिलाधीश का अधिकार।)

इसी तरह से दफा ४० भी है जिसमें—

"Removal of Members" (सदस्यों का पृथकीकरण) दिया है।

The Provincial Government in the case of a city, and the Commissioner, in any other case, may remove from the board any member ...."

(नगर के मामले में प्रान्तीय सरकार तथा अन्य मामलों में कमिश्नर किसी सदस्य को बोर्ड से हटा सकता है...)

अगर प्राविंशियल गवर्नमेंट समझे कि क़ानून के खिलाफ चुंगी का कोई सदस्य कार्य करता है या भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है या कोई गोलमाल कर रहा है, तो सरकार उस सदस्य को मेम्बरी से हटा सकती है और तीन साल के लिये उसको डिसक्वालिफाई कर सकती है। मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि इसके मुताबिक क्या उन्होंने किसी मेम्बर को हटाया या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की? और सब से बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफा ९३ में भी जो बात है वह सिर्फ ६ महीने मियाद थी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट सुपरसेशन को बढ़ाना चाहती थी तो उसे पार्लियामेंट को रिफर करना पड़ता था और उसके बाद ही एक्सटेंशन हो सकता था। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड हुये दो साल हो गये और आगरा म्युनिसिपल बोर्ड को चार साल हो गये, लेकिन मिनिस्टर साहब ने एक दफा भी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इस हाउस के सामने नहीं रखी। यह नहीं दिखाया कि वहां कितना सुधार हुआ और वहां कौन-कौन सी खराबियां थीं जो दूर हो गईं। यह भी मैं जानना चाहता हूँ कि उन शहरों की जनता से सरकार ने क्या-क्या सहयोग लिया और किस तरह से वहां की जनता को उसके लिये शिक्षित किया। अगर आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी चले तो सबसे पहले यह चाहिये कि हमारे मिनिस्टर साहबान खुद ठीक तरह से चलें। हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के सामने जो-जो समस्यायें अन्न, कपड़े, मकान और रोजगार की हैं, उनमें से एक को भी तो वह खुद सुलझा नहीं सकी है, तो कैसे आशा की जाती है कि चुंगियों के इन्तजामों में सफल होगी। मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि सुपरसेशन को हटाइये। आपके पास काफी ताक़त है और उस ताक़त से चुंगियों में से खराबी दूर कर सकते हैं। सुपरसेशन अच्छा तरीक़ा नहीं है। जो सदस्य गोलमाल कर रहे हैं, आप उन्हीं को हटाइये। यह कोई इंसाफ नहीं है कि आप सुपरसीड करके अच्छे और बुरे दोनों को निकाल रहे हैं। दोनों को सजा दे रहे हैं। चाहिये तो यह था कि सज्जनों को उत्साह मिले और बुरों को सजा दी जाय। लेकिन यह इंसाफ नहीं है कि आप दोनों को एक ही लकड़ी से हांक रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष--श्री खुशवक्त राय के नाम से जो प्रस्ताव है वह और श्री श्रीचन्द सिंघल ने जो प्रस्ताव अभी पेश किया है उन दोनों का मतलब एक ही है। श्री खुशवक्त राय ने मुझे यह लिखकर भेजा है कि वे उस प्रस्ताव को उपस्थित करने का अख्तियार श्री त्रिलोकी सिंह को देते हैं। चूंकि जो प्रस्ताव पेश हो चुका है उसी की तरह यह भी है, इसलिये मैं पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता। अगर श्री त्रिलोकी सिंह को अपने शब्द ज्यादा अच्छे लगते हों, बनिस्बत उस प्रस्ताव के शब्दों के जो श्री श्रीचन्द सिंघल ने पेश किया है तो वे इसी तरमीम की सूरत में उपस्थित कर सकते हैं लेकिन दूसरे प्रस्ताव की सूरत में पेश करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता।

श्री त्रिलोकी सिंह--अध्यक्ष महोदय, तरमीम की शक्ल तो ठीक नहीं है, इसलिये मैं श्री श्रीचन्द सिंघल के प्रस्ताव का अनुमोदन करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--मैंने तो सिर्फ कानूनी हैसियत बता दी है कि जो कानूनी सूरत हो सकती है वह यह है। माननीय सदस्य को अख्तियार है कि वह जो चाहें करें। समर्थन करें या विरोध करें। यह प्रस्ताव सदन के सामने आ गया है, इसलिये उस तरह का दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता है।

श्री त्रिलोकी सिंह-- श्रीमन्, यह आर्डिनेंस महामान्य राज्यपाल ने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २१३ के अनुसार निकाला है। श्रीमन्, आपकी इजाजत से आर्टिकिल २१३ में पढ़े देता हूं:—

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:"

(उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।)

महामान्य राज्यपाल ने इस आर्डिनेंस को, जिसके लिये प्रस्ताव है कि यह असेम्बली डिसएप्रूव करती है, आर्टिकिल २१३ के अनुसार निकाला। आप देखें कि इस आर्टिकिल २१३ के सामने एक मार्जिनल नोट है। मार्जिनल नोट में यह लिखा है:--

"Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of Legislature."

(विधान-मंडल के विश्रान्तिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश-प्रख्यापन-शक्ति)

मैं लफ्ज "रीसेस" पर खास जोर देना चाहता हूं और यह मार्जिनल नोट जो ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन था उसमें भी था। इसको दफ्तर के बाबुओं ने ऐड नहीं कर दिया है। मार्जिनल नोट्स दो तरह के होते हैं, एक तो वे होते हैं जो लेजिस्लेचर के सामने आते हैं और एक वे जो कि आफिस में ऐड कर दिये जाते हैं। जब ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन पेश हुआ था तो उसके आर्टिकिल १८७, पेज ८३ में यही मार्जिनल नोट था, जो कि अब मौजूद है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा डिफरेंस आफ ओपीनियन किसी आर्टिकिल के इंटरप्रिटेशन के बारे में होता है, तो मार्जिनल नोट्स से सहायता लेते हैं और इस सम्बन्ध में यह प्रथा है कि--

"Marginal notes being inserted under the authority of the Legislature can be referred while interpreting the sections of the Act. This is a well known principle of law."

(विधान-मंडल के प्राधिकार के अधीन अंकित होने के कारण पार्श्वांकित टिप्पणियों का उल्लेख अधिनियम के खंडों की व्याख्या करते समय किया जा सकता है, यह विधि का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है।)

हां, जहां पर मार्जिनल नोट कोई दफ्तर वाले बना देते हैं वहां उनकी मदद नहीं ली जाती। श्रीमन्, आप यह देखें कि इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद चल रहा है और डिफरेंस आफ ओपीनियन है। सरकार का यह कहना है कि वकीलों की राय ले ली है। किस वकील की राय ले ली है, यह आज तक नहीं मालूम हुआ। क्या इस असेम्बली को, लेजिस्लेचर को यह हक नहीं है कि जान सके कि किस वकील की राय ली गई है, वह राय क्या है। वकील साहब ने क्या लिखा है। जहां तक वकीलों की राय का सवाल है, मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूं कि हर मुकदमे में एक पक्ष हारता है और एक पक्ष जीतता है और दोनों तरफ से वकील साहब अपियर होते हैं और जो भी वकील जिसकी तरफ से होता है वह जोर लगाता है और ऐसी राय देता है कि उसी का पक्ष सब से सबल है और मजबूत है। इस सम्बन्ध में कार्लाइल ने, जो कि इंगलिस्तान में एक बड़े भारी राजनीतिज्ञ व फिलासफर

हो गये हैं जो कहा था वह मुझे याद आता है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य वकील हैं, वह मुझे माफ करेंगे, सदन के माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे। उनका कहना था कि:—

"A lawyer is a loaded blunderbuss, if you pay him he will blow out your opponent's brains, if your opponent pays him he will blow out your brains."

(वकील तो भाड़े का टट्टू होता है। यदि तुम उसे रुपया दोगे तो वह तुम्हारे विरोधी का सर फोड़ेगा, यदि तुम्हारा विरोधी उसको रुपया देगा तो वह तुम्हारा सर फोड़ेगा)

मैंने देखा है कि एक ही मुकद्दमे में एक पक्ष की तरफ से लेट पंडित मोतीलाल नेहरू हैं और दूसरे के पक्ष में लेट एन० एन० सरकार थे और दोनों अपने-अपने पक्ष के लिये पूरा जोर लगाये हुये थे। दोनों ने राय दी है कि उनके मुवक्किल का केस स्ट्रोंगेस्ट है। यह सही है कि हमारे वकीलों की राय हमारे लिये बायसे मदद है, लेकिन वह कभी भी बायसे पाबन्दी नहीं हो सकती है। अगर होती तो जहां दोनों तरफ से वकील आते हैं वहां अदालत कुछ फैसला नहीं कर सकती है। लेकिन कहा जाता है कि वकीलों की राय ले ली गई है। मैं जानना चाहता हूं कि किस वकील की राय है और उन्होंने क्या कहा है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि रिसेस के क्या माने हैं, इसके माने स्कूलों में इंटरवेल के हैं, लेकिन पार्लियामेंटरी सेंस में इसके क्या माने हैं. उसके लिये श्रीमन् आपकी इजाजत से मैं आक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो अंग्रेजी भाषा के सम्बन्ध में एक अथारिटी मानी जाती है, पेश करूंगा। उसमें लिखा है कि—

"The interval between two sessions of Parliament is termed recess"

(संसद् के दो सत्रों के मध्य अवधि विश्रान्तिकाल कहलाता है।)

'मे' की "पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" जो इस मामले में अथारिटी है उसके पेज २६१ में दिया हुआ है:—

"The period between the prorogation of Parliament and its re-assembly in a new session is termed a recess; while the period between the adjournment of either House and the resumption of its sitting is generally called an adjournment."

(संसद् के सत्रावसान तथा नवीन सत्र के पुनः समवेत होने के मध्य का समय विश्रान्ति-काल कहलायेगा, जबकि किसी सदन के स्थगन तथा इसके उपवेशन के पुनः प्रारम्भ होने के मध्य का समय प्रायः स्थगनकाल कहलायेगा।)

श्रीमन् आप देखेंगे कि—

"The period between the prorogation of Parliament and its re-assembly in a new session is termed recess."

(संसद् के सत्रावसान तथा नवीन सत्र के पुनः समवेत होने के मध्य का समय विश्रान्ति-काल कहलायेगा।)

हम यह देखते हैं कि—

"The power of Governor to promulgate Ordinances during the recess of the legislature, not a recess of the Assembly alone. Recess of the Legislature is what is written in the marginal note. What does Legislature mean?"

(विधान-मंडल के विराम-काल में न केवल सभा के विराम-काल में राज्यपाल का अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार विधान-मंडल का विश्रान्ति-काल वह है जो पार्श्वअंकित टिप्पणी में लिखा है। विधान-मंडल का क्या अर्थ है?)

[श्री त्रिलोकी सिंह]

लेजिस्लेचर के माने आर्टिकिल १६८ कांस्टीट्यूशन में दिये हुये हैं :—

"For every State there shall be Legislature which shall consist of the Governor, and

(a) in the States of Bihar, Bombay, Madras, Punjab, the United Provinces and West Bengal, two Houses."

(प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा, जो राज्यपाल तथा (क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो सदनों से मिलकर बनेगा।)

गवर्नर साहब ने आर्डर प्रोमलगेट किया इस प्रकार—

"Two Houses constitute the Legislature under Article 168 of the Constitution in this state,"

(संविधान के अनुच्छेद १६८ के अधीन इस राज्य में दोनों सदनों से विधान-मंडल बनता है।)

गवर्नर साहब ने खुद प्रोमलगेट किया। जाहिर सी बात है कि दो जुज बचते थे, वह लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल हैं। उनमें से एक सेशन में है और यह आर्डीनेंस जारी कर दिया गया। श्रीमान्, सरकार के पास बड़े-बड़े वकील हैं और उसके साथ-साथ पूरा ला डिपार्टमेंट है, जिसमें हिन्दुस्तान के इमीनेंट लायर श्री प्यारेलाल बनरजी हैं। और कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के लाइयर्स से राय हासिल कर ली गई है। बावजूद इन सबके मैं गुजारिश करूंगा कि महामान्य राज्यपाल को इस आर्डीनेंस निकालने का अधिकार आर्टीकिल २१३ के अनुसार नहीं था। मैं यह अर्ज करूंगा कि २१३ आर्टीकिल को जरा पढ़ा जाय। इसके बड़े-बड़े माने लगाये गये हैं, बड़ी कंट्रोवरसी हुई है। एक रूल आफ इंटरपेटेशन यह है कि माने हमेशा ग्रैमेटिकल लगाने चाहिये, माने हमेशा लिटरल लगाने चाहिये और जो यूनीफारमिटी लायें वह लगाने चाहिये।

अगर कोई एम्बिगुइटी हो तो कांटेक्स्ट से सहायता लेनी चाहिये। मार्जिनल नोट की हेल्प ले लीजिये। किसी बिल के बारे में हो तो प्रिएम्बिल की हेल्प ले ली जाय। श्रीमान्, आर्टिकिल २१३ का एक जुज पढ़ता हूं। हर एक जानता है कि हमारे देश में दो तरह के प्रदेश हैं। एक यूनिकेमरल जहां एक ही हाउस है यानी असेम्बली, दूसरा बाईकेमरल जहां असेम्बली और कौंसिल दोनों हैं। जहां-जहां स्टेट का जिक्र आया है, पूरे संविधान में वहां-वहां जो यूनिकेमरल है उसके लिये पहला फिकरा है और जो बाईकेमरल है उसके लिये दूसरा फिकरा है। चुनान्चे इसमें भी—

"If at any time except when the Legislative Assembly of a State is in session."

(उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा सत्र में है।)

मान लीजिये हमारा वह सूबा होता जहां कौंसिल नहीं होती तो क्या पोजीशन होती। पोजीशन यह होती कि अगर असेम्बली सेशन में है, लेजिस्लेचर सेशन में है, तो गवर्नर साहब आर्डिनेंस नहीं निकाल सकते। एक्सेप्ट शब्द के दो मानी एक ही धारा में नहीं लगाये जा सकते। लफ्ज एक्सेप्ट जो है—

'If at any time except when the Legislative Assembly of a State is in session."

(उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा सत्र में है।)

हां आर्डिनेंस निकाल सकते हैं अगर असेम्बली सेशन में न हो। बीच का फिक़रा हटा दीजिये। एक्सेप्ट के एक जगह एक मानी लगाये जाते हैं कि असेम्बली सेशन में न हो और दूसरी जगह उसके मानी दूसरे लगाये जाते हैं कि दोनों में से एक सेशन में न हो। मोस्ट इनकंसिस्टेंट मानी लगाये जाते हैं जिसे कहना चाहिये हनन किया जा रहा है रूल्स एंड आब्जेक्ट्स का। उसी धारा में, उसी आर्टिकिल में "एक्सेप्ट" के एक मानी एक लाइन में कुछ और दूसरी लाइन में दूसरे मानी। म बहुत अदब के साथ यह गुजारिश करना चाहता हूं कि Interpretation (निर्वाचन) एक ही वेल नोन अथारिटी मैक्सवेल है। उनकी सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी कौंसिल अमेरिका के इग्लैन्ड में यही है।

"Phrases and sentences are to be construed according to the rules of grammar and according to their simple and literal meaning."

(वाक्यांशों तथा वाक्यों का आशय व्याकरण के नियमों तथा उनके सरल और शाब्दिक अर्थों के अनुसार लगाया जायगा।)

क्या मानी हैं। किसी स्कूलब्वाय को दे दीजिये, किसी अच्छे से अच्छे वकील को दे दीजिये, किसी को भी दे दीजिये कि वह इसका तर्जुमा कर दे हिन्दी भाषा में। मानी अपने को सूट करने के लिये नहीं लगाये जाते। इसलिये श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि इसको अगर नेचुरल मीनिंग और यूनीफार्मिटी आफ कांस्ट्रक्शन में लें तो आप देखेंगे कि गवर्नर महोदय की जब कौंसिल सेशन में थी, लेजिस्लेशन का एक अंग, तब आर्डिनेंस निकालने का अधिकार नहीं था। श्रीमान् क्या यही स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन ह। हमारे संविधान के प्रिएम्बिल में लिखा गया है :—

"It is a Sovereign Democratic Republic."

(यह एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।)

क्या सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसी तरह से कायम होगी कि जब लेजिस्लेचर चल रहा हो तो आर्डिनेंस के जरिये से कानून बना कर काम करें। हिन्दुस्तान में शायद यह अनोखा और कांस्टिट्यूशन (संविधान) बनाया गया है? जो हमारी भाषा है, जिससे हमने लिया है, जिन सिद्धान्तों से हमने फायदा उठाया है, वे सबके सब इस मुल्क के बाहर से लिये गये हैं। बहुत ही सेक्शंस बारोड हैं। कितनी ही धारायें तो पुराने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के लफ्ज़ रिप्रोड्यूस्ड हैं। संसार के किसी मुल्क में सावरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के यह मानी नहीं लगाये जा सकते कि एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस वहां जारी कर दिया जाय, इसलिये श्रीमान्, आप देखेंगे कि ऐसा अधिकार इस कांस्टिट्यूशन के अंदर नहीं है।

एक बात और आप देखें कि प्रोरोग करने का अधिकार संविधान के अनुसार धारा २७४ बी में दिया हुआ है। वहां यह भी दिया हुआ है प्रोरोगेशन आफ हाउस आर हाउसेज। हाउस एप्लाई करता ह जहां Legislature यूनीकेमरल है और हाउसेज़ एप्लाई करता है जहां Legislature बाईकेमरल ह।

"To prorogue the House or Houses."

(सदन अथवा सदनों का सत्रावसान करना।)

और प्रोरोग करने के सिलसिले में दुनिया का रिवाज़ है श्रीमान् प्रोरोग हमेशा दोनों हाउसेज़ का होता है।

"The power of prorogation is not exercisable in respect of one House.

(सत्रावसान का अधिकार एक सदन के संबंध में प्रयोज्य नहीं है।)

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज २६३ पर यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि--

"At the close of a session according to the usual procedure the prorogation of Parliament is effected by an announcement by the King's Command made before both Houses in the House of Lords by one of the Commissioners by virtue of a Royal Commission."

(सत्र की समाप्ति पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संसद् का सत्रावसान हाउस आफ लार्ड्स में दोनों सदनों के समक्ष एक राजकीय आयोग की हैसियत से कमिश्नरों में से एक के द्वारा राजाज्ञा की घोषणा से संपन्न होता है।)

प्रोरोगेशन कहीं संसार में एक हाउस का नहीं होता। हां, हमको हवाला दिया जाता है, हमें याद दिलाई जाती है उस काले जमाने, की जब कि हमारा देश गुलाम था। कहा जाता है कि उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ में भी यह प्रथा थी। उसमें भी दफा ६२ में प्रोरोगेशन की जो पावर्स गवर्नर को दी गई है लिखा है कि "टू बी ऐक्सरसाइज्ड इन हिज डिस्क्रीशन"। लेकिन आज के दिन गवर्नर को डिस्क्रीशन की कोई पावर्स नहीं है। यह अब लाजिमी रक्खा गया है कि साल में दो सेशन्स होंगे।

एक हाउस प्रोरोग नहीं किया जा सकता कांस्टीट्यूशन के अनुसार दोनों ही हाउसेज प्रोरोग होना चाहिये। इसके साथ ही साथ श्रीमान् एक बात और है कि वह प्रोरोगेशन भी इन्कम्पलीट है उसमें इस बात का कहीं भी हवाला नहीं है कि आइन्दा सेशन कब होगा। पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस और प्रोसीजर यही है कि जब कभी लेजिस्लेचर प्रोरोग किया जाता है यह भी कहा जाता है कि फिर कब मिलेगा। जब पार्लियामेंट डिजाल्व किया जाता है तो नेक्स्ट इलेक्शन की डेट भी फिक्स कर दी जाती है कि फलां तारीख को नेक्स्ट इलेक्शन होंगे और लेजिस्लेचर फलां तारीख को मीट करेगा।

इसको भी जाने दीजिये, संसार के इतिहास में ऐसी भी मिसाल देखने को न मिलेगी कि प्रोरोगेशन तो २२ तारीख को हो और २३ तारीख को हो आर्डिनेंस निकल जाय यानी महज आर्डिनेंस निकालने के लिये ही लेजिस्लेचर को प्रोरोग किया गया हो। संसार में ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल ही है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।

मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने उस दिन, माननीय मुख्य मंत्री जो एक कुशल राजनीतिज्ञ है। एक दिन था कि उनकी बड़ी शोहरत थी, एक जमाना था कि उनकी मुल्क के अन्दर शान थी मुझे उन दिनों उनके साथ काम करने का गौरव प्राप्त था उनके कहने के अनुसार ही चलने की कोशिश करता था। उनसे यह सुना कि लखनऊ शहर का इंतजाम बहुत ही अच्छा है। इससे किसको इन्कार है वे तो यहां तक कहते चले गये कि प्लेबीसाइट करा लिया जाय लेकिन मैं आज चुनौती देता हूं कि प्लेबीसाइट होने दीजिये और बहाना न कीजिये कि एलेक्ट्रोलर रोल तैयार नहीं है उनके मुंह से ऐसी बातें सुन कर मैं हैरान रह गया, मैं सोचता था कि मैं क्या सुन रहा हूं कहां सुन रहा हूं। इस आदरणीय सदन में या और कोई जगह है, कहीं मैं गलती पर तो नहीं हूं।

इस सुपरसेशन के उसूल को मुखालिफत तो माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर ने उस समय, जब कि वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कमेटी के चेयरमैन थे, की है।

इसकी रिकमेन्डेशन में यह लिखा हुआ है और खेरे साहब के भी इसके ऊपर दस्तखत हैं.--

"We are strongly against supersession of a District or a Municipal Board under any circumstances but we have no objection to Government

dissolving the Board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its powers or in creating deadlocks, provided warning has been first issued."

(हम किसी भी परिस्थिति में किसी नगरपालिका अथवा जिला बोर्ड के अवक्रमण के प्रवल विरोधी हैं। किन्तु हमें सरकार द्वारा किसी बोर्ड को विघटित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, जबकि यह अपने मौलिक कर्त्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से उपेक्षा करता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग सीमोल्लंघन अथवा संकट उपस्थित करता है, किन्तु शर्त यह है कि पूर्व चेतावनी प्रचलित की जा चुकी हो।)

यह पेज १७ पर एल० एस० जी० की रिपोर्ट में है—

"When a Board persists in making a default in the performance of its statutory duties or in exceeding of abusing its powers, the procedure of Government should be as follows:—

The Government should first ask the Board for explanation and

(b) the supersession of a Board should not be allowed under any circumstances."

(जब एक बोर्ड अपने मौलिक कर्त्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से उपेक्षा करता है अथवा अपने अधिकारों का सीमोल्लंघन अथवा दुरुपयोग करता है तो सरकार को प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिये :—

गवर्नर को चाहिये कि पहिले बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगें, और

(ग) किसी भी परिस्थिति में बोर्ड के अवक्रमण की अनुमति न होनी चाहिये।)

यह राय थी और यह राय दुनिया भर की राय है। जो बड़े मुल्क हैं उनकी भी यही राय है। खेर साहब सर हिला रहे हैं कि यह बात नहीं है। इंगलैन्ड की कोई लोकल अथारिटी अगर डिफाल्ट करती है तो उसको गवर्नमेंट वहां की रोकती है। मैंने इस हाउस में पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं, क्योंकि उसका दोहराना उचित समझता हूं, इसलिये कि जहां पर दिन को रात समझा जाये वहां पर बार-बार समझाना जरूरी है। श्रीमान् जी, उस दिन यह कहा गया कि अगर किसी प्रदेश में कोई गड़बड़ी हो तो संविधान के अनुसार उसमें दखल दिया जा सकता है। क्या यह उसमें लिखा हुआ है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमारा बजट पास कर सकती है या अगर हमारे किसी इन्तजाम में गड़बड़ी हो या किसी इंतिजाम में कोताही हो तो क्या वह दखल दे सकती है, हरगिज नहीं। क्या यह इमरजेंसी थी कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड कर लिया जाय और आज अगर आगरा, गोरखपुर और बहराइच की म्युनिसिपैलिटी जब्त हैं तो वहां पर क्या इमर्जेन्सी है, किस कदर वहां पर नादिरशाही हो रही है। श्रीमान्, मैं यह अर्ज करूंगा बड़े अदब के साथ कि पुराने ऐक्ट में भी डिस्सालूश रखा गया है, सुपरसीड करने के पहिले डिजाल्व करना चाहिये। लेकिन अब अगर गवर्नमेंट की कोई गलती बतलाई जाती है, जो कि उसने की, तो उसके लिये गवर्नमेंट यह कहती है कि अब तक जितनी गलती हुई वह सब सही समझी जायं, ताकि वह आइन्दा भी गलती करती जाय। बजाय इसके कि अगर कोई गलती किसी वजह से हो गई है तो उसको दुरुस्त किया जाय, गवर्नमेंट कहती है कि पिछली भी सही और आगे भी वह ऐसा करती जायगी और जब तक चाहे मियाद जब्ती को बढ़ाती जायगी। श्रीमान्, मैं गुजारिश करूंगा कि यह स्थानीय स्वायत्त का हनन है। इसलिये मैं इस आदरणीय सदन से बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जो प्रस्ताव इस आर्डिनेंस को डिस्एप्रूव करने के लिये पेश किया गया है उसको स्वीकार करेगा।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, श्री सिंघल जी ने इस भवन के सामने जो प्रस्ताव पेश किया है और जिसका अनुमोदन हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी ने किया है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव के समर्थन में मुख्यतः

[माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर]

दो तीन बातें कही गई हैं। एक तो कानूनी बात पेश की गई है और उस कानूनी बात पर सब से ज्यादा जोर दिया गया है। यद्यपि प्रस्ताव तो केवल एक ही बात बतलाता है कि इस आर्डिनेंस के पास करने से और सरकार के सुपरसेशन के अधिकार को बढ़ाने से प्रजातंत्र का सिद्धांत नष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से तो प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन साथ-साथ जब बहस हुई उसमें दूसरा एतराज यह भी हुआ कि आर्डिनेंस पास करने का अधिकार गवर्नर को नहीं था जब कि एक हाउस कम से कम सेशन में था और इसी के ऊपर सब से ज्यादा जोर दिया गया है। मैं इन दोनों पहलुओं पर अपने विचार पेश करना चाहता हूं। भाई त्रिलोकी सिंह ने वकीलों के संबंध में यह कहा कि अगर उनको दूसरी पार्टी की तरफ से पैसा मिल जाय तो वह तुम्हारे केस को ब्लो कर सकते हैं और अगर उनको तुम्हारी तरफ से पैसा मिल जाय तो वह दूसरी पार्टी की तरफ से ब्लो कर सकते हैं मैं समझता हूं कि शायद वह इस बात को मानते हैं तभी उन्होंने इस बात को पेश किया और अगर वह इस चीज को न मानते होते तो वह ऐसी चीज पेश ही न करते। उन्होंने जो कुछ बहस पेश की है वह भी वकीलों की तरह से पेश की है जिस तरह से वकील लोग नजीरें पेश करते हैं उसी तरह से उन्होंने भी इंगलैन्ड की नजीर पेश की और वहां का हवाला दिया। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि नकल करने का जो वकीलों का धंधा है वही काम उन्हों ने किया। और वह वकीलों के खिलाफ चाहें कितना ही कहें, लेकिन वह भी वकीलों की इज्जत अपने दिल में रखते हैं। मैं समझता हूं कि वह चाहें मुद्दई मुद्दालेह के दिमागों को ब्लो कर सकें, लेकिन जिनको कानूनी सिद्धांतों का ज्ञान नहीं और जो ज्ञान रखते हैं उन्होंने यह अनुमान किया कि वह उसी वकीलों वाली नकल के जरिए से भवन के दिमागों को भी ब्लो कर सकते हैं। (एक आवाज--आप पर असर हुआ तो) असर तो दिखलाई पड़ता है। इस तरीके से कानूनी पैतरेबाजी चाहे जैसे की जाय और वाजिब या गैरवाजिब तरीके से जब कोई कानून समझने को ही तैयार न हो तो जो जैसे चाहे पेश करे।

यह कहा गया कि इंगलैन्ड में ऐसा नहीं होता। मैं उनसे यह कहूंगा कि आज हम इंगलैन्ड की हुकूमत में नहीं हैं। हमने इंगलैन्ड की तमाम तवारीख को देखा, हमने इंगलैन्ड के कानून को देखा वहां के कनवेंशन्स को देखा। और साथ ही तमाम दुनियां के कानून और कनवेन्शन्स को देखा, और इतिहास को देखा और उसके बाद हमने सब के तजुर्बों को देख कर हमारे देश के लिए जो सुविधाजनक तरीका हो सकता था और हमारे योग्य से योग्य आदमियों ने उस तरीके को अपने संविधान में रखा। और अगर हमने इंगलैन्ड के कानून से फर्क किया है तो वह भी हमारी अक्लमन्दी की निशानी है। लेकिन उसके बाद भी लोग ऐसा समझते हैं और पुराने इंगलैन्ड की गाथा गाते हैं और वहां की बातों को यहां लाना चाहते हैं तो मैं उन लोगों को क्या कहूं यह तो उनके हाईकोर्ट या दकियानूसी होने की निशानी है। हमने अपने हालात को और दूसरे मुल्कों और इंगलैड के तजुर्बों को देख कर अपने संविधान की दफात को रखा है। दफा २१३ में स्पष्ट है कि जहां पर एक लेजिस्लेचर असेम्बली हो और वहां वह सेशन में हो तो आर्डिनेंस नहीं निकल सकता। जहां दो हो वहां दोनों अगर सेशन में हों तो गवर्नर आर्डिनेंस नहीं निकाल सकता है।

रिसेस का भी बहुत कुछ जिक्र किया गया। उसके वैसे तो माने ठीक लगाए गए। एक तो ऐडजर्नमेंट होता है और एक रिसेस होता है। रिसेस का मतलब यह है कि जो प्रोरोगेशन का समय है उसको रिसेस कहते हैं। लेकिन जब कंटेक्स्ट से मतलब लगाना होता है, तो जो मार्जिनल नोट है वह कंटेक्स्ट नहीं है। कंटेक्स्ट का अर्थ लगाने का मतलब यह है कि मार्जिनल नोट को अगर स्पष्ट करना हो तो कंटेक्स्ट में देख कर मार्जिनल नोट का स्पष्टीकरण हो सकता है। अगर मार्जिनल नोट में कुछ गलती हो गयी है, तो वह कोई कानून का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे शब्द आ गए हों जो कंटेक्स्ट में लिखे हुए हों कि लेजिस्लेचर्स रिसेस में न हों, तो लेजिस्लेचर्स का मतलब गवर्नर और हाउस दोनों है। तो अगर ऐसा मतलब लगाएं और कानून को बिलकुल भूल जायं तो माने यह निकलेंगे कि गवर्नर

भी रिसेस में हों। तो यह तो एक अजीब बात हो गयी। इसलिए कंटेक्स्ट देखने से जो नतीजा निकलता है वही सही बात है और उसमें साफ यह लिखा हुआ है कि दो हाउसेस जब सेशन में हों उस वक्त गवर्नर आर्डिनेंस नहीं निकाल सकता है। लेकिन अगर दोनों हाउसेज सेशन में न हों तो वह निकाल सकता है। यह कंटेक्स्ट है। तो कंटेक्स्ट से तो स्पष्टीकरण होता है। जब कंटेक्स्ट स्पष्ट है तो मार्जिनल नोट, जिसमें कि शंकित बात हो सकती है, कंटेक्स्ट में मिलाना मैं समझता हूं कि किसी कानून के अनुसार नहीं है। तो मैं इतना ही इस विषय में कानून के संबंध में कहना चाहता हूं कि मुझे कोई इंगलैन्ड की दलील देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां जो कानून बना है वह इंगलैन्ड का जो तरीका है उसको समझ लेने के बाद और हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है और यह प्रथा पहले भी कायम थी। हमारे देश के लिए यह आवश्यक है कि अगर एक लेजिस्लेचर सेशन में न हो उस वक्त भी आर्डिनेंस नहीं निकाला जा सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए इस दफा में गवर्नर को यह अधिकार दिया गया है कि जहां दो हाउसेज हों और उनमें से एक भी अगर सेशन में न हो तो वह आर्डिनेंस निकाल सकता है।

एक दूसरी तरह से भी मतलब लगाया जा सकता है कि आर्डिनेंस निकाले क्यों जाते हैं। वे निकाले इसलिए जाते हैं कि जब कानून जल्दी बनने की कोई गुंजायश न हो तो इस दफा में स्पष्ट दिया हुआ है कि

"The Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action."

(गवर्नर को विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है कि जिससे उसके लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है।)

मैं इस भवन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि अगर एक भवन सेशन में न हो और प्रोरोग हो गया हो तो उस वक्त अगर इमीडिएट ऐक्शन लेना हो तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि दूसरे भवन में उसको पास कराए जाने से इमीडिएट ऐक्शन लिया जा सकता है? यह स्पष्ट है कि दोनों भवनों से कानून पास होना चाहिए, तब वह कानून बनता है। अगर जल्दी ऐक्शन लेना है, तो उसका यही तरीका हो सकता है कि एक भवम भी अगर सेशन में न हो तो उस वक्त आर्डिनेंस निकाला जाय? तो जैसी बहस श्री त्रिलोकी सिंह ने उठायी कि एक ही भवन में क्यों न पेश कर दिया जाय, वह न उठ सके इसीलिए इसमें दोनों भवनों का जिक्र किया गया है। जब दोनों भवन सेशन में हो तब तो गवर्नर आर्डिनेंस नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर एक भी न हो तो उसकी वजह से देर हो सकती है, और कानून का सारा परपज डिफीट हो सकता है। इसीलिए कि कानून का परपज डिफीट न हो उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कर दिया, कि जहां एक भी भवन सेशन में न हो वहां आर्डिनेंस निकाल सकता है। इस तरह से स्पष्टीकरण के लिए यह कानून बनाया गया है। मैंने इस कानून का स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस भवन की इस कानून के संबंध में एक राय होगी। मैं आवश्यकता भी बता देना चाहता हूं। जब से सन् १९१६ का कानून पास हुआ तब से दफा ३० के हिसाब से गवर्नमेंट को सुपरसेशन का अधिकार था, और कई म्युनिसिपैलिटीज का सुपरसेशन हुआ और उनका एक्सटेंशन भी हुआ। मैं २, ४ के नाम आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। खुर्जा, हापुड़, हरदोई और गाजीपुर हैं। इनका पहले २, ३ साल के लिए सुपरसेशन हुआ और फिर बढ़ा दिया गया। खुर्जे का तीन साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। इसी तरह से पहले हापुड़ का २ साल के लिए हुआ और फिर दो साल के लिए बढ़ा दिया गया। वही कानून अभी जारी है। बराबर इसी तरह से मैं ८, १० म्युनिसिपैलिटीज का जिक्र कर सकता हूं। सुपरसेशन बुरी चीज है। मगर जब सुपरसेशन के बाद देखा कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ तो वह फिर ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसी तरह से यह समझा जाता रहा है कि कानून के अन्दर सुपरसेशन बढ़ाने

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

की गुंजायश है। जब कोई एमर्जेन्सी पैदा होती है तो उसका सामना करने के लिए आर्डि-नेंस बनाया जाता है, और जारी किया जाता है। और मैं आशा करता हूं कि भवन यह समझेगा कि गुड़ फेथ में वह कानून बनाया गया और आर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया और यह कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए आर्डिनेंस निकालने की जरूरत पड़ी। मैंने उसके इमीडिएट ऐक्शन की आवश्यकता आपके सामने रक्खी। जब हम यह समझते हैं कि मुकद्दमेबाजी बढ़ सकती है और जनता का नुकसान हो सकता है तो ऐसा स्टेप लिया जाता है। जहां तक यह कहा जाता है कि सुपरसेशन का सिद्धांत गलत है, मैं उन लोगों में से हूं जो इसे ठीक नहीं समझते हैं। मैं भी यह मानता हूं कि यह सिद्धांत गलत है और अगर सुपरसेशन कानून न हो तो अच्छा है। मैं डिसोल्यूसन को प्रीफर करता हूं। अगर मैं अपनी राय को जनता के ऊपर लाद देता हूं तो मैं समझता हूं कि वह डिक्टेटरशिप हो जाती है। कमेटी की राय, जिसका कि अभी त्रिलोकी सिंह जी ने जिक्र किया, बराबर जनता के सामने रही। उसके बाद जब सन् ४९ में म्युनिसिपैलिटीज के सुधार का कानून यहां पेश हुआ तो दफा ३० कुछ सुधार के साथ पेश की गई और उसमें सुपरसेशन का कानून रक्खा जाता है। मेरे साथी यह समझते हैं कि जब अंग्रेज था तब उसे सुपरसेशन की चाहे जितनी आवश्यकता रही हो, मगर अब वह नहीं है। जब यह भवन यहां स्वतंत्र हो गया, जब इसके हाथ में पूरा अधिकार है, और जब जिम्मेदार सरकार कायम हो गयी तो उसके इस तरीके से गैरजिम्मेदार तरीके पर सुपरसेशन करने की जरूरत नहीं मालूम होती क्योंकि जनता के राय के अनुसार ही सरकार कार्य करेगी। लोगों ने यह कहा कि सुपरसेशन की बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो पुराने बोर्ड बने उसका चुनाव नए ढंग से नहीं हुआ। वह सीमित इलेक्टोरेट की बेसिस पर चुनाव हुआ, इसलिए भी लोगों ने यह समझा कि जब तक यह बोर्ड कायम है तब तक सुपरसेशन का अधिकार रहना चाहिए। पृथक निर्वाचन के अनुसार यह बोर्ड नए बने हुए हैं, उनमें पार्टीबन्दी है, और कम्युनलिज्म उनमें भरा हुआ है, वे शायद आपस में लड़-लड़ कर कार्य बिगाड़ दें, इसलिए सुपरसेशन का अधिकार रहना आवश्यक है। जब लोगों ने यह बातें कहीं, तो डिमोक्रेट होते हुए मैंने इस चीज को स्वीकार किया कि अगर सुपरसेशन की बात रह जाय तो कोई बुरी चीज नहीं है। इस के अलावा इस बात का विरोध न इस हाउस में हुआ और न कौंसिल में हुआ। अभी यह बहुत जोरों से कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्री को डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री ने आपसे यह कहा था कि इस भवन में जब यह कानून पहले पेश किया गया तो किसी ने मुखालिफत नहीं की थी। इसके जवाब में पालन जी कहते हैं कि हमारा गला घोंट दिया गया था। गला घोंटने का तरीका व्हिप का हो सकता है, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में नहीं हो सकता है। सिलेक्ट कमेटी में सब लोग बहुत जोर से बोलते हैं। जिस समय पार्टी मीटिंग होती है उस समय भी सब लोग एक दूसरे पर खूब हमला करते हैं। उनमें तो मैंने कभी किसी का गला घुटते नहीं देखा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में जब यह बिल मौजूद था तब क्या किसी ने इस बात का विरोध किया कि सुपरसेशन का कानून नहीं होना चाहिए। किसी ने नहीं विरोध किया। इसी प्रकार पार्टी मीटिंग में भी किसी ने इस चीज को कभी नहीं उठाया। आज जबकि गवर्नमेंट ने सुपरसेशन किया, सुपरसेशन नहीं बल्कि केवल सुपरसेशन का टाइम बढ़ाया, और कोई नया सुपरसेशन नहीं किया, तो इसके सब सिद्धांत मूर्ति रूप में उनके सामने खड़े हो गए कि यह प्रजातंत्र सिद्धांत के खिलाफ है। मैं यह कहता हूं कि यदि यह प्र-जातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, तो यह भवन की तौहीन है। हमारे संविधान की धारा ३५६ में दिया हुआ है कि यदि इमर्जेंसी उपस्थित हो तो वह हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सुपर-सीड कर सकते हैं। उन्होंने सुपरसेशन का शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है। प्रेसीडेंट का पूरा अधिकार है कि वह यहां की स्टेट गवर्नमेंट को

सुपरसीड कर सकता है, फिर भी इस देश की गवर्नमेंट का नाम सावरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रक्खा गया है, आथोक्रेटिक रिपब्लिक या डिक्टेटोरियल रिपब्लिक नहीं रक्खा गया है। वह डेमोक्रेसी का मतलब समझते थे फिर भी उन्होंने सुपरसेशन की बात संविधान में रक्खी। हमारे सिंहल जी, और त्रिलोकी सिंह जी का ऊंचा ख्याल हो सकता है और इसीलिए उन्होंने सुपरसेशन को प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ बतलाया। लेकिन मैं समझता हूं कि यह हमारे इस सदन और हमारे संविधान की तौहीन है। हमारे यहां जिम्मेदार सरकार मौजूद है जो प्रजातंत्र के सिद्धांतों के हिसाब से बनी हुई है। उसने यह समझा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि कोई म्युनिसिपैलिटी अच्छा काम न करे या अपना इंतजाम ठीक तरह से न कर सके, तो उसको कुछ अर्से के लिए अपने हाथ में लेना सरकार के लिए आवश्यक हो सकता है। प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि प्रजा के हित में प्रजा की मर्जी से काम किया जाय। खेर के सिद्धांत के अनुसार या त्रिलोकी सिंह जी के सिद्धांत के अनुसार काम नहीं हो सकता है बल्कि इस सदन के सिद्धांत के अनुसार काम होना चाहिए। इस भवन ने जो निश्चय किया था उसी के अनुसार मैंने काम किया। जब जब पहले सुपरसेशन हुआ, कभी विरोध नहीं हुआ, जब जब पहले सुपरसेशन का इक्सटेंशन हुआ कभी विरोध नहीं हुआ, परन्तु अब केवल विरोधी पार्टी में बैठ जाने की वजह से विरोध होता है। तो मैंने दोनों तरह से आपको बतला दिया कि यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ भी नहीं और कानून के खिलाफ भी नहीं है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम जो कानून ला रहे हैं उसमें सुपरसेशन का अधिकार देने के लिए हम एक कानून नहीं ला रहे हैं बल्कि वह अधिकार मौजूद है, हम केवल स्पष्टीकरण कर रहे हैं इस बात का इस कानून के अन्तर्गत अगर गवर्नमेंट को किसी वक्त सुपरसीड करने का अधिकार है किसी तरह का तो उसके मुताबिक यह भी उसको अधिकार हो कि उसकी मियाद भी वह बढ़ा सके। यह स्पष्टीकरण किया जिसका कि अमल हम करते चले आए हैं। मैं तो समझता हूं कि पहले भी अधिकार था मगर उसके बारे में शंका की गई तो हमने उसके बारे में एक स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार के पास तो अधिकार था और उसके अनुसार सरकार की कार्यवाही चलती आ रही है। यह तो बिल्कुल भी प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले ही गवर्नमेंट सुपरसीड (अवक्रांत) करते वक्त अगर १० वर्ष के लिए कर दे तो क्या वह कानून के अनुसार न होगा? मगर हम चाहते हैं कि एक साल के लिए सुपरसीड करें क्योंकि कम से कम सुपरसेशन का पीरियड हो, उसके बाद अगर ६ महीने के लिए और बढ़ाते हैं और वह डेढ़ साल हो जाता है तो वह गैर-कानूनी है। यह किस तरह से प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है या गैर-कानूनी हो सकता है? कोई भी टाइम स्पेसिफाई करने का गवर्नमेंट को अधिकार है आप यह मानते हैं। अब उसकी मियाद बढ़ाने का अधिकार नहीं है ऐसा लोग कहेंगे। इस वास्ते हमने यह स्पष्टीकरण कर दिया है कि अगर उसका इस्तेमाल वाजिबी करना है तो सरकार के हाथ में यह अधिकार होना चाहिए कि वह थोड़े समय के लिए सुपरसीड करे और जितनी जरूरत समझे उतने समय के लिए मियाद बढ़ावे। अगर यह अधिकार नहीं मिलता है तो जो गवर्नमेंट होगी वह टेम्प्टेड होगी कि अगर सुपरसीड करने की जरूरत समझे तो एक साथ ५ साल के लिए सुपरसीड कर दे। तो उस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए यह अधिकार एक आवश्यक अधिकार है कि एक्सटेंशन करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास हो। मैं इन शब्दों के साथ भवन से प्रार्थना करूंगा कि न कानूनी दृष्टि से यह आर्डिनेंस गैरवाजिब है और उसकी जरूरत भी मैंने भवन के सामने रक्खी, और प्रजातंत्र के सिद्धांत के अनुसार भी है, क्योंकि आजकल की परिस्थिति में जो जनता चाहती है कि यह अधिकार होना चाहिए उसी के अनुसार ही उसका उपयोग करने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसलिए यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि प्रजा चाहती है कि यह अधिकार होना चाहिए।

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]
जोकि प्रजा चाहती है वही इस भवन ने पास किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि भवन इसका विरोध करेगा और इसको पास न करेगा।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द सिंघल जी ने पेश किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस भवन को उन्होंने मौका दिया कि वह अपना निर्णय दे सके। अक्सर यहां ऐसा होता है कि बड़े–बड़े मसले पेश होते हैं और हम लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर उनको यों ही पास होजाने देते हैं। आज इस मौके पर उन्होंने ध्यान दिलाया है और यह एक ऐसा विषय है कि मैं चाहता हूं कि इस पर काफी गंभीरता के साथ विचार हो। इस प्रस्ताव में इस बात का जोर दिया गया है कि जिस तरह का आर्डिनेंस पास किया गया वह प्रजातंत्रवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह ठीक है कि बहस ज्यादातर इसी बात पर हुई कि इस वक्त का जो कानून है उसके मुताबिक यह न्यायोचित था या नहीं। उसपर तो जैसा श्री त्रिलोकी सिंह ने कहा कि जब वकीलों की बहस होती है तो दोनों ही पक्ष इस बात को साबित करने की चेष्टा करते हैं कि उनका ही पक्ष न्यायपूर्ण है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि चाहे कितनी कोशिश और मेहनत से वकील लोग बहस करें, जनता के हितों की तरफ ध्यान न दें, सिर्फ कानून की ही तरफ ध्यान दें तो यह भी कोई अक्ल–मंदी की बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आजकल अक्सर ऐसा होता है कि कानून की आप भले ही रक्षा कर लें लेकिन जनता के हितों की हत्या हो जाती है। यह चीज तो हम रोज की अदालतों में देखते हैं? ऐसी हालत में जहां ऐसे कानूनी प्वाइंट का सवाल है कि कानून के मुताबिक था या नहीं इसके संबंध में कुछ ज्यादा कहना मुझे नहीं है। मैं तो सिर्फ यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव की भावना है कि हुकूमत की यह जो आदत होती जाती है कि जब मौका देखा आर्डिनेंस पास कर दिया और फिर यह दलील कि जनता ही चाहती है कि उसके अधिकार उससे छीन लिए जायं। इसके मानी य हैं कि यह हुकूमत जो भी इस वक्त तक काम कर रही है चाहे कितनी ही आर्डिनेंस रोज पास क्यों न कर दे लेकिन हमारे सामने यह दलील पेश की जायगी कि चूंकि हम जनता द्वारा चुनकर आए हैं हम जिम्मेदार सरकार हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं सब जनता के हित में है। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसा दुनियां में नहीं होता कि चुनी हुई सरकारें गैरजिम्मेदाराना काम करती हैं। ऐसी हालत में केवल यह कह देना कि चूंकि जनता द्वारा चुन कर आए हैं इसलिए जो काम करते हैं सही करते हैं मैं ऐसा नहीं मानता।

मैं खासतौर से इस विषय पर ज्यादा जोर देता हूं कि जब कभी इस भवन के अन्दर म्युनिसिपैलिटियों के दमन का सवाल आया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ यह बात कही। एक बार नहीं कई बार यह बात दुहराई कि आज लखनऊ के कोने कोने में जाइए हर गली कूचे में लखनऊ का बच्चा-बच्चा पुकार कर कहता है कि जो दमन किया गया नगर–पालिका का बिलकुल सही हुआ और ऐडमिनिस्ट्रेशन के राज्य में सर्वत्र सुख और चैन है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बात कही जासकती है हुकूमत की तरफ से उसी अधिकार के साथ दूसरे पक्षके लोग यहभी कह सकते हैं कि आज लखनऊ की जनता का बच्चा-बच्चा यह चाहता है कि मौ ूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन को तुरन्त खत्म कर दिया जाय और जनता के हाथ में अधिकार दिया जाय। आपने किस मौके पर जनता की राय ली? अगर आपने चुनाव करवाया होता, जनता से किसी बात की राय मांगी होती और जनता ने इसको पसंद किया होता तो मैं मान सकता था कि यह बात सही है। लेकिन केवल यह कह देने से कि बड़े बड़े लोग कहते हैं इसीलिए जनता की राय मान ली जाय, मैं इसको बड़ा खतरा समझता हूं। आज हुकूमत माननीय पंत जी के हाथ में है। जनता के हित का ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वही मनोवृति रही कि जनता के प्रतिनिधि ठीक काम नहीं कर सकते हैं, राज्य अच्छा नहीं करते हैं, इस

लिए तानाशाही हुकूमत ज्यादा अच्छी है, एक व्यक्ति की हुकूमत ज्यादा अच्छी है, तो बहुत हानि होगी। दुनियां के इतिहास में हजारों वर्षों से लड़ाई होती आ रही है कि एक व्यक्ति की हुकूमत अच्छी है या जनता की हुकूमत अच्छी है। तानाशाह हमेशा यह कहते रहे कि जनता पर राज्य करने का गुण परमात्मा ने हमको दिया है। हम अच्छा राज्य कर सकते हैं। लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है। अगर जनता को वक्त दिया जाय तो जनता अपना राज्य ज्यादा अच्छी प्रकार चला सकती है। आज तक कांग्रेस का बुनियादी वसूल यह रहा, जब कभी अंग्रेजों ने यह कहा कि हमने अच्छा शासन किया, तो कांग्रेस का हमेशा यह वसूल रहा कि अच्छे शासन की जगह पर हम अपना स्वराज्य चाहते हैं। गांधी जी ने यह कहा कि अराजकता हमें मंजूर है न कि हमें अंग्रेजी राज्य मंजूर है। चाहे अंग्रेजों ने कितने ही अच्छे कानून बनाए हों अपनी दृष्टि से उन्होंने चाहे जितना अच्छा शासन किया हो लेकिन हम अच्छे शासन की जगह पर अपने शासन के सिद्धांत को माना। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रजों का शासन अच्छा था। हमने इस वसूल को माना कि सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आयी है तो हम सोचने लगे और कहने लगे कि सेल्फ गवर्नमेंट से गुड गवर्नमेंट बेटर है। बल्कि यहां तक कि चलते चलते यह तर्क लाया गया कि म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरान आपस में लड़ते हैं, काम ठीक नहीं करते हैं और जनता के हित में नहीं करते हैं इसलिए इस उसूल को मान लिया कि म्युनिसिपल बोर्ड को खत्म कर दिया जाय और अगर यह कहीं बीमारी एकाध जिले या शहर तक महदूद होती तो यह भी कहा जा सकता है कि एकाध जगह ही यह खराबी है, लेकिन यह वह मर्ज है जो बढ़ता चला जा रहा है और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे और चौथे डिस्ट्रिक्ट्स में फैलता जा रहा है। मैं समझता हूं कि भवन ने अगर इस ओर ध्यान न दिया और केवल माननीय मुख्य मंत्री जी की बातों पर विश्वास करके उसने इस बात को मान लिया कि चूंकि किसी म्युनिसिपल बोर्ड का इंतिजाम अच्छा नहीं है इसलिए उसको खत्म कर दिया जाय और ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया जाय तो मुझे खतरा है कि यह बीमारी बढ़ेगी और होते होते वह भी जमाना आ सकता है कि जब हुकूमतों की दृष्टि यू० पी० में जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं और जिनका इंतजाम उनकी निगाह में अच्छा नहीं है, उनको सुपरसीड कर दें और ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दें तब जरूर अमनोअमान कायम होगा। तब तो डिमोक्रेसी बेकार की चीज है और यह तो बेकार की पब्लिक की बकवास है। ऐडमिनिस्ट्रेटर अपना शासन करता रहे, हुकूमत शासन करती रहे और सारे कर्मचारी चुपचाप रहें और उसकी हुकूमत को देवता की तरह पूजें, चाहे शैतान की तरह पूजें लेकिन जनता समझ सकती है कि उसके अधिकार को छीन लिया गया है। मैं इस मनोवृति के बहुत खिलाफ हूं। मुझे यह डर लगता है कि अगर यही मनोवृति चली गयी तो आप कल्पना कीजिए कि यदि कल माननीय पंत जी की जगह पर दूसरा शासक यहां पर बैठ जाय और वह इसी मनोवृति का जो हमारे राज्य में आज चलती चली आ रही है, पालन करे या इसी सिद्धांत को चलाए कि चूंकि जनता के मेम्बर ठीक काम नहीं करते इसलिए प्रबंध एक ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया जाय तो मुझको लगता है कि यहां पर तानाशाही का प्रभाव बढ़ेगा। यहां के इस राज्यसभा के सदस्य ही, कौन सा काम ठीक कर रहे हैं, इसे ही कौन जनता बड़ी भलाई का राज्य समझती है तो ऐसी हालत में क्या कल आप यह कहेंगे कि भवन को बंद कर दें। माननीय सदस्य ठीक राज्य नहीं करते, माननीय मंत्री ठीक से राज्य नहीं करते, इसलिए इन सबको निकाल कर बाहर कर दिया जाय, आखिर यह सवाल उठ सकता है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि साहब इंडियन रिपब्लिक सावरिन रिपब्लिक है लेकिन उसके प्रेसीडेंट को भी राइट है, अधिकार है कि वह असेम्बली भंग कर सके, इमर्जेंसी डिक्लेयर कर सके, फिर भी इंडिया सावरेन है, मैं कहता हूं कि बेशक अधिकार दिया गया ह लेकिन किसलिए दिया गया है इसलिए कि उसका सदुपयोग हो, लेकिन अगर जनता समझती ह कि किसी मौके पर जो हुकूमत है वह उसका सदुपयोग नहीं

[श्री राजाराम शास्त्री]

करती है तो क्या जनता को अधिकार नहीं है कि वह उस अधिकार के खिलाफ आवाज उठा सके और उसको वापिस कर सके? वाकई तौर से हम लोग समझते थे कि ठीक है वह अधिकार हमने ऐक्ट के अन्दर आपको दिया कि आप सुपरसीड कर सकते हैं। लेकिन आपकी दाढ़ों में जो जनता के दमन का खून लगता जाता है और आप जो इस तरीके से दमन करते चले जाते हैं उसके खिलाफ अगर अपोजीशन की तरफ से आवाज उठायी गई कि जो अधिकार आपको दिए गए थे उनका आप गलत उपयोग कर रहे हैं वह ऐसी मुसीबतों के वक्त के लिए दिए गए थे जब राष्ट्र पर संकट पड़ता है। जब समाज पर संकट पड़ता है, तब जनता की रक्षा करने के लिए आपको वह तलवार दी गई थी कि जनता के जो दुश्मन हों, जो जनता के विरोधी हों, जनता का जिनसे अहित होता हो, उनसे उनकी रक्षा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप उसको रोजमर्रा इस्तेमाल करें और जनता का ही गला काटने लगें और उसके बाद अगर कहा जाय तो आप कहें कि आपने तो हमें कानूनी अधिकार दिया है, हमें तलवार दी है, हम जितना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं है, इंडियन रिपब्लिक के प्रेसीडेंट को भी कोई अधिकार जो दिए गए हैं वे इसीलिए दिए गए हैं कि उससे जनता का हित हो, लेकिन अगर किसी मौके पर उस सत्ता का दुरुपयोग जनता महसूस करे तो जनता को अधिकार है कि वह कहे कि हम तुमको प्रेसीडेंट नहीं रखना चाहते या तुमको वह अधिकार नहीं देना चाहते। जनता सावरेन है, जनता जिसको अधिकार देती है और जो जो अधिकार देती है उससे वह अधिकार छीन भी सकती है अगर उसका दुरुपयोग हो। ऐसी हालत में अगर आज इस प्रस्ताव के जरिए से इस तरफ आपका ध्यान दिलाया जा रहा है कि प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है तो मैं समझता हूं कि कोई नामुनासिब बात नहीं है। एक बड़ी जोरदार दलील हमारे माननीय मंत्री जी ने यह दी कि यह उस जमाने की म्युनिसिपैलिटीज हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए से चुनी गयी थी इसलिए लोग जिम्मेदार तरीके से काम नहीं करते थे लेकिन मैं पूछता हूं कि आप जो माननीय मंत्री जी बने बैठे हैं या हम लोग जो यहां सदस्य बने बैठे हैं, सारे के सारे ये किस ऐलोक्टोरेट के जरिए से आए हैं। म्युनिसिपैलिटियां तो आईं सेपरेट एलोक्ट्रेट से, लेकिन आप किस एलोक्ट्रेट से आये हुये हैं अगर इस तर्क की बिना पर वह ठीक काम नहीं कर सकते तो जरा अपनी शक्ल देखिये, हमारी शक्ल देखिये और सारे भवन की शक्ल देखिये, यह उसी एलोक्टोरेट से आया हुआ है। यहां से लेकर हिन्दुस्तान की जो रिपब्लिक खड़ी हुई है, जिसकी आप इतनी दुहाई देते हैं, सब के सब सेपरेट एलोक्टोरेट की बेसिस पर आये हुये हैं। तर्क ऐसा न हो कि दूसरों पर लागू करें तो एक चीज हो लेकिन जब अपने ऊपर लागू करें तो हम जिम्मेदार हैं, हमने डेमोक्रेसी बरता है, जनतंत्रवाद बरता है। यह तो बड़ी वैसी चीज है। वे जनवादी नहीं हैं चूंकि सेपरेट एलोक्टोरेट से चुन कर आये हैं, क्या बात ह। इस तरह की दलील देना ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नगर-पालिका के सदस्यगण ठीक जिम्मेदारी से काम नहीं करते तो उसका तरीका यही है, उसका इलाज यही है कि चाहे वह नगर-पालिका के सदस्य हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों, चाहे संसद् के सदस्य हों इन सबके बारे में जनता को यह अधिकार दिया जाय कि जिस सदस्य को उसने चुन कर भेजा , वह जनता के हित की रक्षा नहीं करता तो वह जनता जिसने कि चुन कर भेजा है उसे वापस भी बुला ले और कहे कि वह जिम्मेदारी से काम नहीं करता है। जब यह सिस्टम हिन्दुस्तान में होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिनिस्टर साहबान भी जिम्मेदारी से काम करेंगे, और मेम्बरान को भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। आज कल तरीका यह है कि पांच वर्ष में एक बार किसी फरेब से वोट हासिल कर लिया जाता है और जब जीत गये तो पांच वर्ष के लिये निश्चिन्त हो जाते हैं और चाहे जिस तरह से काम करें, आटोक्रेट होकर करें या गैर-जिम्मेदारी से करें, कोई डर नहीं

रहता है। यह समझा जाता है कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता और जब चुनाव होगा तो देखा जायगा, पांच वर्ष के बाद जब मौका आयेगा तो दो एक रोज वोट लेने के लिये जिम्मेदारी की बात कर देंगे। आज यह हाल है कि किसी को यह फिक्र नहीं है कि जनता क्या कह रही है, और हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या कह रहा है लेकिन जिस दिन यह अधिकार जनता को होगा कि अगर कोई मेम्बर ठीक काम नहीं करता तो उसको निकाल कर बाहर कर सकती हैं, उसको वापस बुला सकती हैं तो अवश्य ही जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। बड़ी मुश्किल बात है, आप चुनाव करेंगे नहीं और लगातार यह कहते जायेंगे कि जनता को पूरा अधिकार है कि जिस तरह से चाहे राज्य का काम चलावे, जिस तरह से चाहे काम करे, जिस तरह से चाहे प्रबन्ध करे। मंत्री महोदय अपने आप सारा व्याख्यान दे गये। बड़े गौर से मैं सुनता रहा लेकिन आपने किसी जगह भी यह नहीं बताया कि कौन सी इमर्जेंसी आ गई है जिसकी वजह से फौरन आर्डिनेंस निकालना पड़ा। अपने आप सारे व्याख्यान के बाद आप कह देते हैं कि यह तो हमने बतला दिया कि बहुत बड़ी इमर्जेन्सी थी जिसकी वजह से बिना आर्डिनेंस के काम नहीं चल सकता था लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि कौन सी इमर्जेन्सी थी। जिस इमर्जेन्सी का जिक्र कांस्टीटयूशन में किया जाता है वह रोजमर्रा की इमर्जेन्सी नहीं है। ढ़ लिया कांस्टीटयूशन में इमर्जेन्सी का लफ्ज और लगे आर्डिनेंस निकालने। इस तरह की चीज करना पब्लिक म पैनिक फैलाना है। अगर पब्लिक जरा भी होशियार होती, अगर पब्लिक जरा भी जागरुक होती तो जिस दिन यह ऐलान होता कि यू० पी० में बड़ी भारी इमर्जेन्सी आ गई है तो उसमें एक बड़ी पैनिक हो जाती। पब्लिक को पता नहीं है कि कोई इमर्जेन्सी है लेकिन मिनिस्टर साहब सोते हुए स्वप्न देखते रहते हैं कि बड़ी भारी इमर्जेंसी आ गई है और जनता मरी जा रही है। इस तरह की बात करना कोई जिम्मेदारी की बात नहीं मालूम होती मैं यह समझता हूँ कि जो यह प्रस्ताव पेश किया गया है वह ऐसा प्रस्ताव है कि जिसक कि भवन के सब सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ यह कह देना कि इमर्जेंसी है कुछ महत्व नहीं रखता, इसको हम नहीं मानेंगे आपका यह कह देना कि ऐडमिनिस्ट्रेटर का राज्य बहुत अच्छा है, जनता इस राज्य से बिल्कुल खुश है, इसको भी मानने के लिये मैं तयार नहीं हूँ। यह वह मनोवृत्ति है जो कि जनवाद को तानाशाही की ओर ले जायगी। इसलिये मैं इस भावना की मुखालिफत जोरदार शब्दों में करता हूँ। अगर यह मनोवृत्ति यहां पर न रोकी गई तो यह मनोवृत्ति हमारे पूरे राज्य को भ्रष्ट कर देगी और जनता के अधिकारों को नष्ट कर देगी, कुचल देगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि भवन जिम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव को जरूर पास करे और जो यह मनोवृत्ति जनता के राज्य में बढ़ रही है उसे दूर करे।

उपाध्यक्ष के रिक्त पद के चुनाव के सम्बन्ध मे घोषणा

माननीय अध्यक्ष--उठने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर--के रिक्त पद के चुनाव के लिये मैं ४ जनवरी, १९५१, मुकर्रर करता हूँ।' और जो कायदे हमारे दिये हुये हैं उनके हिसाब से नामांकन-पत्र यानी नामजदगी के पच ३ जनवरी के १२ बजे तक आ जाने चाहिये।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ३ मिनट पर अस्थायी सभापति समिति के सदस्य, श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नगरपालिका-दमन काल-विस्तार सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में प्रस्ताव

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--सभापति जी, जो प्रस्ताव श्रीचन्द सिंघल जी ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं उसके लीगल ऐस्पेक्ट्स

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

के ऊपर तो कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता जो प्रोरोगेशन से ताल्लुक रखता है। उसका विवाद काफी अखबारों में भी हो चुका और बराबर अभी तक जारी है। हां, एक बात की तरफ जो आनरेबिल मिनिस्टर आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने फरमाई वह मुझे सुनकर जरूर ताज्जुब हुआ। उन्होंने यह कहा कि उधर के बैठने वाले बहुत हाउस आफ कामंस की बात किया करते हैं और रिऐक्शनरी हैं। हाउस आफ कामंस की बात करना वह रिऐक्शनरी समझते हैं और यह भी उन्होंने फरमाया कि हमारे संविधान में तो बहुत समझ बूझ कर कुछ बातें हट कर हमने बनाई हैं। मगर वह शायद भूल जाते हैं अपनी तकरीर करने में कि ऐसी पोच दलीलें न पेश करें तो अच्छा हो क्योंकि उसका जवाब भी देने वाले मौजूद हैं। खुद उसी संविधान में दफा १९४ में लिखा हुआ है कि "पावर्स, प्रिविलेजेज एंड इम्युनिटीज (शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां)" जरा सोचने की बात है कि जिस संविधान की बड़ी तारीफ किया करते हैं वह तो हाउस आफ कामंस की प्रथा को रखना चाहता है और हमारे माननीय मंत्री जी साहब फरमाते हैं कि हाउस आफ कामंस की बात करके हम लोग रिएक्शनरी हैं। एक नया प्रजातंत्र हमारे माननीय मंत्री कायम करना चाहते हैं। मैं क्या बतलाऊं, मुझे आज अफसोस है कि मुख्य मंत्री इस वक्त अपने स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं और वह यहां मौजूद नहीं रहते हैं। जवाब देने के लिये खड़े हो जाते हैं और जो कुछ उनके साथी बतला देते हैं वैसा ही शायद वह जवाब देते हैं। मैं तो चाहता था कि वह इस वक्त यहां मौजूद होते और कम से कम मेरी तकरीर सुनते और उसके बाद जवाब देते तो मुनासिब होता। महामान्य राज्यपाल के एड्रेस के जवाब में मुख्य मंत्री साहब ने ऐसी सस्ती और पोच, दलीलें पेश कीं कि मुझे सुनकर बहुत हैरत हुई। इतना बड़ा पार्लियामेंटेरियन जिसके देश में झंडे गड़े हुए थे आज वह इस आदरणीय सदन में आकर इस तरह की पोच और सस्ती दलीलें पेश करता है जिससे मालूम होता है शायद किसी पब्लिक मीटिंग में वह व्याख्यान दे रहे हों। दो दलीलें उन्होंने इस सुपरसेशन के बारे में दी थीं। एक तो यह फरमाया कि इस लखनऊ में प्लेबीसाइट करा लिया जाय। सोचने की बात है कि प्लेबीसाइट की बात मुख्य मंत्री के मुख से सुनना मुझे कुछ हैरत हुई। मैंने भी कहा कि इस तरह की प्लेबीसाइट की दलील मैं भी दूं जैसी उन्होंने दी कि एक प्लेबीसाइट नहीं दो प्लेबीसाइट कराइये। एक अपनी सरकार का प्लेबीसाइट करा लें कि इस सरकार को लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसका भी प्लेबीसाइट हो जाय। इस तरह की पोच दलीलें पेश करना, प्लेबीसाइट की बात कहना मेरी समझ में नहीं आती हैं कि कहां तक मुनासिब है। दूसरी दलील उन्होंने पेश की उसको हमारे माननीय मंत्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने ताईद की और बड़े जोर से कहा कि सन् १९४९ में जब यह अमेंडिंग बिल म्यूनिसिपैलिटीज का आया था उस वक्त हम लोग सो रहे थे, या कौंसिल वाले सो रहे थे। यह तो इस आदरणीय सदन की बेइज्जती है जो इस बात को उठा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी को याद होगा कि सन् ३७ में और सन् ३७-३८ में जब वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे उस वक्त एक ऐक्सपर्ट कमेटी बैठी थी जिसकी प्रेसीडेंटशिप माननीय मंत्री जी करते थे। उस वक्त मैंने सुपरसेशन के सवाल को उठाया था। अगर आप ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि सुपरसेशन के खिलाफ कितनी फीलिंग थी उस कमेटी में, जिसकी रिपोर्ट मेरी पार्टी के नेता श्री त्रिलोकी-सिंह ने पढ़ कर सुनायी, केवल माननीय मंत्री ही नहीं थे इस वक्त जो मंत्रीगण बठे हैं उनके ३-३ सदस्य उसमें थे, माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री केशव देव मालवीय और माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर थे, उनकी जो रिपोर्ट थी

वही पढ़ कर सुनाई गई। उसमें कहा गया था कि सुपरसेशन किसी हालत में होना ही नहीं चाहिये। माननीय मंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि सेलेक्ट कमेटी में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। लेकिन उसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी इस बात को भी भूल गये कि जब माननीय मंत्री कहते थे कि आप इस पर गौर न करें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल आ रहा है उसमें जो चाहे कर लीजिये। सन् ३७ में इस बिल की नींव पड़ी और अब सन् ५० हो गया और अब भी पता नहीं कि वह बिल कहां चला गया। अगर वह आ जाता तो शायद आपको सुपरसेशन का यह रूल बनाने की जरूरत ही न पड़ती। आज उन्होंने एक आर्डिनेंस भी निकलवा दिया। उसके लिये कहते हैं कि एक गलती हुई थी और उस गलती की उन्हें आज फिक्र हुई। अगर आपने एक गलती कर दी थी तो उसको सुधार लेना चाहिये था, यह काम आपको उसी वक्त करना चाहिये था। जब कि वह एक स्पेसीफाइड पीरियड के लिये रक्खा गया था तो फिर आपको क्या ताकत थी कि आप उसको बढ़ाते और जब आपसे कहा जाता है तो उसकी दलील में आप कहते हैं कि सन् १६ में तो यह होता था और उस वक्त भी कई बार मियाद बढ़ाई गई थी। अगर पहिले कोई बात गलती से हो गई तो क्या आप उसकी तक्लीद करना चाहते हैं। आप डिजाल्व कर देते, आप इलेक्शन कराते लेकिन यह आर्डिनेंस आपने कैसे निकाला और फिर आप यह बिल ले आये और बिल में यह ताकत लिये ले रहे हैं कि जितना चाहें उसको बढ़ा लें। कोई ज्यूरिसप्रूडेंस भी पढ़ी है, दौराने सजा में क्या कोई सजा बढ़ाई जाती है? सुपरसेशन म्युनिसिपैलिटी के लिये एक सजा है। किसी मुलिज़म को एक साल के लिये सजा दी गई और बीच में ही यह कह कर कि गलती हुई आप डेढ़ साल और बढ़ा दें तो क्या ऐसा कायदा किसी दुनिया के ज्यूरिसप्रूडेंस में है। यह कहीं नहीं है। आप कहते हैं कि एक जरा सी गलती रह गई थी इसीलिये यह आर्डिनेंस लाना पड़ा। आपको तो चाहिये था कि जिस वक्त यह गलती हुई थी और जब वह आपके गोशगुजार की गई और जिस वक्त आपने यह समझ लिया कि यह गलती है उस वक्त आपके लिये यह जरूरी था कि आप इलेक्शन करा लेते। एक तरफ तो आप चुनाव नहीं करते हैं जब कि हर तरफ से इसकी आवाज उठती है और इसी आदरणीय सदन में कई बार कहा जा चुका है कि अगर चुनाव मार्च अप्रैल में नहीं हुए तो ये चुनाव करा दिये जायेंगे और हमारे मंत्री जी भी उसके हामी थे कि उस हालत में इन चुनावों को हो ही जाना चाहिये। मालूम नहीं क्या फिजां बिगड़ गई या यह समझ लिया कि इस चुनाव में उनकी पार्टी नहीं आयेगी। इसके बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने बड़ी लाजवाब बात कही। वे फरमाते हैं कि इन चुनावों से हमारा क्या नुकसान है क्योंकि उसमें इस वक्त कोई कांग्रेस वाला नहीं है और जब चुनाव होंगे तो कुछ न कुछ कांग्रेस वाले जरूर आ ही जायेंगे।

मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन होकर इस तरह की दलील पेश करते हैं। हम कब मना करते हैं कि वह न जायं; सब कांग्रेस वाले पहुंच जायं इसमें हमको क्या एतराज हो सकता है। जिसको आना होगा वह आयेगा। यह क्या दलील है कि वहां कांग्रेस वाले आ जायेंगे। यह तो एक बुनियादी उसूल है और बुनियादी उसूल पर बहस न करना और उसको उलटफेर कर कहना कहां तक मुनासिब है यह समझ में नहीं आता है। अपने भाषण को खत्म करते हुये उन्होंने कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर के रिजीम में बहुत अच्छी हालत सड़कों की यहां पर हो गई है और लखनऊ का हर एक आदमी यही चाहता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर का रिजीम यहां पर रहे और वह इसको ही चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर्चे ऐडमिनिस्ट्रेटर का रिजीम बहुत अच्छा है तो क्या आपका प्रजातन्त्रवाद यही कहता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

की हुकूमत रहे और उससे हुकूमत कराई जाय और उसको खत्म न किया जाय। अगर ऐसी बात है तो असेम्बली को भी आप खत्म कर दीजिये, इसकी क्या जरूरत है। दलील यह दी जाती है कि संविधान में प्रेसीडेंट को यह अधिकार है कि वह असेम्बली को खत्म कर सकता है। वह अख्तियार उनको जो दिया गया है वह नेशनल इमर्जेंसी के लिये ही दिया गया है और उस वक्त वह असेम्बली को तोड़ सकते हैं और अगर ऐसी हालत में वह इस असेम्बली को तोड़ दें तो मैं देखूं कि सदन में बैठने वाले सदस्य कितने हैं ने जो कहें कि प्रेसीडेंट ने यह सही चीज की है। यह बात ऐडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है। हो सकता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर का रिजीम अच्छा हो, लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप चुनाव क्यों नहीं कराते यह तो एक बुनियादी सवाल है जो कि प्रजातन्त्रवाद के अन्दर एक बहुत बड़ा उसूल है और जिसको आप हर तरह से मानते हैं। बहुत से सदस्यों ने राज्यपाल के एड्रेस के थैंक्सगिविंग के बारे में जो तकरीर की सबने इस बात को माना कि प्रजातन्त्रवाद हमारे यहां है और होना चाहिये। तो उसके मुताबिक अगर डिस्सालूशन होता तो अच्छा था सुपरसीशन नहीं होना चाहिये था। यह कहा जाता है कि कानून जो है उसके लिहाज से यह हरकात जो हो रही हैं, सही हैं। हमको आज तक कोई राय नहीं बतलाई गई है कि किसकी क्या राय है और किसने यह राय दी है। हम तो यह जानते हैं कि अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकिल निकलते हैं आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनका जवाब नहीं दिया गया कि क्या कानून एस्पेक्ट हैं। गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि ला डिपार्टमेंट की उसने राय ले ली है। अगर्चे इस बात का हवाला तकरीरों में दिया जाता है तो आपका यह भी फर्ज था कि हम लोगों को भी पढ़ कर सुनाते कि क्या कानूनी मशविरा है। क्या एडवोकेट जनरल की राय है यह आज तक हम लोग न जान पाये ताकि हमको भी मालूम हो जाता और हम लोग भी अपनी राय कायम करते। ३० मिनट तक माननीय मंत्री जी बोले लेकिन लीगल एस्पेक्ट पर वह बोलते रहे, कोई जवाब उन्होंने किसी कानूनी मशविरे के बारे में नहीं बतलाया कि किसकी क्या राय है। जब माननीय मंत्री जी इस तरह का हवाला अपनी तकरीर में दे रहे थे तो उनका यह फर्ज था कि वह लीगल राय भी हमको बतलाते कि किसकी क्या राय है। हम भी कुछ राय उसके ऊपर कायम करते कि आया उनकी राय कुछ वजन रखती है या नहीं वा वैसे ही हवा में वह तकरीर करते रहे। यह बहस का तरीका निहायत नामुनासिब है। इसके लिये बिल आ रहा है तो इस बिल के लाने के पहिले अगर्चे उनके पास कानूनी मशविरा है तो उसको हम लोगों के सामने पेश करना चाहिये था और उसको हमको बतलाना चाहिये था और आइन्दा से श्रीमान्, मैं बअदब कहूंगा कि जिस वक्त माननीय मंत्री महोदय या और मंत्रीगण जवाब देने के लिये खड़े हों तो वह जरा रीजनेबिल दलायल पेश किया करें और कुछ वाजबी चीजें पेश करें और वह यह न समझें कि यह कोई क़ालेज या स्कूल का डिबेट है या कोई अमीनाबाद की मीटिंग है कि चाहे जो कुछ खड़े होकर जवाब दे दिया। इन तरीकों से तो काम नहीं चल सकता है। प्रजातन्त्र की नई तारीफ देना और नये नये कानूनों की बात करना कहां तक मुनासिब हो सकता है। इसलिये मेरी माननीय सदस्यों से इस्तदुआ है कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको आपको जरूर पास करना चाहिये और ऐसा करने के बाद मुझे यकीन है कि इस गवर्नमेंट को आइन्दा से ऐसी हिम्मत न पड़ेगी कि वह गवर्नर महोदय को इस तरह की सलाह दे कि आर्डिनेंस पर आर्डिनेंस निकाले जायं। मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस रूल तो प्रतजातन्त्र उसूलों और उसके बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस तरह से जरा जरा सी बातों पर जब गलती निकाली जाय तो उसको ठीक करने के लिये आर्डिनेंस निकाल देना कहां तक मुनासिब हो सकता है। आर्डिनेंस तो उस वक्त

निकालने की जरूरत होती है जब किसी किस्म की कोई नेशनल एमरजेंसी हो कि जिसके निकालने के बिना काम ही न चलता हो। लेकिन जिस हालत में यह आर्डिनेंस निकाला गया है मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी क्या जरूरत थी और उसके बाद भी आप बिल ला रहे हैं। आप डेढ़ महीने के समय में इंतजाम कर सकते थे। मैं और ज्यादा दलायल पेश करना नहीं चाहता लेकिन जैसा कि दूसरे मेम्बरों ने कहा और श्री राजाराम शास्त्री जी ने कहा कि आप हमेशा सेपरेट एलेक्टोरेट की बात करते हैं। सब उसी से चुने गये हैं और यह कोई नई चीज नहीं है। कम से कम आप ऐसे दलायल तो पेश किया करें कि जिससे यह यकीन हो जाय कि आपने सही बात कही है। मैं एक मर्तबा फिर इस आदरणीय भवन के सदस्यों से कहूंगा कि वह इसको जरूर पास करें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् सभापति महोदय, इस प्रस्ताव द्वारा तो केवल एक ही बात कही गई है कि जो आर्डिनेंस महामान्य राज्यपाल ने पास किया है वह स्वशासन सिद्धान्त के विरुद्ध है और इसीलिये उसमें कहा गया है कि उसका अननुमोदन किया जाय यानी उसे स्वीकार न किया जाय और बहस के सिलसिले में भवन प्रोरोग करने की बात भी कही गई और उस पर काफी प्रकाश हमारे विरोधी दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी ने और उसके बाद श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी ने भी डाला और शास्त्री जी ने भी इसी सम्बन्ध में कहा। प्रस्ताव से यह बात असंगत है लेकिन चूंकि इस भवन में इस पर विचार किया गया और लोगों ने अपने विचार प्रकट किये, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कानून के इन्टरप्रिटेशन का जहां तक सवाल है उससे तो यह स्पष्ट है कि दोनों भवनों में से कोई भी भवन प्रोरोग किया जा सकता है। कानून का इन्टरप्रिटेशन अल्फाज से किया जाता है यानी जो कानून के शब्द होते हैं उनसे किया जाता है न कि यह कि अपनी तरफ से उनमें कोई चीज मिला दी जाय। जहां तक संसद का प्रश्न है वहां २ हाउस होते हैं। धारा ८५ में स्पष्ट है कि सदनों का सत्रावसान किया जा सकता है या दोनों हाउस एक साथ प्रोरोग किये जायंगे, लेकिन जहां दफा १७४ में विधान मंडल की बात है तो कुछ स्टेट्स में एक सदन होता है और कहीं दो होते हैं तो हमारे त्रिलोकी सिंह जी का यह कहना कि जहां तो एक सदन है वहां के लिये एक सदन आया है कि सदन या सदनों का सत्रावसान किया जा सकता है १७४ में इस प्रकार के शब्द हैं। उनका यह कहना कि जहां एक सदन होगा वहां केवल अकेला सदन प्रोरोग होगा और जहां दो सदन होंगे वहां दोनों ही सदन प्रोरोग होंगे, शब्दों से नहीं निकलता। वह अपनी तरफ से जोड़ा जाता है। विधान में तो स्पष्ट है कि सदन या सदनों का सत्रावसान किया जायगा। तो जब यह होगा तो शब्दों से केवल यही अर्थ निकलता है कि चाहे हाउस को गवर्नर प्रोरोग करे और चाहे दोनों को। दूसरी धारा के देखने से भी यह बात निकलती है क्योंकि गवर्नर को यह भी अधिकार है कि चाहे एक ही सदन को फिर बुलाये या दोनों को प्रोरोग करने के बाद साथ-साथ बुलाये। इससे भी यह बात साफ होती है कि चाहे एक सदन को प्रोरोग करे चाहे दोनों को। महामान्य राज्यपाल के प्रोरोग करने पर इस आर्डिनेंस के बारे में जो एतराज किया गया वह किसी पर बैठता भी नहीं है, क्योंकि यह भी मानी हुई बात है कि विधान सभा प्रोरोग करदी गयी थी और केवल विधान परिषद् चालू रही। अब गलत प्रोरोग हुआ या सही, इसका असर तो दूसरे माने में दूसरे मौके पर अगर कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है कि विधान परिषद् की जो बैठक होती थी वह कायदे के खिलाफ है या कायदे के अन्दर है। वह एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन उसका असर यहां कतई नहीं पड़ता, इसलिये कि जब एक हाउस प्रोरोग हो चुका है तो आर्डिनेंस निकल सकता है अगर किसी तत्कालिक कार्यवाही की आवश्यकता हो। उस हालत में तो वही एक रास्ता रह जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। धारा २१३ में यह स्पष्ट लिखा है कि जब दोनों सदन चलते हों तभी आर्डिनेंस नहीं जारी हो सकेगा।

श्री नवाज़िश अली खां—२१३ का मार्जिनल नोट देख लीजिये, वह ज्यादा साफ है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—यह तो मैंने कहा कि स्पष्ट है कि दोनों सदन चालू नहीं थे। ऐसी सूरत में आर्डिनेंस ही एक रास्ता रह जाता है। इसलिये आर्डिनेंस के बारे में तो कम से कम कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक भवन प्रोरोग हो चुका था।

श्री ऐज़ाज रसूल—मैंने पूछा कि यह प्रोरोगेशन ठीक हुआ या नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—मेरे कहने का मतलब यह है कि वह एक अलग चीज है। उससे यहां कोई ताल्लुक नहीं है कि वह गलत प्रोरोग हुआ या सही हुआ। मेरी अपनी राय यह है कि वह सही प्रोरोग हुआ, क्योंकि सदन या सदनों में से कोई भी प्रोरोग हो सकता है। जो कानून के शब्द का अर्थ हैं वही लगाये जावेंगे। कानून के जानने वालों से अगर आप राय लें तो वे यही बतावेंगे कि कानून के लफ्जी मतलब लिये जाते हैं। किसी की मंशा नहीं ली जाती। जाहिर सी चीज है कि अगर एक भवन प्रोरोग था तो ऐसी सूरत में कोई कानून नहीं बन सकता था।

अब रह गया यह प्रश्न कि इस तरह का आर्डिनेंस उचित था या नहीं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को सुपरसीड करने के लिये आर्डिनेंस के जरिये से अधिकार दिये जायं। लोगों ने उस पर काफी प्रकाश डाला। आवश्यकता की बात है। कोई नहीं चाहता कि मत देने वालों के अधिकार पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। यह मंशा नहीं है कि चुनाव को हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाय। आवश्यकता पड़ने पर ये चीजें की जाती हैं। मत देने वालों के अधिकार सुरक्षित हैं। ज्योंही वक्त और सुविधा होती है और इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो जाते हैं तो चुनाव करा दिया जाता है। चुनाव में जो अधिकार की बात कही गई है उसका तो असली मंशा यह मालूम पड़ता है कि प्रोरोग वाले मामले पर आप इस बहस को छेड़ेंगे। वह प्रश्न अखबारों में माननीय सदस्य श्री वेंकटेश नारायण तिवारी के लेखों से काफी आ चुका है। तो इस बहाने से आप प्रोरोग की चीज को लाना चाहते थे। प्रोरोग का मसला इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। जब एक हाउस नहीं हो रहा है तो ऐसी सूरत में कोई कानून नहीं बन सकता। दफा २१३ और ७५ अपनी जगह पर मौजूद हैं। जहां तक कानून के शब्दों का मतलब है, कोई भी सदन प्रोरोग किया जा सकता है। इसमें कोई शुबहा नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव किसी भी रूप में उचित नहीं जान पड़ता और इस भवन को उसे अस्वीकार करना चाहिये।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी—जनाबे सदर, जो तजवीज़ मेरे दोस्त सिंघल साहेब ने पेश की है, मैं उसकी ताईद के वास्ते इस वक्त खड़ा हुआ हूं। इसके खिलाफ जो तकरीरें की गयी हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना, खसूसन जनाब वजीर साहेब की तकरीर को। मैं यह समझता था कि उनकी तकरीर इस मसले पर रोशनी डालेगी और वह ऐवान को मुतमइयन कर सकेंगे कि जो आर्डिनेंस उन्होंने बनवाया और जो बिल वह तरमीम करने के वास्ते ला रहे हैं वह हकबजानिब है और उसकी मुवाफिकत में ऐसी दलीलें बयान फरमायेंगे कि जिनसे हम लोग मुतमइयन हो जायेंगे। इसीलिये मैं इन्तजार करता रहा कि वह अपनी तकरीर के अन्दर क्या दलीलें पेश करते हैं। लेकिन हुजूरेवाला, मुझको उनकी तकरीर के बाद मायसी हुई, इसलिये कि उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं कही और एक भी दलील ऐसी नहीं दी जिससे इस ऐवान के उन मेम्बरों को जो इस तरह बैठे हुये हैं यह इतमीनान हो कि वाकई इस आर्डिनेंस की, जो गवर्नर साहेब ने खसूसियत के साथ जारी किया और वह बिल जो अब गवर्नमेंट ने इस ऐवान के सामने पेश किया है, उनकी जरूरत थी।

अभी मेरे दोस्त जो मुझसे पहले तक़रीर फरमा रहे थे वह प्रोरोगेशन के मसले के ऊपर बहुत शदोमद के साथ दलायल अपने ख्याल में पेश कर रहे थे लेकिन मैं क्या आप के जरिये उनकी खिदमत में अर्ज कर सकूंगा कि उनके दलायल ऐसे नहीं थे कि जिससे जरा भी मामले की माफिक़त होती हो। उन्होंने एक लफ्ज भी ऐसा नहीं फरमाया जिससे जनाब वजीर साहब और जनाब वजीर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तक़रीरों के बाद कुछ ज्यादा रोशनी पड़ी हो। यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब एक ऐवान नशिस्त किये हुये था तो वह बिल उसके सामने क्यों नहीं पेश कर दिया गया, क़ायदा यह है कि अगर एक ऐवान नशिस्त करता हो तो उसके सामने कानून पेश किया जा सकता है। इस तरह एक ऐवान के सामने यह कानून पेश किया जा सकता था और उसके बाद इस ऐवान को बुलाया जा सकता था। अगर हक़ीक़तन कोई खास जरूरत पेश आ गई थी तो इसमें क्या नुक्स पड़ता अगर यह ऐवान दो चार रोज पहले बुला लिया जाता। दूसरी बात यह है कि यह इस वक्त तक नहीं बतलाया गया कि क्या हर्ज वाकै होता था, क्या इस सूबे की खुदा न ख्वास्ता मुसीबत आ जाती अगर उस रोज आर्डिनेंस न जारी किया जाता। (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य खड़े हुये।) अफसोस है कि आप की तक़रीर के दौरान में जब मैं कुछ नहीं बोला तो आप के बोलने के लिये भी कोई मौक़ा नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि आप मेरी तक़रीर के दौरान में दूसरी तक़रीर शुरू फरमा दें।

हुजूरवाला, मैं जनाब वजीर साहब की तवज्जह दिलाऊंगा यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की दफा २३ की तरफ। इस तरफ गवर्नमेंट ने कोई तवज्जह नहीं फरमायी है। इस सिलसिले में दो ऐक्ट हैं। पहला ऐक्ट जो १९१६ का है उसकी दफा ३० की तरमीम दूसरे ऐक्ट की दफा २३ के जरिये की गयी है। जब यह तरमीम हुई थी उस वक्त यही हुकूमत बरसरे इक्तदार थी। इस हुकूमत ने इस चीज को महसूस किया था कि सुपरसेशन या डिजाल्व करना अच्छा नहीं है। इसीलिये पूरी एहतियात करने की कोशिश की गयी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐवान के सामने दफा २३ पढ़ कर के सुनाऊंगा जिसके जरिये पहले ऐक्ट की दफा ३० तरमीम की गयी है। इसके अल्फाज साफ जाहिर करते हैं कि हक़ीक़तन यह एक दफा ऐसी है कि इसका इस्तेमाल जा और बेजा किसी तरह मुनासिब नहीं है। इसके अल्फाज यह हैं:—

"If at any time the Provincial Government is, after taking into consideration the explanation of the Board, satisfied that the Board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this Act or any enactment or is exceeding or abusing its powers, it may, by order with reasons therefor, published in the official *Gazette*, dissolve the Board or suspend it for such period as may be specified".

(यदि किसी समय बोर्ड के स्पष्टीकरण पर विचार करके प्रान्तीय सरकार को यह विश्वास हो जाये कि बोर्ड इस अधिनियम या किसी अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत विहित कर्तव्य के पालन में बराबर दोष करता रहता है, या अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है अथवा अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, तो सरकार सरकारी गजट में प्रकाशित कारणों सहित आज्ञा द्वारा बोर्ड को विघटित कर सकती है या ऐसी अवधि के लिये जो निर्धारित की जाय, उसे अधिकार च्युत कर सकती है।)

फिर हुजूर वाला इसमें एक प्राविजो लगाया गया:—

"Provided that before making an order superseding the Board or order that the Board including the president be dissolved, the provincial Government shall give an opportunity to the president to show cause if any, and also to explain his conduct with respect to any charge made against him,

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

(प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के अवक्रमण का आदेश या प्रेसीडेंट सहित बोर्ड के विघटन का आदेश देने के पूर्व सरकार प्रेसीडेंट को अवसर देगी कि वह कोई कारण, यदि कोई हो बतावे और उस पर लगाये गये किसी भी आरोप के विषय में अपने आचरण का स्पष्टीकरण करे।)

इसके अल्फाज हुजूरवाला साफ बता रहे हैं कि किस दरजा एहतियात रक्खी गयी थी लेकिन अब मालूम होता है कि तजुरबे के बाद जो इस हुकूमत को सन् १९४९ से लेकर आज तक हासिल हुआ है, वह फरेफ्ता हो गये हैं सुपरसेशन के ऊपर और वह यह समझते हैं कि सुपरसेशन ही एक इलाज हो सकता है और इसी के जरिये वह उन खराबियों की इसलाह कर सकते हैं जो बोर्ड की बदइन्तजामी की वजह से किसी मौके पर पैदा हो सकती हैं और उसपर भी वह इक्तिफा नहीं फरमाते हैं बल्कि उसके अन्दर मियाद रक्खी गयी है। जो दफा मैंने पढ़ कर सुनाई उसके पढ़ने से यह वाजेह हो गया कि वह मुअय्यन मियाद के वास्ते सुपरसेशन कर सकते हैं। जिस वक्त सुपरसेशन का आर्डर दिया जायगा, उस वक्त उसकी मियाद भी मुअय्यन कर दी जायगी। लेकिन हुजूर वाला अब जो दफा रखी गयी है उसके अल्फाज यह हैं:--

"The said section empowers and be deemed always to have empowered the State Government to vary, amend or enlarge the period from time to time, and nothing in sections 9-A and 31 of the said Act shall be construed as limiting or abridging the said power of the State Government;"

(उपर्युक्त धारा से राज्य की सरकार को अधिकार मिलता है और सर्वदा यह अधिकार मिला हुआ समझा जायेगा कि सरकार समय-समय पर अवधि को परिवर्तित, संशोधित या परिवर्धित कर सकती है और धारा २९(क) तथा ३१ में विद्यमान किसी शब्द का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिससे राज्य सरकार को उपर्युक्त अधिकार का सीमा निर्धारण या संकोच होता हो।)

हुजूरवाला उस मियाद की भी जरूरत बाकी नहीं रही, जब तक जो चाहा और जिस तरह जो चाहा, उसमें इजाफा हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या ऐसा तजुरबा हुआ, क्या ऐसी खराबी पाई गयी कि अब कोई एतमाद बाकी नहीं रहा। सीधी-सादी बात यह हो सकती थी जो हम लोगों की समझ में आती है कि अगर एक बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा तो जैसा दफा २३ सन् १९४९ की में दिया हुआ है पहले उनसे एक एक्सप्लेनेशन तलब किया जाता और अगर वह एक्सप्लेनेशन ठीक न हो तो उसको डिस्सोल्व कर दिया जाय। उसके बाद दूसरा बोर्ड मुन्तखिब कर दिया जाता। लेकिन अब इस दफा के मातहत जोकि इस वक्त इंट्रोड्यूस की जाने वाली है, या आर्डिनेंस के जरिये से नाफिज कर दी गयी है साफ मालूम होता है कि अब यह एतमाद भी हुकूमत को बाकी नहीं रहा कि जो बोर्ड आयेगा वह भी ठीक काम कर सकेगा। क्या हुजूरवाला, यह समझ लिया गया कि इस मुल्क के रहने वाले, इस सूबे के रहने वाले, वह सूबा जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, हमको फख्र है कि इसको "उत्तर" किया गया है, क्योंकि हम समझते थे इसको खुसूसियात को जिससे यह "उत्तर" कहलाने का मुस्तहक़ है लेकिन जो कानून पेश किया गया है उससे मालूम होता है कि यह सूबा सबसे ज्यादा पस्त है, और इसके रहने वालों में कोई काबलियत खुद अपने कामों को देखने को, सफाई रखने को और जो वह रोजाना की जरूरतें है जोकि हर चुंगी में पेश आती हैं, उनको करने की कोई काबलियत बाकी नहीं रही है, लिहाजा यह फैसला गवर्नमेंट ने कर लिया है कि बोर्ड को सुपरसीड किया जाय बल्कि गैर मुअइयन मियाद तक किसी एक शख्स के हाथ में उसका इन्तजाम दे दिया जाय।

हुजूरवाला, मैं अपने उन मोहतरिम बुजुर्गों से जो उन बेंचों पर बैठे हैं यह सवाल करने की जुर्रत करता हूं कि अगर वह इन बेंचों पर बैठे होते और जैसा कि मैंने भी उनको इन बेंचों पर बैठे देखा है तो क्या मैं पूछ सकता हूं, निहायत अदब के साथ कि अगर इस किस्म का कानून वह हुकूमत, जोकि उन बेंचों पर बैठी होती, लाती तो क्या वह उसकी मुआफिकत करते? मैं समझता हूं, मुझे यकीन है उस तजुरबे के बिना पर जो इतने बरस तक मुझे रहा है, बिलखुसूस उन दो बुजुर्गों का जो पहली दो बेंचों पर बैठे हुये हैं वह उसकी जरूर मुखालिफत करते और पूरी कूवत से मुखालिफत करते और एक मिनट भी इसको रखा नहीं रख सकते थे कि इस किस्म की दफा कोई गवर्नमेंट इस ऐवान में खड़े होकर जहां कि जम्हूरियत का राज है, पेश कर सके। हुजूर वाला, क्या मैं आपकी इजाजत से यह सवाल कर सकता हूं कि उन कुर्सियों के अन्दर क्या खास बात है कि जब उनके ऊपर कोई बैठता है तो उसके ख्यालात बिलकुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, उसके ख्यालात वह नहीं रहते जो हम अवाम के ख्यालात हैं, उसके वह ख्यालात नहीं रहते जो इस सूबे और इन शहरों के बसने वालों के ख्यालात हैं, बल्कि उनके ख्यालात में बुलन्दी पैदा हो जाती है वह जब उनके दिमागों में आता है जो हम लोगों के करीब होकर भी नहीं निकला। बल्कि उन बेंचों के बैठने वाले "रमूजे मुमलिकते खेश खुसरवां दानन्द" हम उन रमजों को क्या समझ सकते हैं। समझें वह, उन बेंचों पर बैठने वाले, मगर हमें तो समझा दें, जबकि यह ऐवान इसलिये बनाया गया है कि सब मसले यहां मशविरे से तय होते हैं सिर्फ अक्सरियत से तय न हों तो सबकी राय का एहतराम करना लाजिमी है। मैं तो समझता हूं कि जो दूसरे मेम्बर साहबान हैं जो उन बेंचों पर बैठे हैं वह भी मिस्ल हमारे उस तरीके को जो कानून बनाने का तरीका है और उन अल्फाज को जो इस कानून में रखे गये हैं हरगिज तसलीम नहीं फरमाते। जो रोजे रोशन है मैं यकीन करता हूं कि अगर उनको मौका दिया जाय तो उनकी अक्सरियत जरूर हमारा साथ देगी। उनमें से जिन साहिबों ने मुझसे पहले तकरीरें की हैं वह शायद मेरे हमख्याल न हों लेकिन यह वाकई चीज है कि कोई जम्हूरियत का दिलदादा इसकी हिमायत नहीं कर सकता।

मैं, कम से कम यह जरूर तवक्को करता हूं कि अपनी उस तकरीर में जो अब भी वजीर साहब फरमायेंगे, कम से कम यह साबित कर देंगे, कि उस बनाये हुये कानून म जो मैंने अभी सुनाया है उन्हें क्यों खराबियां नजर आती हैं, इसलिये कि उन्होंने कोई हवाला देने को जरूरत नहीं समझी, जो कायममुकाम दफा ३० है उस का कोई हवाला नहीं दिया गया बल्कि उसी पुरानी दफा ३० का हवाला दिया गया है। उसको दफा २९ और ३१ को इसके जरिये से मुस्तरद कर दिया गया है इसलिये कि इसमें लिखा है कि उस का भी लिहाज नहीं किया जायगा। वे ऐडमिनिस्ट्रेटर कहां से, आसमान से उतर कर आये हैं, उन में कौन सी खूबियां हैं, कि जो कुछ वे करते हैं वह बिलकुल दुरुस्त करते हैं। क्यों न एक छोटा सा तरमीमी कानून ले आइये जिसके जरिये से तमाम चुंगियों को सुपरसीड कर दिया जाय और उसके बाद उन के हमजोली एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर कर दिया जाय ताकि वे सही-सही इंतजाम करें। मकसद तो यह है कि इंतजाम अच्छा हो, सफाई सुथराव लखनऊ जैसी चुंगियों का हो जिसमें एक ऐडमिनिस्ट्रेटर साहब इन्तजाम कर रहे हैं। तो इससे क्या बेहतर चीज हो सकती है। तो सबसे बेहतर तो यही है। क्या जरूरत है कि एक एक करके चुंगियों को खत्म किया जाय, क्या जरूरत है कि एलेक्शन की मियाद गैरमहदूद जमाने के लिये मुलतवी कर दी जाय, यह कह दिया जाय कि यह चुंगियां इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि किसी तरह से रहना मुनासिब नहीं है। मुलतवी होन कीजिये बल्कि यही न बतलाइये कि कौन सी तारीख होगी और कभी एलेक्शन किया जायगा। लिहाजा सबसे बेहतर बात यह है कि सबको सुपरसीड करके उन ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को मुकर्रर किया जाय जो उस का आला इंतजाम करें। उसके बाद तारीख के वरकों में सुनहरे हरूफ में लिखा जाय कि १९५०-५१ के अन्दर उत्तर प्रदेश में कोई चुंगी न

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी]

रही। तमाम चुंगियों में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर दिये गये। चुनांचे वह इन्तजाम किया जो एक आयडियल इंतजाम है। ऐसा इंतजाम हुआ जो कभी आजतक नहीं हुआ फिर मेरा ख्याल है कि यह ऐवान जरूर मुतमईन हो जायगा। इसलिये मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस बिल को गवर्नमेंट को चाहिये कि वापस ले ले, इसलिये कि गवर्नमेंट को मालूम हो गया कि इस बिल के सभी मुखालिफ हैं और जो साहबान मुआफिकत करते हैं वे इसलिये करते हैं कि आप के हुक्म की पाबन्दी है वरना-अगर उस को वापस ले लिया जाय तो अक्सरियत उसमें हम लोगों की होगी। लिहाजा जिमन फरमायें कि चूंकि आपने पेश किया है तो चाहे कैसी चीज हो लिहाजा उस को पास ही हो जाना चाहिये। लिहाजा आप फिर गौर फरमायें कि इंतजाम के सुधराव के वास्ते कैसे कैसे मुंतजिम मुकर्रर होने चाहियें ताकि रोज रोज ऐक्ट्स को तरमीम करने की, एलेक्शन कराने की और ऐसी परेशानियां उठाने की हाजत ही बाकी न रहे।

श्री श्यामलाल वर्मा--चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से इस भवन में प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने के लिये मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जहां तक उस प्रस्ताव में सन्निहित सिद्धान्त का सवाल है सिद्धान्ततः स्वयं हमारे माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उसे स्वीकार किया है और हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य भी उसे महत्व देते हैं और हमारा यह भी मत निश्चित है कि जहां तक हो सके सुपरसेशन को इस्तेमाल न किया जाय और यही बात हमारे भारतीय संविधान की भावना भी व्यक्त करती है।

क्या भारतीय संविधान में इस बात की स्पष्ट आज्ञा प्रदान की हुई नहीं है कि परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर सुपरसेशन को काम में लाया जा सकता है। मैं कहता हूं और आप भी भलीभांति परिचित होंगे ही कि ऐसी आज्ञा स्पष्ट है। इस संविधान के बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य नहीं थे वरन् भारतवर्ष के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों तथा सभी विचारों के लोगों और सर्वोत्कृष्ट विद्वानों तथा उत्कट अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञों द्वारा यह बनाया गया है मैं जब राजा राम शास्त्री जी का व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हमारे संविधान को बने हुये प्रायः दो साल व्यतीत होने आये हैं। वह सन् १९५० की २६ जनवरी से इस देश पर लागू भी हो चुका है और उसमें इस प्रकार के सुपरसेशन की आज्ञा प्रदान की हुई है ही। इस संविधान के तैयार करने में उनके नेता जी सेठ दामोदर स्वरूप जी भी लगे ही रहे और एक प्रकार से इसे उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार भी किया।

विरोधी दल के सदस्य--उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। उनके उस पर दस्तखत तक नहीं हैं।

श्री श्यामलाल वर्मा--संविधान को पूर्ण रूप से सोशलिस्ट पार्टी के आदेश के कारण अन्त में भले ही न स्वीकार किया हो लेकिन जहां तक प्रश्न से सम्बन्धित धारा का सम्बन्ध है उससे उन्होंने किसी प्रकार का विरोध विचार होते समय दिखाया हो, यह बात सही नहीं है। तो जब यह संविधान प्रायः एक वर्ष से देश भर में लागू भी कर दिया गया है और हम बराबर इसे आजतक स्वीकार करते आये हैं तो आज एकाएक कौन सा आसमान फट गया, कहां का तूफान पैदा हो गया और कौन सी जमीन धंस गई है कि इतनी अवधि के उपरान्त डिमोक्रेसी (प्रजातंत्रवाद) की दुहाई उसके विरुद्ध देने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। अवश्यमेव उस संविधान के विरुद्ध जिसे हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं और न स्वयं हमारे सोशलिस्ट भाई श्री राजाराम जी ने इसी प्रश्न से सम्बन्धित धारा के विरुद्ध कोई आवाज इससे पहले उठाई। इसी प्रकार मैं अपने बुजुर्ग पालन जी और त्रिलोकी सिंह जी से पूछना चाहता हूं क्योंकि

जहां तक सुपरसेशन का सम्बन्ध है लखनऊ म्युनिसिपैलिटीज के सम्बन्ध में बारबार आवाज उठाई जा रही है कि यह बात क्या है, राजनीतिक तौर पर किसी बात को स्वीकार न करना यह तो माना जा सकता है लेकिन मैं चेयरमैन महोदय आपके द्वारा उनको बुजुर्गों के नाते उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस समय लखनऊ को म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड की गई थी क्या उस समय लखनऊ के रहने वाले आबाल–वृद्ध नर–नारी बच्चे–बूढ़े सब की सर्व–सम्मति यह पुरजोर आवाज नहीं थी कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का इंतजाम क़तई अच्छा नहीं है और फौरन म्युनिसिपैलिटी को सरकार संभाले? और क्या आप इस सब शामिल में नहीं थे?

एक सदस्य—क्या पब्लिक की राय ली गई थी?

श्री श्याम लाल वर्मा—उस समय के अखबारों को देख लीजिये, पब्लिक मीटिंग जो हुई उन्हें याद कीजिये और क्या इन्हीं कारणों से बाध्य होकर सरकार को इस लखनऊ की नगरपालिका को नहीं सुपरसीड करना पड़ा? इस प्रकार सरकार ने जनता की इच्छा के अनुकूल जो संविधान बना है उसकी भावनाओं के अनुरूप और इस धारा सभा द्वारा दिये गये अधिकारों के ही अनुसार जनता की इच्छा को पूरी किया गया। अब इसमें डिमोक्रेसी के खिलाफ क्या बात हो गई? यह सब अनर्गल प्रलाप है। दूसरी बात प्रोरोगेशन की कही गई थी उस सम्बन्ध में मैं यहां पर इस समय कोई विचार व्यक्त नहीं करना चाहता लेकिन सवाल यह है कि जब असेम्बली की बैठक बन्द थी और हम सब लोग अपनी २ कांस्टीट्–ट्युएंसीज में अपने–अपने कामों में लगे हुये थे और परिस्थितियां ऐसी थीं कि धारा सभा की बैठक बुलाने में समय लगता और बुलाने पर धारा सभा के सम्मुख सम्बन्धित आवश्यक संशोधनों के हेतु प्रस्तुत किये गये बिल पर विचार विनिमय तथा उसे पारित करने में भी और समय लगता वह कितना नहीं कहा जा सकता और इधर अवधि बीती जा रही थी। सम्बन्धित कानून की अवधि बीत जाने से क्या उलझनें और समस्यायें हमारे आपके सम्मुख आ खड़ी होतीं यह हम आप सहज ही समझ सकते हैं। इन सब कारणों से यह आर्डिनेंस लागू किया गया है और इसलिये लागू किया गया है कि जो लखनऊ के रहने वालों की मांग या अभिलाषा रही है उसको पूरा किया जाय तो इसमें कौन सी ऐसी अनहोनी बात है। यह बात कही जाती है कि जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड किया गया है उसी तरह यह आवाज भी उठाई जा सकती है कि गवर्नमेंट को भी सुपरसीड किया जाय। शास्त्री जी से मैं बड़े अदब से कहने के लिये तैयार हूं कि मैं इस बात पर सिद्धान्तः विश्वास करता हूं यदि हमारे देश की किसी राज्य की आम जनता एक कोने से दूसरे कोने की सर्वसम्मति होकर यह चाहती है और पुरजोर पुकार करती है कि सरकार बदल दी जाय तो उसकी ऐसी मांग तथा उत्कट भावना का आदर होना ही चाहिये और उस राज्य की सरकार को बदल देना या सुपरसीड कर देना भी आवश्यक होना ही चाहिये लेकिन जो शास्त्री जी हमारे माननीय मुख्य मंत्री का नाम लेकर कहते हैं कि लखनऊ में लोग चिल्लाते हैं कि सरकार को बदल दिया जाय यह कहना उनको शोभा नहीं देता इससे छोटा मुंह बड़ी बात वाली कहावत ही चरितार्थ होती है मैं शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी-अभी सूबे में जो उपचुनाव हुये उससे जो नतीजा निकला उसको क्या आप भूल गये? एक या दो व्यक्ति बिना उत्तरदायित्व को समझे किसी बात को चिल्ला दें उसके अनुसार काम किया जाय या जो आम जनता की राय है उसके मुताबिक़? जो चुनाव हुआ उससे यह साफ मालूम होता है कि जनता का बहुमत और आशीर्वाद और स्वयम् जनता भ हमारे साथ है और जनता की ही आज्ञा तथा इच्छानुसार हम यहां बैठे हुये हैं। इस पर भी बार–बार हमको चुनौती देना कि आप यहां पर क्यों बैठे हुये हैं और चूंकि हम इन सरकारी बेंचों पर बैठे हुये हैं, इसलिये कोई बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, यह बात तो हमारे तथा किसी के भी समझ में आने की तो नहीं है। अगर हमारे माननीय सदस्य राजाराम जी के दिमाग में ही कोई तूफान उन्हें चक्कर खिलाता रहता है तो इसके लिये हम लाचार हैं। दूसरी बात यह है कि अगर

[श्री श्यामलाल वर्मा]

अगर आज के दिन जनता की आम पुकार हो कि फलां-फलां म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड किया जाय और संविधान और इस-धारा सभा द्वारा भी प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जनता सुपरसेशन की आम पुकार तथा आदेशानुसार यदि किसी नगरपालिका का सुपरसेशन करते हैं तो अवश्य ही हम प्रजातंत्र के सिद्धान्त के अनुरूप ही कार्य करते हैं और इसी प्रकार जो कुछ भी किया गया है वह उन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है। इसलिये जो प्रस्ताव विरोधी दल के सदस्य ने पेश किया है उसको मुखालिफत करता हूं और आशा करता कि सदन के सदस्य इसको कभी भी पास नहीं होने देंगे।

श्री मुख्तार अहमद किदवाई—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर इस भवन में वादविवाद चल रहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। कोई भी संस्था जो जनता द्वारा चुनी गई हो उसको इस तरह से मुअत्तल करना, सुपरसीड करना, मैं उचित नहीं समझता और अगर उसकी बदइन्तजामी या अव्यवस्था की वजह से उसको सुपरसीड करना ही जरूरी है तो मैं इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि उसकी किसी कमेटी या उस संस्था की जगह एक आदमी या एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाय और वह जिस तरह से मनमाना करना चाहे करता चला जाय।

यह तस्वीर हमारे सामने लगी हुई है जिसने अपने जीवनकाल में उत्तम शासन की परिभाषा करते हुये कहा था "the best Government is that which governs the least (सब से अच्छी सरकार वह है जो कम से कम हुकूमत करे) लेकिन आज आप उनका नाम लेकर उसके बिलकुल विपरीत किये जा रहे हैं। the best Government is that which governs the most" (सबसे अच्छी सरकार वह है जो अधिक से अधिक शासन करे) अगर आप इस भवन में बैठे हुये यह समझते हैं कि आप इस पार्लियामेंटरी संस्था के नुमाइन्दे हैं और जनता ने आपको वोट देकर यहां पर बिठाया है तो मैं समझता हूं कि चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो या ग्राम सभा हो वह अपनी सीमा के अंदर, अपने क्षेत्र के अन्दर बिल्कुल उसी तरह के अख्तियार रखते हैं। अगर यह भवन जब्त नहीं किया जा सकता है तो मैं समझता हूं कि वह संस्थायें भी जो जनता द्वारा मनोनीत की गई हैं उनको जब्त करना या मुअत्तिल करना मुनासिब नहीं है।

अभी यहां पर हमारे लीडर श्री राजारामजी शास्त्री के बारे में यह जिक्र किया गया है कि जिस समय कांस्टीट्यूशन मंजूर हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने कांस्टीट्यूशन में अपनी मंजूरी कभी नहीं दी और कभी भी हमारे मेम्बर ने इसको स्वीकार नहीं किया। यह हो सकता है कि कुप्रबन्ध की वजह से, कुव्यवस्था के कारण आप किसी संस्था को मुअत्तिल करें या जब्त करें लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब्त करने या सुपरसीड करने की जो आदत पड़ती है वह चाहे कितनी मामूली चीज क्यों न मालूम पड़ती हो लेकिन जब आप सुपरसीड बार-बार करते हैं तो सुपरसीड करने की आदत पड़ जाती है और फिर वह आदत करैक्टर बन जाती है। जब हुकूमत का यह करैक्टर हो जाय कि जनता के अधिकारों का अपहरण करने लगे तो कैसा शासन हो सकता है, कैसा प्रबन्ध हो सकता है, इसको आप खुद ही समझ लीजिये। यह चीज नहीं होनी चाहिये। इसके बारे में मुझे एक मिसाल याद आती है। किसी बुढ़िया के एक लड़का था। उसने बचपन में एक छोटी सी चीज चुराई तो उस बुढ़िया ने शाबाशी दी और कहा कि तूने ठीक काम किया। लेकिन जब उसकी बुरी आदत पड़ी और वह डकैती करने लगा तथा जब डकैती के सिलसिले में उसको लम्बी सजा मिली तो उसने कहा कि यह सजा तो मेरी मां को मिलनी चाहिये, क्योंकि जब मैंने बचपन में एक मामूली चीज चुराई थी तो इसने मुझे टोका नहीं था। इसलिये मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। इसी तरह अगर आप एक चीज कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हाउस को अधिकार है और

अधिकार ही नहीं बल्कि उसका कर्त्तव्य है कि उस पर आपको टोंके कि यह मामूली चीज कहीं आगे चलकर खतरनाक न बन जाय। इसे आपको समझना चाहिये और सोचना चाहिये।

आज कहा यह जाता है कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का इंतजाम बहुत खराब है और उसकी बदइन्तजामी की वजह से ही उसको सुपरसीड किया गया है। मुझे म्युनिसिपैलिटीज की मिसालें मालूम हैं। मैं हाउस के सामने जिला फैजाबाद की टांडा म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण रखना चाहता हूं। जिस वक्त वह सुपरसीड की गई है तो देखा जाय कि उससे दो–तीन टर्म पहले कैसा प्रबन्ध हो रहा था और जब वह जब्त हुई है उस वक्त कैसा प्रबन्ध था और इस वक्त जो ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है उससे पहिले कि पहिले का इन्तजाम अच्छा था या इस समय का इन्तजाम अच्छा है। जब से वह काम कर रहे हैं मेरे पास दरख्वास्तें आई हैं वहां के कर्मचारियों की, अध्यापकों की, पानी पिलाने वालों की और चपरासियों की। उन्होंने उनकी शिकायत की है कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है। अध्यापकों ने यह दरख्वास्त दी है कि हमारी तनख्वाह में से अप्रैल के महीने में ड्रामा करने के लिये चंदे की रकम काटी गई है लेकिन नवम्बर के आखिर तक ड्रामा नहीं किया गया। जब अध्यापकों में कानाफूसी शुरू हुई कि हम से रुपया ले लिया गया है और अभी तक ड्रामा नहीं किया गया है। तब कहीं एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कमेटी बुलाई और कहा कि ड्रामा हो जाना चाहिये।

लेकिन जब इंटर कालेज टांडा में सिल्वर जुबिली मनाई गयी तो उस ड्रामे के सिलसिले में एक ड्रामा कर दिया गया। दरख्वास्तों की जांच हुई। क्या नतीजा निकला मैं नहीं बतला सकता। लेकिन सुनने में आया कि हाकिम तहसील साहब गये थे। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि माफी मांग लो और कह दो कि यह आसाम फंड में चंदा दे दिया है। आप देखेंगे यदि एक जगह आपको बदइंतजामी की मिसाल मिलेगी तो दूसरी जगह केवल दलबन्दी की वजह से सुपरसीड (अवक्रांत) किया गया। मैं तो यह समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की तबियत के मुताबिक वहां काम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसे जब्त करा देना चाहिये। हमारी हुकूमत है कोई क्या कर सकता है। अगर तहकीकात कराई जाय तो आपको साफ–साफ इसका पता चल सकता है। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिसे आप मामूली चीज समझते हैं वह मामूली चीज नहीं है, यह खुली हुई चीज है कि इसी तरह से सन् १७ में डिक्टेटरशिप आफ प्रोलेटेरियट रूस में कायम हुई थी। उन्होंने कहा था कि संक्रान्ति काल है, हमें विशेष अधिकार मिलने चाहिये। जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो डिक्टेटरशिप खत्म हो जायगी लेकिन ३३ साल गुजर गये, डिक्टेटरशिप उसी प्रकार आज भी मौजूद है। अखबारों से मालूम होता है कि उसमें कमी नहीं बल्कि पहले से और मजबूत होती चली जा रही है। मैं यह समझता हूं कि इस तरह से मामूली २ चीजों को नजरअन्दाज करने से आप अनुमान कीजिये कि आइन्दा क्या होने वाला है। यह बात हर व्यक्ति सोच सकता है। अगर हम अल्पमत में हैं और सही चीज आपके सामने रख रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि उसें आप देखें और सुनें कि हम वास्तव में सही–चीज कह रहे हैं या नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सबसे बहादुर इंसान वही है कि जब उसकी गलती उसके सामने आ जाय तो उसे सहर्ष स्वीकार कर ले कि मैंने गलती की और मैं उस रास्ते से बाज आ गया। जब हम उनका नाम लेते हैं और सब कुछ उन्हीं के नाम पर कर भी रहे हैं ऐसी परिस्थिति में आपको अतनी गलतियों का पता चल जाता है तो आप उस पर क्यों आग्रह करते हैं कि यह चीज पेश कर दी इसलिए वह अवश्य स्वीकृत हो जानी चाहिये। हो सकता है कि आपका बहुमत है, आप उसे पास करा लें लेकिन मैं यह समझता हूं कि वह कोई मुनासिब चीज नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राममूर्ति--मैं अनुमति चाहता हूं कि प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाय।

अस्थायी सभापति--मैं अनुमति देता हूं।

श्री राममूर्ति--मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर अब बहस बंद की जाय।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि प्रश्न रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--५१

अचल सिंह, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
खुशीराम, श्री
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
परागीलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
बदन सिंह, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मसुरिया दीन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लोटन राम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
वीरबल सिंह, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

विपक्ष में--२५

अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
एजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
खुशवक्त राय, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
मुख्तार अहमद क़िदवाई, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री

मुहम्मद एवज़, श्री
मुहम्मद रज़ा खां, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री

श्री श्रीचन्द सिंघल—सभापति जी, सब से पहले मैं अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत ही योग्यता के साथ मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। मुझे दुख है कि गवर्नमेंट की साइड से कोई ज्यादा सदस्य नहीं बोले और न इस मामले पर कोई रोशनी डाल सके और जो बोले भी उनके भाषण से यह पता चलता था कि उनका दिल हमारी तरफ है और बातें वह उस तरफ की कह रहे हैं। मंत्री महोदय के भाषण से भी यह जाहिर हुआ कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी में उनकी राय थी वह उनकी राय अब भी है और अब भी वह सुपरसेशन के खिलाफ हैं। उनका दिल इस प्रस्ताव की तरफ था लेकिन परिस्थितियां ऐसी दीखती हैं जिनके कारण दिल प्रस्ताव की तरफ होने पर भी उन्हें विरोध करना पड़ रहा है। उन्होंने विरोध में जो बातें कहीं उनसे मुझे संतोष नहीं हुआ। श्री त्रिलोकी सिंह जी हमारे नेता हैं उन्होंने प्रोरोगेशन का सवाल उठाया था कि यह गैरकानूनी है। खेर साहब के भाषण से ऐसा मालूम हुआ कि या तो उन्होंने श्री त्रिलोकी सिंह की स्पीच को सुना नहीं था या वह जवाब देने में योग्यता नहीं दिखा सके। सरकार को चाहिए कि ऐडवोकेट जेनरल ने या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो उनको सलाह दी है उसको पूरे तौर से भवन के सामने रखें या एडवोकेट जनरल को असेम्बली में बुलाकर उनसे हमारे संशय को दूर करावे लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि राष्ट्रपति से प्रार्थना की जाय कि वह इस मसले को सुप्रीम कोर्ट को देकर वहां से रूलिंग हासिल करें।

हमारे माननीय मंत्री ने बताया कि यह कानून सन् १९१९ में बना था और जबसे बराबर चुंगियों का सुपरसेशन होता रहा है। मुझे अफसोस है कि हमारे मंत्री जी ने उदाहरण भी उस समय का दिया जबकि हम लोग गुलाम थे यह कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको होशियार बनाने के लिए या डेमोक्रेसी सिखाने के लिए नहीं बनाया था उनको तो यह साबित करना था कि हिन्दुस्तानी निकम्मे हैं और वह प्रजातंत्र चलाने योग्य नहीं हैं। ऐसी बातें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें मूर्ख साबित करने के लिए रखी थीं उनका अब उपयोग करना मैं समझता हूं कि हमें शोभा नहीं देता। अगर यह अच्छी चीज होती तो शायद इंगलैंड में जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट हैं जिसको वहां लोकल ऐक्ट कहते हैं उसमें भी यह क्लाज़ जरूर होता। मेरी समझ में नहीं आता कि इस आर्डिनेंस को लाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। आर्डिनेंस तो कोई सरकार सिर्फ एमरजेंसी के वक्त में ही ला सकती है, क्या एमरजेंसी और क्या कैलेमिटी आ गयी और क्या दिक्कत और परेशानी थी कि आपको इसकी जरूरत हुई। यह भी मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया कि जनता क्या चाहती थी। मिनिस्टर साहब ने एक बात और कही कि जब म्युनिसिपल ऐक्ट का पार साल संशोधन हुआ तो हमने उस धारा का बिलकुल विरोध नहीं किया। मुझे दुख है कि मंत्री महोदय को यह बात मालूम होगी कि हम उन दिनों कांग्रेस पार्टी में थे और हमारी वही हालत थी कि जैसी गुलाम की हालत होती है। एडमण्ड बर्क ने बताया है कि पार्टी किसे कहते हैं—

"Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest based upon some particular principle on which they are all agreed."

(दल ऐसे मनुष्यों का निकाय है जो अपने सर्वसम्मत सिद्धांत के आधार पर आश्रित राष्ट्रीय हित की उन्नति, अपने संयुक्त प्रयत्नों द्वारा करने के लिए संयुक्त हों।)

[श्री श्रीचन्द सिंघल]

मुझे दुःख है कि एडवर्ड बर्क ने जो चीज बतलायी उसकी हमारे यहां बिलकुल अवहेलना होती है। हमारी स्थिति तो ऐसी थी :—that we were slaves and our leader was slave master. He never tried to become master of free thinkers. (कि हम दास थे और हमारा नेता दासों का अधिपति था, उसने कभी स्वतंत्र विचारवान व्यक्तियों का अधिपति बनने का प्रयत्न नहीं किया)।

"Our leader is never the master of thinkers; our leader is the first among equals."

(हमारा नेता विचारवान व्यक्तियों का अधिपति नहीं है, हमारा नेता समान व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति है।)

यह सिद्धांत कभी भी हमारे नेता ने मंजूर नहीं किया कि आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट ने अपनी शिकायतें भेजीं उसके ऊपर हमारे नेताओं को इतना गुस्सा आया कि उनके उस गुस्से की बाढ़ में हम लोग वहां से बढ़ कर यहां आ गए और जितने ऐंकर थे वे सब टूट गए और मैं तो यह कहूंगा कि जो ऐंकर हमको रोके हुए थे उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का कार्य किया। आपही बतलाइए कि ऐसी हालत में हम क्या राय दे सकते थे।

"I always voted at my party's whip and I never thought of thinking for myself."

(मैंने सर्वदा अपने दल के वोटसंचालक के आदेशानुसार वोट दिया और कभी स्वयं विचार करने की नहीं सोची।)

मुझे एक बात का और दुःख है। मैंने कई प्वाइंट उठाए लेकिन हमारे मंत्री जी ने उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया, या तो वह जवाब देने के योग्य नहीं थे या मेरी बात से सहमत थे। इसके बाद मेरी हाउस से यही प्रार्थना है कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे। कांग्रेस पार्टी के या गवर्नमेंट पार्टी के भी एक-दो साहब बोले और वे भी मेरे प्रस्ताव के पक्ष ही में बोले। मैं समझता हूं कि सब सदस्य मेरे प्रस्ताव के पक्ष में ही राय देंगे।

(माननीय श्री गोविंद वल्लभ पन्त बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री श्रीचन्द सिंघल—मुझे एक वैधानिक आपत्ति है कि क्या मेरे जवाब देने के बाद भी प्रस्ताव पर भाषण हो सकते हैं?

माननीय श्री गोविंद वल्लभ पंत—गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बोल सकता है।

श्री श्रीचन्द सिंघल—नहीं साहब, खैर साहब बोल चुके। क्या कोई ऐसा नियम है कि बहस खत्म होने पर अब मुख्य मंत्री बोल सकें?

अस्थायी सभापति—प्रश्न का उत्तर देने के बाद वही मंत्री बोल सकता है जिनके मुहकमे से इस प्रस्ताव का संबंध है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं श्रीमान् की आज्ञा से श्रीमान् की . . .

(विरोधी दल की ओर से आवाजें)

"I have been permitted by the Hon'ble Chairman to have my say."

(माननीय सभापति ने मुझे अपनी बात कहने की अनुज्ञा दे दी है।)

श्रीमान् की आज्ञा से मैं श्रीमान् की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि "मिनिस्टर" की डेफिनीशन पेज २ पर दी हुई है।

"Minister" means a member of the Council of Ministers and includes any member to whom such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules."

It includes any Minister of the Cabinet and therefore the Hon'ble the Chief Minister is entitled to speak."

["मिनिस्टर (मंत्री)" का अर्थ है मंत्रिमंडल का सदस्य और इस अर्थ में वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसको ऐसा मंत्री कोई ऐसा कार्य दे दे जो उसको इन नियमों के अन्तर्गत दिया गया हो।

इस अर्थ में मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री सम्मिलित है और इसलिए माननीय मुख्य मंत्री को बोलने का अधिकार है।]

अस्थायी सभापति—यदि माननीय स्वशासन मंत्री अपना अधिकार माननीय मुख्य मंत्री को देते हों तो माननीय मुख्य मंत्री उसका जवाब दे दें।

माननीय श्री आत्माराम गोविंद खेर—जी हां, जो मेरा अधिकार इस बारे में बोलने का है वह मैं माननीय मुख्य मंत्री को दे रहा हूं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह डिबेट खत्म हो चुकी और कायदा यह है कि जो रिज़ोल्यूशन मूव करता है उसके बीच में जो मंत्री चाहें उनको अख्तियार था कि वह बोलते। लेकिन जब क्लोजर मूव हो गया और जवाब हो चुका उसके बाद किसी भी मंत्री को, चाहे वह मिनिस्टर इंचार्ज हों या कोई भी हों, बोलने का अख्तियार नहीं है। बीच में मुख्य मंत्री बोलना चाहें या कोई और मंत्री बोलना चाहें, उनको पूरा अख्तियार था बोलने का। लेकिन रिप्लाई के बाद फाइनल से (उत्तर) उसका होता है जो वह रिज्योल्यूशन मूव करता है यह दुनिया का कायदा नहीं है कि फाइनल (उत्तर) के बाद फिर जवाब दिया जाय और आपकी रूलिंग के बाद और भी यह है कि डेलीगेशन आफ पावर हो और बोला जाय, मेरी समझ में नहीं आता है कि यह कौन सी नयी रीति बरती जा रही है।

अस्थायी सभापति—माननीय माल मंत्री ने जिस नियम का हवाला दिया है उसकी रू से माननीय मुख्य मंत्री बोल सकते हैं।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत—चूंकि अपोजिशन को यह कुछ पसंद नहीं है कि मैं बोलूं लिहाजा मैं अपने ही दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि वह जवाब दें।

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव के संबंध में जब मैंने इसके विषय में अपना विरोध पेश किया करीब-करीब सभी बातों का मैं जवाब दे चुका था। मैंने बहस के दरमियान में कोई नयी बात जिसका जवाब मुझे देना हो नहीं सुनी। सिर्फ एक बात के ऊपर बार-बार जोर दिया गया और वह यह कि मैंने अपने भाषण में यह बात नहीं कही कि ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके कारण कि आर्डिनेंस निकालने की आवश्यकता हुई, जिसके कारण सुपरसेशन को और भी जारी रखना गवर्नमेंट ने वाजिब समझा। मैं इस भवन के सदस्यों की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का सुपरसेशन हुआ उस वक्त गवर्नमेंट ने एक कम्यूनिक निकाला था और उसमें सब वजूहात दे दी गयी थीं। चूंकि प्रस्तावक ने उस वक्त यह बात पूछी नहीं इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत से लोग जानना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भवन के सदस्यों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का इन्तजाम किस कदर खराब था। जहाँ आप यहां से बाहर निकलते थे, हर जगह सड़कों पर गड्ढे थे, ठोकरें लगती थीं, लोग गिरते थे। हर गली में जहां देखिए गन्दगी थी और यहां का जो अन्दरूनी इंतजाम था उसमें बहुत रुपया बरबाद होता था। पुरानी सरकार के समय में इसके लिए एक कमेटी भी बैठी थी और उसने यह कहा था कि यहां की म्युनिसिपैलिटी काम नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी जब यह आपकी जिम्मेदार सरकार आयी, जोकि एक जिम्मेदार सरकार है, उसने उस म्युनिसिपैलिटी को काफी मौका दिया। एक दफा एक नोटिस दी गयी और उन्होंने यह जवाब दिया कि वह सुधार करेंगे, तो वह नोटिस खारिज

[माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

कर दी गयी। इस प्रकार उनको मौका दिया गया, यह बात नहीं है कि जल्दी से सुपरसेशन कर दिया गया हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दल का जो सिद्धांत है कि सुपरसेशन कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस सिद्धांत से हमारी राय भी मिलती है और यही कारण है कि हमने बार-बार सुपरसेशन एवायड करने की कोशिश की। ११३ म्युनिसिपैलिटीज आज मौजूद हैं और मैं यह कह सकता हूं कि मेरे पास करीब २०-२५ म्युनिसिपैलिटीज के विषय में शिकायतें मौजूद हैं और वहां के लोगों का बार-बार यह तकाजा होता रहता है कि उनको सुपरसीड किया जाय लेकिन हमारा पहला काम यह रहता है कि उनकी जो शिकायतें हों उनके ऊपर इंक्वायरी करायें, उनको सख्ती के साथ तम्बीह करें कि तुम अपना सुधार करो। इस तरह बुराइयां होते हुए भी हम म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स के द्वारा ही म्युनिसिपैलिटी को चलाने का मौका देते हैं। दो-चार म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जिनको हमने इस दरमियान में सुपरसीड किया है। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारा सिद्धांत यह नहीं है कि अगर एक म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया तो सब को सुपरसीड करते चले जायं। लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी हमने यही सिद्धांत अपनाया था, और इसीलिए मेरे ऊपर तरह तरह के हमले इस बारे में हुए थे और कारटून भी निकले थे। यहां एक अखबार के कारटून में यह निकाला गया था कि मैं एक म्युनिसिपैलिटी के दरवाजे पर खड़ा हूं और यह कह रहा हूं कि अब तुम फिर ठोकर मार करके घुस सकते हो और नोटिस को विदड्रा कर लिया जायगा। तो लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी से सब दल के लोग आजिज आ गए थे और सब दल के पेपर्स में यह चर्चा थी कि इस म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करके गवर्नमेंट इंतजाम ठीक करे क्योंकि यह राजधानी का शहर है। मैं आपको पंडित जवाहर लाल नेहरू के उस भाषण के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया कि न्यू डेल्ही स्पेशल पोजीशन रखता है और उसके लिए खासतौर से अलग म्युनिसिपैलिटी रहेगी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि हर स्टेट में जो राजधानी का स्थान होता है उसके विषय में विशेष जिम्मेदारी सरकार की रहती है। अगर उसमें खराबियां हों, दुरुस्त होने का कोई रास्ता दिखलायी न दे और सुपरसेशन के लिए जनता की मांग हो, तो उस हालत में सुपरसेशन करना सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। अगर सुपरसेशन की मियाद एक साल के लिए बढ़ानी होती थी, तो अभी तक रवैया यही चला आता था कि १९१६ के ऐक्ट के मुताबिक वह मियाद बढ़ा दी जाती थी। १९४९ में भी जो कानून पास हुआ था उसमें भी वही शब्दावली है। इसके अलावा जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अनुसार भी यही समझा जाता था कि सुपरसेशन की मियाद के घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार को है और इसी के अनुसार बराबर १९१६ से लेकर आज तक कार्य होता चला आया है। पहले जब लखनऊ की म्युनिसिपैलिटी के सुपरसेशन (अव हमग) का पीरियड हमने एक साल के लिए एक्सटेंड किया, उस वक्त किसी ने कोई एतराज नहीं किया, दुबारा जब फिर एक्सटेंशन का मौका आया तो जो हमारे कानूनी सलाहकार हैं उनके दिमाग में यह बात आयी . . .

(इस समय ३ बजकर ३५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

कि एक्सटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब यह चीज हमारी नजर में आई तो मैंने कहा कि हम एसेम्बली के सामने यह पोजीशन रक्खेंगे और एक बिल लाकर साफ कर लेंगे। लेकिन इस बीच में जो चर्चा अखबारों में विरोधी दल की तरफ से हुई उसमें धमकियां दी गयीं कि मुकद्दमेबाजी होगी। २२, २३ तारीख तक उसकी मियाद थी। उस वक्त असेम्बली भी मौजूद नहीं थी। ऐसे मौके पर यह लाजिमी हो गया हमारे लिए

कि या तो हम म्युनिसिपैलिटी के इंतजाम से हाथ खींच लेते और सिविल कोर्ट में मुकद्दम जाते और उसमें पबलिक का नुकसान होता, या पुराना तरीका जो चला आ रहा था उसको वलिडेट कर देते, जैसा कि वैलिडेशन का तरीका इंगलैन्ड में भी ह जिसकी मैं पचासों मिसाल दे सकता हूं। एक काम जो कानून के मातहत चल रहा था और उसमें नुकसान पाया गया तो उसको वैलिडेट कर देते थे। मेरे पास मैरेजेज के केसेज हैं कि जो मैरेजेज होकर इल्लीगल साबित हो जाती थी लेकिन मैरेजेज हो जाने के बाद यह समझा गया कि उनको वैलिडेट करना लाजिमी है तो मैरेजेज के कानून में फर्क किया गया कि जिस वक्त से यह कानून पास हुआ उसके मातहत यह समझा गया और वह मैरेजेज वैलिडेट की गयीं। इसी तरह से बड़ी-बड़ी सिक्योरिटीज का सवाल है। वह ऐक्ट सन् ४० में पास हुआ। उसमें मौरगेजेज की सिक्योरिटीज का सवाल था कि उसमें बड़े-बड़े ट्रांजक्शंस होते थे जोकि कानून के हिसाब से नहीं आना चाहिए था। तब कानून बन गया कि मारगेजेज भी सिक्योरिटीज में आएं और जितने मारगेजेज सिक्योरिटीज में कायम किए गए वह वैलिडेट किए गए। इस तरह से बहुत से कानून के जो नुक्स पैदा हो जाते हैं आर्डिनेंस लाने में तो जितने काम पहले हो जाते हैं तो यह लाजिमी हो जाता है कि उनको वैलिडेट करें। अगर असेम्बली उस वक्त मौजूद हो, कौंसिल मौजूद हो तो तत्काल वह वहां पेश हो जाते हैं। इस बीच में बहुत से मुकद्दमात पेश हो सकते हैं, सिविल कोर्ट में बहुत सा पबलिक का रुपया खर्च हो सकता है। ऐसी इमरजेंसी होने से इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। २१३ में यह बिलकुल स्पष्ट है कि एक हाउस अगर प्रोरोग किया जा सकता है और १७६ के हिसाब से भी जैसा कि मेरे दोस्त मौर्य जी ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि एक हाउस को भी और हाउसेज को भी प्रोरोग कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नर एक हाउस को प्रोरोग करने के बाद बुला सकता है, औरों को भी बुला सकता है। २१३ में दिया हुआ है कि दोनों हाउसेज अगर सेशन में न हों तो एक हाउस में लाया जा सकता है तो आर्डिनेंस लाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। अगर आप १७४, १७५, १७६ को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि एक हाउस भी प्रोरोग हो सकता है। इंग्लैन्ड की नजीर यहां लागू नहीं होती, क्योंकि इंग्लैन्ड की नजीर होते हुए भी यह संविधान बनाया गया, इसलिए यह समझ कर भी फर्क किया गया कि एक हाउस भी प्रोरोग किया जा सकता है। यहां पर यह भी कहा गया कि गैग करने की पालिसी बरती गयी इस वजह से लोगों ने उसके ऊपर एतराज नहीं किया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं और उसका जवाब भी दे दिया गया कि पार्टी में गैग करने का कोई सवाल नहीं था। उस वक्त भी जाने दीजिए लेकिन जिस वक्त धारा २३ इस हाउस में पेश हुई उस वक्त तो गैग नहीं किया गया, उनकी जबानें तो खुली हुई थीं। राजाराम जी शास्त्री और और लोग क्यों उस वक्त खामोश रहे। उस दिन की प्रोसीडिंग्स मेरे सामने मौजूद हैं। जिस समय धारा ३० पास हुई तो उसमें लिखा है कि यह प्रस्ताव हुआ कि मूल ऐक्ट की धारा ३० के अन्दर निम्नलिखित धारा २३ रखी जाय। उसमें कोई भी संशोधन पेश नहीं हुआ, बल्कि माननीय स्पीकर ने कहा कि धारा २३ इस बिल का अंश मानी जाय। प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि भवन के किसी सदस्य ने इस दफा को इस शक्ल में पास न होना चाहिए इसके लिए जरा भी नुक्ताचीनी नहीं की। औरों में तो शब्दों का फर्क भी करने का प्रयत्न किया गया परन्तु इसमें कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इससे स्पष्ट यह है कि जनता की सच्ची राय, जो इस भवन की राय है क्योंकि जनता के सब प्रतिनिधि हैं, हमको आप कह सकते हैं कि एक पार्टी के हैं लेकिन पूरे भवन की यह राय थी की सुपरसेशन का अधिकार सरकार को देना चाहिए उस सुपरसेशन में यह जरूर है कि नियंत्रण होना चाहिए। उस नियंत्रण का हमने पालन किया है। उस बुनियाद पर आप हमला कर सकते हैं। लेकिन उसका मैंने जवाब दे दिया कि हमने बराबर नियंत्रण से काम किया। जब हम लाचार हो गए तब हमने म्युनिसिपैलिटियों को सुपरसीड किया। लेकिन मेरे पास जैसा कि मैंने कहा बोस-

[श्री आत्माराम गोविन्द खेर]

पच्चीस म्युनिसिपैलिटियों के बारे में तकाजा है। लेकिन नहीं करता हूं। बराबर दूसरे प्रयत्न करते हैं, जैसाकि दफा ३४ के बारे में जिक्र किया गया उसका भी इस्तेमाल हुआ और दफाओं को भी इस्तेमाल करके उनमें सुधार करने का प्रयत्न किया गया।

मैं समझता हूं कि इन सब बातों के बाद यह भवन यह समझेगा कि इस तरह का कानून बनाना इस मौके पर आवश्यक था जिस वक्त सुपरसेशन की मियाद खत्म हो रही थी, कानून बनाने का वक्त नहीं था, गवर्नर को कानूनी अधिकार मौजूद था उस अधिकार को इस्तेमाल करके जो कार्यवाही हुई है वह ठीक हुई है। इसलिए यह भवन इस प्रस्ताव का विरोध करेगा।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन हाल ही के अध्यादेश के प्रख्यापन का अनुशोच करता है जिसने सरकार को नगरपालिका के दमन काल के विस्तार का अधिकार दिया है और इस अध्यादेश का अनुमोदन करता है, क्योंकि यह स्वशासन के सद्धांत का ही मूलोच्छेद कर देता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं लिखित विभाजन चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—इसका अधिकार तो मेरा है। मैं सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि वह केवल विभाजन चाहा करें। विभाजन लिखित हो या हाथ उठा कर इस बात का जैसा मौका होगा वैसा मैं खुद निर्णय करूंगा। आप केवल विभाजन मांग लें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ)—

पक्ष में—२५

अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
ऐजाज रसूल, श्री
खुशवक्तराय, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपालनारायण सक्सेना, श्री
चेतराम, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुहम्मद उबेदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सुरेन्द्रबहादुर सिंह, श्री

विपक्ष में—६७

अचल सिंह, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इतिजा हुसैन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
खूबीराम, श्री
गोविन्द वल्लभ पंत, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चरण सिंह, श्री

जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
परागीलाल, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमलाल वैद्य, श्री
बदन सिंह, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मसुरियादीन, श्री
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अवमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लाखनदास जाटव, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लोटनराम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेई, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री

कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (वैलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस, १९५० के संबंध में प्रस्ताव

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय अध्यक्ष..........

माननीय अध्यक्ष—कबल इसके कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को पेश करें, मैं यह कह देना जरूरी समझता हूं कि अभी दूसरे प्रस्ताव के सिलसिले में बहुत सी बातें जो कानूनी वगैरह हैं वे कह दी गयी हैं। ज्यादा बेहतर हो कि जो नई बात हो वह वह कहें। दोनों आर्डिनेंस में कानूनी बातें एक ही हैं, इसलिए माननीय सदस्य एहतियात रखें कि जो कह दिया गया है उसे न दुहरावें।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं: "विधान सभा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश" की कानपुर अर्बन एरिया डेवेलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) (वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आर्डिनेंस, १९५० "को प्रतिनिन्दित करती है।" अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने आदेश दिया है, उस सवाल को इसमें मैं नहीं उठाना चाहता कि जो प्रोरोगेशन हुआ था वह सही था या गलत था। उस बहस को इस प्रस्ताव के बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहता। मैं इस डेवलपमेंट बोर्ड का जिसके लिए राज्यपाल को यह आर्डिनेंस जारी करना पड़ा, थोड़ा सा इतिहास आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूं। सन् १९४५ ई० में गवर्नमेंट ऐक्ट द्वारा यह बोर्ड

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

स्थापित हुआ था। सन् ४७ में एक आर्डिनेंस जारी किया गया था, क्योंकि तादाद ८ से १६ कर दी गई, इसलिए आर्डिनेंस बनाना पड़ा और जारी किया गया। उसके बाद सन् ४८ में एक अमेंडिंग बिल आया जो कि पास हो गया। अमेंडिंग बिल में यह साफ तरीके से दर्ज था कि इसका निफाज उस वक्त से होगा जबकि नोटीफिकेशन हो जायगा। वह नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस वजह से उस त्रुटि को दूर करने के लिए यह आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। सन् ४८ में अमेंडिंग ऐक्ट पास हुआ था और आज सन् ५० है, दो वर्ष में यह भूल क्यों नहीं दरियाफ्त की गई, इसमें किसकी गलती है और उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई, इसकी अब तक कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने सुना है कि शायद मुख्य मंत्री ने तो यह कहा कि इस गलती के लिए हमें किसी न किसी को सजा जरूर देनी होगी। लेकिन हमें अब तक यह नहीं मालूम हुआ कि तहकीकात हुई या नहीं और अगर तहकीकात हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ और जिसकी वजह से आर्डिनेंस की जरूरत पड़ी उस आदमी को क्या सजा दी गयी। यह कह देने से कि यह एक क्लरिकल एरर की वजह से आर्डिनेंस पास करना पड़ा। मैं तो उस बुनियादी चीज के खिलाफ हूं जरा-जरा-सी बात पर आर्डिनेंस पास करना पड़े, इतनी इनएफ़िशिएंट आपकी मशीनरी हो जाय कि सरकार को यह बुरा तरीका आर्डिनेंस जारी करने का हासिल करना पड़े। यह कितनी गैरमुनासिब बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर्चे किसी दूसरे मुल्क में इस तरीके का हादसा पेश आया होता जिसे हमारी सरकार बड़ी आसानी से कहती है कि क्लरिकल मिस्टेक है। मैं समझता हूं कि वहां का मिनिस्टर इंचार्ज इस्तीफा दे देता। क्या यह उसका फर्ज नहीं है कि वह देखे कि विधान सभा से जो ऐक्ट पास होता है उसका अमल दरामद हुआ या नहीं। दो दो वर्ष तक यह नहीं मालूम हुआ कि नोटीफिकेशन जो पास किया गया है उसका अमल दरामद किया गया या नहीं।

मेरा ख्याल यह है कि या तो मेरे मित्र श्री खुशवक्त राय ने जब चर्चा की तो उस वक्त सरकार का ध्यान इस तरफ गया या ऐसा भी मेरे सुनने में आया है। मैं नहीं समझता कि वह कहां तक सही है या गलत है। बीच में लोगों को ध्यान आया कि यह चीज गलत हो रही है। लेकिन इसलिए कि कहीं बदनामी न हो जाय और उसको छिपाने के लिए बैठे रहे। जब विरोधी दल के मेम्बरों को पता चल गया कि सरकार इस कदर गैरजिम्मेदारी से काम कर रही है और यह नहीं समझती कि इसकी वजह से लाखों रुपया इल्लीगली खर्च हो रहा है। ८ मेम्बर के बजाय १६ मेम्बर हो गए। जितना कानपुर अरबन एरिया डेवेलपमेंट बोर्ड ने खर्च किया है वह गलत है। जिस वक्त से नोटीफिकेशन गजट में हुआ उस वक्त से जितना खर्चा हुआ है वह सब गलत हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, सोचने की बात है। यह तो कहिए कि हमारे मित्र ने अखबार में निकाला और गवर्नमेंट को अवसर मिल गया कि वह आर्डिनेंस निकाल दे। अगर्चे कोई कानपुर का रहने वाला इस आर्डिनेंस के निकलने के पहिले डेवलपमेंट बोर्ड पर दावा कर देता तो कौन जिम्मेदार होता। गवर्नमेंट इस तरीके से इनएफ़िशिएंसी वर्क करे और कहा यह जाय कि क्लर्क ने गलती कर दी और इस तरीके से आर्डिनेंस जारी करना पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई अनुचित चीज नहीं हो सकती है। हमको कम से कम मालूम तो होना चाहिए। मैं अब कहता हूं कि अब तक अगर नहीं बतलाया गया तो न सही, लेकिन अब तो हमको बतलाया जाय कि इसका जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से आर्डिनेंस जारी करना पड़ा, क्योंकि मैं बुनियादी तरीके से कहता हूं कि जरा जरा सी गलती के ऊपर आर्डिनेंस जारी करना पड़ जाय तो वह वर्किंग गवर्नमेंट कहलाने के काबिल नहीं है जिसमें इस तरीके से गलती हो। जवाब देते वक्त हमें यह तो मालूम हो जाय कि इस मसले में क्या तहकीकात हुई और उसका क्या

नतीजा हुआ और किसको सजा दी गयी। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया मैं यह समझता था कि मिनिस्टर इंचार्ज को खुद ब खुद महसूस करना चाहिए कि इतनी बड़ी भूल हो जिसकी वजह से आर्डिनेंस पास करना पड़े तो खुद उसको मुस्तइफी हो जाना चाहिए। लेकिन मालूम यह होता है कोई मामूली सी चीज हो गयी तो आर्डीनेंस जारी कर दिया। जिस वक्त गलती मालूम हो जाया करेगी तो आर्डिनेंस जारी कर दिया करेंगे। लेकिन इस बात को भी गवर्नमेंट को मद्दे नजर रखना चाहिए कि अगर कोई कानपुर का बाशिन्दा अदालत में मुकद्दमा दायर कर देता तो नुकसान जितना होता जो लाखों रुपया नाजायज खर्च हो रहा है उस पर अगर अदालत में सवाल उठा दिया जाता तो क्या होता। अगर मुकद्दमा अदालत में होता तो सरकार को आर्डिनेंस निकालने में दुश्वारी होती और सरकार नहीं निकाल सकती थी। तब क्या करें। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होता। इन नुक्तेनजर से मैं इसकी सख्त निन्दा करता हूं। यह जो आर्डिनेंस इस भूल की वजह से निकाला गया मैं अब भी चाहूंगा कि इसमें क्या कार्यवाही हुई और आइंदा से सरकार को कम से कम इतना सचेत रहना चाहिए कि इस तरह की गलतियां आइंदा न आवें कि उनको जरा-जरा सी भूल पर आर्डिनेंस निकालना पड़े। हम लोग ज्यादा छानबीन नहीं कर सके, लेकिन मैंने सुना है और मुझे ऐसी इत्तिला मिली है कि बहुत से ऐसे ऐक्ट और हैं जिनका अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और इल्लीगल खर्चे हो रहे हैं। सरकार इसकी छानबीन करे और अपने अफसरान पर नियंत्रण रखे कि वह इस तरह की भूल न करें और इसको छोटी सी भूल न समझना चाहिए। यह इतनी बड़ी भूल है जिसके लिए सरकार को एक आर्डिनेंस निकालना पड़ा।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--स्पीकर महोदय, मैं इस तजवीज के सिलसिले में कुछ उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि पहले रिज्योल्यूशन के बहस मुबाहिसे के सिलसिले में कही गयी थीं और जिनका खासा ताल्लुक इस रिज्योल्यूशन से भी है। मुझे यह लगता है कि मेरा यह फर्ज है कि मैं उन उजरात के बारे में जो कि इस आर्डिनेंस के बारे में हैं या जिसके बारे में इससे पहले जो रिज्योल्यूशन था, जिक्र की गयी थी उन उजरात के सिलसिले में मेरे क्या ख्यालात हैं उन्हें भवन के सामने रख दूं। जहां तक इस आर्डिनेंस के मेरिट्स का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि भवन इसे मंजूर करेगा कि इस आर्डिनेंस का निकालना लाजिमी था। इस आर्डिनेंस का न निकालना गलती होती। इस आर्डिनेंस की वजह से जो और दिक्कतें पैदा होतीं उनके लिए गुंजायश नहीं रही। उसी के साथ साथ मैं गोपाल नारायण जी की इस बात को भी मानता हूं कि इसमें गलती हुई। गलती का होना बुरा है। जो लोग गलती करते हैं उनको गलती दोहराने का मौका नहीं मिलना चाहिए और उसके लिए मुनासिब कार्यवाही होनी चाहिए। मगर इस बात को मानते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस किस्म की गलती कोई यहां नहीं, बल्कि हर जगह होती है। कितनी ही निगरानी आप करते हों तब भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं। इसमें जो दिक्कतें कानूनन पैदा हुई उनका नतीजा काफी दूर तक जाने वाला हो सकता था, मगर जो गलती हुई वह बजाते खुद ऐसी थी जो मामूली ढंग से भी हो सकती है। एक कानून बना। उसमें यह था कि कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया जाय। नोटिफिकेशन इश्यू करके कोई कार्यवाही होनी नहीं थी। क्योंकि जो कोई मेम्बर बनने थे वे पहले ही बन चुके थे। कोई उस कानून पर अमल होना नहीं था मगर तब भी जाब्ता पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था। उस क्लर्क ने जिसे इस नोटीफिकेशन को जारी करना था उसने देखा और उसके ख्याल में यह आया कि अब तो नोटीफिकेशन की जरूरत नहीं है, यह तो कार्यवाही सब हो चुकी। यह उसका समझना गलत था। इस वजह से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जहां तक मैंने सुना है वह क्लर्क मर गया। जो यहां सेक्रेटरी थे वह यहां से बदल गए। मगर मैंने खुद यही राय दी थी कि इस किस्म की बात का होना

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

बहुत बुरा है और इसके लिये जो भी जिम्मेदार हो उसको सख्त से सख्त जहां तक मुनासिब हो उसकी गलती का पैमाना करके सजा देनी चाहिए ताकि वह दोहराई न जा सके। लिहाजा ऐसी गलती होना बुरा था और इसका मुझे अफसोस है। जहां तक इस आर्डिनेंस का ताल्लुक है यहां पर यह कहा गया चूंकि उन दिनों कौंसिल प्रोरोग नहीं हुई थी, वह चल रही थी लिहाजा आर्डिनेंस का बनाना बेजा था और कानूनन गवर्नमेंट को कोई आर्डिनेंस निकालने का अधिकार नहीं था। इस सिलसिले में हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकिल २१३ जो है उसका जिक्र किया गया। उसी के मुताबिक आर्डिनेंस बनता है। मैं आर्टिकिल २१३ को हाउस के सामने पढ़ता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जो कुछ मुझे इस बारे में सदन के सामने रखना है उसे सुन कर पूरे तौर से हर शख्स को यह इत्मीनान हो जायगा कि इस आर्डिनेंस को निकालने का गवर्नमेंट को पूरा अधिकार था। जिन वाकयात में यह निकाला गया उसमें कानूनन हमें पूरा अधिकार था और यह हर तरीके से जायज है। आप आर्टिकिल २१३ को देखें।

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a State is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require:"

(उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।)

इसमें जो शर्त है वह इतनी है :—

"Where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session."

(जहां राज्य में विधान परिषद् विद्यमान हो, उस समय को छोड़कर जबकि विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं।)

अगर दोनों हाउसेज सेशन में न हो तो आर्डिनेंस निकल सकता है। यह सब मंजूर करते हैं, उस वक्त दोनों हाउसेज सेशन में नहीं थे। सिर्फ एक हाउस सेशन में था लिहाजा वह शर्त जिससे कोई रुकावट पड़ सकती थी कि दोनों हाउसेज सेशन में हों तब आर्डिनेंस नहीं निकल सकता, वह रुकावट नहीं थी। लिहाजा इसके निकालने का हर सूरत से गवर्नमेंट को अख्तियार था। अब यह भी सवाल बाज वक्त होता है कि एक लेजिस्लेचर में एक हाउस सेशन में रह सकता है और दोनों का अलग होना क्या जरूरी है एक ही वक्त में। इसमें यह जो अल्फाज हैं —

"Except when both Houses of the Legislature are in session."

(उस समय को छोड़कर जबकि विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं।)

मैं आप से अर्ज करता हूं कि इसके पहले हिस्से में मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। इसलिए आप मुझे जरा वक्त दें ताकि मैं मसले को सामने रख दूं। यह अहम मसला है। बहस मुबाहिसे के लिए नहीं बल्कि हम किस तरह से इसको देखते हैं, हाउस के सामने वह चीज आ जाय ताकि जो गलती हो उसको समझने का पूरा मौका उसको मिल सके और इसकी सफाई हो सके। जब यह अल्फाज कहे जाते हैं, अगर आप उनको गौर से देखें :—

"Or where there is a Legislative Council in a State except when both Houses of the Legislature are in session."

(या विधान परिषद् वाले राज्य में उस समय को छोड़कर जबकि विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं।)

ऐसा मौका हो सकता है जब बोथ हाउसेज सेशन में न हों, एक हाउस सेशन में हो, एक हाउस न हो वहां इन अल्फाज की क्या जरूरत होती। कभी एक हाउस सेशन में हो सकता है और एक हाउस न हो, ऐसा मौका हो सकता है, लिहाजा ऐसे मौके पर आर्डिनेंस निकालना हर तरीके से जायज है। लेकिन इसको और ज्यादा सफाई इसका क्लाज दो जो है उसके एक्सप्लेनेशन से और हो जाती है। मैं उसको सारा ही पढ़ दूं तो अच्छा है।

"(2) An Ordinance promulgated under this article shall have the sam force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, but every such Ordinance. . . . . .

(a) shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the Legislature, or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly and agreed to by the Legislative Council, if any, upon the the passing of the resolution or, as the case may be, on the resolution being agreed to by the Council; and

b) may be withdrawn at any time by the Governor."

[(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मंडल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा आध्यादेश :

(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष, तथा जहां राज्य में विधान परिषद् हैं वहां दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा तथा विधान मंडल के पुनः समवेत होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा यदि उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसके निरनुमोदन का संकल्प विधान सभा से पारित , और यदि विधान परिषद् है तो उससे स्वीकृत, हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर, अथवा परिषद् द्वारा संकल्प स्वीकृत होने पर, प्रवर्तन में न रहेगा। तथा

(ख) राज्यपाल द्वारा किसी समय भी लौटा दिया जा सकेगा]

इस के बाद ऐक्सप्लेनेशन आता है जिसकी तरफ मैं खासतौर पर भवन का ध्यान रुजू करना चाहता हूं। वह यह है कि—

"*Explanation*:— Where the Houses of the Legislature of a State having a Legislative Council are summoned to reassemble on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause."

[व्याख्या :—जब विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिए आहूत किए जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिए ६ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की जायगी।]

इसके भी मानी यह हैं क दो हाउसेज अलहैदा अलहैदा डेट्स में सेशन कर सकते हैं और वे अलहैदा अलहदा तारीखों में असेम्बिल हो सकते है। ऐसी हालत में दो इस तरह के चेम्बर्स मुख्तलिफ दिनों में काम शुरू करें तो जो पीछे काम शुरू करता ह उससे ६ हफ्ते तक वह आर्डिनेंस कानून बन जाना चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि दोनों

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]
हाउसेज अलहैदा-अलहैदा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में वक्फा रह सकता है। लिहाजा इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि जब दोनों हाउसेज सेशन में हों तो आर्डिनेंस नहीं बन सकता, दो हाउसेज अलहैदा अलहैदा तारीखों में अपना काम शुरू कर सकते हैं। दोनों हाउसेज सेशन में न हों और सिर्फ एक ही हाउस सेशन में हो तो यह एक इनएप्रोप्रिएटेबिल इंप्लीकेशन है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यहां जो पहले कानून था उसमें लफ्ज "हाउस" नहीं था उसमें लफ्ज "लेजिस्लेचर" था। मैं समझता हूं कि वह दफा ८८ है जो इस प्रकार है :—

"If at any time when the Legislature of a Province is not in session the Governor is satisfied that circumstances exist. . . ."

(यदि किसी ऐसे समय जब किसी प्रान्त का विधान मंडल सत्र में नहीं है राज्यपाल का समाधान हो जाय कि परिस्थितियां वर्तमान हैं. . . . .)

और सब बातें तो वही हैं जो आज के हमारे कानून में हैं सिर्फ उसमें जो लफ्ज "लेजिस्लेचर" है उसको साफ करने के लिए हमारे नए कांस्टीट्यूशन में साफ किया गया है और कहा गया है कि "व्हेन बोथ हाउसेज आर इन सेशन"। इसमें लेजिस्लेचर की जगह बोथ हाउसेज रखे गए हैं। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि लेजिस्लेचर लफ्ज के रखने में इस बात की दिक्कत पेश हो रही थी जब एक हाउस बैठा हुआ हो और दूसरा सेशन में न हो तो इस तरह का आर्डिनेंस न निकल सकेगा। इसलिए उन्होंने उसकी जबान को बदल कर तरमीम पेश की और इस तरमीम को इसी गरज से किया गया कि जब एक हाउस 'इन सेशन' हो तब भी आर्डिनेंस को निकालने में कोई दिक्कत न हो।

दूसरी इससे भी ज्यादा साफ बात मैं हाउस को बता देना चाहता हूं। जब इस क्लाज के बारे में कामथ साहब ने एक तरमीम पेश की कि टू हाउसेज या बोथ हाउसेज बढ़ा दिए जायं यानी एक हाउस के रहते हुए भी आर्डिनेंस न निकल सके उनका कहना यह था कि—

"If we turn to Article 69 of the Constitution and read sub-clause (2) thereof, we find that the President may, from time to time, summon the Houses or either House of Parliament. So it is not unlikely that at a particular time both Houses may not be in session but only one House may be in session. Therefore, I would restrict the power of the President only to such cases when no House will be in session. According to this article, the President is empowered to promulgate ordinances when both Houses are not in session. As I have already stated, referring to article 69, an occasion may arise when one House will be in session. Therefore to make this clear, we will have to say, "except when both Houses or one of the Houses of Parliament are in session."

(यदि हम संविधान का अनुच्छेद ६९ देखें और उसकी उपधारा (२) को पढ़ें, तो हमको मालूम होता है कि प्रेसीडेंट समय-समय पर पार्लियामेंट के सदनों को या उनमें से किसी एक सदन को अधिवेशन के लिए आहुत कर सकता है। इसलिए यह असंभव नहीं कि किसी समय विशेष पर दोनों सदन सत्र में न हों अपितु एक ही सदन सत्र में हो इसलिए मैं प्रेसीडेंट के अधिकार को केवल ऐसी स्थितियों तक सीमित कर देना चाहता हूं जिनमें दोनों सदन सत्र में न हों अपितु एक ही सदन सत्र में हो। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रेसीडेंट को उसी समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार है जबकि दोनों सदन सत्र में न हों। जैसा कि अनुच्छेद ६९ का हवाला देते हुए मैं पहले ही कह चुका हूं ऐसा समय हो सकता है जब एक ही सदन सत्र में हो। इसलिए इसको स्पष्ट करने के हेतु हमको यह रखना पड़ेगा, "उस समय को छोड़कर जबकि पार्लियामेंट के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सदन सत्र में हो।")

इस बात को आप देखेंगे कि यह बात मानी गयी। एक हाउस सेशन में हो सकता है और एक हाउस सेशन में नहीं हो सकता है। मगर वह यह चाहते थे जिसके माने यह थे कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो आर्डिनेंस निकल सकेगा। लिहाजा यह साफ कर दिया गया कि अगर एक हाउस सेशन में हो तो तब भी आर्डिनेंस नहीं निकल सकेगा। और इस चीज के लिए ही उन्होंने वह अमेंडमेंट पेश किया था कि—

"Except when both Houses or one of the Houses of Parliament are in session."

(उस समय को छोड़कर जबकि पार्लियामेंट के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सत्र में हो।)

इसको ला मेम्बर डा० अम्बेदकर ने नहीं माना और उन्होंने इसके जवाब में कहा कि—

"The amendment suggested by my friend, Mr. Kamath, seems to be rather purposeless. Suppose one House is in session and the other is not. If a situation, as I have suggested, arises, then the provisions of article 102 are necessary because according to this constitution no law can be passed by a single House. Both Houses must participate in the legislation. Therefore the presence of one House really does not save the situation at all."

(मेरे मित्र श्री कमठ द्वारा प्रस्तावित संशोधन निरुद्देश्य मालूम पड़ता है मान लीजिए कि एक ही सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है। यदि कोई ऐसा अवसर आवे जिसके विषय का मैंने सुझाव दिया है, तो अनुच्छेद १०२ के अनुबन्ध आवश्यक हैं क्योंकि इस संविधान के अनुसार, कोई भी कानून किसी अकेले सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है कि दोनों सदन विधान निर्माण में भाग लें। इसलिए एक सदन की उपस्थिति से परिस्थिति का प्रतिकार बिलकुल नहीं होता।)

इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों हाउस जब हों तब ही ला पास हो सकता है और जब एक हाउस सेशन में हो और दूसरा न हो तब वह नहीं हो सकता। लिहाजा एक हाउस के होते हुए भी वह आर्डिनेंस नहीं निकल सकता है। इसके बाद श्री कमठ ने और कहा कि—

"Does it mean that when one House only is in session, say the House of the people, the President will have this power?"

(क्या इसका अर्थ यह है कि जब एक ही सदन मान लीजिए कि लोक सभा सत्र में हो तो प्रेसीडेंट को यह अधिकार होगा?)

इसके जवाब में श्री अम्बेदकर ने कहा कि—

"Yes. The power can be exercised because the framework of passing law in the ordinary course does not exist."

(जी हां, अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि साधारण रीति से पारित होने वाले कानून का ढांचा विद्यमान नहीं है।)

अब इसके बाद मैं समझता नहीं कि किसी को कोई गुंजाइश हो सकती है और किसी को कोई शुबहा हो सकता है। जो इस कान्स्टीट्यूशन के आथर हैं और जिनके इंचार्ज में यह सब काम रहा है उन्होंने साफतौर पर बयान कर दिया। श्री कमठ का यह अमेंडमेंट हाउस ने मंजूर नहीं किया और गिर गया। इसके बाद मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर किसी को कोई शुबहा रह गया हो वह भी दूर हो जायगा।

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

और इसके बारे में कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इसके बारे में यहां पर यह भी कहा गया कि किसकी क्या राय इस बारे में है और किस तरीके पर उनकी राय है। हमारे ला डिपार्टमेंट की यह राय है और हमारे एडवोकेट जनरल की यह राय है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो ला मिनिस्ट्री है उसकी भी यही राय है और मैं समझता हूं गालिबन डा० अम्बेडकर की भी यही राय है मैंने ला मिनिस्ट्री बम्बई की भी राय ली उनकी भी यही राय थी और हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट की जो राय है वह रखी है उन्होंने भी उसमें तशरीह के साथ यही राय दी है लिहाजा मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई शुबहा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप उनकी राय को भी अगर छोड़ दें और आप ही खुद अगर इस मसले पर अपनी राय कायम करें तो आप इसके सिवा किसी दूसरी राय पर नहीं पहुंचेंगे। आप देखेंगे कि जहां तक आर्डिनेंस का ताल्लुक है वह बिलकुल साफ है। अभी यहां पर धारा १७४ का जिक्र किया गया उसके क्लाज २ में यह बात आती है कि--

"Subject to the provisions of clause (1), the Governor may from time to time—

(a) summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit;

(b) prorogue the House or Houses;

(c) dissolve the Legislative Assembly."

[(१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय-समय पर--

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा।

(ख) सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा।

(ग) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।]

इसमें साफ है कि--

"Summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit."

(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा।)

और "आईदर हाउस" के मानी सिवा इसके और कुछ नहीं हैं कि दोनों में से किसी एक को चाहें जिसको बुलावे यानी चाहे असेम्बली को बुलावें या कौंसिल को बुलावें। समय उसी वक्त निकलते हैं कि जब हाउस प्रोरोग हो चुका हो वर्ना वैसे तो स्पीकर किसी वक्त हाउस को बुला सकता है। "आईदर" के माने और दूसरे हो ही नहीं सकते चूंकि इसकी जबान बिलकुल साफ है और फिर भी अगर कोई शुबहा हो तो आगे "आईदर" और "बोथ" दोनों शब्द आये हैं और अगर वह मतलब न होता तो लैंग्वेज होती "प्रोरोग दि लेजिस्लेचर" और अगर ऐसा चाहते तो वह कह सकते थे कि--

"Prorogue the House where there is only one or both Houses where there are two."

(जहां एक ही सदन हो, सदन का सत्रावसान; जहां दो सदन हों, सदनों का सत्रावसान।)

ला के इम्पिलीकेशन के तो बहुत से केसेस होते हैं और वकील लोग उनसे वाकिफ होते हैं और जो लोग इस किस्म का कानूनी काम नहीं करते उनको इन इंटरप्रिटेशंस के जानने का मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि इसकी जबान और मतलब साफ है और उसको समझना चाहिए। बाज वक्त कहा गया कि "आईदर" के मानी "बोथ" हो सकते मैं समझता हूं कि ऐसा समझने की अब कोई गुंजायश नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकिल २१३ में साफ है और वह कन्टैम्पलेट करता है कि एक हाउस अलग हो सकता है। दूसरे १७५ में है कि--

"The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together;"

(विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित कर सकेगा।)

इससे साफ मतलब निकलता है कि "आईदर" के मानी दोनों में से एक है और इससे बिलकुल साफ हो गया कि "आईदर" के मानी "बोथ" नहीं है। आगे आर्टिकिल १७६ में भी जहां पर दोनों हाउसेज को रखा गया है वहां पर भी "बोथ" दोनों के लिए हो रखा गया है और एक के लिए "आईदर" रखा गया है। इसलिए ऐसी शंका होने की गुंजाइश नहीं रहती।

"Summon the Houses or either House to meet at such time and place as he thinks fit;"

(सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे सत्र के लिए आहूत कर सकेगा।)

और उसके बाद फिर है--

"Prorogue the House or Houses"

(सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकेगा;)

उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत से लफ्ज खुद इन्ट्रोड्यूस करके दूसरे मानी निकालें कि:--

"prorogue one House where there is one or both Houses simultaneously if there are two;"

(यदि एक सदन हो तो सदन का, यदि दो हों तो दोनों सदनों का युगपत सत्रावसान कर सकेगा।)

यह तो लेजिस्लेचर के काम को अपने हाथ में लेना है और लेजिस्लेचर की की हुई चीजों को अपने हाथ में लेना है। मेरे ख्याल में जिस तरह के माने लगाये गए उसकी कोई गुंजायश नहीं है और अगर आप इसमें देखें, यह भी है कि जब समन किसी हाउस को कर सकता है जैसा क्लाज "ए" में है तो प्रोरोग भी एक को कर सकता है। एक को समन किया तो एक को प्रोरोग करे। दोनों को किया है तो दो को अलग-अलग मुख्तलिफ वक्तों पर करे या दो को साथ-साथ करे। लिहाजा इसके बारे में कोई शुबहा नहीं हो सकता। इसके लिए अगर कहीं शुबहा रहा हो तो आप १७५ को देखें। उसमें यह लिखा है--

"The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members."

(विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में उस राज्य के विधान मंडल के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल संबोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।)

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

इसमें कोई गुंजायश इस बात की नहीं रहती कि वह एक हाउस को एड्रेस करे और एक हाउस को समन करे और एक हाउस को मेसेज भेजे। ऐसी हालत में जाहिर है कि एक हाउस को वह अलग बुला सकता है, एक हाउस को वह समन कर सकता है और एक हाउस को प्रोरोग कर सकता है। २ में भी है—

"(2) The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

[(२) राज्यपाल राज्य के विधान मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक संदेश उस राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा अथवा जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर यथासुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।]

यहां पर भी हर हाउस को एक सेपरेट इंडिविजुअल मान कर यह बात कही गई है। लिहाजा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कोई गुंजायश इस बात के बारे में कहीं शुबहा करने की है नहीं। एक हाउस समन हो सकता है और यह कन्क्लूसिव बात है। एक हाउस समन तभी हो सकता है जब एक हाउस प्रोरोग हो सकता है। दोनों हाउसेज को प्रोरोग करना जरूरी नहीं है। अगर दोनों हाउसेज को एक ही वक्त में प्रोरोग करने की बात होती तो दूसरी तरह से लिखा जाता। लिहाजा इस कानून के अल्फाज को देखते हुए कोई शुबहा की गुंजायश नहीं रहती है। इसमें और भी सेक्शन्स हैं जिनसे इस बात की ताईद होती है और बहुत काफी तरह से होती है। अगर आप सेक्शन १०८ को देखें तो उसमें लिखा है—

"If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House—

(a) the Bill is rejected by the other House; or

(b) the Houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the Bill; or

(c) more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it

The President may, unless the Bill has lapsed by reason of a dissolution of the House of the People, notify to the Houses by message if they are sitting, or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill.

(2) In reckoning any such period of six months as is referred to in clause (1), no account shall be taken of any period during which the House referred to in sub-clause (c) of that clause is prorogued or adjourned for more than four consecutive days."

[यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्—

(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा

(ख) विधयक में किए जाने वाले संशोधनों पर दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा

(ग) विधेयक प्राप्ति की तारीख से, बिना इसको पारित किए, दूसरे सदन को ६ मास से अधिक बीत चुके हैं।

तो लोक सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत देने के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशत होने के लिए आहूत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा अथवा यदि बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति देगा।

(२) ऐसी किसी छः मास की कालावधि की संगणना में, जोकि खंड (१) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को सम्मिलित न किया जायगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।]

मैं समझता हूं कि इसके बाद किसी के लिए गुंजायश नहीं रहती कि एक हाउस प्रोरोग हो सकता है या नहीं। अगर ऐसा न होता तो इसकी जरूरत ही नहीं होती। सीधा यही कहा जाता कि "When the legislature has been prorogued" (जब विधान मंडल का सत्रावसान हो गया हो।) इसके बाद में अर्ज करना चाहता हूं कि इस क़िस्म के शुबहा के बारे में कोई गुंजायश नहीं रहनी चाहिए। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि पहले जो १९३५ का ऐक्ट था उसमें, जैसा मैंने आप से कहा, लफ्ज़ "लेजिस्लेचर" था और "चेम्बर्स" नहीं था। मगर उस ऐक्ट के नीचे भी हमने कई दफा एक हाउस प्रोरोग किया और बराबर एक ही किया या काउन्सिल को प्रोरोग किया या असेम्बली को प्रोरोग किया और मैं समझता हूं, मैं ठीक तादाद तो इस वक्त नहीं बता सकता, मगर एक दर्जन से तो कम ऐसे मौके नहीं हैं और मुम-किन है कि ज्यादा ही हुए हों। कभी हमारे आर्डिनेंसेज़ के बारे में किसी को शुबहा नहीं हुआ कि उनकी वैलिडिटी में किसी क़िस्म की कोई कमी है। लिहाजा अगर हमारे यहां कोई कन्वेंशन है तो वह तो यह है कि एक हाउस प्रोरोग हो सकता है जहां बाईकेमरल लेजिस्लेचर हो। अगर हम अपने कन्वेंशन को छोड़कर दूर जावें और देखें कि वहां क्या होता है तो यह बेमुनासिब सी बात मालूम होती है। हमारे यहां एक हाउस प्रोरोग होता रहा और एक हाउस के प्रोरोग होने पर आर्डिनेंसेज़ ईश्यू होते रहे और कभी किसी ने नहीं कहा कि उनकी वैलिडिटी में कोई कमी है या कभी किसी ने उन्हें चैलेंज नहीं किया।

यहां पर कुछ ज़िक्र उसके मार्जिनल नोट का भी किया गया। मैंने देखा और मैं समझता हूं कि मार्जिनल नोट सन् ३५ के ऐक्ट से लेकर यहां रख दिया गया है। मगर मार्जिनल नोट, जैसा कि कानून का काम करने वाले जानते हैं, कोई असर नहीं रखता। यहां पर मैं कोई हेयरस्प्लिटिंग तो नहीं करता मगर मेरा सिर्फ मंशा यह है कि असली चीज़ क्या हो सकती है जो उसका टैक्स्ट है वहीं असली है और उसे कोई दूसरी चीज़ नहीं दबा सकती। इसके अलवा ऐसे मामलों में कानून यह भी है कि अगर कोई इम्मीडियेट नीड हो तो ऐसे मौके पर आर्डिनेंस निकाल सकते हैं। अगर इसमें रख दिया जाय कि जब तक दोनों हाउसेज़ प्रोरोग न हों तब तक नहीं निकाल सकते तो इम्मीडिएट नीड होने पर भी अगर एक हाउस बैठा हुआ हो, जैसे हमारी कौन्सिल ज़मींदारी एबालिशन बिल के लिए बैठी हुई थी, तब तो हमारा मक़-सद हल नहीं हो सकता। इसलिए यह कभी इरादा नहीं था।

इसके आगे और जो कोई भी दलील दी गयी है कि इंगलैंड की पार्लियामेंट जब होती है तो दोनों हाउसेज़ एक साथ होते हैं। इसके बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो ऐक्ट बना है इसमें केवल एक जगह १९४(३) में यह दिया हुआ है कि पावर्स और प्रिविलेजेज़ यहां के लेजिस्लेचर के वही होंगे जोकि हाउस आफ कामन्स के हैं, जब तक कि कोई हमारा कानून न बने। गरज यह है कि हमारे कांस्टीट्यूशन ने साफ यह कहा है कि सिर्फ एक बात जिसके बारे में हम हाउस आफ कामन्स या हाउस आफ लार्ड्स की तरह से निफाज करें वह पावर्स और प्रिविलेजेज़ की है और वह भी तब तक जब तक कि हम अपना कानून न बना लें। सब बातों के कन्वेंशन्स वहां के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। हम उनसे फ़ायदा उठायें, यह दूसरी बात है मगर उसके यह मानी नहीं हैं कि हम उनसे कानूनन बंधे

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

हुए हैं। अगर ऐसा होता तो इतना कह देना काफी होता कि जो वहां बातें होंगी वही यहां होंगी और सिर्फ पावर्स और प्रिविलेजेज़ का अलहदा ज़िक्र न होता। दूसरी बात यह है कि इंगलैंड में कोई रिटेन कांस्टीट्यूशन नहीं है। रोज़ वहां की बातें बदलती हैं। मान लीजिए कि आज प्रोरोगेशन एक तरह से होते हैं कि हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स दोनों एक साथ हों और कल को अगर वहां यह हो जाय कि नहीं, एक ही होगा, दोनों नहीं, तो क्या हमारे यहां भी कानून बदल जायगा ? उनकी ज़बानी सब बात है। हमारा कांस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। लिहाज़ा ऐसी बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो सकता।

श्री खुशवक्त राय--अब जो कानून बदलेंगे वे तो हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकते। १९४ (३) हमारे लिए बिलकुल साफ है।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मैं उसके लिए कह रहा हूं कि जहां पावर्स और प्रिविलेजेज़ की बात है। मैं कह रहा हूं प्रोरोगेशन के बारे में कि वहां का जो दस्तूर है अगर कल को वह बदल जाय तो उसके बारे में हमारा ऐक्ट में कोई चीज़ नहीं है। तो हम फिर भी अगर यह कहने लगें कि कल तक इंगलैंड में दोनों हाउसेज़ प्रोरोग होते थे, लिहाज़ा प्रोरोगेशन के माने थे दोनों साथ और वहां बदल करके यह करने लगें कि एक ही हाउस एक वक्त में प्रोरोग होगा, तो फिर हमारे लिए क्या गाइड के लिए होगा, पहले का कायदा या बाद को। लिहाज़ा यह अपने को एक फिसलती ज़मीन पर रखना है यह कह कर कि वहां के प्रोरोगेशन का असर हमारे ऊपर भी वही होना चाहिए।

फिर एक दूसरी बात जो क़ाबिले ख्याल है वह यह है कि इंग्लैंड में प्रोरोगेशन का खास तरीक़ा है। अगर मैं भूला हुआ नहीं हूं तो वहां प्रोरोगेशन के लिए एक ऐक्ट भी है जिसके लिए मातहत काम होता है। वहां के प्रोरोगेशन का तरीका यह है कि वहां हाउस आफ लार्ड्स में हाउस आफ कामन्स के सब लोग जाते है और वहां पर किंग खुद प्रोरोग करता है और अगर वह नहीं करता है तो वह अपना एक कमीशन भेजता है और उस कमीशन के ज़रिए प्रोरोगेशन होता है। वह एक सालेम अकेज़न है। इसके बारे में "मे" की जो किताब है जिससे बहुत से साहबान मेरे मुक़ाबिले में बहुत ज्यादा वाक़िफ हैं उसके पेज २७७ पर यह है कि वहां प्रोरोगेशन किस तरह होता है--

"If His Majesty attends in person to prorogue Parliament at the end of a session the same ceremonials are observed as at the opening of Parliament. The attendance of the Commons in the House of Peers is commanded and on their arrival at the Bar the Speaker addresses His Majesty on presenting the Supply Bills and other most important measures that have received the sanction of Parliament during the session. The royal assent is then given to the Bills which are waiting for sanction. His Majesty's speech is read to both Houses of Parliament by himself."

(सत्र के अन्त में पार्लियामेंट का सत्रावसान करने यदि महामहिम स्वयं आवें तो उन्हीं प्रथाओं का अनुसरण होता है जिनका कि पार्लियामेंट के सत्रारम्भ में होता है। लोक-सभा के सदस्यों को आदेश होता है कि लार्ड-सभा में उपस्थित हों, और उनके सदन में आ जाने पर अध्यक्ष विधेयकों तथा अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों को जिन्हें उस सत्र में पार्लियामेंट की स्वीकृति मिली हो, उपस्थित करके, महामहिम को सम्बोधित करता है। तब स्वीकृति प्रतीक्षक विधेयकों को राज-स्वीकृति दी जाती है। महामहिम स्वयं अपना भाषण पढ़कर पार्लियामेंट के दोनों सदस्यों को सुनाते हैं . . .)

मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। इससे आप देखेंगे कि वहां प्रोरोगेशन करने में एक बहुत बड़ी सालेम सेरीमनी होती है। हमारे यहां तो यह लिखा है कि अगर हम एक ऐसा सेशन

करना चाहें जिसमें नया काम शुरू हो, तो उसके लिए दोनों हाउसेज का आना और गवर्नर का ऐड्रेस करना जरूरी है। यह कहीं नहीं लिखा है कि जब हम सेशन खत्म करना चाहें तो क्या प्रोसीजर हो। अगर इसमें यह लिखा हुआ है कि प्रोरोगेशन का तरीका हम वही बरतें जो इंग्लैंड में है तो इसमें सेशन के खत्म होने का भी तरीका वही रहता कि--

"At the time of prorogation both the Houses will jointly meet and they will be addressed by the Governor. There is absolutely no such suggestion or indication."

(सत्रावसान के समय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा और उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस प्रकार का कोई सुझाव या इंगित नहीं है।)

इससे आप देख सकते हैं अगर सिर्फ प्रोरोगेशन लफ्ज को लेकर हम कहने लगें कि वहां गाने होते हैं तो हमारे यहां न महाफिल है, न गानेवाले हैं और न नाचने वाले हैं। अगर वहां की तरह हम भी कपड़े उतारकर खड़े हो जायं, तो यह यहां ठीक नहीं बैठता है और न इस तरह के प्रोरोगेशन का किसी ने ख्याल ही किया था। लिहाजा कोई एनालाजी से कोई चीज ऐसी नहीं निकलती जिससे यह कहा जाय कि प्रोरोगेशन एक हाउस का नहीं हो सकता। जिन चीजों को आप देखें उन सब से यही नतीजा निकलता है। मुझे अफसोस है कि इस बीच जमींदारों को एक झूठी उम्मीद यह भी होने लगी थी कि एक हाउस प्रोरोग नहीं हुआ इस लिए जमींदारी ऐक्ट नाजुक हालत में पड़ गया है और उसको यह उलट सकेंगे। कम से कम इस ख्याल को वह बदल दें और बातों की वजह से वह जो चाहें करें, लेकिन जो वह सोच रहे हैं उसकी कोई गुंजायश नहीं है। मैंने बहुत साफ बातें आप के सामने रखी हैं। यह एक ऐसा मसला है जिसके सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, मगर मैं हाउस का अब और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक हाउस प्रोरोग हो सकता है, एक हाउस समन हो सकता है, एक हाउस के बैठते हुए और आर्डिनेंसेज बन सकते हैं।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक ऐसे पेचीदा सवाल पर इतने वाजे तौर से रोशनी डाली। मुझे और मेरी पार्टी को काफी चिन्ता इस मसले के ऊपर थी, जैसा कि मुख्य मंत्री ने खुद भी कहा कि अगर्चे यह प्रोरोगेशन पाल्टी है तो जो जमींदारी बिल के ऊपर ४ वर्ष से मेहनत होती चली आ रही है वह भी अल्ट्रावाइरिस हो जायगा। दूसरी बात यह थी कि अगर असेम्बली प्रोरोग नहीं समझ जाती तो उसका एक नतीजा यह समझा जाता कि यह दो आर्डिनेंसेज जो गवर्नर ने निकाल दिए थे वह दोनों ही इल्लीगल समझे जाते। लेकिन अगर्चे इसका मतलब यह है कि दोनों हाउसेज प्रोरोगेशन एक साथ लाजिमी है तो जमींदारी बिल कौंसिल से पास होकर आया है वह बिलकुल अल्ट्रावाइरिस है। इससे हम लोगों को बड़ी चिन्ता थी। अभी तक एक ही राय फील्ड में थी। अखबारात के जरिए से जो कुछ कहा जाता या उसमें एक ही राय आयी थी। गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई उसकी सफाई नहीं दी गई। पहली मर्तबा मुख्य मंत्री ने वाजे तौर से सब मसलों की सफाई दी। मैं नहीं जानता कि मुख्य मंत्री की राय सही है। या दूसरे लोग जो कि उनके खिलाफ राय रखते हैं उनकी राय सही है। इसका तो फैसला जहां तक पहले भी इजहार राय किया, अदालत ही कर सकती है। मैं तो ज्यादा कानून जानता नहीं, लेकिन दफा १७४ और १७६ को जब मैं देखता हूं तो मैं उन दोनों को एक दूसरे से बिलकुल मुख्तलिफ पाता हूं। दफा १७६ में साफ यह लिखा है कि--

"At the commencement of every session, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

[श्री गोपाल नारायण सक्सेना]

(प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विधान सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद् होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा आह्वान का कारण विधान मंडल को बतलायेगा।)

जिसके ऊपर कि मुख्य मंत्री ने बड़ा जोर दिया कि--

"Subject to the provisions of clause (1), the Governor may from time to time............

(a) summon the House or either House to meet at such time and place as he thinks fit;"

[खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल, समय-समय पर--

(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेगा।]

मुझे यह दोनों एक दूसरे से कन्ट्रेडिक्टरी मालूम देते हैं। मैं उन्हें एक दूसरे से मिला नहीं पाता हूं, मगर जैसा कि मैंने कहा कि मुझको तो खुशी होगी कि जो मुख्य मंत्री की राय है अगर्चे अदालत इसी फैसले पर पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता यही हूं। मैं तो यहां तक जाऊंगा कि अगर्चे कोर्ट का यह फैसला हो कि यह आर्डिनेंसेज फाल्टी थी तो उसका तो नतीजा यही होने वाला है कि जो आर्डिनेंस बनाये गए वह इल्लीगल हैं और ज्यादा कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन अगर्चे दूसरी तरफ की राय सही निकली तो उसके कांसिकुएंसेज हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी दूर तक जाने वाले हैं। इसलिए मैं तो इसी में खुश हूंगा कि जो व्यू मुख्य मंत्री ने लिया है वही सही निकले। जहां तक इन आर्डिनेंसेज का सवाल है मुख्य मंत्री ने फरमाया कि जिन क्लर्क की वजह से यह हुआ वह मर गया, जो सेक्रेटरी थे वह यहां रहे ही नहीं, अब क्या हो सकता है? तो इसके बाद मैं और क्या कहूं। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस तरह से गवर्नमेंट का काम चलना नहीं चाहिए। आइंदा से गवर्नमेंट को बेहद एहतियात रखनी चाहिए कि वह कम से कम आर्डिनेंसेज निकालने पड़ें, क्यों कि किसी गवर्नमेंट के लिए यह जेबा नहीं देता है कि वह जरा-जरा सी चीजों के लिए आर्डिनेंस निकालें।

मुझे और ज्यादा इस बारे में नहीं कहना है। एक मर्तबा फिर मुख्य मंत्री से कहूंगा कि मुमकिन हो सकता है कि यह नीचे के दफ्तर वालों की गलती हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि आज तक तो इस तरह की गलतियां नहीं होती थीं, आज इस तरह की गलतियां होने लगी हैं। कहीं-कहीं शीराजा जरूर बिखरा हुआ है। कहीं-कहीं लोग उस एफीशेंसी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि पहले करते थे। आशा तो यह थी कि अब ज्यादा एफीशेंसी से काम होगा बल्कि देखने में आ रहा है कि बरक्स उसके काम रोजबरोज गिरता जा रहा है। मैं और ज्यादा न कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा इस प्रोरोगेशन के मसले पर बोलना नहीं है। इसका फैसला अदालत ही करेगी।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधान सभा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आध्यादेश "दि कानपुर एरिया डेवेलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कांस्टीट्यूशन) वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स आर्डिनेंस, १९५०" को प्रतिनिन्दित करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सन् १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों सहित सन् १९४९ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय।

इस संबंध में मुझे कुछ ज्यादा नहीं अर्ज करना है। केवल यह कह कर मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। इस विधेयक में बहुत सी शाब्दिक तरमीमें हैं। हिन्दी जबान को ठीक करने के लिए जरूरी समझी गयीं। उनके अलावा कुछ सब्स्टेंशल तरमीमें हैं जिनकी सूची इस अजेंडा में दी हुई है। हर एक तरमीम सदन के सामने आएगी जिस पर मुफस्सिल तौर पर दोनों तरफ से बातें होंगी। इस दिन के आखिरी वक्त में डिटेल में नहीं जाना चाहता।

मैं सदन से फिर प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय पांच बजने में दस मिनट हैं। तो मैं यह समझता हूं कि मुनासिब यह होगा कि असेम्बली की आज की बैठक एड-जर्न कर दी जाय और कल से फिर बठे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बहस है।

माननीय अध्यक्ष--इस बीच जो प्रोग्राम का काम था उस पर ही हम नहीं चल सके, पीछे हैं। अभी पच्चीस मिनट का वक्त है। इतने वक्त तक काम कर लें। कम से कम एक माननीय सदस्य अपने ख्याल का इजहार कर ही लें।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय स्पीकर महोदय, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था बिल जैसा विधान परिषद् द्वारा पास हो कर फिर हमारे भवन में संशोधित हो कर आया है, मैं दुख के साथ यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो आशा थी कि जो कुछ बातें हम यहां से करने को भूल जायं या कुछ कठिनाई इस बिल में रह गयी हो तो उसके ऊपर अपर हाउस के माननीय सदस्य अच्छी तरह से गौर करेंगे और उन चीजों को दूर करेंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है . . . . ..

माननीय श्री हुकुम सिंह--किया गया है।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय मंत्री कहते हैं कि किया गया है। उसका उल्टा किया गया ह। यह किया गया है कि जो कुछ छुरी कम तेज थी वह और भी तेज कर दी गयी है। यह इतना क्रांतिकारी बिल है और इसकी वजह से प्रान्त पर काफी असर पड़ने वाला है उसको न तो सरकार ने सोचा और न विधान परिषद् ने ही उसका विचार करके कोई संशोधन किए। मैं इस भवन के सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब यह बिल यहां पेश हुआ था तो सरकार से प्रार्थना की गयी थी और सरकार ने वादा भी किया था कि कर्ज वाले स्टेटों के बारे में कुछ नहीं बताया गया लेकिन न तो यह कर्ज का बिल आया और जब यह विधान परिषद् में था उस दौरान में अगर ले आया गया होता तो हम भी जानते कि हमको कितना मिलेगा और कितना उन साहूकारों पर चला जायगा इससे तो यही मालूम होता है कि यह सरकार भी उन्हीं साहूकारों के पक्ष में है। अभी जब महामान्य राज्यपाल का भाषण हुआ था उसके मुतालिलक जवाब देते हुए माल मंत्री जी ने फरमाया था कि बहुत जल्द कर्ज का बिल लाने वाले हैं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इस बिल को पास करके ऐक्ट बना देंगे तो क्या उसके बाद लायेंगे। फिर हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि हमको कितना मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के जो उसूल हैं जैसा यहां इस हाउस से पारित हो चुका ह उन सब

[माननीय अध्यक्ष]

पर यहां बहस हो चुकी है। अब तो संशोधन विधान परिषद् ने किए हैं उनके मुताल्लिक जो खास-खास बातें हैं उन्हीं के मुताल्लिक आप कहें तो ज्यादा अच्छा हो यह प्रस्ताव बहुत सीमित है। इसमें ज्यादा गुंजायश नहीं है। जो बातें पहले हो चुकी हैं उन्हीं को दोहराने से फिर कोई फायदा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र शाह--जो चीजें रह गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष--अब जो चीजें रह गयी हैं और जिस पर कोई तरमीम नहीं है उस पर अब विचार नहीं हो सकता। इस वक्त जो तरमीम हो कर आयी है उन्हीं के मुताल्लिक विचार किया जा सकता है और उसमें जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उन्हीं पर इस समय कुछ कहा जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् की जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा। मैं उन बातों को कहना चाहता हूं जिनको इसमें आना चाहिए था और नहीं आ सकी हैं। जो संशोधन परिषद् ने इस बिल में किए हैं उनके बारे में मुझे यह कहना है कि हमारा यह ख्याल था कि परिषद् एक एल्डरली हाउस है और उससे मुझे यह उम्मीद थी कि वह ज्यादा गंभीरता से सोचेगी लेकिन जो संशोधन किए हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं वह यहां से भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और यहां से ज्यादा सख्त बना दिया गया है। सरकार ने वहां जो अपोजीशन के संशोधन ज्यादा अच्छे थे वह नहीं माने। हमने वहां के एजेंडे भी देखे, लेकिन सरकार ने उनके कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किए सिर्फ एक को छोड़ कर। मैं यह चाहूंगा कि जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में आपके सामने रोशनी डालू। पहले आप ने टाऊन एरिया को नहीं रखा था, लेकिन हमें यह देखकर हैरत होती है कि जब अरबन एरिया के लिए अलग से बिल बना रहे हैं तो इसमें टाउन एरिया को क्यों ले आये हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--इसमें से तो निकाला है।

श्री वीरेन्द्र शाह--अगर यह बात है तो फिर मैं मानता हूं कि ठीक किया है। धारा २ (च) में आपने रखा है "देहरादून जिले, का परगना जौनसार बावर और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र"। जब आपने गढ़वाल, नैनीताल वगैरह जिलों को उनकी विशेष स्थिति की वजह से छोड़ रखा था तो इन्हीं विशेष स्थितियों की वजह से इस हिस्से को भी छोड़ देना चाहिए था। इसको आपने क्यों रख दिया है कि यहां भी जमींदारी खत्म की जाय। मैं तो समझता हूं कि जब एक सिस्टम को खत्म कर रहे हैं तो हर जगह खत्म करना चाहिए, यह नहीं कि जहां मर्जी हो वहां खत्म करें और जहां न चाहें वहां न खत्म करें।

तीसरी धारा में.. .. ..

माननीय अध्यक्ष--यह तो आपने धारा-धारा का हवाला देना शुरू किया है। जो तरमीमें हैं वे तो अलग आयेंगी। जो धाराओं में तरमीम हुई है उसके लिए आपको फिर मौका मिलेगा, यहां तो इसकी गुंजायश नहीं है। जो मुख्य बातें हों, उसूली बातें हों उनको आप कहें। शुरू में बहस उसूलों पर ही की जाती है, इसलिए जो तरमीमें हुई हैं उनके उसूलों पर जो आप कहना चाहें, कहें।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान्, अच्छा मैं धारा का नाम नहीं लूंगा।

माननीय अध्यक्ष--मुझे अफसोस है कि खाली आपके इस कहने से कि धारा का नाम नहीं लूंगा मैं सहमत नहीं हूं। आप सिर्फ उसूली बातें कहें, जोकि आप कहना चाहें।

श्री वीरेन्द्र शाह--अच्छा, मैं उसूली बातें बताना चाहता हूं। सरकार ने जो उसूल रखा था उससे न वह घटी और न बढ़ी है। आपने यह रखा था कि दसगुना वसूल करेंगे लेकिन कम्पेनसेशन जितना देना है उतना ही देंगे। धारा सभा से जो इस मसले में पास हुआ अब भी वही कायम है। सन् ४६ के बाद जबकि रेजोल्यूशन पास हुआ था, जमींदारों ने ठेके से, मछलियों और जंगलात वगैरह के ठेकों से, कुछ रुपया वसूल किया था, अब आप ने यह साफ कर दिया है कि उस वक्त से जो रकम वसूल हुई है उसको भी निकाल दिया जायगा। यानी जब जमींदारी का खात्मा हुआ उसी वक्त से जमींदारों को इन चीजों को खत्म कर देंगे। हमारे प्रतिकर में से, उस प्रति कर में से जोकि नहीं के बराबर है, वह रकम काटना चाहते हैं जोकि जमींदारों ने जमींदारी की हैसियत से प्रोप्राइटर होने की हैसियत से वसूल की है। धारा ८ के जरिए से उसे भी आप ले लेना चाहते हैं। यह सरासर अन्याय की बात है धारा सभा में जो बिल था उसमें इतनी साफ बात नहीं थी। अब जो संशोधन आया है उससे साफ हो गया है कि आप उसके प्रतिकर से काट लेंगे।

एक चीज गुजारेदारों के बारे में कही गयी है कि जितना प्रतिकर मिलने वाला है उसमें झगड़ा डालने के लिए आपने एक प्रतिबंध जोड़ दिया यानी स्पष्टीकरण साफ हो जायकि गुजारेदार अपना एक अदालत के जरिए जमींदार के प्रतिकर में से कटवा सकता है। श्रीमान्, मैं यह कहूंगा कि जो प्रतिकर हमको मिलने वाला है वह सब का सब मुकद्दमेबाजी में और वकील साहब की नजर हो जायगा। हर स्टेट में जो गुजारेदार है वह चाचा, चाची, भाई और बहन हैं। हमारे मंत्री जो भी जमींदार हैं और वह जानते हैं कि हमारे परिवार में कितने गुजारेदार हैं और कितनों से हम उनका काम चलाते हैं अगर आप यह अधिकार दे देंगे तो सारा का सारा प्रतिकर वकील साहब की नजर हो जायगा। उनको भी नहीं मिलेगा और मुझको तो जरा भी नहीं मिलेगा। चाची साहब, चाचा साहब और भाई वगैरह मेरे सामने खड़े होंगे कि सब रुपया खर्च हो गया और कहेंगे कि हमने गलती की जो सरकार की गलती से फायदा उठाया। अब हमको खर्चा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजारेदारों में जोकि घर वाले हैं और बहुत नजदीकी हैं और समाज की हैसियत से हमारा फर्ज हो जाता है कि उनको खिलाने के बाद हम खा सकते हैं। तो फिर उनका रुपया खत्म होने के बाद सिवाय हमारे और कौन उनको खाना देगा। वह अपना हिस्सा लेकर बरबाद कर देंगे और फिर जमींदारों से खाना मांगेंगे। मंत्री जो जो आप फरमाते हैं वह हम नहीं कर सकते हैं समाज के नाते एक हिन्दू होने के नाते मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह निहायत ही नामुनासिब संशोधन हुआ है। कहा यह जाता है कि कांग्रेस ने गुजारेदारों के प्रति हमदर्दी दिखाई कि उनको प्रतिकर में से हिस्सा दिलवा दिया और हमारे कांग्रेसी मेम्बर ने यह सोचा कि हमने उनको महफूज कर दिया। लेकिन उनका सब से बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका रुपया गुंडे खा जायेंगे।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने धारा ९ में एक प्रतिबंध बढ़ा दिया है उससे जो पहले धारा ९ थी उसमें यह बात थी कि जमींदार और काश्तकार जिनके मकान के आगे सहन है वह उनके साथ ही बेस्ट होंगे और सरकार अपने टर्म्स तय कर लेगी। लेकिन इस प्रतिबंध से यह हो गया है कि जिन मकानों पर कब्जा नहीं है उनके बारे में आपने क्लीअर कर दिया है कि वह उनको नहीं मिल सकेगा। वह दूसरों को सरकार उठाएगी और उनकी वजह से कोई मतलब नहीं निकलेगा और उनसे और हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा

श्री कृष्णचन्द्र--भवन के सामने प्रस्ताव यह है कि जो संशोधन कौंसिल ने भेजे हैं उन पर विचार किया जाय या न किया जाय। अतः माननीय सदस्य को हक हासिल है कि जो संशोधन कौंसिल से हुए हैं उन पर उसूली बहस करें, उन पर

[श्री कृष्ण चन्द्र]

अपनी रायकायम करें कि आया उन पर विचार किया जाना मुनासिब होगा या नहीं संशोधनों पर अलग-अलग डिसकस करने का समय नहीं है। हमको तो केवल उसूल पर विचार करना है।

माननीय अध्यक्ष—इसके पहिले जब कभी विधान परिषद से जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में जब किसी विधेयक के सिलसिले में प्रस्ताव आया है तो उसके सिलसिले में कोई तकरीर नहीं हुई मगर चूंकि यह बिल बहुत बड़ा था इसलिए इस प्रस्ताव के सिलसिले में कि इस पर विचार किया जाय या नहीं, मैंने माननीय सदस्य से यह कह दिया कि वे खास-खास बातों पर तवज्जह दिला सकते हैं कि किन वजूहात स इस पर विचार न किया जाय।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जो संशोधन हुये हैं उन्हीं की उसूली बातों पर मैं कुछ कहूं। आप लोग जो मेरे कहने का तरीका है उस मुनासिब न समझें यह दूसरी बात है मेरे कहने का मतलब यही है कि जो उसूल में तब्दीली हुई है वह निहायत गलत हुई है और वह अन्याय हुआ है।

माननीय अध्यक्ष—उन पर संशोधन उपस्थित करने का मौका मिलेगा मैं इसके बारे में दो दफा आपसे कह चुका हूं।

श्री वीरेन्द्र शाह—धारा ८ में ठेके और जंगल वगैरह के बारे में इस भवन ने जो कुछ तय किया था कौंसिल में उसी को और भी साफ कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चीज आप लाना चाहते थे वही चीज आपने इस बिल में कानूनी तरीके से पास कर दी है। आपने जो पहले तय कर लिया था वही इस में कर दिया है और जो यहां पर तय किया गया था उसको बिलकुल बदल कर कौंसिल म साफ किया गया है। एक तो पहले ही उसे गलत था और अब जो चीज सरकार ने की है वह हमें किसी प्रकार मंजूर नहीं हो सकती। जमींदारी बिल पास हो जाने के बाद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा दिया गया और उस वक्त तो हमसे कहा गया कि यह रकम कम्पेनसेशन के वक्त नहीं काटी जायगी और इसके बाद जो उसूल विधान सभा न पास किया था उससे भी कड़ा विधान परिषद् में पास कर दिया गया है। हम इस उसूल का विरोध करते हैं कि जो तजवीज यहां बिल के रूप में भी नहीं आयी थी वह वहां पर कर दी गयी। आप रिज्योल्यूशन भी कहते हैं तो ऐसे रिजोल्यूशन तो बहुत से पास हो जाते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि उन पर क्या कार्यवाही होती है। एक रिजोल्यूशन प्राइवेट प्रापर्टी के खत्म करने के बारे में आया था। मैं पूछता हूं कि उसका क्या हुआ। लाल टोपी वाले रात दिन उसका इंतजार करते हैं। आज तक उसका पता कहीं नहीं है। तो रिज्योल्यूशन से कोई मतलब नहीं है और न उससे कोई मतलब निकलता है कि १९४६ की जमींदारी का जहां तक ताल्लुक है उसको आप बदलें। मैं यह समझता हूं कि एक उसूल ऐसा था जिसको हमारी विधान परिषद् को सोचना चाहिए था और मानना चाहिए था मगर उसने बगैर उसके ही उसको पास कर दिया।

श्री राजाराम शास्त्री—श्रीमान् जी, पहले असेम्बली बिल हिन्दी में पेश हुआ था और लोगों को यह अंग्रेजी में बिल दिया गया है तो संशोधन को पेश करने का क्या तरीका होगा और उसकी क्या सूरत होगी।

माननीय अध्यक्ष—बिल तो हिन्दी में दिया गया है। अगर आपके पास इंग्लिश में पहुंच गया हो तो वह किसी धोखे से पहुंचा है। आपके पास हिन्दी का बिल पहुंचा दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र शाह--तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि धारा सभा ने यह ज्यादती की है क्योंकि वहां पर सरकार की मेजारिटी है और उसने इस तरह से ही इसको पास कर दिया है। हमारी बात कोई सुनी नहीं गई है। कम्पेन्सेशन की वजह से ऐसा किया गया है और यह सब लूट कर रखा गया है। मैं यह बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमने यह इसलिए रखा कि अगर इस भवन में इस पर विचार न हो तो वहां जाकर यह चीज ठीक हो जायगी और कम से कम प्रतिकर काटा जायगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसी तरह से रखा गया है और कोई किसी तरह से उसमें तब्दीली नहीं की गयी है।

माननीय अध्यक्ष--आप थोड़ी देर और बोलना चाहते हैं या देर लगेगी?

श्री वीरेन्द्र शाह--कुछ ज्यादा समय लगेगा। बस १० मिनट में ही खत्म कर दूंगा। इस जमींदारी के खत्म होने के बाद कौन मालगुजारी को वसूल करेगा। गांव सभा वसूल करेगी या सरकार के मुलाजिमान वसूल करेंगे या कोई और वसूल करेगा, इसका कोई नकशा नहीं बतलाया गया है कि किस तरीके से इस जमींदारी के खत्म होने के बाद मालगुजारी वसूल की जायगी। दूसरी बात जमींदारों के नौकरों की है। उनकी बाबत कोई जिक्र नहीं किया गया है। करीब एक लाख नौकर जो हैं उनका क्या होगा, उनके पेट पालने का क्या इन्तजाम होगा, इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। आपने विधान परिषद् में कम्पेन्सेशन के मुताल्लिक भी कोई ऐसा संशोधन नहीं किया है जिससे हम यह समझें कि कोई क्रांतिकारी संशोधन आपने किया है। वहां पर भी एक महीने में इसको पास किया है और मैं अर्ज करूंगा कि अब भी मौका है कि जो संशोधन अब हम पेश करने वाले हैं उनको मंत्री जी ठंडे दिमाग से गौर करने के बाद मंजूर करें क्योंकि इसका असर २२ लाख जमींदारों पर पड़ेगा और उनके परिवार को मिलाकर कुल १ करोड़ के करीब आदमी होते हैं। जो संशोधन अब हम रखने वाले हैं वह बहुत अहम हैं और उनका मन्शा कोई इस बिल को रोकने का नहीं है और कोई दूसरा कारण है या अभी कोई दूसरी स्टेज इसकी बाकी है और हम केवल इस बिल को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ही अपने संशोधन आइन्दा पेश करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आनरेबिल श्री हुकुमसिंह जी ने या मंत्री जी ने जिस तरीके से इस बिल को खींचना चाहा खींचा लेकिन अब आखिर में वह हमारे संशोधनों पर ध्यान देंगे और उनको गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद मानेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १९ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२६ दिसम्बर, सन् १९५० ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

Copy of the resolution No. I passed by the Board of Directors of Mainpuri District Cooperative Bank Ltd. in its meeting held on 1st December, 1949.

चूंकि M.D. के पास प्रमाण है कि D.C.O. साहब तथा उनके मातहत अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में वोटरों पर काफी असर डाल रहे हैं अतः निष्पक्ष विचार और फसला होने की उम्मीद नहीं है। ऐसी सूरत में रजिस्ट्रार साहब से जोरदार प्रार्थना की जाती है कि वह मौजूदा D.C.O. साहब को तुरन्त स्थानान्तरित कर दें ताकि जेनरल मीटिंग निष्पक्ष तया दबाव रहित वातावरण में हो सके और जेनरल मीटिंग उसी समय की जावे जब कि मौजूदा D.C.O. यहां से हट जायं।

नौराय प्रस्ताव के पक्ष में २ तटस्थ तथा श्री हीरा लाल जी के एतराज के साथ की यह प्रस्ताव अवैधानिक है, प्रस्ताव पास हुआ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

हर वर्ष ४० हार्स पावर तक के पृथक्-पृथक् औद्योगिक कार्यों के लिए दिए गए कनेक्शनों की सूची

औद्योगिक कार्य का नाम		१९४६	१९४७	१९४८	१९४९	१९५०
१—चाप कटर	..	२	१	१	..	१
२—मोटर पम्प Tube-wells	..	३	२	३	३	५
३—फ्लावर मिल तथा राइस हलर	..	१०	६	५	१०	६
४—राइस हलर	..	..	..	..	२	२
५—आरा मशीन	..	३	१	१	२	..
६—वायर ड्राइंग	..	..	१	..	१	..
७—होजरी	..	१	२	..	..	..
८—शुगर सेन्ट्रीफ्यूगल	..	१	१	..	..	..
९—कार्डिग इंजिन	..	..	१	..	१	..
१०—प्रिंटिंग प्रेस	..	..	..	२	१	..
११—सुर्खी मशीन	..	..	..	१	..	..
१२—आइस कैन्डी फ्रीजर	..	..	..	३	..	३
१३—ग्लास बैंगिल फैक्टरी	..	..	..	१	..	..
१४—वर्कशाप	..	..	..	१	..	..
१५—आइल घानी	..	..	..	..	२	..
१६—काटन जिनिंग	..	..	..	..	..	१
१७—पालिश मशीन	..	४	..	..	..	..
१८—टेनरी	..	१	..	..	..	..
१९—दाल मिल	..	..	..	..	१	..

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८ पर)

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, १९५० ई० पर प्रवर समिति की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, १९५० ई० पर विचार करने के लिये नियुक्त प्रवर समिति के हम निम्न हस्ताक्षरित सदस्य एतद्द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हमने इस विधेयक पर सावधानता से विचार किया है और जैसा कि हमने इस विधेयक को संशोधित किया है उसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्न है। अब संशोधित विधेयक पर विधान-सभा में विचार किया जाय।

प्रवर समिति की एक बैठक १७ नवम्बर, १९५० ई० को माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, श्रम मंत्री, की अध्यक्षता में विधान भवन में हुई थी। प्रवर समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हो सके--

१--श्री भारत सिंह यादवाचार्य, एम० एल० ए०।
२--श्री जयराम वर्मा, एम० एल० ए०।
३--श्री रामधारी पांडेय, एम० एल० ए०।
४--श्री गंगा सहाय चौबे, एम० एल० ए०।

प्रवर समिति ने उक्त विधेयक पर खंडानुक्रम से विचार किया। समिति द्वारा स्वीकृत संशोधन नीचे दिये जाते हैं--

धारा १, खंड (३)

अध्यक्ष के सुझाव पर यह निश्चित हुआ कि अधिनियम के तुरन्त लागू होने की व्यवस्था करने के स्थान पर इस खंड में यह व्यवस्था की जाय कि यह अधिनियम उस दिनांक से, जो सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त किया जाय, प्रचलित होगा।

धारा ३, खंड (३)

यह निश्चित हुआ कि धारा ३ के खंड (३) की पंक्ति २ और ३ में शब्द "संग्राहिताओं (कलेक्टिंग एजेंसीज) द्वारा" के पहले शब्द "ऐसे" और बाद में शब्द "जो नियत किये जायं" बढ़ा दिये जायं।

समिति ने यह भी निश्चित किया कि धारा ४ के खंड (२) (क) के उपखंड (१) में शब्द "और" और "मरम्मत" के बीच में शब्द "उनकी" बढ़ा दिया जाय और उपखंड (३) में शब्द "स्वीकृति" के स्थान पर "स्वीकृत" रखा जाय और शब्द "स्थानीय आधिकारिक" अपने स्थान से निकाल कर "मैनेजर को" और "राज्य सरकार" के बीच शब्द "या किसी स्थानीय आधिकारिक (लोकल अथारिटी) या गृह-निर्माण संस्था (हाउसिंग सोसाइटी) को" बढ़ा दिये जायं। यह संशोधन गृह निर्माण समितियों को श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से मान लिया गया, किन्तु प्रतिबन्ध यह रखा जायगा कि संस्था को सरकार द्वारा नियत कुछ प्रातिमानिक उपविधि (माडेल बाईलाज) बनाने होंगे।

इसी धारा के खंड (२) (ख) के उपखंड (३) के सम्बन्ध में यह और संशोधन किये गये। इस उपखंड में शब्द "पुस्तकालय" के बाद शब्द "वाचनालय" बढ़ा दिया गया और शब्द "प्रचार" के स्थान पर शब्द "जनता को सुनाने का बेतार का यन्त्र (कम्युनिटी वायरलेस लिसेनिंग)" रखे गये और शब्द "व्यवस्था"

और "उन्नति" के बीच में आये शब्द "की" के स्थान पर शब्द "और" रखे जायं।

धारा ७ के सम्बन्ध में यह संशोधन किया गया कि "इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, १९१३ की धारा १४४ के निदेशों के अधीन कम्पनी के लेखा परीक्षक (आडिटर) का काम करने के योग्य हो" के स्थान में "राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया जाय" रखा जाय। यह संशोधन इस विचार से प्रस्तुत किया गया कि इंडियन कम्पनीज ऐक्ट की उक्त धारा के अधीन योग्यता रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में अधिक व्यय होगा और राज्य सरकार को नियुक्ति में अपने विवेक के प्रयोग का अवसर देना भी वांछनीय होगा। यह भी सुझाव दिया गया कि आडिटर की रिपोर्ट परामर्श समिति को भी दी जानी चाहिए। अतएव उक्त धारा के प्रथम पैरा में "राज्य सरकार" के बाद "और परामर्श समिति" रख दिया गया।

धारा ११

धारा ११ की उपधारा (२) में "पढ़कर सुनाई" के स्थान में "समझा दी" रखना आवश्यक समझा गया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया कि अनपढ़ श्रमिकों को केवल पढ़ कर सुनाने से काम न चल सकेगा और पट्टे को बहुत सी भाषाओं में छपवाना पड़ेगा जिससे अनावश्यक असुविधा और व्यय होगा। इसलिये उनको आशय समझाना उचित है।

श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि धारा ११ के खंड (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (१) के अधीन नियत शर्तों में इस विषय में किसी बात के रहते हुए भी, किसी फैक्टरी में नियुक्त व्यक्ति, जो किसी निवास का उपयोग कर रहा हो, नौकरी से बरखास्त होने या हटाये जाने पर उस निवास से नहीं निकाला जायगा, जब तक कि उस अवधि के बाद सात दिन न बीत जायं, जो उसके इस प्रकार बरखास्त होने या हटाये जाने से उत्पन्न औद्योगिक झगड़े (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट) के, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय से सम्बन्धित विधि के अनुसार, निवेदन करने (रेफर) के लिए निर्धारित हो और यदि उस झगड़े का इस प्रकार निवेदन (रेफरेंस) कर दिया गया हो तो जब तक कि उसका अन्तिम रूप से निबटारा न हो जाय।"

धारा १४ पर विचार करते हुए यह प्रतीत हुआ कि उपखंड (७) अनावश्यक है और इसे निकाल दिया जाय और वह निकाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप उपखंड (८) से (१३) तक में संख्याओं का परिवर्तन कर दिया गया।

धारा ४ में परिवर्तन के कारण धारा १४ (२) के खंड (७) में शब्द "गृह निर्माण संस्था" "(लोकल अथारिटी)" के बाद बढ़ा दिये गये।

समिति ने यह निश्चय किया कि संशोधित विधेयक को गजट में छपवाने की आवश्यकता नहीं है।

सम्पूर्णानन्द,	सूर्यप्रसाद अवस्थी,
विनय कुमार मुकर्जी,	राजाराम शास्त्री,
प्रकाशवती सूद,	अक्षयबर सिंह,
राम शंकर लाल,	बादशाह गुप्त,

*संशोधन उपस्थित करने का अधिकार सुरक्षित है।

लुत्फ अली खां,
ई० एम० फिलिप्स,
नारायण दास,
नवाब सिंह चौहान
*मुफ्ती फखरुल इस्लाम।

गंगा प्रसाद,
प्रयाग नारायण,
कृष्ण शरण आर्य,
केशव गुप्त,

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधेयक, १९५० ई०

[जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है।]

[उत्तर प्रदेश शुगर ऐण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐण्ड डेवेलपमेंट फण्ड बिल, १९५०]

शक्कर और चालक मद्यसार के उद्योगों के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति एवं उक्त उद्योगों के विकास की योजनाओं के लिए द्रव्य की उत्तम व्यवस्था के लिए

विधेयक (बिल)

शक्कर और चालक मद्यसार (पावर अल्कोहल) उद्योगों के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति और उनके लिए गृह-निर्माण तथा चिकित्सा सेवाओं की योजनाओं के लिए द्रव्य की व्यवस्था के उद्देश्य से धन प्राप्त किया गया है और इसके बाद भी प्राप्त किया जायगा ;

और यह उचित और आवश्यक है कि एक निधि की स्थापना की जाय और उसके प्रचालन के लिये उपर्युक्त साधन की व्यवस्था की जाय ;

इसलिये निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

१--(१) इस विधान का नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग, श्रमिक कल्याण और विकास निधि विधान (ऐक्ट), १९५० ई० होगा। [उत्तर प्रदेश शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेवेलफेयर ऐन्ड डेलपमेंट फण्ड एक्ट, १९५०]।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक पर प्रचलित होगा जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं

२--इस विधान में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर--

(क) "परामर्श समिति" का तात्पर्य उस परामर्श समिति से है जो धारा १२ के अधीन संगठित की जाय ;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" का अर्थ वही होगा जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७, में सेन्ट्रल गवनमेंट को दिया गया है ;

(ग) "कमिश्नर" का तात्पर्य धारा १३ के अधीन नियुक्त लेबर वेलफेयर कमिश्नर से है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारी हो सकता है जो कमिश्नर द्वारा इस विधान के अधीन उसके कार्यों को करने के लिये लेख में अधिकृत किया जाय;

(घ) "फैक्ट्री" का अर्थ वही है जो उसे फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ में दिया गया है;

(ङ) "निधि" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफयर ऐन्ड डेवेलपमेंट फंड) से है;

(च) "गृह निर्माण मंडल" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक गृह-निर्माण मंडल (लेबर हाउसिंग बोर्ड) से है जो धारा १० के अधीन संगठित किया जाय;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस विधान के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है; और

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरप्रदेश की सरकार से है।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्य-सार उद्योग श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना।

३—(१) राज्य सरकार द्वारा एक निधि स्थापित की जायगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग समिति कल्याण और विकास निधि (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल इन्डस्ट्रीज लेबर वेलफेयर ऐन्ड डेवेलपमेंट फन्ड) होगा।

(२) यह निधि भारत के रिजर्व बैंक में नियत रीति से, या राज्य सरकार की अनुज्ञा से किसी अनुसूचित (शेडचूल्ड) बैंक में रखी जायगी।

(३) ऐसे सब द्रव्य जो प्राप्त किये जा चुके हैं या जो प्राप्त किये जायेंगे या जो निधि के लिये या उसकी ओर से दिये जायेंगे, ऐसे संग्रहीताओं (कलेक्टिंग एजेन्सीज) द्वारा जो नियत किये जायं निधि के खाते में भारत के रिजर्व बैंक, कानपुर में या किसी अनुसूचित (शेडचूल्ड) बैंक में, जैसी भी दशा हो, जमा किये जायेंगे।

(४) इस निधि के तीन अलग-अलग खाते होंगे:—

(क) गृह निर्माण खाता (हाउसिंग एकाउन्ट),
(ख) सामान्य कल्याण खाता (जेनरल वेलफेयर एकाउन्ट),
(ग) विकास खाता (डेवलपमेंट एकाउन्ट)।

(५) प्रत्येक खाते में निम्नलिखित जमा होगा:—

(क) ऐसा धन जो निधि के आगमों (रिसोसेंज) में से, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा खाते में रक्खा जाय;

(ख) कोई अनुदान (ग्रांट) जो उसके लिये राज्य सरकार द्वारा दिया जाय;

(ग) कोई अंश दान (कन्ट्रीब्यूशन) जो उसके लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जाय; और

(घ) कर (चार्जेज) शुल्क (फीस) या दूसरे द्रव्य जो एसे खाते में उस रीति से दिये जायं या देय हों जो नियत की जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह-निर्माण खाते में निम्नलिखित भी जमा किया जायगा:—

(१) किराया, यदि कोई ऐसे खाते के हिसाब से बनाये गये गृह निवास (हाउसिंग एकोमोडेशन) से प्राप्त किया जाय;

(२) गृह निर्माण मंडल से प्राप्त कोई और द्रव्य।

(६) ऐसे दूसरे सब धन जो निधि के लिए या निधि के हिसाब में प्राप्त हों, नियत रीति से उपर्युक्त खातों में से प्रत्येक में विभक्त किये जायंगे और जमा किये जायेंगे।

प्रयोजन जिसके लिये कोष उपयोग में लाया जा सकता है।

४--(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के कल्याण की उन्नति, उनके लिए गृह निर्माण, चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्ध और साधारणतया शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के विकास की उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं में व्यय के लिये निधि का उपयोग किया जायगा।

(२) उक्त निदेशों की व्यापकता को बाधित न करते हुए निधि के प्रत्येक खाते का धन नीचे लिखे कार्यों में लगाया जा सकता है :--

(क) गृह-निर्माण खाता--

(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के लिए गृह निवास बनाने, सुरक्षित रखने और उनकी मरम्मत करने का व्यय और इस सम्बन्ध में सेवा और सुविधाओं की व्यवस्था;

(२) खण्ड (१) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए योजनाओं की तैयारी का और उस प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि की प्राप्ति या सम्पत्ति के क्रय का व्यय;

(३) खंड (१) और (२) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए गृह-निर्माण मंडल द्वारा स्वीकृत योजना की सहायता में, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरी के स्वामी, एजेन्ट या मैनेजर को या किसी स्थानीय आधिकारिक (लोकल अथारिटी) या गृह-निर्माण संस्था (हाउसिंग सोसाइटी) को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन धन का अनुदान;

(४) गृह-निर्माण मंडल के सदस्यों का भत्ता (एलाउन्स) यदि कोई हो और वे धनराशियां जिनका उपधारा (१) के अधीन खाते से व्यय किया जा सकता हो (डेबिटेबिल टु दी एकाउन्ट);

(५) और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के गृह-निर्माण खाते में से करने का आदेश दे।

(ख) सामान्य कल्याण खाता--

१--शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग के श्रमिकों के लाभ के लिये एसी योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय जो निम्निलिखित के सम्बन्ध में हों--

(१) स्वास्थ्य और सफाई की उन्नति, बीमारियों का रोकना, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, प्रसूति सहायता (मैटिरनिटी) और वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं की उन्नति और ऐसे शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था और प्रबन्ध जिनके स्वामियों को, उपधारा (३) के अधीन कोई सहायता का अनुदान नहीं मिलता हो, उद्योग सम्बन्धी सफाई (हाईजीन) की उन्नति और सामाजिक चिकित्सा सम्बन्धी खोज का कार्य;

(२) जल की व्यवस्था और धोने की सुविधा और इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था और सुविधाओं की उन्नति;

(३) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय, वाचनालय और जनता को सुनाने का बेतार का यन्त्र (Community wireless listening) भी है, व्यवस्था और उन्नति;

(४) जीवन के स्तर की (स्टैन्डर्ड आफ लिविंग) उन्नति जिसके अन्तर्गत पौष्टिक पदार्थ, सामाजिक दशा का सुधार और आमोद-विनोद (रिक्रिएशनल) की सुविधाओं की व्यवस्था भी है;

(५) काम पर आने-जाने के लिए वाहन (ट्रांस्पोर्ट) की व्यवस्था।

२—परामर्श समिति के सदस्यों का भत्ता, यदि कोई हो और वे धनराशियां, जिनका उपधारा (१) के अधीन खाते से व्यय किया जा सकता हो ;

३—और कोई व्यय जिसे राज्य सरकार निधि के सामान्य कल्याण खाते में से करने का आदेश दे।

(ग) विकास खाता—

(१) शक्कर, मद्यसार और उनसे बनी हुई अन्य वस्तुओं के बनाने से संबंध रखने वाले विशेष शिक्षा (टेक्निकल एजुकेशन) या शिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय। उक्त शिक्षा या शिक्षण के अन्तर्गत ईख को पैदा करने और दोनों उद्योगों के उपोत्पादों (बाई प्राडक्ट्स) के उपयोग की शिक्षा और शिक्षण भी हैं ;

(२) ईख के पैदा करने और उपर्युक्त वस्तुओं के बनाने (मैनफैक्चर) और उपयोग करने से सम्बन्धित खोज कार्य में सब प्रकार की सुविधा देने का व्यय, जिसके अन्तर्गत अग्रिम और (पाइलाट ऐन्ड लार्ज स्केल ट्रायल्स) का व्यय है ;

(३) सामान्यरूप से शक्कर और मद्यसार के उद्योगों के विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था का व्यय और ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण और सिंचाई की सुविधा की भी व्यवस्था भी होगी।

(३) उपधारा (२) में किसी बात के रहते हुए भी, राज्य सरकार निधि के समान्य कल्याण खाते में से, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के ऐसे स्वामियों को, जो अपने फैक्टरी में, नियुक्त श्रमिकों के लाभ के लिए नियत स्तर की चिकित्सा सेवाओं का कमिश्नर के संतोषप्रद रूप में प्रबंध रखते हैं, वार्षिक सहायक अनुदान दे सकती है। किन्तु फैक्टरी के स्वामी को देय अनुदान की मात्रा का निर्धारण नियत आधिकारिक नियत रीति से समय-समय पर करेगा।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों द्वारा स्थापित चिकित्सा सेवाओं के संबंध में यदि किया हुआ व्यय नियत आधिकारिक के अवधारण के अनुसार नियत धनराशि से कम हो तो उक्त चिकित्सा सेवाओं के संबंध में कोई सहायक अनुदान देय न होगा।

५—(१) निम्नलिखित व्यय निधि में से हो सकेगा:— निधि के व्यय

(क) धारा ४ में लिखित प्रयोजनों में से किसी के संबंध में किया हुआ समस्त व्यय ;

(ख) निधि के प्रशासन का व्यय और कमिश्नर, इन्स्पेक्टरों, वेलफेयर आफिसरों और ऐसी योजनाओं के निरीक्षण और कार्यान्वित करने के लिए, जिनका निधि से व्यय दिया जाता हो, नियुक्त दूसरे कर्मचारियों का वेतन और भत्ता, यदि कोई हो।

(२) वह व्यय जो निधि में डाला जायगा निधि के प्रत्येक खाते में ऐसी रीति से बांटा जायगा जो नियत की जाय।

(३) राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वह इसका निर्णय करे कि कोई विशेष व्यय निधि के गृह-निर्माण खाते में या सामान्य कल्याण खाते में या विकास खाते में डाला जा सकता है या नहीं और इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(४) नैत्यक (रुटीन) या आवश्यक प्रकार के व्यय के अतिरिक्त निधि से किसी अन्य प्रकार के व्यय करने से पूर्व, राज्य सरकार या गृह-निर्माण मंडल जैसी भी दशा हो, परामर्श समिति से परामर्श कर लेगी।

(५) राज्य सरकार समय-समय पर निधि से किसी प्रकार के व्यय के संबंध में ऐसे आदेश देगी जिसे वह उचित समझे।

कोष का प्रशासन और प्रबंध।

६—निधि का प्रबंध, प्रशासन नियंत्रण और रक्षा एवं उसका उपयोग और उसमें से भुगतान, राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होगा।

हिसाब की जांच।

७—निधि के हिसाब की जांच प्रति वर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जाय और उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार और परामर्श समिति के पास भेजी जायगी।

लेखा परीक्षक (आडिटर) की रिपोर्ट पर निधि का प्रबंधक आधिकारिक विचार करेगा और उस पर जो कार्य किया जायगा उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जायगी।

हिसाब और व्यय का प्रकाशन।

८—राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में निधि में से प्राप्त होने वाले द्रव्य तथा किये जाने वाले व्यय के अनुमानित लेख (एस्टिमेट) प्रकाशित करेगी और इसके साथ निधि के द्रव्य से पूर्व वर्ष में किए हुए कार्यों के हिसाब का ब्यौरा और रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगी:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब निधि प्रथम बार संगठित की जाय तो इस प्रकार के प्रशासन में ऐसे संगठन के बाद के जून के महीने तक या जून भर तक विलम्ब हो सकता है।

कोष के द्रव्य का विनियोजन।

९—राज्य सरकार समय-समय पर निधि के किसी भाग का केन्द्रीय सरकार को सिक्योरिटी या अन्य किसी सिक्योरिटी में अथवा किसी बैंक में स्थायी जमा (फिक्स्ड डिपाजिट) के रूप में जैसा वह उचित समझे, विनियोजन कर सकती है और ऐसे विनियोजनों का निस्तार (डिस्पोजल) कर सकती है अथवा उसे उसी प्रकार के दूसरे विनियोजनोंमें परिवर्तित कर सकती है।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह-निर्माण मंडल।

१०—(१) शक्कर और चालक मद्यसार उद्योगों के श्रमिकों के निमित्त उपयुक्त गृह निवास की व्यवस्था के लिए और इस विधान (ऐक्ट) के अधीन गृह-निर्माण मंडल के दूसरे कार्यों के करने के लिए निधि के निर्माण खाते से द्रव्य पाने वाली योजनाओं को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से तैयार करने और कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह-निर्माण मंडल (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल लेबर हाउसिंग बोर्ड) संगठित करेगी।

(२) गृह-निर्माण मंडल का सभापति कमिश्नर होगा और उसके दूसरे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वे उस प्रकार चुने जायेंगे जो नियत किया जाय।

(३) गृह-निर्माण मंडल सतत अनुक्रम वाली (हैविंग परपीचुएल सक्सेशन) एक निगमीकृत (कारपोरेट बाडी) संस्था होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार श्रमिक गृह-निर्माण मंडल (यू० पी० शुगर ऐन्ड पावर अल्कोहल हाउसिंग बोर्ड) होगा। इस संस्था की एक सामान्य मुद्रा (कामन सील) होगी और इसे चल और अचल

दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी (स्यू) और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा (बी स्यूड)।

(४) केवल इस कारण से कि गृह-निर्माण मंडल में कोई पद रिक्त है या उसके संगठन में कोई त्रुटि है, गृह-निर्माण मंडल द्वारा किए गए किसी कार्य पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

गृह निवास के उपभोग के प्रतिबन्ध

११--(१) निधि के गृह-निर्माण खाते के द्रव्य से संबंध रखने वाले किसी गृह निवास का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग सदैव ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहेगा जो ऐसे निवास के उपभोग के संबंध में नियत किए जायं।

(२) ऐसे निवास के उपभोग करने से पूर्व उस व्यक्ति को उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों की एक प्रतिलिपि दी जायगी और यदि वह ऐसा चाहे तो उसे उक्त शर्तें ऐसी भाषा में समझा दी जायंगी जिसे वह समझता हो और सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए ऐसी रीति से जिसे, वह अत्यन्त उपयुक्त समझे, गृह-निर्माण मंडल ऐसे परिवर्तनों को प्रकाशित करेगा जो उक्त शर्तों में समय-समय पर किए जायं।

(३) यदि गृह-निर्माण मंडल के मत में कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे निवास का उपभोग करता हो, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों में से किसी का अनुपालन न करे, या करना छोड़ दे तो गृह-निर्माण मंडल लिखित सूचना द्वारा उसे इस बात का आदेश दे सकता है कि वह ऐसे दिनांक को या ऐसे दिनांक से पूर्व जो नोटिस में निर्दिष्ट हो और जो नोटिस की तामील से तीस दिन से कम न हो, निवास को छोड़ दे और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक को बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके किसी अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे निवास का उपभोग अवैध होगा और ऐसा व्यक्ति या उसके अधीनस्थ ऐसे निवास से, किसी अन्य रीति के अतिरिक्त इस संबंध में गृह-निर्माण मंडल द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को प्राथना पत्र दिए जाने पर निकाले जा सकते हैं और तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इस प्रकार का अधिकृत दूसरा मैजिस्ट्रेट उस निवास से उक्त व्यक्ति या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों को निकाल सकता है।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि उपधारा (१) के अधीन नियत शर्तों में इस विषय में किसी बात के रहते हुए भी, किसी फैक्टरी में नियुक्त व्यक्ति, जो किसी निवास का उपभोग कर रहा हो, नौकरी से बरखास्त होने या हटाये जाने पर उस निवास से नहीं निकाला जायगा जब तक कि उस अवधि के बाद सात दिन न बीत जायं जो उसके इस प्रकार बरखास्त होने या हटाये जाने से उत्पन्न औद्योगिक झगड़े (इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट) के, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय से संबन्धित विधि के अनुसार निवेदन करने (रेफर) के लिए निर्धारित हो और यदि उस झगड़े का इस प्रकार निवेदन (रेफरेंस) कर दिया गया हो तो जब तक कि उसका अंतिम रूप से निपटारा न हो जाय।

(४) उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्ति या उसके अधीनस्थ को निकलते समय मैजिस्ट्रेट निवास को खाली कराने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(५) ऐसे निवास के उपभोग के संबंध में ऐसे दर से किराया (रेंट) देय होगा जो नियत किया जाय :

किन्तु यह प्रतिबंध है कि गृह-निर्माण मंडल, उपधारा (१) में उल्लिखित शर्तों के सदैव प्रतिपालन के अधीन पूरे नियत किराये की या उसके किसी भाग की छूट दे सकता है :

और यह भी प्रतिबंध है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो प्रथम प्रतिबंध के अधीन छूट के कारण कोई किराया न देता हो या कम किराया देता हो, गृह-निर्माण मंडल को यह विश्वास करने का आधार हो कि ऐसे व्यक्ति ने उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लघंन किया है तो वह लिखित नोटिस देकर ऐसे व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह नोटिस

की तामील से सात दिन की समाप्ति से ऐसे निवास के लिए जिसे वह उपभोग में लाता हो, पूरे नियत दर से किराया दे।

(६) पूर्वोक्त निवास के उपभोग के संबंध में देय सभी किराया चाहे वह पूरे नियत दर से हो या कम दर से, भूमि की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जायगा।

परामर्श समिति

१२—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, एक परामर्श समिति संगठित कर सकेगी जो ऐसे मामलों में परामर्श देगी जिनके संबंध में इस विधान के अधीन राज्य सरकार या गृह-निर्माण मंडल को उससे परामर्श करना आवश्यक है, या किसी ऐसे अन्य मामले के विषय में जिसका संबंध इस विधान के प्रशासन से हो और जिसे राज्य सरकार समिति के पास परामर्श के लिए भेजे।

(२) परामर्श समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जायंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वे उस रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय :

किन्तु यह प्रतिबंध है कि परामर्श समिति की सदस्यता में सरकार, शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों और उनमें नियुक्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी।

(३) परामर्श समिति का सभापति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

अधिकारियों की नियुक्ति और शक्ति

१३—(१) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं की परीक्षा और उनको कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार एक लेबर वेलफेयर कमिश्नर और उतने इन्सपेक्टर, वेलफेयर आफिसर और दूसरे कर्मचारी नियुक्त करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(२) इस प्रकार नियुक्त किया हुआ प्रत्येक व्यक्ति इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में एक जनसेवक (पब्लिक सर्वेंट) समझा जायगा।

(३) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं की निरीक्षा या उनको कार्यान्वित करने के प्रयोजन से, कमिश्नर, इंस्पेक्टर या वेलफेयर आफिसर ऐसी सहायता के साथ जिसे वह उचित समझे, सभी उपयुक्त समय पर आवश्यकतानुसार किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और वहां पर अपने कर्त्तव्य के उचित पालन के लिए कोई आवश्यक कार्य कर सकता है।

नियम बनाने का अधिकार

१४—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के प्रतिबंध के अधीन इस विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए, इस धारा के अधीन बनाए हुए नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(१) गृह-निर्माण मंडल का संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की रीति, उसके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो और वह रीति जिसके अनुसार गृह-निर्माण मंडल अपना कार्य करेगा और उसके अधिवेशन की इयत्ता (कोरम) के लिए सदस्यों की आवश्यक संख्या;

(२) गृह-निर्माण मंडल द्वारा रखे जाने वाले हिसाब के खाते और उसके द्रव्य सम्बन्धित अनुमानित लेखों और हिसाब के विवरण के फार्म ;

(३) परामर्श समिति के संगठन, उसके सदस्यों के चुनने की रीति और उनके कार्यकाल की अवधि और उनको देय भत्ता, यदि कोई हो, और वह रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना कार्य करेगी;

(४) निधि के गृह-निर्माण खाते, सामान्य कल्याण खाते और विकास खाते में उस व्यय का विभाजन जो निधि के प्रशासन और इस विधान के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कमिश्नर, इंस्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर और दूसरे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के संबंध में किया जाय ;

(५) धारा ४ की उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए शक्कर और चालक मद्यसार उद्योगों के लिए स्वामियों द्वारा व्यवस्थित चिकित्सा सेवा के स्तर (स्टैन्डर्ड और उन चिकित्सालयों तथा अन्य स्थानों की निरीक्षा और देखभाल जहां पर ऐसी सेवाओं की व्यवस्था की गयी हो);

(६) शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों द्वारा सहायक, अनुदानों के लिए प्रार्थना-पत्र और वह आधिकारिक जिसको वह और रीति जिसमें इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिए जायंगे और वह ब्यौरे जो इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र में दिए जायेंगे;

(७) स्थानीय आधिकारिक (लोकल अथारिटी) गृह-निर्माण संस्था या शक्कर या चालक मद्यसार फैक्टिरयों के स्वामी, एजेन्ट या प्रबंधक को निधि के सामान्य कल्याण खाते से दिए जाने वाले द्रव्य के अनुदान के संबंध में शर्तें;

(८) निधि के गृह-निर्माण खाते से व्यवस्थित गृह निवास के किराये के दर;

(९) निधि के द्रव्य से चलाई हुई योजनाओं की निरीक्षा और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त इंस्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर या दूसरे अधिकारियों द्वारा सेवा और उनके कर्तव्यों की शर्तें;

(१०) कमिश्नर के कर्त्तव्य और कार्य;

(११) शक्कर और चालक मद्यसार फैक्टरियों के स्वामियों, एजेंटों और मैनेजरों द्वारा गणना संबंधी (स्टैटिस्टिकल) या अन्य सूचना का दिया जाना और इस खंड के अधीन बने हुए नियमों के अनुपालन न करने के लिए अर्थ-दंड जो दो सौ रुपये से अधिक न हो; और

(१२) ऐसे मामले जो नियत करने को हैं या जो और नियत किए जायं।

उद्देश्य और कारण

देश में उद्योग संबंधी इमारत की समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से है जो इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं। गृह-निर्माण का व्यय बहुत बढ़ा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त किराया जिसके अन्तर्गत अवमूल्यन (डेप्रीसिएशन) रख-रखाव और मरम्मत एवं गृह-निर्माण की साधारण लागत के निमित्त पूंजी से उचित लाभ है, औद्योगिक मजदूरों की शक्ति के प्रायः बाहर हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों में गृह-निर्माण योजना के लिए पूंजी का प्रबंध कठिनता से रहित नहीं है। गृह-निर्माण योजना को प्रचलित करने के लिए द्रव्य संग्रह का कोई मार्ग ढूंढना पड़ेगा। कोयले के उद्योग में, बिके हुए कोयले के प्रति टन पर कुछ आने के रूप में कर लगाये गए हैं और उसे कोयला खान श्रम कल्याण निधि (कोल माइन लेबर वेलफेयर फण्ड) में विनियुक्त किया गया है। मूल्य के अधिक होने तथा अन्य कारणों से, अन्य औद्योगिक उत्पादनों के संबंध में इस प्रकार का कर नहीं लगाया गया। तथापि अखिल भारत के आधार पर इस काम को करना ही पड़ेगा।

युद्ध से पूर्व तथा युद्ध के समय में बहुत काल तक चीनी के कारखानों में निकला हुआ सीरा (मोलैसेज) का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता था और वह एक प्रकार का घृणित औद्योगिक अपव्यय समझा जाता था। जो कुछ सीरा (मोलैसेज) बेचा जाता था वह प्रायः २ पैसे प्रति मन जैसे कम मूल्य पर बिकता था। चीनी के कारखाने उसको हटाने के लिए प्रायः लोगों को द्रव्य भी देते थे। लड़ाई के दिनों में चीनी के कम होने तथा संक्रमण और अन्य कठिनाई के कारण, युद्ध के अन्तिम समय में सीरा (मोलैसेज) का मूल्य बढ़ गया और वह प्रायः प्रति मन ६ रु० जैसे ऊंचे दर पर बिकने लगा। उस समय देश रक्षा के निमित्त मद्यसार (अल्कोहल) उद्योग स्थापित किया गया और ऐसे सीरा (मोलैसेज का मूल्य जो मद्यसार (अल्कोहल) बनाने वालों को दिया जाता था, नियंत्रित किया गया जिससे कि मद्यसार (अल्कोहल) का मूल्य उचित रीति से नीचे भाव से रहे। (प्रति मन अधिकतम ६ आना) । युद्ध की समाप्ति के बाद मद्यसार (अल्कोहल) का महत्व और बढ़ गया क्योंकि गाड़ियों के चलाने के लिए बाहर से जो पेट्रोल आता था उसमें इसका प्रयोग किया जाता था और इस प्रकार बाहर से पेट्रोल मंगाने की आवश्यकता कम हो जाती थी। आजकल तो लड़ाई के समय की अपेक्षा सीरा (मोलैसेज) के मूल्य को कम रखना अधिक आवश्यक है। अन्य प्रयोजनों के लिए जो सीरा (मोलैसेज) बचा जाता ह उसका मूल्य प्रायः प्रति मन डेढ़ रुपय. है। इस प्रकार उस सीरा (मोलैसेज) के मूल्य में जो मद्यसार (अल्कोहल) उद्योग के लिए और उसके जो दूसरे को बेच जाता है, लगभग १ रुपया का अन्तर है। मद्य-सार (अल्कोहल) उद्योग को दिए जाने वाले सीरा (मोलैसेज) को उपपन्न (नेशनलाइज) करने के लिए और संक्रमणके न्यूनतम उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि मद्यसार (अल्कोहल) उद्योग के निमित्त, प्रत्येक चीनी के कारखाने का निकला हुआ सीरा (मोलैसेज) की निर्दिष्ट प्रतिशत के स्थान में कुछ अन्य चीनी के कारखानों से भी सीरा (मोलैसेज) लाया जावे। इसका परिणाम यह होगा कि उन कारखानों को जो मद्यसार (अल्कोहल) उद्योग को सीरा (मोलैसेज) देंगे और उन कारखानों की अपेक्षा जो दूसरों को देंगे, क्षति उठानी पड़गी। एक बात और भी है चीनी के मूल्य को नियन्त्रित करने में

सीरा (मोलैसेज) की बिक्री से प्राप्त द्रव्य को एक निर्दिष्ट मात्रा में घटाना पड़ता है। उपर्युक्त कारणों से यह उपयुक्त समझा गया कि सीरे (मोलैसेज) का मूल्य प्रति मन ४ आना ६ पाई कर दिया जाय। खुली बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त द्रव्य का विनियोग एक ऐसे निधि में कर दिया जाता था जिसे चीनी तथा मद्यसार (अल्कोहल) उद्योग के लाभ के लिए विशेष कर चीनी के कारखानों में श्रमिकों के मकान के प्रबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता। इंडियन शुगर सिन्डिकेट इस प्रबंध के लिए सहमत थी और सीरे (मोलैसेज) की स्वतंत्र बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त द्रव्य को सरकारी हिसाब में देती रही है। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य यह है कि ऐसे द्रव्य से एक निधि बनाई जाय और द्रव्य के उचित उपयोग का प्रबंध किया जाय।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कोल माइन वेलफेयर फंड ऐक्ट के आधार पर आवश्यक परिवर्तन के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सम्पूर्णानन्द,
श्रम मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २७ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई। अध्यक्ष--माननीय श्री नफ़ीसुल हसन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६८)

अचलसिंह, श्री
अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल गनी अन्सारी, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इर्तिजा हुसैन, श्री
इन्द्र देव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
उदयबीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कमलापति तिवारी, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनचन्द पुरी, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गणपति सहाय, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुरु नारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हुसैन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीन दयालु अवस्थी, श्री

दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागी लाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहन लाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुकुंदलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुजफ्फर हुसेन, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद एवज खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री

यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
राजकुंवार सिंह, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री
राधा मोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामधर मिश्र, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
रौशन जमा खां, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयकुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकरदत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडे, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेई शास्त्री, श्री

श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
संपूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सरवत हुसैन, श्री
सलीम हामिद खां, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हसरत मोहानी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

लम्बित प्रश्नों के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम में जो प्रश्न चढ़े हुए हैं उनके संबंध में मुझे एक वैधानिक संकट उपस्थित करना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो उस वैधानिक संकट को मैं अभी उपस्थित कर दूं या प्रश्नों का जो घंटा है उसके बाद उपस्थित कर दूं।

माननीय अध्यक्ष--मैं यह समझता हूं कि प्रश्न खत्म हो जाने दीजिए उसके बाद में आप को अवसर दूंगा।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २७ दिसम्बर, १९५० ई०

[२६ दिसम्बर, १९५० ई० के स्थगित प्रश्न]

(दूसरे दिन के लिए निर्धारित)

तारांकित प्रश्न

लालगंज, जिला रायबरेली के शक्कर के एक व्यापारी का सरकार को तार

*१--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि रायबरेली में अतिवृष्टि वाले दिन के तीसरे दिन जिला रसद विभाग के नाम लालगंज के शक्कर के एक थोक व्यापारी ने तार दिया कि अतिवृष्टि के कारण उसके सारे बोरे नष्ट हो गए?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (मन्त्री अन्न)--जी हां। लालगंज के शक्कर के एक थोक व्यापारी ने जिला रसद विभाग को एक तार दिया था कि अतिवृष्टि के कारण उनके गोदाम में शक्कर के स्टाक को काफी हानि पहुंची तथा जांच अति आवश्यक है।

*२--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सच है कि जांच करने पर शिकायत गलत पायी गयी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि अतिवृष्टि के कारण कुछ बोरे भीग गए थे, परन्तु कोई विशेष हानि नहीं पहुंची थी।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि जिस गोदाम में यह शक्कर रखी हुई थी वह टाट का बना हुआ था और उसमें कोई निशान पानी गिरने के नहीं थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास जो इत्तिला है उसमें यह तो नहीं मालूम कि वह गोदाम टाट का बना था या नहीं, लेकिन यह सूचना अवश्य मिली कि कुछ शक्कर पानी से भीगी थी।

*३--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--इस व्यापारी का क्या नाम है और क्या इस फर्म के कोई हिस्सेदार भी हैं और उनके क्या नाम हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस व्यापारी का नाम श्री बैजनाथ है और उनका हिस्सेदार केवल एक व्यक्ति है जिनका नाम श्री रामकृष्ण है।

❀ ❀ ❀ ❀

जन्माष्टमी के अवसर पर शक्कर का अभाव

*२२--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जन्माष्टमी के समय किन-किन शहरों व देहातों में शकर का अभाव था?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जन्माष्टमी के अवसर पर शक्कर के अभाव की कोई सूचना सरकार के पास किसी खास शहर व देहात से नहीं आई। पर शक्कर की कमी के कारण संभव है कि कहीं-कहीं इस अवसर के लिए शक्कर न दी जा सकी हो।

❀ ❀ ❀ ❀

शिक्षा विभाग द्वारा मोटर गाड़ियों की खरीद.

*७१--श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में १९४९ ई० से १९५० ई० के बीच बहुत सी मोटर गाड़ियां सरकारी इस्तेमाल के लिए खरीदी गयीं?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द (शिक्षा मंत्री)--जी हां।

*७२--श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)--यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में है तो कब और क्यों और कितनी और वह कहां-कहां हैं और किस-किस के इस्तेमाल में है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१--मोटर गाड़ियां मार्च, १९४९ और मार्च, १९५० ई० में खरीदी गयी।

२--(क) राजकीय कन्या शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं के आने-जाने की सुविधा के लिए।

(ख) शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा प्रचार के लिए।

(ग) शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत चित्रपट तैयार करने वाले विभाग के चित्रपटों के निर्माण के निमित्त।

(घ) शिक्षा प्रसार विभाग के अधिकारियों के उन प्रौढ़ पाठशालाओं तथा पुस्तकालयों के रात्रि निरीक्षण के लिए जो जिलों के अन्तर्गत हैं।

३--(क) तीन पाठशालाओं को गाड़ियां (बस) मार्च, १९४९ ई० में खरीदी गई।

(ख) १८ पाठशालाओं को गाड़ियां (बस) मार्च, १९५० में खरीदी गई।

(ग) ६ (वैन्स) और २ (स्टेशन वैगन्स) मार्च, १९५० ई० में खरीदे गए।

४--(क) २१ उपरोक्त पाठशालाओं को गाड़ियां निम्नलिखित संस्थाओं में वितरित की गई हैं:--

शिक्षा संस्था		दी हुई गाड़ियों की संख्या
राजकीय कन्या नार्मल विद्यालय, इलाहाबाद	..	२
राजकीय कन्या नार्मल विद्यालय, मेरठ	..	१
राजकीय कन्या नार्मल विद्यालय, फैजाबाद	..	१
राजकीय कन्या नार्मल विद्यालय, मिर्जापुर	..	१
राजकीय कन्या शिशु शिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद	..	१
राजकीय महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद	..	१
राजकीय महिला शिक्षण महाविद्यालय, बरेली	..	१
राजकीय जूनियर हाई स्कूल, लखनऊ	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बरेली	..	२
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोरखपुर	..	२
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांदा	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उन्नाव	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहजहांपुर	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुलन्दशहर	..	१
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिजनौर	..	१
योग	..	२१

(ख) ६ वान्स और २ स्टेशन वैगन्स शिक्षा प्रसार विभाग के पास हैं। वान्स के ढांचे (बाडी) और फिटिंग अब भी बनने के लिए गवर्नमेंट सेन्ट्रल वर्क शाप, उत्तर प्रदेश रोडवेज, कानपुर में पड़े हुए हैं। पांच वान प्रचार-कार्य में प्रयोग किए जायंगे और एक वान और एक स्टेशन वैगन चित्रपट विभाग के चित्र-पटों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जायंगे और दूसरी स्टेशन वैगन जो अभी तक शिक्षा प्रसार विभाग में निरीक्षण कार्य के लिए थी विशेष पदाधिकारी (पाठ्य-पुस्तक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को स्थानान्तरित की जा रही है।

❀ ❀ ❀ ❀

*९३--श्री गुरु नारायण--[२८-१२-५० के लिए स्थगित किया गया।]

[२६ दिसम्बर सन् १९५० ई० के स्थगित प्रश्न]

[तीसरे दिन के लिए निर्धारित]

तारांकित प्रश्न

विलीन काशी राज्य में कपड़े के कोटे का अनुचित वितरण

*२४--श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विलीन बनारस राज्य के कपड़े का कोटा बनारस राज्य के व्यापारियों को न देकर बनारस के इम्पोर्टर्स को क्यों दिया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलीन बनारस राज्य का कपड़े का कोटा बनारस जिले के आयातकों के द्वारा उस समय तक के लिए बांटा जा रहा है जब तक कि किसी दूसरे उपयुक्त प्रबंध पर विचार न हो जाय।

*२५--श्री बेचनराम गुप्त--क्या ऐसा प्रबंध करने में सरकार ने बनारस राज्य के व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रक्खा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--ऐसा प्रबंध इस लिए किया गया है जिससे कि कपड़ा बेरोकटोक निरंतर आता रहे और इसी में उपभोक्ताओं का अधिक से अधिक हित है। विलीन बनारस राज्य के थोक व्यापारियों अथवा फुटकर व्यापारियों को भी कपड़ा बनारस जिले के आयातकों के द्वारा प्राप्त होगा।

*२६--श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विलीन काशी राज्य में कपड़े के थोक के व्यापारियों का एक संघ बनाया जा रहा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*२७--श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कपड़े के व्यापारियों के संघ में ऐसे भी व्यापारी शामिल हैं जिनको चोरबाजारी करने में सजा हो चुकी है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को पता है कि बनारस के सप्लाई अफसर तहसील भदोही से ४० मील की दूरी पर रहते हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हो सकता है।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार को पता है कि इससे वहां की जनता में काफी असन्तोष है और व्यापारियों में भी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जनता में असन्तोष होने का तो कोई कारण नहीं, लेकिन व्यापारियों में हो सकता है।

[बुधवार, २७ दिसम्बर, सन् १९५० ई० के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*१—२—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—[वापस लिये गये।]

शिक्षा संचालक की मोटर गाड़ी

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि शिक्षा संचालक को सरकार ने अपनी ओर से मोटर कार, स्टेशन वैगन या और दूसरे किस्म की मोटर गाड़ी उनके इस्तेमाल के लिये दी है?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शिक्षा संचालक को सरकार की दी हुई मोटर गाड़ी इलाहाबाद में किस काम आती है, जब वे वहां नहीं रहते?

*५—इस गाड़ी के लिए पिछले २ वर्ष में सरकारी काम के लिए हर क्वार्टर में कितने कूपन पेट्रोल के मिले और कितने काम में आये?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ये प्रश्न नहीं उठते।

१९४६-४७ व ४९ में सरकार द्वारा प्राप्त तथा वितीर्ण अन्न

*६—श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष १९४६-४७ व ४९ में कुल कितना गल्ला सरकार ने प्रोक्योरमेंट में खरीदा?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१९४६ में	..	.. ५,१४,५३८ टन
१९४७ में	.	.. ४,७४,६६३ टन
१९४९ में	..	.. ४,७१,४६१ टन

*७—श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों में कुल कितना गल्ला केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेशीय सरकार को मिला?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१९४६ में	..	.. १,५४,५९६ टन
१९४७ में	..	.. २,७६,५२७ टन
१९४९ में	..	.. ३,३६,१३४ टन

*८—श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त वर्षों में कुल जितना गल्ला खरीदा गया और जितना केन्द्रीय सरकार से मिला, उसमें से कितना उपभोक्ताओं को दिया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपभोग के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

१९४६ में	..	.. ५,९४,७६७ टन
१९४७ में	..	.. ७,०४,६०२ टन
१९४९ में	..	.. ६,१४,९४४ टन

श्री खुशवक्त राय--जो आंकड़े प्रश्न ८ के उत्तर में दिये गये हैं उनमें और प्रश्न ६ और ७ में जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें जोड़ में फर्क क्यों है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--फर्क इसलिये है कि जो आंकड़े प्रोक्योरमेंट के दिये गये हैं उनमें वे भी आंकड़े शामिल हैं जिनके अन्तर्गत इस सरकार को बाहर प्रदेशों में कुछ गल्ला बदलने में भेजना पड़ता है।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार को पता है कि सन् १९४९ में जो आंकड़े उपभोक्ताओं के खर्च में आने के लिये दिये गये हैं और जो अन्न हासिल किया गया उनमें १,९२,६५१ टन का फर्क है? क्या इतना गल्ला सरकार ने वहां भेजा?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, सरकार को गेहूँ की अधिक आवश्यकता पड़ती है और सरकार के पास चावल खर्च से अधिक मात्रा में प्रोक्योरमेंट में आता है। दूसरे प्रदेशों को चावल बदले में देना होता है और गेहूँ लेना होता है।

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपया बतावेगी कि सन् १९४९ में १,९२,६५१ टन गल्ला उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा गया या नहीं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसमें जो गल्ला दूसरे प्रदेशों को भेजा गया, जो स्टोरेज में खराब हुआ और जो आने-जाने में खराब हुआ वह भी शामिल है।

श्री खुशवक्त राय--क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना गल्ला बाहर भेजा गया, कितना खराब हुआ और कितना सूख गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--नोटिस मिलने पर बतला सकूंगा।

*९--१३--श्री गुरु नारायण--[२८-१२-५० के लिये स्थगित किये गये।]

विलीन काशी राज्य में कपड़े का वितरण तथा कालीन के व्यवसायियों के लिये सूत

*१४--श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विलीन काशी राज्य में जनता में कपड़ा वितरण करने की क्या व्यवस्था की गयी है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलीन बनारस राज्य के कपड़ा का कोटा बनारस जिले के कपड़े के आयातक द्वारा जिले में लाया जाता है और भदोही, रामनगर तथा चकिया के थोक व्यापारियों को दे दिया जाता है। थोक व्यापारी विलीन राज्य की आम जनता के हाथ कपड़ा बेचने के लिये स्थानीय फुटकर व्यापारियों को कपड़ा वितरित कर देते हैं।

*१५--श्री बेचन राम गुप्त--क्या यह सही है कि करीब साल भर से वहां की जनता को कोई कपड़ा या सूत का कोटा नहीं दिया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*१६--श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वहां के कालीन के व्यवसाइयों को सूत देने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विलीन बनारस राज्य के लिये जिला सहकारी विकास संघ तथा सर्वश्री हीरालाल कालिका प्रसाद सूत का कोटा आयात करते हैं। इस प्रकार आयात किया हुआ कोटा विलीन राज्य के वास्तविक उपभोक्ताओं के हाथ बेंच दिया जाता है।

श्री बेचन राम गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य में साल भर में कितनी बार सूत और कितनी बार कपड़े का कोटा जनता को दिया गया है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री बेचनराम गुप्त—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हीरालाल कालिका प्रसाद जो सूत का आयातक है उसकी काफी शिकायत है और जो सूत उसको मिलता है वह ब्लैकमार्केटिंग में ले जाकर के बेच देता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलने में विलम्ब

*१७—श्री भगवान दीन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रान्त में कितने ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो लगभग २ वर्ष से पेंशन पर हैं परन्तु उनकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है?

*१८—क्या सरकार को मालूम है कि इससे पहिले प्रायः कहीं कम समय में पेंशन के कागजात तैयार होकर सरकारी कर्म चारियों की पेंशन स्वीकृत हो जाया करती थी?

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सूचना सरलता से प्राप्य नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। जब पूरी सूचना मिल जायगी मेज पर रख दी जायगी।

नासिक कांग्रेस सेशन में सम्मिलित होने के लिये माननीय मंत्रियों और सभा-सचिवों का खर्च

*१९—श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि नासिक के कांग्रेस सेशन में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन माननीय मंत्री व कौन कौन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी शरीक होने के लिये गये थे?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—

मुख्य मंत्री,
पुलिस मंत्री,
स्वशासन मंत्री,
विकास मंत्री,
आबकारी मंत्री,
स्वास्थ्य व रसद मंत्री,
श्री जगन प्रसाद रावत,
श्री चरण सिंह,
श्री हर गोविन्द सिंह,
श्री मंगला प्रसाद.

*२०—श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन्होंने आने-जाने में किस-किस सवारी का इस्तेमाल किया?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सब ने रेल से सफर किया। श्री मंगला प्रसाद ने मोटर व बस से भी सफर किया।

*२१—श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)—क्या कृपया सरकार बतायेगी कि इन लोगों के आने-जाने का सर्फा व सफर खर्च उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे चार्ज किया गया है?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—किसी माननीय मंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का सफर-खर्च सरकार के जिम्मे नहीं डाला गया है।

*२२—श्री ई० एम० फिलिप्स (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि माननीय मंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के ऊपर के सफर खर्च के कौन-कौन से नियम लागू हैं और क्या सरकार उनकी एक नकल मेज पर रखेगी?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--मंत्रियों के भत्ते के नियम फाइनेन्शियल हैन्डबुक की तृतीय खंड की परिशिष्ट संख्या ७-ब में दिये हुये हैं। सभा सचिवों के भत्ते का नियम उसी पुस्तक के नियम संख्या ७० में है। इस पुस्तक की प्रतिलिपि विधान सभा के पुस्तकालय में देखी जा सकती है।

*२३--२६--श्री श्याम लाल वर्मा--[स्थगित किये गये।]

कौंसिलर्स रेजीडेंस ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति

*२७--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कौंसिलर्स रेजिडेंस ऐडवाइजरी कमेटी कब और किन आधारों पर नियुक्त हुई थी?

श्री लताफत हुसैन (माननीय निर्माण मंत्री के सभा-सचिव)--सन् १९३८ ई० में यह समिति विधान मंडल के सदस्यों के ठहरने के स्थान से संबंधित सभी मामलों में माननीय स्पीकर को सलाह देने के लिये बनायी गयी थी।

*२८--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या सरकार उन सदस्यों के नाम बतायेगी जो सरकार ने नामजद किये हैं?

श्री लताफत हुसैन--एक विवरण-पत्र मेज पर रख दिया गया है जिसमें वर्तमान समिति के सदस्यों के नाम दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५५ पर)

*२९--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि कौंसिलर्स रेजिडेंस का प्रबन्ध कभी स्पीकर महोदय की निगरानी में एसेम्बली डिपार्टमेंट के द्वारा होता था?

श्री लताफत हुसैन--जी हां, १९३८ ई० में।

*३०--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कौंसिलर्स रेजिडेंस को स्पीकर महोदय के इन्तजाम में देने का विचार कर रही है?

श्री लताफत हुसैन--जी नहीं।

*३१--श्री फखरुल इस्लाम (अनुपस्थित) यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लताफत हुसैन--ये इन्तजाम एक अलग ही विभाग द्वारा किये जा रहे हैं जो विधान मंडल के सदस्यों को सुविधाओं से संबंधित सभी निर्माण कार्यों के लिये स्थापित किया गया है।

फतेहगढ़ के मकान मालिकों के रेंट कंट्रोल और एविक्शन आफिसर को आवेदन पत्र

*३२--श्री काली चरण टंडन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फतेहगढ़ में कितने ऐसे मकान मालिक हैं, जिन्होंने रेंट कंट्रोल और एविक्शन आफिसर को आवेदन-पत्र दिये हैं कि उनके मकान उन्हें रहने के लिये दे दिये जायं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५० ई० में तीस आवेदन-पत्र फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद के मकान मालिकों से प्राप्त हुए जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि उनके मकान उन्हें रहने के लिये दे दिये जायं।

*३३--श्री काली चरण टंडन--क्या यह सच है कि ता० ४ नवम्बर, १९४९ को वहीं के रेंट कंट्रोल और एविक्शन आफिसर ने किसी एक मकान मालिक को उसके किराये के मकान के एक भाग में रहने की लिखित आज्ञा दे दी थी?

नोट--तारांकित प्रश्न २७-३१ श्री अब्दुल बाकी ने पूछे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*३४--श्री कालीचरण टंडन--क्या यह सच है कि कुछ दिन बाद उनके मकान का शेष भाग भी खाली हो गया, और मकान मालिक की धर्मपत्नी ने उसे भी उन्हें देने के लिए निवेदन किया, परन्तु फर्रुखाबाद के जिलाधीश ने उक्त सारे मकान को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के नाम एलाट कर दिया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--लगभग एक वर्ष बाद उक्त मकान का शेष भाग खाली हुआ। किन्तु पूर्व इसके कि जिलाधीश उसे मकान मालिकन को दिये जाने का विचार करता उसके पति के बड़े भाई ने बिना अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त किये ही पूरे मकान पर अधिकार कर लिया। ऐसा अधिकारकरन गैर कानूनी था और यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट के विरुद्ध था। अस्तु उसको मकान नहीं एलाट किया जा सकता था। यह मकान जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को एलाट किया गया।

*३५--श्री कालीचरण टंडन--क्या यह सच है कि ता० ३ जुलाई १९५० ई० के प्रातःकाल पुलिस द्वारा उस मकान मालिक की धर्मपत्नी तथा कई अन्य पारिवारिक जनों को उस मकान से निकाल कर बाहर कर दिया गया?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--चूंकि उक्त मकान कानून के विरुद्ध मकान मालिकन के पति के बड़े भाई के अधिकार में था इसलिये एलाटी को मकान पर कब्जा दिलाने के लिये पुलिस द्वारा उन्हें निकालने की आवश्यकता पड़ी। मकान मालिकन जो कि कानून के विरुद्ध मकान में रहने वाले के साथ थी निकाल दी गई।

*३६--श्री कालीचरण टंडन--क्या उक्त मालिक मकान की धर्मपत्नी ने राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र भेजा है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। इस घटना से मकान मालिकन के कष्टों का सुचारुरूप से विचार कर सरकार ने जिलाधीश को आज्ञा दी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को कोई दूसरा मकान एलाट कर मकान मालिकन को रहने के लिये उक्त मकान वापस दे दिया जावे।

कानपुर के लाला लाजपत राय और उर्सला हार्समैन अस्पतालों के रोगियों के भोजन के खर्च में कमी

*३७--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल और उर्सला हार्समैन अस्पताल में मरीजों के भोजन के लिए कितना धन मंजूर था?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--कानपुर के लाला लाजपत राय तथा उर्सला हार्समैन चिकित्सालयों के मरीजों के भोजन के लिये इस वर्ष क्रमशः २२,५०० रु० और १८,५७० रु० स्वीकृत हुआ था।

*३८--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या उसमें कोई कमी की गयी थी? यदि हां तो कितनी और किस महीने में इसकी सूचना उक्त अस्पतालों को दी गयी?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपरोक्त स्वीकृत धनों में कोई कमी नहीं की गई अपितु लाला लाजपतराय चिकित्सालय के लिये १२,८६० रु० तथा उर्सला हार्समैन के लिये १०,६१० रु० अतिरिक्त अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये हैं। इसकी सूचना उक्त चिकित्सालयों को ३० सितम्बर सन् १९५० ई० को भेज दी गई थी।

कलेक्टरगंज, कानपुर के सरकारी ईशू गोदाम में बोरों के वजन में कमी

*३९—श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार कि मालूम है की कानपुर के कलेक्टरगंज से तेजपाल जमुना दास सरकारी ईशू गोदाम में गेहूं और चावल के बोरे पकड़े गये जो तौल में कम थे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। राशनिंग विभाग के निरीक्षक कर्मचारीवर्ग ने गेंहू और चावल के कुछ ऐसे बोरे पकड़े थे जो प्रामाणिक तौल (स्टैन्डर्ड वेट) के नहीं थे और जो पूरा करने के लिये अलग रख दिये गये थे परन्तु बिना पूरा किये हुए ही वे द दिये गये।

श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जो बिना वेट पूरा किये हुये दे दिये गये उसके बा द फिर क्या कार्यवाही की गई ? जिनको कम मिला उनके साथ फिर क्या व्यवहार हुआ ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिलाधीश ने इस बात की सूचना दी है कि जो कम बोरे तौल में मिले थे उसमें पल्लेदार को उन्होंने हटवा दिया परन्तु सरकार उनके इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने आदेश दिये हैं कि उन व्यक्तियों को जो जिनके कारण उन बोरों में कमी थी सजा मिलनी चाहिये ? लिखा पढ़ी अभी जिलाधीश से चल रही है। जब उत्तर आ जायगा तब यह बतलाया जा सकता है कि उन व्यक्तियों को जिनकी कि खास जिम्मेदारी इन बोरों में कमी रखने की थी उन्हें क्या-क्या सजा दी गई।

श्री गंगा सहाय चौबे—क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री हमीद खां ने जब इन बोरों को पकड़ा था तब-तब उन बोरों की चेकिंग हुई ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की मेरे पास सूचना नहीं है।

*४०—४४—श्री खुशीराम— [स्थगित किये गये।]

*४५—४९—श्री जगमोहन सिंह नेगी—[स्थगित किये गये।]

*५०—५४—श्री विश्वनाथ प्रसाद—[स्थगित किये गये।]

राज्य के आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सालय

*५५—श्री प्रेमलाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर सरकार कितना वार्षिक धन व्यय करती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई वार्षिक धन नियत नहीं है। हर वर्ष बदलता रहता है। परन्तु ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली पर स्वास्थ्य विभाग को छोड़ कर सन् १९५०-५१ में १,७२,७६,७०० रुपये खर्च होने का अनुमान है और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर २०,३३५००, रु० है।

*५६—श्री प्रेमलाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की कितनी संख्या है और एलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या कितनी है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या ४९४ है और राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की संख्या २६२ है।

*५७—श्री प्रेमलाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रति आयुर्वेदिक चिकित्सालय और प्रति एलोपैथिक चिकित्सालय पर वार्षिक कितना व्यय होता है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रत्येक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर वार्षिक व्यय ३, ४०० रु० है और प्रत्येक ग्राम एलोपैथिक चिकित्सालयों का वार्षिक व्यय ७,७०० रु० है।

नोट —तारांकित प्रश्न ५५—६१ श्री कुशलानन्द गैरोला ने पूछे।

*५८—श्री प्रेम लाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वार्षिक व्यय की दृष्टि के अनुपात से अधिक रोगियों की सेवा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों द्वारा होती है अथवा एलोपैथिक चिकित्सालयों द्वारा होती है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—आयुर्वेदिक दवाइयां सस्ती होने के कारण एलोपैथिक प्रणाली के मुकाबिले आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा अधिक रोगियों की चिकित्सा होती है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार इसका कोई कारण बतला सकती है कि जब आयुर्वेद के द्वारा अधिक रोगियों की चिकित्सा होती है तो एलोपैथिक पर उसकी अपेक्षा क्यों अधिक धन व्यय किया जाता है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐलोपैथिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान है। उसमें जिस तरह से इलाज होता है वह आधुनिक विज्ञान के अनुसार होता है। आज जहां दुनिया में हर जगह तरक्की हो रही है यह मुनासिब नहीं मालूम होता है कि उस आधुनिक विज्ञान से इस प्रदेश के रहने वालों को फायदा न पहुंचाया जाय।

श्री बादशाह गुप्त—आयुर्वेदिक औषधि सस्ती और जलवायु के अनुकूल होने के नाते क्या सरकार की नीति आयुर्वेदिक कालेजों को ऐलोपैथिक कालेजों के स्तर पर पहुंचाने की है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार अवश्य इस बात की कोशिश कर रही है कि जो आयुर्वेदिक कालेज इस प्रदेश में हैं उनका स्तर ऊंचा किया जाय और उनके यहां आधुनिक ढंग से पढ़ाई होने का इंतजाम हो।

*५९—श्री प्रेमलाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या राज्य के किसी भी नगर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश के नगरों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय अवश्य हैं परन्तु राज्य द्वारा संचालित नहीं हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार इसका कोई कारण बता सकती है कि राज्य के आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्यों नहीं हैं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी प्रदेश में जितना इंतजाम स्वास्थ्य संबंधी बातों का होना चाहिये उतना नहीं हो सका है। इसलिये जिन-जिन स्थानों में प्रदेश की सरकार की ओर से अस्पताल खुले हैं वहां यह मुनासिब नहीं समझती कि और अस्पताल खोल दिये जायं। सरकार अपना पहला कर्तव्य समझती है कि उन स्थानों में अस्पताल खोले जायं जहां अस्पतालों का अभाव है। इसलिये जहां सरकार की ओर से अस्पताल बने हुए हैं वहां इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वहां दूसरे प्रकार के अस्पताल भी खोले जायं।

*६०—श्री प्रेमलाल वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार के समक्ष प्रान्त के प्रमुख नगरों में भी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को खोलने की योजना है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई योजना नहीं है।

*६१—श्री प्रेम लाल वैद्य (अनुपस्थित)—राज्य के जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रबन्ध किन अधिकारियों के हाथ में है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य के जिलों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रबन्ध जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ में है जो डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेदिक) के आदेशानुसार कार्य करते हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की विदेशी सरकार के जमाने में जो नीति एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अस्पतालों के सम्बन्ध में थी उससे अब इस सरकार की नीति किस रूप से भिन्न है ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार की नीति इस रूप में भिन्न है कि विदेशी शासन काल में प्राचीन विज्ञान को फैलने और बढ़ने का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। परन्तु आजकल

की सरकार उसके बढ़ने और फैलने का मौका प्रदान कर रही है। परन्तु यह सरकार यह अवश्य नहीं मानती की विदेशी विज्ञान और इस देश का विज्ञान कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। विज्ञान सारे संसार का है और इस बात को मान कर यह सरकार आधुनिक विज्ञान को बढ़ाने और फैलाने में कोई कमी नहीं लाना चाहती और न वह यह समझती है कि उसके फैलने में कोई ऐसी बात है कि चूंकि विदेशी शासन चला गया इसलिये उसे नहीं बढ़ना चाहिये।

राज्य के कुछ आयुर्वेदिक कालेजों को बन्द करने का विचार

*६२--श्री बादशाह गुप्त--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष काल १९४९-५० में कौन-कौन से और कहां-कहां आयुर्वेदिक कालेज खुले हुए थे ?

(ख) उनमें पृथक्-पृथक् में कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और उन पर पृथक्-पृथक् उक्त कार्य में कितना-कितना व्यय पड़ता है?

(ग) उक्त वार्षिक वर्ष में पृथक्-पृथक् कितना-कितना रुपया सम्बन्धित संस्था तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा व्यय किया गया ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--(क) शिक्षा वर्ष १९४९-५० में चालू इन्डियन मेडिसिन बोर्ड से सम्बन्धित तथा मान्य आयुर्वेदिक कालेजों की सूची संलग्न है।

(ख) प्रत्येक कालेज में में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या सूची में दी हुई है। कालेजों में व्यय की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) प्रत्येक कालेज को सरकार तथा इन्डियन मेडिसिन बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान का ब्यौरा सूची में दिया है। कालेजों द्वारा व्यय किए गये रुपये की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' अगले पृष्ठ १५६पर)

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ६२ के अन्तर्गत (ख) और (ग) में जिस सूचना के इकट्ठा किये जाने का संकेत किया गया है वह एकत्र होने पर इस भवन में भी रखी जायेगी या नहीं ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर आप नोटिस देंगे तो अवश्य वह सूचना यहां दी जायगी।

*६३--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त कालिजों में से कौन-कौन से कालिज बन्द करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यह कालिज कब से और क्यों बन्द किये जायेंगे ?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--आयुर्वेदिक व यूनानी महाविद्यालयों के पुनस्सगंठन की विशेषज्ञ समिति ने जिन कालिजों को बन्द करने की सिफारिश की है उनका निर्देश उपर्युक्त सूची में दिया है। समिति ने उक्त कालिजों को शीघ्र से शीघ्र बन्द करने की सिफारिश भिन्न-भिन्न कारणों से की है। पर मुख्य कारण उनकी असन्तोषजनक आर्थिक स्थिति साज-सज्जा तथा अन्य आवश्यक उपकरणों की भारी कमी और समुचित स्तर के अध्यापकों का भारी अभाव होना है। समिति की सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

*६४--श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार उस कमेटी के सदस्यों के नाम तथा शिक्षा सम्बन्धी-योग्यताएं बताने की कृपा करेगी जिसकी सिफारिश पर उक्त कालिज बन्द किये जा रहे हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं निम्नलिखित हैं :

(१) श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकार्णी, एम० एस-सी० आयुर्वेदाचार्य, उपसंचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (आयुर्वेद), उत्तर प्रदेश .. .. अध्यक्ष

(२) डा० मुरारी लाल रोहतगी, एम० बी० एस०, एम० एल० सी०, कानपुर--उपाध्यक्ष

(३) श्री राजेश्वर दत्त शास्त्री, आयुर्वेद शास्त्राचार्य प्रोफेसर आयुर्वेदिक कालेज हिन्दु विश्वविद्यालय, बनारस।

(४) हकीम अब्दुल लतीफ तकमीलुल तिब कालेज, लखनऊ से शिक्षा प्राप्त। प्रिन्सिपल तिबिया कालेज मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

श्री बादशाह गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विशेषज्ञ समिति में जो सदस्य क्रम संख्या ३ और ४ पर दिये हुये हैं उनकी अंग्रेजी में शिक्षा सम्बन्धी क्या योग्यतायें हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--उसकी सूचना मेरे पास नहीं है मैं मंगा कर दे सकता हूं।

*६५--**श्री बादशाह गुप्त**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह इस राज्य के देहाती क्षेत्रों में वैद्यों के लिये बढ़ती हुई मांग की पूर्ति किस प्रकार करने का इरादा रखती है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--विशेषज्ञ समिति ने असन्तोषजनक आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं को समाप्त करने के साथ ही साथ निम्नलिखित आयुर्वेदिक विद्यालयों के पुनस्संगठन की भी सिफारिश है--

१--ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत,
२--ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
३--गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, जिला सहारनपुर,
४--बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी,
५--रामसहाय आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ,
६--आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस।

इनके अतिरिक्त सरकार ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत भी एक आयुर्वेदिक कालेज खोल दिया है। आशा है की ऊपर लिखे कालेज के पुनस्संगठन के उपरान्त अब से अधिक विद्यार्थी आयुर्वेद की शिक्षा उत्तम रीति से प्राप्त करने लगेंगे तथा देहाती क्षेत्रों में वैद्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि हमारे देश में जिस प्रकार एलोपैथिक दवाइयों की खोज हो रही है उस रूप में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज उस लग्न के साथ नहीं हो रही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक खोज का सम्बन्ध है यह सब के लिये दुख का विषय है। खोज तो न आयुर्वेदिक दवाइयों की हो रही है और न एलोपैथिक दवाइयों की ही हो रही है।

पंचायतों द्वारा लगाया गया कर

*६६--**श्री वीरेन्द्र शाह**--[माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न ९५ जिसका अन्तः-कालीन उत्तर ९ अगस्त सन् १९५० ई० को दिया गया था।]

*९५--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पंचायत राज्य ऐक्ट के अधीन कर लगाने का जो पंचायतों को अधिकार है उन्होंने उस अधिकार के अधीन किन-किन जिलों में कितना-कितना रुपया कर लगया है और कितना रुपया वसूल किया है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)--प्रदेश की पंचायतों ने १९४९-५० में पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत जो टैक्स लगाया है और जितना कर वसूल हुआ है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६१ पर)

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा ३७ के अन्तर्गत टैक्स वसूल किये गये हैं वह किन-किन कामों में खर्च किये गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पंचायत राज्य ऐक्ट के मातहत जो फरायज पंचायतों के हैं उन फरायजों को अदा करने में रुपया खर्च हुआ है।

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो टैक्स वसूल किया गया है वह एक ही तरह से हुआ है या अलग-अलग जिलों में अलग-अलग रेट्स लगाये गये हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--अलग-अलग जिलों में अलग-अलग रेट्स लगाये गये हैं क्योंकि पंचायतों को अधिकार है कि अपने यहां की परिस्थिति के अनुसार रेट्स रखे।

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो टैक्स की वसूली कम हुई है उसके क्या कारण हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--इसके अनेक कारण हैं और सरकार ने भी खुद देखा है कि पंचायतों को बहुत दिक्कत हो रही है टैक्स वसूल करने में। इसका कारण यह है कि उनके पास नौकर-चाकर नहीं हैं। अभी नई पंचायतें हैं। इसलिये लोगों को अभी टैक्स देने की आदत नहीं पड़ी है। ऐसी अवस्था में कभी-कभी जब भी करना पड़ता है और जब करते में पंचायतें अभी दिक्कत महसूस करती हैं। इसलिये सरकार ने बार-बार हिदायत देकर पंचायतों को तरकीब बतलाई है। अभी नया-नया मामला है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष में यानी सन् १९५०-५१ में पंचायतों की तरफ से वसूली ज्यादा अच्छी होगी।

श्री राजाराम शास्त्री--क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम पंचायतों की तरफ से जो कर लगाये जा रहे हैं उसमें सूबे के सारे के सारे किसानों को असंतोष है और वह इसका विरोध करते हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--कर लगाने में थोड़ा-बहुत असंतोष होता ही है और कोई नहीं देना चाहता है और अगर भड़काने वाले लोग पहुंच जायं तो और भी असंतोष बढ़ जाता है लेकिन अगर भवन समझता है कि कोई सुधार देहातों में होना है और जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है विकास के कार्यों के लिये तो जहां विकास के कार्य होते हैं वहां तो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जितना कर लगाया जाता है उससे कहीं ज्यादा उनको बदला मिलता है।

श्री ऐजाज रसूल--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पंचायतों ने कौन-कौन से टैक्स लगाये?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--धारा ३७ में पंचायत ऐक्ट में जो टैक्स दिये गये हैं क़रीब-क़रीब कुछ कम या कुछ ज्यादा उन्हीं में से किसी ने एक टैक्स लगाया, किसी ने दो टैक्स लगाये। उसकी फेहरिस्त जो है माननीय सदस्य ऐक्ट में देख सकते हैं। सब टैक्स एक साथ किसी पंचायत ने नहीं लगाये।

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो सूची सरकार ने दी है उसमें प्रतापगढ़, जौनपुर और बदायूं इन जिलों में कोई टैक्स वसूल नहीं हुआ तो वहां का काम कैसे चलता है?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--जहां टैक्स लगाये गये और वसूल नहीं हुए इसका कारण मैंने दे दिया है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में यह दिया गया था कि फेहरिस्त आने पर उसकी मंजूरी वही देंगे, वह अधिकार इन लोगों से छीन लिये गये हैं। लेकिन यह हिदायतें भी दी थीं कि पंचायतों का जब तक टैक्स वसूल नहीं होता है तब तक स्वयं लोगों से काम लेकर चंदा वसूल करें, कुछ दान के रूप में लेकर थोड़ा-बहुत कार्य शुरू करें।

बहुत सी पंचायतों ने इस प्रकार दान के रूप में रुपया प्राप्त किया, लेकिन वह इस फेहरिस्त में दर्ज नहीं है।

श्री वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि टैक्स के अलावा और कौन से उपायों से सरकार पंचायतों को सहायता करने का विचार रखती है ?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर--पंचायतों को टैक्स के अलावा जैसा मैंने बतलाया, दान के रूप में सहायता दी गयी। सरकार ने शुरुआत में ५२ लाख रुपया दान के रूप में दिया जिससे उनका काम जारी हो सके। इसके अलावा यह भी तजवीज की गयी कि पंचायतें लोगों से स्वयं शारीरिक श्रम लेकर विकास का कार्य करें, यह भी वालेंटियरी बेसिस पर करने को सरकार ने तजवीज किया है।

अतारांकित प्रश्न

१--५-श्री रामस्वरूप गुप्त--[स्थगित किये गये।]

सत्रावसान के उपरान्त लम्बित प्रश्नों को कार्यक्रम में रखने पर वैधानिक आपत्ति

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक शंका उपस्थित करना चाहता हूँ। मेरी शंका इस प्रकार से है। आज का जो कार्यक्रम है उसमें जो प्रश्न चढ़े हुए हैं उनमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनकी सूचना आपके सचिवालय में सत्रावसान (प्रोरोगेशन) के पहले आई थी। मेरा यह विचार है कि सत्रावसान (प्रोरोगेशन) हो जाने के उपरान्त जितना लम्बित कार्यक्रम (पेंडिंग बिजिनेस) विधान सभा के सामने होता है वह सब व्यपगत (लैप्स) हो जाता है। इस संबंध में मैं आपके सामने सबसे पहले हाउसबरोज लाज आफ इंगलैंड से एक पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं। यह पृष्ठ ७०१ पर दिया हुआ है और इस प्रकार है:--

"It is a recognised rule of Parliamentary procedure that in addition to bringing a session of Parliament to a conclusion a prorogation puts an end to all business which is under the consideration of either House at the time of such prorogation."

(पार्लियामेंट की कार्य-संचालन रीति का यह एक स्वीकृत नियम है कि सत्रावसान से, पार्लियामेंट का अधिवेशन समाप्त होने के अतिरिक्त वह सब कार्य भी समाप्त हो जाता है जो सत्रावसान के समय दोनों सदनों में से किसी के विचाराधीन हो।)

श्री कृष्ण चन्द्र--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका कोई प्रस्ताव है ?

माननीय अध्यक्ष--आप एक वैधानिक प्रश्न मेरे सामने रख रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र--मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस नियम के मातहत यह चीज यहां आ सकती है ?

माननीय अध्यक्ष--वह एक प्रोसीजर की बात है। माननीय सदस्य कहते हैं जो प्रश्न चढ़े हुए हैं उनकी सूचना उस वक्त की है जिसके बाद प्रोरोगेशन हो चुका है लिहाजा वह प्रश्न लेप्स समझे जायं। उसके मुतालिक आप कह रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूँगा कि जरा संक्षेप में कहें।

श्री खुशवक्त राय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो आज्ञा दी है उसके पालन करने के लिये मैं पूरा प्रयत्न करूँगा, परन्तु जिस विषय पर मुझे कहना है वह इतना बड़ा विषय है कि यदि उसके लिये पर्याप्त समय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी

[श्री खुशवक्त राय]

पूरी बात नहीं कह पाऊंगा। अतएव मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे समय दें। मैं, जहां तक रिफरेंसेज की बात है उनका पासिंग रिफरेंस करूँगा, पढ़ूगा नहीं जिसमें समय ज्यादा न लगे। मैंने अभी हेलसबरी से हवाला दिया था अब मैं मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़ता हूं।

माननीय अध्यक्ष—मैं इसके मुताल्लिक़ संतुष्ट हूँ। वहां का जो तरीका है उसको मैंने पढ़ लिया है कि वहां प्रोरोगेशन पर सवाल लैप्स हो जाते हैं और अब आपको उसको बतलाने की जरूरत नहीं है।

श्री खुशवक्त राय—मुझे खुशी है कि मेरी यह बात मान ली गई है। उसके बाद अब मैं अपने संविधान पर आता हूँ। उसकी जो धारा १९४ (३) है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन दैट हैज टू बि रेड विद रिफरेंस ऐंड कंटेक्स्ट टु दि उत्तप्रदेश विधान सभा तो उसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि पावर्स प्रिविलेजेज ऐन्ड ऐमेनिटीज वहीं होंगे जो इस भवन के होंगे। अकसर कह दिया जाता है कि पावर्स, प्रिविलेजेज ऐंड अमेनिटीज हैं तो तीन, लेकिन आम तौर से वह आर्टिकिल रिफर करता है प्रिविलेजेज के मुताल्लिक़। मेरा यह निवेदन है कि वह उन पावर्स को भी रेफर करता है कि जो हाउस आफ कामंस के ऐट दि कमेंसमेंट आफ दि कांस्टीटयूशन थे वही पावर्स आपकी इस विधान सभा के हैं। यह मैंने इस लिये कहा कि आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय हाउस आफ कामन्स के अधिकार समाप्त होते हैं तब इस हाउस के अधिकार नहीं होते। अगर वहां पर प्रोरोगेशन से हाउस आफ कामंस के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो उसी प्रकार से इस विधान सभा के भी अधिकार समाप्त हो जायेंगे। सत्रावसान किन परिस्थितियों में किया जाता है यह तो दूसरी बात है, लेकिन यदि सत्रावसान कर दिया जाय तो उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह सब माननी पड़ेगी। यह नहीं हो सकता कि जो बातें सुविधाजनक हों वह मान ली जायें और जो कि असुविधाजनक हों वह न मानी जायं। मैं समझता हूँ कि सत्रावसान के माने बतलाने के लिये मुझे आपका समय नहीं लेना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सत्रावसान के माने बहुत स्पष्ट हैं। वह उसी भाव से इस्तेमाल किये गये हैं जिस भाव से अंग्रेजी पार्लियामेंट के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये हैं। अब सत्रावसान का जो प्रभाव होता है उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जो व्यतिक्रम जो एक्सेप्शन किये गये हैं वह आपको क्रमेण १०७ (३) और १९६ (३) में मिलेगा। संविधान की इन धाराओं में बतलाया गया है कि सत्रावसान का जो प्रभाव होता है उसमें क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको पढ़ दूं अपने प्वाइंट को साफ करने के लिये और अगर आप खुद देख लें तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष—मैं देख लूंगा।

श्री खुशवक्त राय—जब मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि एक बार हो चुका है कि मेरे उत्तर नियमों की दुहाई दी जायगी। मैं जानता हूँ कि नियम जो हैं उनमें ऐसा दिया है कि जिन प्रश्नों के उत्तर फाइनल नहीं दिये गये हैं वह प्रश्न लैप्स नहीं होंगे। आपका नियम १४६ जो है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप संविधान की धारा २०८ (१) और २०८ (२) पर विचार करेंगे तो आपको यह मालूम हो जायेगा कि संविधान की धाराओं के अनुसार जो अधिकार दिये हैं उनसे इस भवन को जो अधिकार मिले हैं उनसे अधिक माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार नहीं मिलते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो नियम आपके सामने हैं वह

माननीय अध्यक्ष ने दूसरी बार अनुकूलन यानी ऐडाप्टेशन और रूपभेद यानी माडीफिकेशन सहित प्रयुक्त किये थे। इन नियमों में अनुकूलन और रूपभेद हुआ है। अनुकूलन यानी एडाप्टेशन और रूपभेद यानी माडीफिकेशन आपका ध्यान संविधान की धारा ३७२ (२) की ओर दिलाना चाहता हूँ उसमें दिया हुआ है कि अनुकूलन और रूपभेद का क्या अर्थ है। अगर आप कहें तो मैं इस धारा को पढ़ दूं।

माननीय अध्यक्ष—मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री खुशवक्त राय—अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें रूपभेद और अनुकूलन के लिये अधिकृत किया है अर्थात् उसमें लिखा हुआ है कि "प्रवृत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों से संगत करना" और जो धारा २०८ (२) में शब्द अनुकूलन और रूपभेद आये हैं वे इसी संदर्भ में प्रयोग किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं मेक्सवेल का भी हवाला देना चाहता हूँ। मेरे पास एक पुरानी ऐडीशन है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ:-

"The true meaning of any passage, it is said, is to be found not merely in the words of that passage, but in comparing it with other parts of the law, ascertaining also what were the circumstances with reference to which the words were used and what was the object appearing from those circumstances which the Legislature had in view."

[कहा जाता है कि किसी इबारत का वास्तविक अर्थ केवल उसी इबारत के शब्दों में नहीं मिल सकता, परन्तु उस कानून के दूसरे भागों से इबारत का समीकरण करके मिलता है जिस (कानून) में यह कहा गया हो कि वे क्या परिस्थितियां थीं जिनको निर्दिष्ट करके उन शब्दों का प्रयोग हुआ तथा उन परिस्थितियों से व्यक्त होने वाला वह कौन सा उद्देश्य था जिस पर विधान निर्माताओं की दृष्टि थी।]

इसके बाद अगर आप दफा ३७२ (२) को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि अनुकूलन और रूपभेद के क्या अर्थ हैं और किस अर्थ में इन शब्दों को हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है। इससे आप इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि जो अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को दिये गये हैं वे यही थे कि जो नियम प्रचलित थे। उनको ही संविधान के उपबंधों से संगत बना देवें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अधिकार संविधान ने हमको दिये हैं उनके बारे में यहां चर्चा चल चुकी है। मैं आपका ध्यान इस भवन की ६ फरवरी और ९ फरवरी की कार्यवाही की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय आपको स्मरण होगा कि उस समय में यह संविधान लागू हो गया था और वे नियम भी जो अनुकूलन और रूपभेद के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रथम बार परिवर्तित कर दिये थे, वे भी लागू हो गये थे। उस समय के नियम ५३ में यह लिखा हुआ है कि जो अनुदान की मांगें होंगी उन पर विचार उन दिनों में होगा जो गवर्नर महोदय नियुक्त करें। तो उस पर माननीय अर्थमंत्री जी ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया और वह प्रस्ताव इस प्रकार से था कि महामान्य राज्यपाल से यह विधान सभा सिफारिश करती है कि वह इस कार्य के लिये दिन नियत कर देवें। इस विषय में दो दिन तक वाद-विवाद हुआ, माननीय अर्थमंत्री के कहने पर एडजर्नमेंट किया गया। बाद को फिर इस पर वैधानिक आपत्ति उठाई गई और इसके बाद माननीय अर्थमंत्री के सुझाव पर वह दूसरे दिन के लिये रख दिया गया। दूसरे दिन उस समय के माननीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ने कुछ निर्णय भी दिये थे। वे निर्णय क्या हैं, उनको आप ९ फरवरी की कार्यवाही में देख सकते हैं। इस दिन की कार्यवाही के पृष्ठ २२२ पर यदि आप देखें तो आपको यह मालूम होगा कि उन्होंने इस

[श्री खुशवक्त राय]

बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि वे मनाही नहीं करते हैं और यह कि यह चलन था इसलिये लिख दिया गया उसके बाद निर्णय यह हुआ कि गवर्नर महोदय फिक्स न करें और माननीय अर्थमंत्री ने अपनी पार्टी के एक माननीय सदस्य से एक संशोधन उपस्थित कराया था। और उस संशोधन में यह था कि यह विधान सभा स्वयं वह बात करती अर्थात् उन तारीखों को नियुक्त करती है। मैं मानता हूँ कि उनमें रूपभेद और अनुकूलन के बाद कोई ऐसी बात हो गई जो सवाल है वह माने नहीं जायेंगे। इसके सबूत में तारीख ६ और ९ फरवरी की कार्यवाही आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपका ध्यान १४६-अ की तरफ जिसके मातहत यह प्रश्न लैप्स होने बताये जाते हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ।

"Effect of prorogation of Assembly" (सभा के सत्रावसान का प्रभाव)

इसमें जो बात कही गई है वह अमान्य है। इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट के नियम १५० की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसका एक यह उद्देश्य है कि जो संसद् के अध्यक्ष को जिस प्रकार के अधिकार हासिल थे उसी प्रकार के अधिकार हमारी विधान सभा के अध्यक्ष को भी हासिल थे। आप देखेंगे कि वही अधिकार २०८ में माननीय अध्यक्ष को दिये गये हैं। उसमें जो रूपभेद और अनुकूलन है उसको मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—

"*Lapse of pending notices on prorogation of a session*— On the prorogation of a session, all pending notices other than notices of intention to move for leave to introduce a Bill shall lapse and fresh notices must be given for the next session."

(सत्रावसान के समय विचाराधीन सूचनाओं की समाप्ति उन सूचनाओं के अतिरिक्त जिनमें कोई विधेयक उपस्थित करने की अनुज्ञा का प्रस्ताव करने की बात कही गयी हो, सभी विचाराधीन सूचनाएं समाप्त हो जायेंगी और अगले सत्र के लिये पुनः सूचनाएं देना आवश्यक होगा।)

तो मुझे यहां पर यह कहना है कि जिस प्रकार के अधिकार यहां की विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को प्राप्त है उसी प्रकार के अधिकार वहां प्राप्त हैं और उन अधिकारों के अन्तर्गत जो अनुकूलन और रूपभेद उन्होंने किया है वही हमारे लिये एक मिसाल है। अतएव मेरी जो शंका है उसको मैं आपके सामने फिर रखता हूँ। और आपकी इजाजत चाहता हूँ उसको दोहराने के लिये कि सत्रावसान २२ अक्तूबर के पहले जिन-जिन प्रश्नों की सूचना विधान सभा सचिवालय में आ चुकी है वह प्रश्न कार्यक्रम से निकाल देने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—मैं इसको पहले सोच चुका हूं और माननीय सदस्य जो बात कहते हैं इसके बारे में विचार करके अपना निर्णय आगे किसी दिन दूंगा।

कानपुर रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

माननीय अध्यक्ष—श्री गंगा सहाय चौबे ने एक काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री गंगा सहाय चौबे—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है उससे मेरा मतलब यह है कि कानपुर के रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की शिकायत कई वर्षों से चल रही है और उनका ठीक-ठीक निपटारा नहीं हुआ और निपटारा न होने

के कारण वहां आज यह हालत पैदा हो गई कि सर्विसेज नहीं चल रही हैं। यह सरकार की तरफ से शिकायत को दूर करने के बजाय नई भरती की गई और पुलिस और मिलिटरी के ड्राइवर्स की मारफत गाड़ियों को चलाया गया। लेकिन उस पर संघर्ष बढ़ा और कल की रिपोर्ट यह है कि वहां ३८ गिरफ्तारियां हुई और इस तरह से अभी संघर्ष बढ़ रहा है जिससे पब्लिक को सख्त तकलीफ है। इसलिये में चाहता हूं कि इस मामले को डिसकस करने के लिये आप इजाजत देने की कृपा करें और इसकी पब्लिक इम्पार्टेन्स इस कारण से है कि कुछ लोग जो कचहरियों में मुकदमात के लिये आते-जाते हैं उनको सख्त तकलीफ है वह आ जा नहीं पाते। दूसरे यहां के कर्मचारियों की भी उसमें दिक्कतें बढ़ रही हैं और जिस तरह से गिरफ्तारियां और पिकेटिंग हो रही है उससे संघर्ष बढ़ कर अशान्ति फैल सकती है।

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, यह जो एडजर्नमेंट का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। हड़ताल से पब्लिक को कुछ हद तक तकलीफ तो होती ही है और कर्मचारियों को भी जो हड़ताल कर के बैठे हैं और जिनको कोई मजदूरी नहीं मिल रही है उनको भी जाहिर है कि कुछ न कुछ तकलीफ होगी। इसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जिन आधारों पर एडजर्नमेंट मोशन मंजूर हो सकता है वह आधार यहां लागू नहीं होते। उसके लिये कोई रीशेंट आकरेन्स होना चाहिये और यह हड़ताल १९ तारीख से जारी है और उसके बाद सदन की बैठक कई दिन तक हुई और यह सवाल १९ से आज तक किसी दिन भी उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया। फिर यह भी कहा गया कि उनकी यह बरसों की शिकायत चली आती है जिसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। अगर यह उनकी बात सही है तब भी यह कोई रीशेंट बात नहीं है। बल्कि पुरानी बात है चूंकि पुरानी शिकायतों की वजह से हड़ताल हुई है। २० तारीख के नेशनल हेराल्ड में उनकी यूनियन की तरफ से यह निकला था कि—

'The demand of the strikers relates to the reinstatement of a worker alleged to have been dismissed by the authorities without a proper charge."

(हड़ताल करने वालों की मांग एक ऐसे कार्यकर्ता के पुनर्संस्थापन से सम्बद्ध है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि अधिकारियों ने बिना किसी उचित आरोप के ही उसे नौकरी से निकाल दिया है।)

एक वर्कर था वह डिसमिस हुआ। खुद उनका ऐसा कहना है कि एक शख्स डिसमिस हुआ और उनका कहना है कि बगैर किसी किस्म का चार्जशीट लगाये हुये उसे डिसमिस किया गया। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर स्ट्राइक कोई जायज चीज थी। यह कोई स्ट्राइक की बात नहीं थी। अपील वगैरः हो सकती थी और दूसरी कार्यवाही हो सकती थी। इसके अलावा वह स्ट्राइक भी इल्लीगल है। हड़ताल के लिये १४ दिन का नोटिस चाहिये, वह नहीं दिया गया। इस तरह से किसी इल्लीगल स्ट्राइक के लिये एडजर्नमेंट मोशन लाना मैं मुनासिब नहीं समझता और न सदन के काम को ही रोकना ठीक होगा? बगैर नोटिस दिये अगर ४ आदमी काम को छोड़ दें तो ऐसा स्ट्राइक कानून के खिलाफ ही समझा जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसा एडजर्नमेंट मोशन लाना गलत और नामुनासिब है और इस बिना पर सदन का काम नहीं रोका जा सकता।

माननीय अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बात 'काम रोको' प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती और इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

(कुछ ठहर कर)

श्री राजाराम शास्त्री ने भी इसी चीज की सूचना दी थी केवल उनके शब्द कुछ बदले हुये हैं। मैं उसकी भी इजाजत नहीं देता।

सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट जो विधान सभा के १२ सितम्बर सन् १९५० ई० के संकल्प के अनुसार तीन मास के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये थी अभी तैयार नहीं हुई है। अतः यह सदन रिपोर्ट उपस्थित करने का समय तीन मास और बढ़ाता है।

श्री खुशवक्त राय—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यही है कि जो प्रवर समिति प्रोरोगेशन के पहले बनी थी वह समाप्त हो गयी। अब इस सदन को दूसरी प्रवर समिति बनानी चाहिये और उसके सम्मुख जो विधेयक है वह आना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं और जो वजूहात हैं वे गालिबन जो सवालों के सम्बन्ध में निर्णय दूंगा उसमें आ जायंगी। मैंने इस पर विचार कर लिया है। इस वक्त समय बचाने के लिये मैंने निर्णय नहीं दिया है। मैं देख चुका हूं और मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो कमेटी इस सदन ने बनायी है वह काम करती रहेगी। इसके वजूहात क्या हैं वे मैं बता दूंगा।

प्रश्न यह है कि सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश बालक विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट, जो विधान सभा के १२ सितम्बर सन् १९५० ई० के संकल्प के अनुसार तीन मास के भीतर प्रस्तुत होनी चाहिये थी अभी तैयार नहीं हुई है। अतः यह सदन रिपोर्ट उपस्थित करने का समय तीन मास और बढ़ाता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

न्याय तथा विधि निर्माण सम्बन्धी स्थायी समिति में कार्य करने के लिये श्री मुहम्मद शमीम के रिक्त स्थान पर एक सदस्य का निर्वाचन

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुहम्मद शमीम के रिक्त स्थान पर न्याय तथा विधि निर्माण संबंधी स्थायी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरएबुल वोट) द्वारा किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री मुहम्मद शमीम के रिक्त स्थान पर न्याय तथा विधि निर्माण सम्बन्धी स्थायी समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रांसफरएबुल वोट) द्वारा किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—इस प्रस्ताव में जैसा कि इससे पहले हुआ करता था कि अध्यक्ष जो तिथि मुकर्रर करें, वह नहीं है। इसलिये मैं समझता हूँ कि कोई और प्रस्ताव आयेगा कि कब यह निर्वाचन किया जाय।

माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—इसमें मैं इतना और बढ़ा दूं कि माननीय अध्यक्ष जो तिथि मुकर्रर करें उस दिन किया जाय। अब इसमें सिंगिल ट्रांस्फरएबुल वोट का कायदा तो है, मगर एक के लिये तो बेमानी चीज है।

माननीय अध्यक्ष—बिल्कुल ठीक है, मगर तरीका तो वही होगा। तो मैं इसमें निर्देशन पत्र के प्राप्ति की तिथि ३ जनवरी सन् १९५१ और समय १२ बजे दिन तक का निर्धारित करता हूं और नाम वापस लेने के लिये ४ जनवरी सन् १९५१ को २ बजे तक का समय निर्धारित करता हूं और यदि आवश्यकता हुई तो ५ जनवरी, सन् १९५१ को डेढ़ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में यह निर्वाचन होगा।

सन् १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों के सहित सन् १९४९ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—श्रीमन्, माननीय माल मंत्री ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस विधान सभा के इतिहास में यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। पिछले ४ वर्ष में हमारी लगातार यह इच्छा रही है कि जल्द से जल्द यह विधेयक पारित किया जाय। जब विधान परिषद् ने जैसा यह विधान सभा से पिछले अक्टूबर में पारित हुआ था उसमें कुछ संशोधन कर दिये हैं। कुछ संशोधन तो उसमें ऐसे हैं जो जाहिरा बहुत ही जरूरी मालूम होते थे और जिनका हो जाना मुनासिब बात थी। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ संशोधन ऐसे हुये हैं जिनके बारे में मुझे यह शुबहा है कि वह इस विधेयक की कामयाबी में सहायक भी होंगे। श्रीमन्, आप देखेंगे कि उसमें आराजी बिला तसफिया के किसानों के लिये यह गुंजाइश रखी गई है कि उन्हें मौरूसी हक मिल जाय और वे सीरदार करार दे दिये जायं। बड़ी अच्छी बात है। सरकार की यह पालिसी थी और इसी पर वह चल रही थी। बीच में जरूर बेदखलियां खोल दी गईं। उससे कुछ गड़बड़ी हुई और उसके बाद सरकार ने फिर बन्द कर दिया। यह अच्छा है कि जो आराजी बिला तसफिया के काश्तकार हैं, जिनका इजेक्टमेंट इस समय नहीं हो सकता, उनको जमींदारी का विनाश होने पर मौरूसी हक दे दिया जाय। लेकिन साथ ही उन लोगों के लिये जो एक मुश्त १० गुना नहीं दे सकते हैं उन्हें १२ गुना देकर भूमिधर बनने के लिये रक्खा गया है, पहिले नियत की गई तारीख तक जो भूमिधर बन जायेंगे उन्हें ११ गुना देना था।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—क्या १२ गुना हरेक को देना होगा या १० गुना दे सकेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने यह अर्ज किया कि जो एकमुश्त नहीं अदा कर सकें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि वे किसान जिनके हित में भूमिधर बनना है और जो १० गुना नहीं दे सकते उन्हीं के लिये १२ गुना रक्खा गया है। उनकी माली हालत खराब है। जिनकी माली हालत कमजोर है उनको हमें और ज्यादा सुविधा देना चाहिये। किश्तबन्दी की सहूलियत उनको दी गयी लेकिन उस सहूलियत में दो गुना रुपया और बढ़ा दिया गया है अगर नामिनल रेट बढ़ाया जाता, अगर इंट्रेस्ट चार्जेज में कुछ इजाफा किया जाता तो वह बात समझ में आती और एक मुनासिब बात होती। जब हम यह मानते हैं कि इस विधेयक की पूरी मंशा किसानों की हालत को बेहतर करना है, उनकी उनके काश्त की जो जमीन है उसका मुकम्मल और पक्का मालिक बना देना है, उनके लगान में जहां तक हो सके कुछ कमी करना है, उनको और भी अधिकार दिलाना है, तो यह बात खपती नहीं है कि वह किसान जिनकी हालत कमजोर है, जो एक मुश्त रुपया नहीं दे सकते हैं उनसे आप बजाय दस गुना के १२ गुना लें। अगर यही बात जमींदारों के मुआविजा में भी लगा दी जाय तो बड़ा फर्क पड़ जायगा। अगर आप मुआविजा पूरा-पूरा दें तो ८ गुना दें और अगर मुआविजा किस्तों में दें और उसको इसी औसत से बढ़ा दें तो करोड़ों रुपये का फर्क आ जायगा, क्योंकि आपने २० फीसदी बढ़ाया है। भूमिधर बनने के लिए जो एक मुश्त नहीं दे सकते उन्हें आपने बजाय १० गुना के १२ गुना कर दिया है और यह २० फीसदी इजाफा मुझे सही नहीं मालूम होता है। मेरी समझ में

[श्री त्रिलोकी सिंह]

कुछ ज्यादा गौर करने के बाद यह औसत नहीं मुकर्रर किया गया है और इसमें अगर विधान सभा के द्वारा कुछ कमी कर दी जाय तो वह बेहतर होगा और वह जो, इस विधेयक की नियत है, उसके अनुसार होगा।

श्रीमन्, आप यह भी देखेंगे कि इसमें कुछ ऐसी बातें आ गयी हैं जिनसे मुझे शुबहा यह होता है कि बड़े जमींदारों का फायदा होगा, लेकिन छोटे जमींदारों का फायदा नहीं होगा, मसलन सायर की रकम के मुताल्लिक जो यह तजवीज की गयी है कि अगर खतौनी में उसका इन्दराज हो या इनकम टैक्स दाखिल किये गये हों तो उनका लिहाज रक्खा जायगा मगर छोटे जमींदार साहबान के ऊपर तो कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है और उनको इसका मौका भी कम आता है कि वह सायर की रकम का कोई रिकार्ड अपने पास रक्खें। इस किस्म के रिकार्ड जिसको एक पब्लिक डाक्यूमेंट माना जाय, मुश्किल है, उनके अपने रजिस्टर्स हो सकते हैं, अपने खाते हो सकते हैं, लेकिन उनके लिये यह जरूरी हो कि वह कहीं दाखिल किये गये हों, ऐसा कम देखने में आता है। तो इस तरह यह एक फर्क करता है, एक फेवर करता है और जो बड़े लोग हैं उनके बारे में एक सहूलियत पैदा करता है और वह छोटे लोग जिन्होंने सायर पर इनकम टैक्स नहीं दिया है उनको वह सहूलियत नहीं देता। यही कमी मैं गुजारेदारों के सम्बन्ध में भी देखता हूं। गुजारेदार कई किस्म के होते हैं। कुछ तो गुजारेदार मौरूसी होते हैं और कुछ गुजारेदार हीनहयाती होते हैं। गुजारेदारों के सम्बन्ध में उन्हीं के मुताल्लिक गौर किया जायगा जो लिखा पढ़ी में हैं। जहां तक अवध स्टेट्स ऐक्ट का ताल्लुक है उसमें क्या गुजारा मिलेगा, कैसे मिलेगा इसका जिक्र है। लेकिन दूसरे जमींदारान के मुताल्लिक कौन कहां कैसे इनएक्टमेंट हैं जहां उनको गुजारा देना जरूरी है। मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि ऐसा किसी और कानून में नहीं है। गुजारेदारों के सम्बन्ध में जो तरमीम विधान परिषद् ने की है उससे कुछ गुजारेदार तो मुस्तफीज हो जायंगे, उनको फायदा होगा, लेकिन ज्यादातर गुजारेदार ऐसे होंगे जिनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। कुछ मुकदमेबाजी, भी मुझे अन्देशा है कि बढ़ जायगी। हमारी कोशिश जहां तक हो यह होनी चाहिये और यही बुनियादी उसूल है कि जहां तक हो सके मुकदमेबाजी से हम दूर रहें। ऐसा कायदा बने, ऐसा ऐक्ट मंजूर किया जाय, बनाया जाय जिसमें मुकदमेबाजी की गुंजायश कम से कम हो। यह सही है कि जिनकी गुजरऔकात अपने गुजारे पर है और उस गुजारे के लिये जायदाद थी। जब जायदाद खत्म हो रही है, जमींदारी खत्म हो रही है तो उसका धक्का गुजारेदारों पर पड़ना लाजमी है। उनके अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा जाय, यह बड़ा भारी सवाल है और इन मानों में विधान परिषद् ने अच्छा ही किया कि गुजारेदारों की तरफ उनकी निगाह गयी, उनके लिये कुछ होना चाहिये। लेकिन मेरी राय में जो विधान परिषद ने इसमें किया है वह कम ही है। महज यह कि उन गुजारेदारों के जिनके सम्बन्ध में कोई कोर्ट की डिग्री हो, जिनके बारे में कोई इनऐक्टमेंट हों उनके ही सम्बन्ध में कोई बात या सहूलियत रखें, ऐसा न होना चाहिये। गुजारेदारों के सम्बन्ध में जब आप रखते हैं तो आपके लिये यह जरूरी है कि आप जो और छोटे-छोटे गुजारेदार हैं या वह गुजारेदार हैं जो सगे भाई, सगे भतीजे हैं, लेकिन उनके हक में अदालत की कोई डिग्री नहीं है, कानून कायदा, इनऐक्टमेंट के मातहत कोई गुजारा नहीं है वहां भी उनको सहूलियत देनी चाहिये। जब हमने इस बात की कोशिश की कि उनके हकूक को, अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय तो महज कुछ थोड़े से गुजारेदारों पर हम क्यों उस चीज को महदूद रखते हैं। ऐसी गुंजायश होनी चाहिये कि तमाम गुजारेदारों को सहूलियत यकसां उसमें से निकल सके।

श्रीमन्, एक बात मुझे और खटकी, मैं जानता हूं सायर की चीजें हैं, मसलन मछली जो एक साल के लिये बेची जाती है। आम की फसल नीलाम होती है तो अप्रैल में नीलाम होती है और आम उसमें से जुलाई के महीने तक लिया जाता है। इस विधेयक में विधान परिषद् ने जो तरमीम की है उसमें यह भी है कि सायर के जो कंट्रैक्ट्स होंगे, फिशरीज के, ग्रेजिंग ग्राउन्ड्स के, यानी अगर आपने अप्रैल में आम की फसल बेची और मई में जमींदारी खत्म की गयी तो जो रकम वसूल की जायगी वह सबकी सब खत्म हो जायगी। कोई खरीदेगा नहीं। खरीदार ने दी है। क्योंकि सरकार के यहां रुपया जमा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रुपया निकालने में ६ महीने दौड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका कब्जा उसे मिले और उस रकम की मुजराई हो इसमें भी बड़ी दुश्वारी होती है। कुछ तो उसमें जाब्ते की भी मजबूरियां हैं और कुछ रिवाज चला आ रहा है जिससे देर होती है। सवाल यह है कि आप ऐसा प्रावीजन क्यों रखते हैं कि कोई भी कंट्रैक्ट जो सन् १९४६ के बाद से हुआ हो वह रद्द हो जायगा। हमने अगर किसी के हाथ एक साल के लिये मछली के लिये तालाब दिया तो वह तालाब बान्धता है, पानी जमा करता है और साल भर उसमें से मछली ली जाती है और यह काम बरसात के पहले होता है। यानी जून में मछलियों के ठेके होते हैं और आपने वेस्टिंग किया और एक दम से कह दिया कि खत्म है। आप कह सकते हैं और एक जगह इसकी भी गुंजायश है कि जो वसूल हो चुका है वह हम जमींदार से वसूल कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? जिस आदमी ने छः महीने काम किया है, उसकी साल भर की मुद्दत हो उसका सब काम चौपट हो गया है। आप जमींदार से वसूल किया कीजिये। लेकिन खरीदार तो भुगत गया। जब उसका फायदा होने का मौका आया तो आपने कह दिया कि सब खत्म हो गया और जमींदार के बारे में रखा है कि जो वसूल हो चुका है आप उसके मुआविजे से काट लेंगे। तो यह अन्याय की बात है। ग्रो मोर फूड, मछली भी ज्यादा पैदा करो, फल भी ज्यादा पैदा करो, घास भी ज्यादा पैदा करो, भसा भी ज्यादा पैदा करो, मुझे अंदेशा है कि जमींदारियों की वेस्टिंग पर करोड़ों रुपये का नुकसान हो जायगा। उस वक्त किसी की आधी मुद्दत होगी किसी की चौथाई होगी। मुसीबत हो जायगी। और कहीं आम के जमाने में वेस्टिंग हुई तो, श्रीमन्, बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो जायगा। मैं अपने लखनऊ जिले के बारे में कह सकता हूं पच्चीस तीस लाख की आम की फसलें बिकती हैं। माननीय माल मंत्री जी इशारा कर रहे हैं। उनका ज्यादा समझा हुआ। वह इस बात को ज्यादा समझते हैं मैं तसलीम करता हूं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि कानून के अन्दर कोई एम्बिगुटी नहीं रहनी चाहिये। हुक्काम जिनके हाथ में अमल में लाने की बात है, वहां ऐसी उलझन पैदा हो कि हजारों आदमियों का काम बिगड़ जाय और दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें आने लगें। मैंने जैसा कि बहुत शुरू में निवेदन किया मेरी यह इच्छा है और मैं समझता हूं कि पूरे विधान सभा की इच्छा है बल्कि इस और उस प्रदेश के लाखों और करोड़ों किसानों और जनता की इच्छा है कि यह विधेयक यही नहीं कि जल्द से जल्द इस विधान सभा और विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हो बल्कि अधिनियम का रूप ले ले और अधिनियम का रूप केवल न लेले बल्कि जल्द लागू किया जाय। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में इन सब बातों का लिहाज रखा जायगा और इस तरह पर यह बनाया जायगा कि जमींदारों के बड़े गुजारेदारों और छोटे जमींदारों के गुजारेदारों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है वह नहीं रखा जायगा।

मैं, पेश्तर इसके कि अपनी बात खत्म करूं, यह निवेदन करूंगा कि बावजूद इसके कि प्रोरोगेशन के बारे में एक महीने से ज्यादा से चरचा और जिक्र था, यह पहला मौका था कि हमने माननीय मुख्य मंत्री की राय सुनी। यह भी मालूम हुआ कि कितने बड़े-बड़े लोगों की राय जैसे गवर्नमेंट आफ बाम्बे और गवर्नमेंट आफ इंडिया के ला डिपार्टमेंट

[श्री त्रिलोकी सिंह]

की राय है, उन्होंने इस संबंध में हासिल की है। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कहीं प्रोरोगेशन का असर यह तो नहीं हुआ कि महज विधान सभा ही नहीं बल्कि विधान परिषद् भी प्रोरोग मानी जायगी।

यदि ऐसा हुआ तो यह सारी कार्यवाही जो इस विधेयक के सिलसिले में विधान परिषद में हुई है वह सब नाजायज समझी जाय। मैं कम से कम उन लोगों में नहीं हूं जो यह राय रखते हैं। मेरी राय जहां तक उस सम्बन्ध में थी कि आर्डिनेंस निकल सकता था या नहीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत मशकूर हूं कि उनकी राय हमें तफसील के साथ मालूम हुई लेकिन मेरी राय जो थी उसको अभी तक बदल नहीं सका। उसका यहां कोई यह मौका नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इस विधेयक के सिलसिले में कोई शक व शुबहे की गुंजायश नहीं रखनी चाहिये। इसलिये कि यह विधेयक ऐसा है कि जिसका करोड़ों आदमियों से सम्बन्ध है। यह विधेयक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का सा नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के नाम पर खेर साहब बड़े गौर से देखने लगे लेकिन यह विधेयक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट से कहीं ज्यादा महत्व की बात है, क्योंकि इससे करोड़ों आदमियों का वास्ता है जो गांवों में रहते हैं और जिनकी जनसंख्या करीब ८० फीसदी है। मैं यह चाहता हूं कि किसी शक व शुबहे की जहां जरा भी गुंजायश हो उसको ठीक करके कील कांटों से जकड़ कर जहां जरा भी सन्देह हो उसे ठीक कर देना चाहिये। कल यह अच्छा हुआ कि हमें डाक्टर अम्बेदकर साहब की राय मालूम हुई जो उन्होंने जब यह विधान (Constituent Assembly) में पेश या दी थी। श्रीमान् मैं विलायत के एक बहुत बड़े कानून की अथारिटी लार्ड हेल्सबरी जिन्होंने वहां के तमाम कानूनों को कम्पाइल किया है और जिनकी सहायता में वहां के बड़े-बड़े वकील और बड़े-बड़े जज शरीक रहे हैं। उनकी राय यह है:—

"Lord Halsbury said that the worst person to construe a statute is the person who is responsible for its drafting."

(लार्ड हेल्सबरी ने कहा है कि किसी विधि का निर्माण करने वालों में निकृष्टतम व्यक्ति वह व्यक्ति है, जिसके ऊपर उसका मसविदा बनाने का उत्तरदायित्व है।)

यह राय है इंगलैन्ड के एक बहुत बड़े जूरिस्ट की। इसी के साथ-साथ मैं मैक्सवेल के ला आफ इंटरप्रिटेशन में यह भी पाता हूं:—

"What may be called the parliamentary history of an enactment is not admissible to explain its meaning. Its language can be regarded only as the language of the three State of the Realm and the meaning attached to it by its framers or by individual member of one of these States cannot control the construction of it Ind ed the infe ence to be drawn by comparing the language of the Act with the declared intention of its framers would be that the difference between the two was not accidental or intentional."

(जिस वस्तु को हम किसी विधान का पार्लियामेंटरी अथवा इतिहास कह सकते हैं वह वस्तु उस विधान का अर्थ करने के लिये उपादेय नहीं। केवल उसकी भाषा को अधिराज्य के तीन राज्यों की भाषा कह सकते हैं और उसके निर्माताओं द्वारा या इन राज्यों के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसमें जो अर्थ सम्मिलित किया गया है वह उसकी निर्मित को नियंत्रित नहीं कर सकता। विधान की भाषा की तुलना उसके निर्माताओं के प्रकाशित उद्देश्यों से करके यही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों में जो भेद है यह संयोगवश या सोद्देश्य नहीं था।)

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि जहां तक इस जमींदारी विनाश विधेयक का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि इसको कील कांटों से दुरुस्त किया जाय। कोई किसी प्रकार की खामी, कोई कमजोरी किसी तरह से न रह जाय, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस विधेयक को जमींदार साहबान अदालत में ले जायेंगे, काफी तैयारियां हो रही हैं। बिहार में इसका मुक़द्दमा चल चुका है इसलिये इसको ऐसा बनाना चाहिये जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी न हो क्योंकि कमजोरी होगी तो सारी मेहनत रायगां जायगी और उससे जो काम यह सदन करना चाहता है वह पूरा नहीं होगा और जिस काम को करने के लिये इस आदरणीय सदन ने यह विधेयक पारित किया था उसमें फर्क पड़ जायगा।

श्रीमन्, मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधान सभा द्वारा इस विधेयक को खुशी से जल्दी मंजूर किया जायगा।

श्री अब्दुल बाकी--जनाबवाला, यह बिल कौंसिल से कुछ तरमीमों के साथ इस ऐवान में वापस आया है। इसमें तीन किस्म की तरमीमें हैं। पहली तरमीम तो जैसा आनरेबिल मिनिस्टर ने फरमाया लफ्जी तरमीमात हैं। लफ्जी तरमीमात के मुताल्लिक मुझे जो अर्ज करना है वह यह है कि कानून के इस्तलाही अल्फाज हमेशा एक खास माने रखते हैं और कानून के अल्फाज को हमेशा इस किस्म का होना चाहिये कि उसके अन्दर न ज्यादा वसाअत और न ज्यादा कमी की गुंजायश हो बल्कि ठीक-ठीक मानों में और ठीक-ठीक मफ़हूम में इस्तेमाल किये जायं। कानून कोई बच्चों की इब्तिदाई तालीम नहीं है। बच्चों की इब्तिदाई तालीम का लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस से मेरा मंशा यह है कि बच्चे जब स्कूलों में नई जबान पढ़ते हैं तो उनको शौक होता है कि मोटे मोटे शकील लफ्ज वे इस्तेमाल करें और माने की तरफ उनकी ज्यादा तवज्जुह नहीं होती। मैंने इस बिल की जिसमें लफ्जी तरमीमात हुई हैं जा बजा देखा। मेरी दुश्वारी एक और भी है कि हिन्दी से नावाकिफ हूं। कोशिश करता हूं कि उसको जान लूं और उबूर करूं। कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हर बिल का सही तर्जुमा अंग्रेजी में देना जरूरी है। जनाबवाला, हिन्दी और अंग्रेजी का मैंने मुकाबला किया तो सही तर्जुमा तो दरकिनार, कहीं कहीं सेक्शन को सेक्शन गायब है। दफा ८ मुलाहिजा फरमायें तो उसमें हिन्दी में है की (१) को निकाल दिया जाय और (१) दूसरा रखा गया है लेकिन अंग्रेजी में वह रखा गया है जो निकाला हुआ है यह कानून का खेल है। मेरे ख्याल में दुनिया के किसी कानूनसाज ऐवान में कानून के साथ यह खेल नहीं खेला गया है। एक जगह नहीं अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि सही तर्जुमा दरकिनार पोर्शन के पोर्शन गायब हैं। श्री त्रिलोकी सिंह ने यह कहा है कि वह चाहते हैं कि यह कानून ऐसा बने कि कील और कांटे से लैस हो लेकिन जब कील और कांटा हो तब न साहब जिसके पास कील व कांटा ही न हो उससे क्या उम्मीद करें कि कील और कांटा से दुरुस्त होगा। मैंने अभी कहा की कानून के अल्फाज मुतअय्यन होने चाहियें इसलिये कि जब यह कानून लागू होगा तो ६ करोड़ आदमी इसी कानून पर लड़ेंगे इसके अल्फाज पर बहसें होंगी और फैसले होंगे। अगर इसके माने मुतअय्यन नहीं हैं तो जाहिर बात कि मुकदमे उठेंगे, जाहिर बात है लड़ाई होगी, नतीजा यह होगा की इस कानून के जरिये जहां यह तवक्को की जाती है कि इस सूबे में मुकदमेबाजी कम होगी वहां मैं समझता हूं कि जगह जगह मुकदमे के झरोखे बनाये गये हैं और मुकदमे का फाटक तैयार किया गया है।

जनाबवाला, जिन लोगों ने इस बिल में की तरमीम है मेरे ख्याल में वह स्कूल के बच्चों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते थे। जगह जगह तरमीम की है न मालूम क्या मतलब निकलता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं।

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे सदन के माननीय सदस्यों के लिए शब्द "स्कूल के बच्चों" का प्रयोग कहां तक ठीक है?

माननीय अध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि दूसरे सदन के माननीय सदस्य के लिये ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

श्री अब्दुल बाकी--मैं अर्ज कर रहा था कि....

माननीय अध्यक्ष--आप कम से कम अपने अल्फाज को वापस लें।

श्री अब्दुल बाकी--मैं उनको वापस लेता हूं और बतलाता हूं कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके माने मुतइयन हो जाने चाहिये थे और उनमें रद्दो बदल नहीं होनी चाहिये। हाईकोर्ट में दो अल्फाज उमूरे खैर और खैराती के बारे में कहा गया कि उमूरेखैर के और माने हैं और खैराती के दूसरे माने हैं। इसी तरह से चैरीटेबिल और चैरिटी में फर्क है। कानून में चैरिटेबिल लफ्ज आया है चैरिटी नहीं आया।

मैं आपकी तवज्जह दिलाऊंगा कि दफा ७५ में पहले "धर्मार्थ" रखा गया था और अब उसे निकाल दिया गया है और अब उसकी जगह "धर्मोत्तर" रखा गया है। इसके माने यह हैं कि या तो वह पहले इसके माने मुतइयन नहीं कर सके थे या अब नहीं कर सके हैं। मैं हिन्दी नहीं जानता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि बार बार तरमीम न करें। इसी के साथ-साथ दूसरा लफ्ज था "पुन्यार्थ" उसको निकाल कर उसकी जगह पर शायद "दानोत्तर" रखा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अल्फाज इस्तेमाल किये जायं वह सोच समझकर और जान बूझकर इस्तेमाल किये जायं। उनके माने मुतइयन हों। ताकि हम लोग जो अदालत में काम करते हैं और हुक्कामान एक ही लफ्ज को अपने दिमाग में रखें ताकि उसके इंटरप्रिटेशन करने में, उसकी ताबीर करने में किसी किस्म की दिक्कत पेश न आये। मैं समझता हूं कि जगह-जगह यह दिक्कत हमारे सामने पेश आयेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तरमीमें दानिशमन्दी से नहीं की गई हैं। अगर अच्छे दिमाग की उपज होती तो यह बात न होती। मुझे लफ्जी तरमीम पर ज्यादा अर्ज नहीं करना है।

दूसरी तरमीम इस बिल में लाई गई है उससे इस बिल का निफाज घट जाता है या बढ़ जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल का जहां तक मंशा है। दफा २ का मंशा यह है कि कुछ हल्कों में यह कानून फौरी नाफिज होगा और कुछ हल्कों के लिये यह कहा गया है कि रफ्ता रफ्ता जहां तक इस सूबे की फिजा ठीक हो जायगी वहां वहां इसका निफाज किया जायगा। मगर जब मैं इस बिल को पढ़ने लगा तो एक चीज नजर आई। यहां पर अंग्रेजी में है।

"Pargana Jaunsar-Bawar of Dehra Dun District and the area of Mirzapur District in the south of the Kaimur Range :"

(देहरादून जिले का परगना जौनसार बाबर और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।)

अब यह तहतीदफा जो बढ़ाया गया है इसके मानी यह हैं कि अगर इसे न बढ़ाया जाता तो इन दोनों हल्कों पर इब्तदा में ही यह कानून नाफिज हो जाता, लेकिन अब यह कानून यहां पर नाफिज नहीं होगा। कहा यह गया था कि यह ज्यादा से ज्यादा हल्कों पर नाफिज किया जायगा, लेकिन इस तरमीम से यह मकसद और ज्यादा महदूद हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस किस्म की तरमीम जिसके जरिये से इस बिल का निफाज और महदूद हो जाय, यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है। तीसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जिसकी तरफ मेरे लायक दोस्त त्रिलोकी सिंह ने अभी इशारा किया है। जो लोग पहले १० गुना नहीं दे सके अब उनको १२ गुना देना होगा, यह तो मेरे लायक दोस्त फरमा चुके, मैं दूसरी चीज अर्ज करना चाहता हूं कि अब भी कोई अदा कर सका तो यह समझा जायगा कि उसकी माली हालत बहुत खराब और खस्ता है। उनके साथ इस बिल ने और सितम किया है। उनके साथ यह

किया गया कि अगर १२ गुना नहीं दे सके तो ५ गुना और रखते जाओ तो अपना पाओगे मौजूदा बिल जो है उसमें यह है कि अगर कोई शख्स १२ गुना किस्तवार अदा नहीं कर सकेगा, मियाद गुजर जायगी और किस्त वापस लेगा तो ५ फीसदी गवर्नमेंट उसमें से काट लेगी। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों पर बड़ा जुल्म करना चाहती है। जिन लोगों की हालत ऐसी खस्ता है, कमजोर है, बजाय इसके कि उनको बिला किसी कटौती के वापस कर दिया जाय, उनसे ५ फीसदी और लिया जा रहा है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं रोज के तजुरबे पर कि गवर्नमेंट के यहां अगर आप रुपया दाखिल कीजिये तो उसमें कम सरफा होता है लेकिन जब वापस लेंगे तो उसमें बीसों जहमतें होती हैं, सरफा भी बहुत ज्यादा होता है। ५ फीसदी तो आपने काट लिया और रुपया निकालने में जो खर्चा पड़ेगा उससे उसकी रकम आधी हो जायगी, मैं किसी तरह से इस तरमीम को पसन्द नहीं करता। चौथी चीज जो मैं इस तरमीम के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि बहुत से ऐसे मौके इस तरमीम में ऐसे आ गये हैं कि अल्फाज को आपने सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है। जहां पर कि वाइडेबिल इस्तेमाल होना चाहिये वहां वाइड इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या फर्क है, यह मौका नहीं है कि मैं बतलाऊं। इसके मुताल्लिक मेरी तरमीम है। जब मौका आयेगा तो तफसील के साथ बतलाऊंगा। जहां जहां एग्रिमेंट और कांट्रेक्ट इस्तेमाल किया गया है, मैंने उसे भी देखा। इन दोनों का जो डिफरेंस मेरे नजदीक बहुत साफ है लेकिन बिल को जो जगह जगह देखा तो मालूम हुआ कि दरअसल इन दोनों अल्फाज के इस्तेमाल करने में शायद यह चीज दिमाग के सामने नहीं थी। अल्फाज के इस्तेमाल का शौक था इसलिये उनका इस्तेमाल कर दिया गया मगर उसका मफहूम पसेपुश्त डाल दिया गया है। चुनान्चे एग्रिमेंट को वाइड इस्तेमाल करने के बजाय कांट्रेक्ट को वाइड इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजूहात मैं बाद को बतलाऊंगा। यह चंद बातें हैं। इस वक्त मैं ज्यादा तफसील के साथ अर्ज नहीं करना चाहता। लेकिन इन चन्द बातों को रख कर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो तरमीमात हुई हैं वे कुछ मुनासिब नहीं है। और जिस मकसद के लिये यह बिल लाया गया है उस मकसद को यह तरमीमात पूरा नहीं करतीं। बहुत जगह इस मकसद के खिलाफ जाती है इसलिये जो तजवीज आनरेबिल मिनिस्टर ने पेश की है मैं उसको मुखालिफत करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पढ़ने के बाद और यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने इसका अंग्रेजी का तरजुमा पढ़ा है मेरी मालूमात में जो इजाफा हुआ है वह यह है की फिश और पोल्ट्री जिनका अभी तक ऐनीमल किंगडम में शुमार था उनको निकाल दिया है। यह साइंस की नालेज में इजाफा हुआ है। जहां आप कानून बनाते हैं वहां साइंस में भी इजाफा करते है। अभी तक तो यह कहा जाता था कि इंसान भी एक रैशनल एनीमल है। यह एनीमल किंगडम तो इस तरह वसत रखती थी अगर सरकार मछली और मुर्गी को जानवरों में शुमार करती है तो वजूहात की कोइ जरूरत न थी। जाहिर है कि इस तरह रोज ही हम दुनिया में कुछ न कुछ सीखा ही करते हैं और मेरी नौलेज में आज यह इजाफा हुआ है और डारविन की रूह भी आज इसको सुन कर खुश होगी। अब जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मेरी राय में उसमें दो चार बातें बहुत ही खास है और जहां तक उन तरमीमों का ताल्लुक है जो कौंसिल से होकर हमारे सामने आई है। जैसा कि लीडर आफ अपोजीशन ने कहा कि गुजारेदारों की बात आपने छेड़ दी है और अलग हो गये इसके लिये एक बहुत ही मोटी मिसाल है जो रोजमर्रा कही जाती है वह यह है कि "आग लगा के जमालो अलग हुई" आपने एक शोशा छेड़ दिया और आप अलग हो गये। मै तो ताज्जुब करता हूं कि आपने उसका जिक्र ही क्यों किया था। गुजारेदार कम से कम दो किस्म के होते हैं एक लाइफ इंटरेस्ट के और दूसरे हेरेडटरी। अगर आपकी इस तरमीम का ताल्लुक हेरेडटरी प्रोपोर्शनेट शेयर के गुजारेदारों से ही होता तो यह चीज किसी हद तक मुनासिब होती क्योंकि उसके बेटे, पोते, परपोते जमींदारी में से लाभ उठाते रहते। उनको कंपेन्सेशन भी मिलता

[श्री साजिद हुसैन]

ठीक है लेकिन जहां तक लाइफ इंटरेस्ट का सवाल है उसकी आमदनी के हिसाब से उसके गुजारे के हिसाब से अगर कंपेन्सेशन दिलाया जाय तो मेरे खयाल में वह इंसाफ के मुताबिक नहीं होगा। अगर यह चीज लाई भी गई थी तो उसको व जेह भी करना चाहिये था मगर आपने तो एक चीज पैदा कर दी और कह दिया कि तुम चाहे लड़ो मरो। मगर मैं पूछता हूं कि आप ने अदालत के सामने भी कोई प्रिंसिपल रखा है कि जिस की बिना पर अदालत फैसला करेगी कि कंपेन्सेशन का जुज किस तरीके पर बटेगा। मेरी समझ में तो अगर यह प्रिन्सिपल भी ले डाउन कर दिया जाता तो बेहतर होता। मैंने भी जब यह चीज इस भवन में आई थी तो सवाल उठाया था। अगर यह सवाल उठाया था तो इसको साल्व भी करना चाहिये था न कि उसको तबाही के रास्ते पर ले जाया जाय इससे बेहतर यह था कि यह बात नहीं उठाई जाती।

फिर आपने लाआफ कंट्रेक्ट पर भी हाथ साफ किया जो जमीन चरागाह वगैरह के लिये ठेके पर दी गई है सरकार में वेस्ट होने के बाद वह रकमें कम्पेन्सेशन से कट जायंगी। आपने लाआफ कांट्रेक्ट में भी दखल दिया है यह कहां का इन्साफ है। यह जमींदारी विनाश जो है उसको मैं तो यह समझता हूं कि यह एक सिम्पुल ट्रान्सफर है गवर्नमेंट के नाम उसकी कीमत कुछ भी हो इसकी मुझे कोई खास बात नहीं लगती लेकिन यह एक जब्रिया सेल है। तो मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि दुनिया में कोई चीज बिकती है तो उसके पहले का जो कांट्रेक्ट होता है वह कैसे खत्म हो जाता है। अगर कोई चीज जमींदार किसी को ट्रान्सफर करता है तो वह बीच की चीज कैसे खत्म हो जायगी। यह तो यह नार्मल सा ट्रान्जैक्शन है जिसमें सरकार दखल देना चाहती है यह एक मुकद्दस प्रिन्सिपुल है जो कि खुद सरकार ही ले डाउन कर रही है। आज अगर जमींदारी का सवाल है तो कल कारखानों का सवाल पैदा होगा। इस तरह से जो बीच की चीज चली आ रही है उसको अगर सरकार खत्म करती है इससे पूरा सत्यानाश हो जायगा। इस तरीके से सरकार का यह एक अनड्यू इन्टरफियरेन्स है। अगर सरकार इस तरह से करेगी तो वह स्टेट की जड़ को कमजोर करेगी। तो हमारे सामने सब से बड़ा उसूल यह होना चाहिये कि जो आर्डिनरी ला है जो हमारी स्टेट ने चालू किया है उसको किसी तरह से ठेस नहीं आनी चाहिये। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये कि जैसा वह अपनी मेजारिटी की बिना पर कर रही है। आगे हो सकता है कि सरकार बदल जाय अगर बदलती है तो वह और भी नुकसानदेह हो सकता है। मुमकिन है कि जब तक यह सरकार रहे अपने सामने उन तमाम उसूलों को रखें जिसको वह दुहाई देती आई है। लेकिन इस तरह से उसूल से हटना किसी तरह से जेब नहीं देता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो वह उसको गलत रास्ते पर ले जायगी।

डिसेबिल की फेहरिस्त में जब हमारे सामने यह कानून था तो उसमें नाबालिग लोग थे और औरतें भी थीं। अब कौंसिल में इस चीज को बदल दिया गया है और औरतों के अन्दर कुछ फर्क रखा गया है और सब औरतों को डिसेबिल नहीं माना गया है।

सिर्फ वही औरतें डिसऐबिल मानी गई हैं कि जो बेवा हैं, नाबालिग हैं या जिनको अगर उनके शौहर जिन्दा हैं तो उनसे छुड़ौती हो गई है यानी अगर एक औरत नार्मल मिली लाइफ में है तो वह उस में शामिल नहीं की गई है। इसके मानी क्या हैं? इसके मानी तो यही होंगे कि आप का यह कानून एक इनसैनटिव होगा, जहर खुरानी का और झूठ दगाबाजी मुकदमेबाजी वगैरा के लिए। कोई भी कह सकेगा कि हमारी तो छुड़ौती हो गई है और हमें इस से फायदा मिलना चाहिये इस तरह से एक अजीब चीज औरतों में पैदा हो सकती है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—ऐसा कोई नहीं कहेगा, यह कहना खतरनाक है।

श्री साजिद हुसैन—अगर यह छुड़ौती न होगी तो कम से कम यह झूठ दगाबाजी, मक्कारी और गलत किस्म की मुकदमेबाजी की बुनियाद तो जरूर होगी। हमें अफसोस है कि ऐसी तरमीमात अपर हाउस में हुई कि जो बड़ों का हाउस कहलाता है और जिसे हमको रास्ता बताना चाहिये अगर उनकी किसी बात पर मजबूरन और बदिले नाखास्ता नुक्ताचीनी करते हैं तो भी कुछ अच्छा नहीं मालूम होता। हमारे लिये तो यही अच्छा होता है कि वह हमें रास्ता दिखलावें क्योंकि वह हमारे एल्डर हैं और हम उनके छोटे हैं उनकी राय पर चलना चाहिये वह हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन "खताये बुजुर्ग गिरफतन खता" हम उन अपर हाउस वालों को कुछ कहें तो यह भी एक खता है। ऐसी सूरत में यह देखना चाहिये कि हम अपने बुजुर्गों से दरखास्त करें यहीं से बैठकर कि हमारे वह बुजुर्ग जरा फिर इस पर गौर फरमावें। हमारी यह हिम्मत नहीं है कि हम उन की कोई गलती या खता बतला रहे हैं हम तो सिर्फ जो बात हमारे दिमाग में आई वह आपके सामने पेश कर रहे हैं आप उस पर अपने आलादिमाग से फिर गौर फरमावें।

अभी जैसा कि कहा गया कि वह भूमिधर, वह सरकार के चहीते जिनके मुताल्लिक बहुत कुछ इस सदन में और इसके बाहर एक से एक सूरमा खड़े होकर प्लेटफार्मों पर नारे लगाता है कि हम हिन्दुस्तान की आइन्दा बैकबोन तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से कौंसिल से अमेंडमेंट होकर आये हैं उससे तो और बैकबोन तोड़ी जाती है। जैसा कि लीडर आफ दि अपोजीशन ने कहा कि ११ गुना तक जुर्माना हुआ लेकिन अगर उन्होंने जरा उसमें तवक्कुफ किया तो वह १२ गुना हो जायगा और अगर उनकी कुछ मजबूरी हो गई तो वह पैनेलाइज कर दिये गये कि उनका ५ फीसदी और कट गया। यह गुरबा परवरी उस सरकार की है जो गरीबों के नाम पर कसम खाती है कि हम जनता के सेवक हैं और जनता की सेवा करते हैं। मैं इस फ्लोर आफ दि हाउस पर यह एक्सपोज करना चाहता हूं कि यह जनता की सेवा नहीं है बल्कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह गरीबों को बर्बाद करने के लिये कर रहे हैं और अपनी कुर्सियों को मजबूत करने के लिये कर रहे हैं।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अस्थायी सभापति समिति के सदस्य, श्री रघुवीर सहाय की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अस्थायी सभापति—उठने से पहले श्री साजिद हुसैन भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री साजिद हुसैन—माननीय सभापति, मैं इस विधेयक के सिलसिले में उन कारगुजारियों का जिक्र कर रहा था कि जो हमारी सरकार ने अपर हाउस में फर्मायी हैं। उस सिलसिले में उन्होंने यह भी किया है कि वह जमीन जो बिला तसफिहा है, पर्ती पड़ी हुई है उस पर जो बिला इजाजत और मौजूदा कानून की रू से बिला कानूनी तरीके से जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है उसके जो काश्तकार होंगे वे मौरूसी मान लिये जायेंगे। क्या माने हुये इसके? हमारे बिरते पर फटयादी। इसको यों कहते हैं कि दूसरे के कंधे पर बन्दूक रख कर दागना। अरे साहब, जब वेस्टिंग होने ही जा रही थी तो थोड़ा सा और इन्तजार कर लेते। इसके बाद जितनी जमीन होती, जिसको जी चाहता बख्श देते। तो यह रवैया सरकार का ख्वाह इस हाउस में हो या अपर हाउस में हो बिलकुल उसकी शान के खिलाफ है और नामुनासिब है। यह कहा जाय कि साहब बिला तसफिया जमीन को मान लेने से जो आपका ग्रास असैट है वह बढ़ा जाता है तो जब किसी पर एहसान किया जाता है तो कम से कम उसका भी कुछ ईमा होना चाहिये कि वह एहसान चाहता है या नहीं। यह जबरदस्ती का एहसान और जबरदस्ती की मोहब्बत कुछ समझ में नहीं आयी। मोहब्बत और जबरदस्ती, आपको मालूम है सभापतिजी, ये कंट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। तो ऐसी सूरत में आप यह देखें कि यह सरकार जो कुछ करती है वह सब मनमाना काम करना चाहती है और सिर्फ एक नजरिया इसके सामने है

[श्री सज्जिद हुसन]

और इस उधेड़ बुन में यह सरकार रहती है कि ऐ खुदा, किसी तरीके से ऐसी चिपक इन कुरसियों में पैदा हो जाय कि हम इनसे जुदा न हों। वह इलास्टीसिटी हो जाय कि हम अलग होना चाहें और कुरसियां हमको न छोड़ें। हो सकता है, दुनिया में मुअजजे होते हैं और अगर हमारी सरकार इस बात की ख्वाहिश करती है तो गोया एक तरह से ईश्वर में विश्वास रखती है। ऐसी सूरत में जबकि इस किस्म के कानून और तरमीमात आते हैं कि जिन से यह उम्मीद की जाती है कि वे उसकी दुरुस्ती करेंगे और वे दुरुस्ती के बजाय उसमें और खामियां पैदा हो जाती हैं तो इसके माने यह हैं कि हम क्या सरकार की काबिलियत पर भरोसा रख सकते हैं।

कम्पेन्सेशन का मामला लीजिये। अब बांड्स का भी जिक्र होने लगा और थोड़े दिनों में अगर इस भवन में ज्यादा बहस हो तो शायद बांड्स का जिक्र भी गायब हो जाय। मन्शा क्या है कि जमींदार हम बन जायं और टका हमारी जेब से खर्च न हो। सवाल सिर्फ यह है। अगर आज सरकार ऐलान करदे कि हम जो उसका मुनासिब मुआविजा है और मुआविजे के माने मैं यह समझता हूं कि उतना रुपया या उतनी मालियत कि जिसके मुनाफे से वह मुनाफा कायम हो कि जो आज जमींदारों को हासिल है, तो उसके माने कम्पेन्सेशन हैं। यानी कंपेन्सेशन में एक सेंस आफ बैलन्स या एक तराजू का आइडिया होता है कि एक पलड़ा दूसरे के बराबर हो। अगर यह ख्याल सरकार का होता तो मैं यकीन दिलाता हूं कि सरकार की तमाम परेशानियां दूर हो जातीं। खुशी से हर जमींदार उनको यह जमींदारी नजराना पेश कर देता अगर उसे सही कीमत दी जाती। कोई सवाल इसका न होता कि आया यह कंस्टीट्यूशनली ठीक है या नहीं, कोई सवाल इस बात का न उठता कि आया प्रोरोगेशन का इस कानून पर असर पड़ता है या नहीं, या क्या शक्ल पैदा होती और क्या नहीं। जब यह चीज हमारे सामने है तो यह जो कुछ भी हुआ यह सरकार का ही तो किया हुआ है। यह अपने लिये ख्वामख्वाह दर्देसर पैदा करना है अब यह मैं नहीं कह सकता, मुमकिन है यह भी कोई अकलमन्दी की निशानी हो कि जानबूझ कर अपने को परेशानी में डाला जाय। बहरहाल, यह तो उन लोगों का राज है। इसे दूसरे कैसे समझ सकते हैं? मगर यह मैं जरूर जानता हूं कि किस तरीके से जो रवैया सरकार का अब तक रहा, यहां या वहां, उससे मेरे ख्याल में हमारे लिये और उनके लिये भी और सब के लिये, यानी जिसका भी इस बिल से ताल्लुक है, मुसीबतें बढ़ी ही हैं। इनको सुलझाने की कभी इस सरकार ने कोशिश नहीं की। अगर किसी दूसरे ने भी उन्हें राय दी तो उसे भी इस सरकार ने बड़े ही डिक्टेटोरियल तरीके से ठुकरा दिया। मगर डिक्टेटरशिप तो इस सरकार का हिस्सा है। वह हमेशा एक परदे की आड़ में अपने फेलों को जाहिर करती रहती है। यह वही विलायती खिलौना है जिसका नाम डेमोक्रेसी है और जिसे हमारी सरकार बिलियर्ड को गुल्ली डंडे की तरह खेलती है। तो ये चीजें मैं कहां तक इस सरकार के सामने अर्ज करूं? मुझे उम्मीद है कि सरकार जिसे कहते हैं बैवर टू लेट, आज भी इस पर गौर करेगी। ऐसी सूरत में भी वह तमाम परेशानियों को सुलझा सकती है। अगर हमारी सरकार जरा सोच समझ कर काम करे तो उनकी भी और दूसरों की भी परेशानियां दूर हो सकती हैं बशर्ते कि सरकार का इरादा हो और वह अपने दिमाग की बातों को दुरुस्त करे। इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो माननीय माल मंत्री जी ने इस भवन में पेश किया है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय सभापति जी, जिस समय यह बिल अपर हाउस में गया था उस समय सबको यह आशा थी कि शायद इसमें कुछ संशोधन इस तरीके से किये जायं जिनकी वजह से गरीब किसानों का कुछ भला हो सके जिनके ऊपर बहुत बोझा डाला जा रहा है। यह भी आशा थी कि जमींदारों को जो मुआविजा देने की बात की जा रही है उसमें कुछ सुधार किया जायगा। मैं समझता था कि शायद इस भवन का

इस बात की ओर ध्यान नहीं गया हो तो अपर हाउस इसे ठीक कर देगा। लगान में भी कोई खास कमी नहीं। नयी जमीन नहीं मिलती है। ये बातें हमारी निगाह से ओझल हो गई होतीं, तो मैं समझता था कि शायद कौंसिल वाले माननीय सदस्य इस तरफ ध्यान देंगे। लेकिन जिस तरह के संशोधन हुये हैं उनपर जरा अच्छी तरह से गौर किया जाय तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस संशोधित बिल को देख करके हमारे सूबे के गरीब किसान यह समझने लग जायं कि कौंसिल वास्तव में जमींदारों और महाजनों की रक्षा करने के लिये ही बनायी गयी है और इस बिल को संशोधित करके उसने वास्तव में जमींदारों और महाजनों की ही रक्षा की है, तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होगा। वैसे तो कौंसिल इस लिये ही बनायी जाती है कि अगर यहां पर कोई त्रुटियां रह गयी हों, कोई अधिक संशोधन करने हों, बिलों में सुधार करने हों, जनता के हित की ऐसी बातें अगर जोड़नी हों जो यहां न हो पायी हों, तो उनकी ओर वह ध्यान दें, यह चीज तो नहीं हुई बल्कि जैसा कहा जाता है जिस किसी सूबे में एक असेम्बली होते हुये कौंसिल बनायी जाती है तो सिर्फ इस ख्याल से बनायी जाती है कि जनता के चुने गये प्रतिनिधि कोई काम ऐसा न कर दें कि जिस से वेस्टेड इनट्रेस्ट्स को बहुत नुकसान होता हो, इसलिये उनकी हिफाजत के लिये कौंसिल बनायी जाती है। मुझे इस बात को देख करके तो जरूर मालूम होता है कि वास्तव में हमारे कौंसिल के माननीय सदस्यों ने इस बिल में जिस तरह के संशोधन किये हैं वह जमींदारों के पक्ष में हैं और गरीब किसानों के पक्ष में नहीं हैं।

पहली चीज इस बिल के देखने से यह मालूम होती है, जैसा कि अभी कहा भी गया है कि जितना दायरा इसका पहले था उससे इस बिल का दायरा कम कर दिया गया है। जो बिल हम लोगों ने पहले इस भवन में पास किया था उसमें टाउन एरियाज पर भी यह बिल लागू था लेकिन अब इस बिल के दायरे से टाउन एरियाज निकाल दिये गये हैं। जो दूसरा अर्बन क्षेत्रों का बिल भवन के सामने है और जिसपर सेलेक्ट कमेटी में बिचार हो रहा है, उसमें टाउन एरियाज चले गये हैं। साथ ही साथ मैं यह भी देखता हूं कि इस बिल के ऊपर जिस वक्त यहां सब से ज्यादा बहस हो रही थी, उस वक्त सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया था कि हमारे सूबे के किसान बहुत गरीब हैं, उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह किसी तरह का मुआविजा देने के काबिल हों। हम लोगों ने हमेशा इस बात की आवाज उठाई है कि पहले तो उसूलन हम नहीं मानते कि मुआविजा पाने का अधिकार जमींदारों को है, लेकिन सब से खास बात यह है कि मान लीजिये कि आप इस उसूल को न भी मानें तो भी यह देखना पड़ेगा कि आया जिससे हम पैसा लेते हैं वह ऐसी स्थिति में है या नहीं कि वह उस बोझ को बरदाश्त कर सके। हमारी जो ऐग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसका कई बार भवन में जिक्र किया गया लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने उस रिपोर्ट को देखा है वह उसके इस पहलू पर गौर नहीं करते हैं और न गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब ही दिया जाता है। उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हमारे इस सूबे के ७३ या ७५ फी सैकड़ा किसान ऐसी स्थिति में हैं कि जो अपना गुजारा नहीं चला सकते हैं कि अगर गुजारा चला भी सकते हैं तो तमाम खर्चे निकालने के बाद वह ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं कि उनके पास कुछ रकम बचे। यह जो दलील दी जाती है कि लड़ाई के जमाने में चूंकि अन्न की क़ीमतें बढ़ गयी इस वजह से किसान मालामाल हो गये हैं, इस दलील को भी उस रिपोर्ट ने रद्द किया है। मैं यह समझता था कि जो इस भवन के अन्दर इतनी बहस हुई थी कि चूंकि किसान बहुत गरीब हैं, उनसे दस गुना लगान की वसूलयाबी नहीं होनी चाहिये, इसका शायद गवर्नमेंट पर कुछ असर पड़ा हो, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इस सूबे में दस गुना लगान की जो वसूली और उसका जो नतीजा निकला कि १८० करोड़ के बजाय हुकूमत अभी तक ३० करोड़ नहीं वसूल कर सकती है, उससे मैं यह समझता था

[श्री राजाराम शास्त्री]

कि हुकूमत ने इस बात को महसूस किया होगा और खास तौर पर हमारे कौंसिल के माननीय सदस्यों की समझ में यह बात आ गयी होगी कि वास्तव में इस सूबे के किसान गरीब हैं। उसके पास इतना धन नहीं है कि वह इतना लगान देकर के भूमिधर बन सकें।

अस्थायी सभापति--मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाऊंगा कि जो वह बहस इस वक्त कर रहे हैं वह बहस पहले हो चुकी है और माननीय सदस्य के लिये यह ज्यादा मुनासिब होगा कि इस वक्त वह उन्हीं संशोधनों पर और उनके उसूलों पर बहस करें जिन संशोधनों के साथ यह बिल कौंसिल से यहां पर उपस्थित हुआ है।

श्री राजाराम शास्त्री--एक संशोधन हुआ है जिसमें १० गुने लगान के बजाय जो उसे एक साथ नहीं दे सकेंगे उनके लिये १२ गुना कर दिया गया है। मैं उसकी दलील में इस बात को पेश करना चाहता हूं कि जब हमारे सूबे में पहले गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया कि किसान गरीब है, दे नहीं सकता। वसूलयाबी की गयी, १८० करोड़ में से ३० करोड़ ही वसूल कर पाये। जिस सूबे की यह हालत हो और कौंसिल के सदस्य जानते थे कि हमारे सूबे के किसानों की माली हालत ऐसी नहीं है कि १० गुना देकर भूमिधर बन सकें, उन्होंने यह संशोधन किया है कि अगर वह एक साथ नहीं दे सकते तो किस्तों में दें और किस्तों में १० गुने के बजाय १२ गुना दें। यानी १०० के बजाय १२०। चौथाई के करीब हम देखते हैं कि ब्याज है। जिस समय गरीबी की हालत यह है कि जब एक इन्सान गरीबी की बजह से, आज किसी चीज को खरीद नहीं सकता एक कीमत में, तो आपको और ज्यादा सहूलियत देनी चाहिये थी जिस की वजह से वह व्यक्ति नई-नई सहूलियतें पाकर उस चीज को खरीद सकें। जो किसान पहले १० गुना देकर भूमिधर नहीं बन सकता था, आपकी राय में भी वह गरीब था, तो कौंसिल के माननीय सदस्यों को ऐसा सुधार करना चाहये था कि जिसकी वजह से जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वह भी भूमिधर बन सके। लेकिन अब जो संशोधन किये गये हैं उनमें हम देखते हैं कि १० गुने के बजाय १२ गुना उनको देने को कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह ऐसा अन्याय है कि मेरी समझ में शब्द नहीं आते हैं कि किन शब्दों से गवर्नमेंट की निन्दा की जाय। कौन तरीका हो सकता है कि जिसकी वजह से इस सूबे के किसान आज इस सरकार को और कौंसिल के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकें कि उनकी दशा कितनी खराब है। हुकूमत के लिये जितने तरीके हो सकते थे, रुपया वसूल करने के लिये जितने जुल्म हो सकते थे वह किये गये। उनकी चमड़ी उधेड़ने के बाद भी जो लोग १० गुना नहीं दे सके तो क्या ख्याल करके उन्होंने उम्मीद की है कि १२ गुना दे सकेंगे। इतना ही नहीं, उसमें यह भी रखा गया है कि एक किसान एक बार, दो बार दे देता है और किसी वजह से उसकी फस्ल नष्ट हो गयी, कर्जा नहीं ले सकता है और मुसीबत में फंसा हुआ है और किस्त नहीं दे सकता है तो जो रुपया हुकूमत के हाथ में पहुंच गया उसको जब हुकूमत वापस करेगी तो ५ परसेन्ट काट लेगी इन नये संशोधनों के मुताबिक तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह का संशोधन किया गया उससे गरीब किसानों का क्या फायदा हुआ। कौंसिल के माननीय सदस्यों ने क्या फायदा किया कि १० के बजाय १२ गुना कर दिया ओर बारह गुना को किस्त में अदा नहीं करता तो ५ परसेंट और दे। यह सरासर अन्याय है और यह एक ऐसी चीज है जिसकी ओर इस भवन के माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा मैंने यह देखा कि पहले तो यह कहा गया कि पुनर्वास का भत्ता उन्हीं जमींदारों को दिया जायगा जो ५ हजार रुपया तक मालगुजार थे। लेकिन अब जो संशोधन हुआ उसमें माननीय सदस्य जो कौंसिल के हैं उनके दिल में उन उम्मीदवारों के लिये भी रहम आया जो मालगुजारी १० हजार रुपया तक देते हैं। मेरे सारे कहने का मतलब यह है कि जहां तक उस किसान का ताल्लुक है कि जो उतना गरीब है कि १० गुना

लगान देकर भूमिधर नहीं बन सकता उसके लिये तो माननीय कौंसिल के सदस्यों ने १२ गुना कर दिया, लेकिन जो जमींदार ५ हजार रुपया मालगुजारी देते हैं उनके पुनर्वास का भत्ता आज हो १० हजार कर दिया। मेरा सारा कहने का मतलब यह है कि कौंसिल के माननीय सदस्यों का ध्यान उन जमींदारों की तरफ तो हुआ जो दस हजार रुपये तक मालगुजारी देते हैं लेकिन भूखों मरते हुये किसानों, जिन की चमड़ी उधेड़ ली सरकार ने रुपया वसूल करने में, और आज भी वसूल करने की कोशिश करती है, यद्यपि किसान **पुकार-पुकार कर** कहता है कि हमारे पास रुपया नहीं है, उन से दस के बजाय बारह गुना लगान की मांग पेश की गयी है। मैं पूछता हूं कि दस हजार रुपया मालगुजारी देने वाले जमींदारों को अगर पुनर्वास भत्ता नहीं मिलेगा तो कौन सी आफत आ जायगी। इन बातों को देखकर किसान के दिल में यह भावना पैदा होती है कि यह हुकूमत सरमायादारों की है, बड़े-बड़े जमींदारों की है, महाजनों का पेट भरने वाली सरकार है। किसान इन बातों को नहीं देखेगा कि आप क्या कहते हैं सरकार की तरफ से जो जो होता है, इस भवन में और कौंसल में जो माननीय सदस्य करते हैं किसानों के लिये उन के कारनामों को देख कर किसान जज करेगा कि हुकूमत किसान मजदूरों की है या वास्तव में जमींदारों की, पूंजीपतियों की है। मैं जब भवन में यह देखता हूं कि जमींदार लोग कांग्रेस को भला बुरा कहते हैं कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है जमींदारों को मिटा रही है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि जब से मैंने इस बिल का अध्ययन करना शुरू किया मेरी बराबर शिकायत है कि सरकार में जमींदारों के लिये ज्यादा रहमदिली है, किसानों के लिये कम है। फिर भी शिकायत होती जा रही हो कि हमारी जमींदारी मिटा रहे हैं। मैं एक शब्द यही कह सकता हूं कि इस कानून को बना कर जिस तरह पर दस गुना वसूल हो रहा है, आप जमींदारों को नहीं मिटा रहे हैं किसानों को मिटा रहे हैं। माननीय मंत्री जहां पर भी भाषण करने जाते हैं वहां पर काफी किसान इकट्ठा हो जाते होंगे इस से वह अंदाजा लगाते होंगे कि किसान इस बिल से बहुत खुश है, यह बिल बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि यह बिल जिस हालत में कौंसिल से आया है इसमें किसानों पर ही बोझा बढ़ रहा है, जमींदारों पर बोझा हल्का ही किया गया है। फिर भी सब लोग यही कहते हैं कि जमींदारों को मिटाया जाता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हुकूमत और खास कर कौंसिल के माननीय सदस्यों की नीति इस तरफ झुकती मालूम होती है कि जिस के पास ज्यादा है उस को और दो और जो भूखों मरता है उस को एक ठोकर और लगाओ। इसका नमूना मैं इस बिल में देखता हूं। मुझ को ऐसा लगता है कि अगर ये शब्द अब भी लगे ही रहे कि दस गुना लो और बारह गुना लो और इसके बिना कोई भूमिधर बन ही नहीं सकता तो यकीन मानिये कि जिन किसानों को इस बुरी हालत में कर्जा लेना पड़ेगा आज भले ही भूमिधर बन जायं, कल उन्हीं महाजनों के हाथ में गरीब भूमिधरों की जमीन चली जायगी और इसी लिये यह जमीन खरीद फरोख्त की चीज है। जमीन गरीबों के हाथ से निकाल कर महाजनों के हाथ में जाय ताकि उन के पास बड़े बड़े खेत हों, गरीब अपनी जमीन देहात में बेंच कर कानपुर के मिलों में नौकरी करे। यकीन मानिये कि आप दस वर्ष के बाद देख लीजियेगा कि जिस तरह से यह कानून इस भवन से और कौंसिल से पास हो कर आया है इससे देहात के किसानों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। असंतोष नहीं मिटेगा, गरीबों को जमीनें नहीं मिल सकेंगी, बल्कि गरीब जो जमीन लिये हुये भी हैं उनकी वह जमीनें बिक जायंगी और यह कानून एक तरीके से देहात में पूंजीवादी व्यवस्था के लिये रास्ता खोलेगा। अब आपने कुछ साफ कर दिया है पहले तो जब कभी पूछा जाता था कि मुआवजा किस तरह से अदा किया जायगा तो सरकार बहुत कुछ चुप रहती थी। बड़ी खुशी है कि अब इस तरह की बात सामने आई लेकिन अभी भी कहा जाता है कि जल्दी रुपया दिया जायगा और अगर नकदी रुपया नहीं होगा तो बांड्स में दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि अगर अब भी आप सफाई के साथ यह ऐलान कर दें कि १८० करोड़

[श्री राजाराम शास्त्री]

में से ३० करोड़ रुपया मुश्किल से हुआ है, इसलिये अब वह किसी भी तरीके से इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वह नकद रुपया मुआविजा में दे सके, इसलिये जो बांड्स का तरीका है उसी में उन्हें मुआविजा दे दिया जाय और साथ ही साथ जो तीस करोड़ रुपया मिल गया है, अगर उसको राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगा दें, किसान से यह अपील करें कि जमींदारों को तो अब हम रुपया बांड्स में देंगे और जो रुपया तुम्हारा है वह तुम्हारे हित में खर्च करेंगे और आइन्दा जो रुपया आयेगा उसको राष्ट्र निर्माण के कामों में खर्च करेंगे तो मेरा ख्याल यह है कि फिर भी नौबत आ सकती है शायद किसानों के दिल में आ जाय कि यह रुपया हमारे हित के कामों में आ जायगा और वह रुपया देने की चेष्टा करें। लेकिन जब तक आप यह नहीं करते, किसानों से रुपया वसूल करते हैं इसकी परवाह नहीं करते कि किसान भूखों मरते हैं और जमींदारों को मुआविजा देने के लिये वसूल करते हैं तब तक भूमिधर बनने के लिये उनमें उत्साह नहीं आयेगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि जमींदारों को बांड्स में रुपया दिया जाय अगर आप देने पर ही तुले हुये हैं और अगर आपको इन जमींदारों से बड़ी मोहब्बत है और इन्हें देना ही चाहते हैं तो बांड्स में दीजिये। लेकिन आप तो बांड्स में भी इनको ब्याज देने की सोचते हैं। हम देखते हैं कि जब किसानों की चीजें ली जाती हैं यानी अगर १० गुना नहीं दे पाया है तो १२ गुना दे और अगर १२ गुना दे दिये हुये रुपये को वापिस करना चाहें तो पांच परसेंट आप उसमें से काट लें, लेकिन जहां पर इन जमींदारों को देने का सवाल आता है वहां काटने की बात क्या है ? वहां पांच से १० हजार तक के लिये रहम आता है सूद दिया जाता है। जहां इनके देने का सवाल आता है तो आपको रहम आती है लेकिन जहां किसानों को देने का सवाल आता है वहां उनके भूखों मरने की भी परवाह नहीं है। इस तरह से अगर मैं पूरी पिक्चर को देखकर कहूं तो यह बात कहूं कि यह सारा का सारा खेल जमींदारों को संतुष्ट करने के लिये है और तबाह हुये किसानों को और तबाह करने के लिये है तो अत्युक्ति न होगी और हमारा विश्वास है कि किसानों की यह भलाई की बात नहीं हो सकी। असेम्बली के सामने यह फिर से मसला आया है और माननीय सदस्यों को इस बात पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और जो भी संशोधन कौंसिल की तरफ से आये हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिये। अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यह कोई विधान परिषद् की तौहीनी नहीं है बल्कि हमें उनको समझा देना है और बता देना है कि आज के युग में अगर हम आपको कोई काम सौंपते हैं कि इस बिल को देखिये तो आपका पल्ला गरीबों की तरफ झुकना चाहिए और रईसों की तरफ नहीं, दुनिया की हालत को देखना चाहिये और देश की हालत को देखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उन गरीबों का भी कोई फायदा हो सकता है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों से इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि आज जितने भी संशोधन आये हैं वह सब उसी तरह के हैं जिस तरह का कि १० हजार रुपये की मालगुजारी वालों के फायदे के लिये है। इनको रद्द करना चाहिये और १२ गुना लगान की शर्त को भी रद्द करना चाहिये और ऊपर के हाउस को बता देना चाहिये कि आप चाहें भले ही गरीबों की परवाह न करके जमींदारों और महाजनों का भला करें, लेकिन इस भवन के माननीय सदस्य गरीब जनता के प्रतिनिधि हैं और उनके हितों के रक्षक हैं, इसलिये उनके संशोधनों को रद्द करके जो कानून किसानों के हितों के खिलाफ जाते हैं उनको हमें रद्द करना चाहिये और इस कानून में और इन संशोधनों में ऐसे सुधार करने चाहिये जिनकी वजह से वास्तव में कुछ फायदा किसानों का हो सके। जो संशोधन आज आपके सामने है उससे किसानों का कोई लाभ नहीं है। सौ का १२० मांगा जा रहा है, उसके लिये मैं और क्या कह सकता हूं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह कानून सरासर किसानों के साथ ४२० है।

श्री गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस भवन में जमींदारी विनाश विधेयक जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा संशोधित

हुआ है बहस हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं भी अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले यही कहना है कि जो समय हम लोगों को मिलना चाहिये उतना समय मुझे अंदेशा है कि कहीं हम लोगों को न मिल सके और सरकार की तरफ से क्लोजर मोशन मूव कर दिया जाय कि जो बहस इस पर हो रही है वह बन्द की जाय। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि मैं समझता हूं जितना भी समय हम लोगों को दिया जाय उतना कम है। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है इसमें पांच सात बातें ऐसी हैं जिनमें विधान-परिषद् में तब्दीली हुई है और वे बातें वही हैं जिनको कि जो लोग बोले हैं करीब-करीब प्रत्येक ने कहा है। सर्व प्रथम बात जो इसमें रक्खी गई है और जो खास महत्व रखती है वह कम्पेन्सेशन की है। कम्पेन्सेशन का जो क्लाज असेम्बली से पास हुआ था उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि किस तरह से कम्पेन्सेशन देना होगा बल्कि उसमें यह कर दिया गया था कि जैसे रूल्स बनाये जायेंगे प्रेस्क्राइब होंगे, उस तरह से कम्पेन्सेशन दिया जायगा, लेकिन जो अब विधान परिषद् से तब्दीली हो कर आई है उसमें साफ-साफ यह लिख दिया गया है कि या तो कैश में या पार्टली इन कैश या पार्टली इन बांड या जिस प्रकार जी चाहे उसमें देंगे। यह आप के अधिकार की बात है कि चाहे जिस प्रकार से दें। मेरा ख्याल यह है कि गवर्नमेन्ट को यह शंका थी और हुई कि जो असेम्बली से पास हुआ क्लाज है उससे बहुत मुमकिन है कि बाद को कोई कानूनी आपत्ति आवे इसलिये उसने मुनासिब समझा की इस चीज को साफ कर दिया जाय।

श्रीमान्, यह सरकार के अधीन बात है कि जैसे जी चाहे और जिस प्रकार से चाहे आपको कम्पेन्सेशन दे। लेकिन आप को इस बात का विचार करना है और कम से कम इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि आप जो कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं और आप इतने आदमियों को जिनको आप को कम्पेंसेशन देना है अगर आप उनको कैश में नहीं देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। यह भले ही हो कि आपके पास इस समय रुपया नहीं है या आप रुपया एकत्रित नहीं कर सके। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि आप ऐसा कानून बना लें कि जैसे भी चाहें कम्पेंसेशन दे दें। यह प्रत्येक न्यायशील सरकार का उत्तरदायित्व है कि जनता के प्रति कितनी भी छोटी से छोटी सम्पत्ति और बड़ी से बड़ी सम्पत्ति अपने अधिकार में लेता है तो उसका मुआविजा उसी भावना से देना चाहिये जैसा कि एक न्यायशील सरकार को देना चाहिये। लेकिन यहां पर इंसाफ का सवाल नहीं है, न्याय का सवाल नहीं है। आपने यह निश्चय कर लिया है। आप यह जानते हैं कि आप मुआविजा नहीं दे सकते, अगर आप सही माने में देना चाहें लिहाजा आपने तरकीब निकाली और इस कानून में भी बहुत सी बातें ऐसी रख दी हैं जिनसे आप कम्पेंसेशन देने में काफी समय ले सकते हैं और काफी देर हो सकती है।

आप के हृदय में यह ध्यान नहीं है कि इन बिचारे २० लाख आदमियों का पालन-पोषण कैसे होगा, वह क्या करेंगे और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, हमारे माननीय मित्र श्री राजाराम शास्त्री ने तो कह दिया कि कम्पेंसेशन कैश में नहीं देना चाहिये। ठीक है, उनकी पार्टी को यह सूट करता है और वह समझते हैं कि किसान इससे अधिक संतुष्ट होंगे कि सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से बढ़कर हाथ मारा।

मैं यह कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने न्याय को छोड़ा और सही बात को ठुकरा कर कोई अन्यायपूर्ण कार्य किया तो भले ही आप मैजोरिटी के बल पर कर जायं लेकिन याद रखिये कि आगे आनेवाली संतान आपको अच्छा नहीं कहेगी और आपका कोई अन्याय कभी भी न्याय नहीं हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार को धैर्य के साथ, गम्भीरतापूर्वक और द्वेष को छोड़कर विचार करना चाहिये। यह मामूली चीज नहीं है। १००–२०० जमींदारों का मामला होता तो मैं मान लेता। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद है और जब मैं सोचता हूं तो खुद परेशान होता हूं और कहता हूं कि अगर आप २००–३०० बड़े–बड़े जमींदार ले लेते और उसमें मुझको भी शामिल कर लेते और उनकी जमींदारी खत्म कर देते तो मुझे दुख नहीं होता। लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि एक तरफ तो २०–२२ लाख आदमी हैं और दूसरी तरफ आपकी जिद कि हम मनमाना कम्पेन्सेशन देंगे न्याय और अन्याय का कोई विचार नहीं करेंगे, तब मेरी समझ में नहीं आता है कि आपने अन्याय करने की क्यों ठानी है।

[श्री गुरुनारायण]

मुमकिन है कि आप यह कहें कि किसानों की मांग है और सोशलिस्ट पार्टी का दबाव है। फिर भी जब आप न्याय की गद्दी पर बैठे हैं तो कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और संस्था हो अगर अन्याय की बात कहती है तो आप को उसको न मान कर सही बात करना चाहिये और इन बातों को ध्यान में नहीं लाना चाहिये। मैं कहता हूं कि उचित उसूल को आपने सामने रखा होता तो कोई भी पार्टी कुछ नहीं कहती और सब आपकी तारीफ करते। लेकिन जब न्याय का प्रश्न नहीं है तो जो जो चाहे आप करें। मेरा कहना ऐसा ही है "जैसे नक्कारखाने में तूती की आवाज"। अंत में आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय को पुनः सोचें और सोचने के बाद जो कुछ भी मुनासिब हो, वह करें।

इसके बाद श्रीमान, आपने गुजारेदार की नई धारा इसमें रखी। यह बिलकुल ही नई दफा आपने इसमें बढा दी है। अब न्याय का जहां तक पक्ष है इस पर अगर आप गौर करें तो आपने यह रखा कि गुजारा जो आप देंगे वह वही होगा, गुजारेदार को जो मिलता रहा है। लेकिन इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि अगर कोई जमींदार है मान लीजिये १० या १५ वर्ष पहले उसने गुजारा देने के लिये कोई रकम तय कर ली थी और आज उसकी जो आमदनी है वह १० बरस पहले की आमदनी से घट गयी हो तो कम से कम यह लाजिमी था कि जो गुजारा आप दें वह उसी हिसाब से कम होना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोई ऐसी सूरत नहीं है जो गुजारा १० बरस पहले तय किया गया था जो गुजारेदार है वह उसके लिये डिग्री करा सकता है। मैं गुजारेदार के क्लाज का स्वागत करता हूं लेकिन उस के साथ ही साथ मैं यह महसूस करता हूं कि यह भी एक गलत और उसूल के खिलाफ बात है और अन्यायपूर्ण बात है कि अगर कल आपकी आमदनी ज्यादा थी और उसी बुनियाद पर गुजारा तय किया गया लेकिन आज अगर उसकी आमदनी कम हो गई है, एग्रिकल्चरल टैक्स लग गया है दूसरी चीजें बढ़ गये हैं तो ऐसी हालत में यह मुनासिब बात थी कि कम से कम उसी प्रोपोरशन से गुजारा रेगुलेराइज किया जाता जिस प्रोपोरेशन से उसकी आमदनी हो गयी। लेकिन आपने यह नहीं किया। इसके अलावा श्रीमान, ३३७-ए का जो क्लाज है इसके द्वारा आपने ठेड्रूल कायम किया और जितनी पुरानी इर्रेगुलेरिटीज थीं भूमिधरी के वसूलयाबी को उनको रेगुलेराइज करने के लिये आपने इसमें क्लाज रखा। मैं, श्रीमान, आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं सेक्शन ३३७ को--

"(1) where any orders have been made, proceedings taken, declarations granted, or jurisdictions exercised under the provisions of the U. P. Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949, the provisions of the said Act shall, notwithstanding anything contained therein, be so read and construed as if the amendments mentioned in Schedule IV had been made therein and were in force from the commencement of the said Act.

(2) For the removal of doubts it is hereby declared that all orders made, proceedings taken, declarations granted and jurisdictions exercised, under and at any time during the continuance of the said Act, shall be good and valid in law as if the said Act, as amended by sub-section (1), had been in force at all material dates :"

[(१) संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार विशेषाधिकार उपार्जन विधान १९४९ ई० के निदेशों के अधीन दी गयी आज्ञाओं की गयी कार्यवाहियों, दिये गये प्रख्यापनों और किये गये अधिक्षेत्र प्रयोगों के विषय में उक्त अधिनियम के निदेश, उसमें किसी बात के रहते हुये भी, इस प्रकार पढे जायेंगे और उनका इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो अनुसूची ४ में उल्लिखित संशोधन उक्त अधिनियम में पहले से ही विद्यमान और उसके प्रारम्भ से ही प्रचलित थे।

(२) सन्देहों के निराकरण के लिये एतद् द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के प्रचलन काल में किसी भी समय उसके अधीन जो भी आज्ञायें दी गयी होंगी, कार्यवाहियां की

गयी होगी, प्रख्यापन दिये गये होंगे और अधिक्षेत्र प्रयोग में लाये गये होंगे वे सब उसी प्रकार निर्दोष और वैध समझे जायेंगे मानों उक्त अधिनियम उपधारा (१) द्वारा संशोधित रूप में सभी प्रभावी दिनांकों पर प्रचलित था।]

जो यह प्रिविलेजेज ऐक्ट जिसके जरिये से भूमिधरी का १० गुना लगान हमारी सरकार ने वसूल किया था वह इल्लीगल कार्यवाही थी, क्योंकि आपने जो ऐक्ट बनाया वह तो बनाया बाद को और जमींदारी एबालीशन फंड पहले ही कायम कर दिया ऐक्ट को लाने से पहले। आपने यह देखा मुमकिन है कि आगे चल कर किसी ला कोर्ट में गड़बड़ी हो जाय तो जितने भूमिधरी के कलेक्शन्स नाजायज तरीके से किये हैं उनको रेगुलेराइज करने के लिये आपने यह धारा इसमें बढ़ा दी। जितनी भी आपकी गलतियां हैं वे इसमें शामिल हो जायं और इसके साथ ही साथ शेड्यूल ४ यह तो पूरा नया का नया संशोधन समझ लीजिये या नया क्लाज समझ लीजिये, उठा कर इसमें रख दिया है। पहिले जो प्रिविलेजेज ऐक्ट था उसमें १० गुना रखा गया था लेकिन इसमें आपने रखा है कि अगर लम्पसम देगा तो १० गुना नहीं तो १२ गुना देना होगा। मेरा कहना तो यह है कि अगर आपको शिड्यूल लाना था तो एक नया ऐक्ट लाते लेकिन आप को तो यह डर था कि कहीं ऐसा न हो कि जमींदारी अबोलिशन फंड का जो रुपया कलेक्ट किया है वह इल्लीगल न हो जाय, कहीं कोर्ट में क्वेश्चन न हो जाय। इसलिये आपने यह संशोधन मंजूर कराया। अब जो क्लाज ८ यहां से पास हुआ था और जो विधान परिषद से बदल कर आया है उसमें अंतर कर दिया गया है। आपने उसमें कलेक्शन आफ फोरेस्ट प्रोड्यूस और मछलियों के बारे में रखा था अब उसमें आपने यह लिखा है--

"Any contract for grazing or gathering of produce from land or the collection of forest produce or fish from any forest or fisheries entered into after the eighth day of August, 1946, between an intermediary and any other person in respect of any private forest, fisheries, or land lying in such estate shall become void with effect from the date of vesting."

(ऐसे आस्थानों में स्थित निजी जंगलों में मीनाशयों अथवा भूमि के सम्बन्ध में ८ अगस्त १९४६ ई० के बाद मध्यवर्तियों और अन्य व्यक्तियों के बीच में हुई ऐसी प्रत्येक संविदा जो जंगल से उपज या मीनाशयों से मछली लेने अथवा भूमि पर जानवर चराने या उसकी उपज प्राप्त करने के विषय में हो, निहित होने के दिनांक से व्यर्थ हो जायगी।)

यानी ८ अगस्त, १९४६ ई० के बाद जो कंट्रैक्ट्स होंगे वे व्वाइड समझे जायंगे।

"Any contract for grazing or gathering of produce from land .."

(ऐसी प्रत्येक संविदा जो भूमि पर जानवर चराने या उसकी उपज प्राप्त करने के विषय में हो)

लेकिन आपने जो ला में डैफोनिशन दी है उसमें हार्टीकल्चर और ऐग्रीकल्चर लिख दिया है, तो क्या उससे आप का यह मतलब है कि अगर किसी जमींदार के पास ग्रोव्ज (groves) है तो क्या वह उसको छोड़ दे और कांट्रैक्ट न दे। इसका परिणाम यह होगा कि कान्ट्रैक्ट्स खत्म हो जायंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--मैं श्रीमान की आज्ञा से कहूंगा कि यह ग्रोव्ज को अप्लाई नहीं करता यह तो पाश्चर लैंड्स से ताल्लुक रखता है।

श्री गुरुनारायण--श्रीमान् जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि ला कोर्ट्स में यह इंटरप्रिटेशन होगा और तरह-तरह के झगड़े पैदा हो जायेंगे। क्योंकि यह बिलकुल साफ चीज नहीं होगी। अगर हमने किसी के साथ कोई कांट्रैक्ट किया तो उसके मानी यह होंगे कि वह सब व्वायड हो जायेंगे और जमीदारों के हाथ से निकल जायेंगे। अब इसके बाद में श्रीमान् की आज्ञा से क्लाज १६ पढ़ना चाहता हूं--

"Occupant of land in which no superior rights exist to be a hereditary tenant."

[श्री गुरु नारायण]

(ऐसी भूमि पर कब्जा रखता हो जिसके मौरूसी काश्तकार बनने के लिये कोई उच्चतर अधिकार विद्यमान न हो।)

इस सेक्शन के जरिये से विधान परिषद् में यह कर दिया गया है कि कोई भी आक्यूपेंट क्यों न हो चाहे वह लाफुल हो या अनलाफुल हो उसका जिस जमीन पर वेस्टिंग के समय अधिकार होगा उस पर उसका है रेडटरी राइट जायगा। और फिर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में । जो १५० से नीचे के न हों तो लेकिन ऊपर वाले हैं उसमें इसका असर हो । यह डिस्क्रिमिनेशन मुनासिब नहीं है अगर कोई लाफुल आकुपेंट है तो वह मुनासिब चीज है। पटवारी के अगर आप कागजात देखें तो आप देखेंगे कि किसी ने अगर कुछ देकर किसी जगह पर नाम लिखा दिया है तो वह उसके कब्जे में आ गई और उसका कब्जा होगया और वह उसके हाथ से निकल नहीं सकती है। आपको तो इन्साफ करना चाहिये न कि इस तरीके से जैसा कि इस विधेयक में किया गया है और फिर इसी तरीके की बहुत सी बातें हैं जो कि कही जा सकती हैं। मेरा ख्याल यह था कि विधान परिषद् में जाकर यह कानून कुछ ऐसा बनेगा कि जो बेहतर होगा और उससे यह कानून कुछ सुधर जायगा लेकिन मैं देखता हूं कि कोई भी तब्दीली नहीं हुई है बल्कि और बदतर हो गया है। गवर्नमेन्ट का यह दावा है कि यह जमींदारी विनाश बिल जो हम पास कर रहे हैं किसानों के हित में होगा। मैंने पढ़ा है कि विधान परिषद में यह अमेंडमेंट रखा गया था कि जिस समय जमींदारी खत्म हो तो वह बजाय इसके कि स्टेट में वेस्ट हो काश्तकार में वेस्ट होनी चाहिये ....

माननीय श्री हुकुम सिंह--हमारे माननीय मित्र, जो तरमीम कौंसिल से हो कर आई ह उन पर ही बोल सकते हैं और बहस कर सकते है । क्या तरमीम वहां पर हुई और जो यहां पर भी नहीं है उस पर नहीं बोल सकते हैं।

अस्थायी सभापति--माननीय सदस्य के लिये यह उचित होगा कि वह उन तरमीमों का जिक्र न करें जो यहां पर नहीं हैं और दूसरी जगह पर हुई हैं।

श्री गुरुनारायण--मेरा मन्शा यह नहीं है कि वहां के तरमीमों का जिक्र यहां पर करूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उसूल हमारी सरकार का था वह यही उसूल था कि जमींदारी हम खत्म कर रहे हैं तो इसके बाद काश्तकार जमींदार हो जाते हैं तो बजाय सरकार में वेस्ट होने के अगर काश्तकार में वेस्ट हो जाय तो अच्छा है। इस तरह की मन्शा वहां पर पेश की गई। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यही था कि विधान परिषद् में कोई ऐसी तरमीम सरकार की ओर से पेश नहीं हुई जिससे यह इम्प्रूव हो सके। अगर कोई अच्छी तरमीम वहां पर जमींदारों की ओर से पेश की गई तो उसको नामंजूर कर दिया गया ।

अब इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ी बात विचार करने की है वह यह है कि यह बिल संशोधित हो कर वहां से इस भवन में आया है यह किसके इन्टररेस्ट में हो सकता है। या तो यह हमारे देश के हित में हो सकता है या जनहित में हो सकता है या समाज के हित में हो सकता है कि समाज इससे संभल जाय। यही ३,४ बातें हो सकती हैं जिस के आधार पर यह विधेयक पेश किया गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है न तो यह जनहित में है और न किसी समाज के ही हित में है। यह तो कांग्रेस पार्टी के हित में हो सकता है और यह बात अगर कहूं तो बेजा नहीं है। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, इसका उद्देश्य यही है कि हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायं और हमारे यहां पैदावार बढ़ जाय और किसानों की हालत को अच्छा कर सकें और अपने प्रान्त की जो गरीबी है उसको दूर कर सकें। यह ३, ४ बातें ऐसी हैं कि जिनको लेकर ही सरकार ने इस विधेयक को इस भवन के सामने पेश किया है लेकिन जो हम धारायें पाते हैं उन को देखने से और पढ़ने से और जिस तरह से संशोधित धारायें वहां से आई हैं उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि न तो उससे पैदावार ही बढ़ सकती है और न उससे किसानों का ही कोई फायदा हो सकता है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--क्या मैं श्रीमान के जरिये से मालूम कर सकता हूं कि वह कौन-सी ऐसी धारायें हैं कि जिनके द्वारा पैदावार नहीं बढ़ सकती है ?

श्री गुरुनारायण--यह तो आप का तमाम एबालिशन का उसूल ही ऐसा है इस में संशोधित धारा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां उसूल ही बे उसूली पर मबनी हों वहां क्या कहा जाय और जहां उसूल ही बेउसूल हों तो वहां उस पर क्या बहस हो सकती है। बहरहाल यह तो कहना ही पड़ेगा कि वहां से संशोधित हो कर जो कानून आया है उस में कहीं तो किसानों की पैदावार में कोई तरक्की होने की बात होती या आप उनको फायदा पहुंचाते। न तो इस से उन की पैदावार बढ़ती है और न उनका लगान घटता है और न उनकी जमीन बढ़ती है। आप उनका जो आधा लगान कर रहे हैं वह आपने इतना नजराना लेकर किया कि वह एक तो धोखे की टट्टी है। यह किसी के भी हित में नहीं है और महज अगर किसी के हित में है तो यह कांग्रेस पार्टी के हित में है, क्योंकि उन्होंने बीसों वर्ष से इसका प्रचार कर रखा था कि जमींदारी का बड़ा भारी देश पर भार है और बोझा है और उसको हम उठाकर फेंक देंगे तो वह भार हल्का हो जायगा और यह तरकीब आपको वोट लेने की थी। इस का समर्थन भी माननीय मुख्य मंत्री ने कई बार किया है और उन्होंने इस के कई ऐस्पेक्ट्स बतलाये और कहा कि यह साइकालोजिकल (एस्पेक्ट) है कि इस किस्म का कानून इस समय लाया जाय। जैसा कि मैंने कहा आपने इस पर भी गौर नहीं किया कि जब इतने आदमी बेकार होंगे तो वह क्या करेंगे यह चीज आप के सोचने की थी। मान लिया कि थोड़े से हम लोग बड़े-बड़े जमींदार ऐसे हो सकते हैं कि जिनके लिये आप कहें कि हम अपने मुनाफे के लिये कह रहे हैं और हमारे पास काफी रुपया है लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि उन छोटे जमींदारों की क्या हालत होगी ? सिवा इसके और क्या नतीजा हो सकता है कि देश में अराजकता फैले और अशान्ति बढ़े। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो कुछ भी कदम उठावें ठंडे दिल से खूब सोच समझ कर उठावें और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे डर है कि कहीं आपको पछताना न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि मैं भी इस सदन का अमूल्य समय थोड़ा सा लेने के लिये मजबूर हुआ हूं। दुख इसलिये है कि किसानों का हितैषी होने के नाते जितने भी सदस्य यहां बैठे हुये है चाहें वह सरकारी बेंचों पर तरफ बैठे हों और चाहे मुखालिफ बेंचों पर तरफ बैठे हों उन सब की प्रबल इच्छा है कि यह जमींदारी विनाश कानून जल्द से जल्द पास हो जाय। यानी इतनी जल्द जरूर पास हो जाय कि जो हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि २६ जनवरी को हम अपने सूबे में एलान कर दें कि जमींदारी का भूत जो सूबे के ५ करोड़ से ज्यादा किसानों को तबाह करने वाला था वह अब खत्म हो गया। ऐसा ख्याल रखना हमारे लिये अब स्वाभाविक है। मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत थोड़ी बहस हो और हाउस का कम से कम वक्त लगे। लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर किया और हमेशा मजबूर करते हैं। अभी तक जितनी बातें बराबर आप कहते रहे हैं वही बातें आज फिर भवन के सामने बार-बार टोकने पर भी कि जो संशोधन हो कर आया है उसी दायरे के अन्दर आप को रहना चाहिये आप लोगों ने कहीं। किसानों के सम्बन्ध में जब मैंने यह देखा कि उन किसानों को जो बेचारे दस गुना लगान एक मर्तबा अदा करके भूमिधरी के अधिकारी नहीं हो सके उनको सरकार ने यह मौका दिया कि वे किश्तों में अपना दस गुना लगान (आवाजें--बारह गुना साहब) यह महज उन काश्तकारों के लिये बारह गुना होगा जो एक मुश्त दस गुना अदा नहीं कर सकते। इससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ। उनको दो फायदे हुये। एक तो भूमिधर हो जायंगे और दूसरे सबसे बड़ा फायदा जो उनका है वह यह कि लगान आधा हो जाता है। यानी एक किसान जिसने अपनी पहली किश्त अदा की वह भूमिधर तो पूरा अदा कर देने के बाद होगा, लेकिन उसका लगान उसी दिन से आधा हो जायगा। मसलन किसी काश्तकार को दस रुपया लगान देना है तो १२० रुपया एक मुश्त अदा न करके

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

३० रुपये यानी चौथाई किस्त जिस दिन वह अदा करता है उसी दिन से उसका लगान आधा हो जाता है। तो यह चीज किसानों के हक में सबसे बड़े फायदे की है। हमारे किसानों के हितैषी जो मुखालिफ बेंचों पर बैठे हुये हैं उन्होंने इस पर खुशी का इजहार नहीं किया और मैं समझता था कि हमारे लायक दोस्त राजाराम जी शास्त्री जरूर गवर्नमेन्ट को इस बात की मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने कौंसिल में ऐसे संशोधन को करके किसानों का भला किया।

दूसरी तरफ मुआविजे की बात कही जाती है। मैं तो प्रसन्न हुआ भाई राजाराम जी की बात को सुनकर कि उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया। हालांकि उनके और हमारे ख्याल में फर्क यह है कि वह चाहते हैं कि संशोधन पर संशोधन हो और यह बिल फिर लौटे लेकिन मैं हर्गिज यह नहीं चाहूंगा और जो किसानों के हितैषी हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह बिल पास हो जाय वे भी इस चीज को नहीं चाहेंगे। लेकिन हां, हमारी भी यह इच्छा है और मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी संशोधन है वह तो पास हो जल्द से जल्द जमींदारी विनाश बिल को पास किया जाय लेकिन भाई राजाराम जी का जो सुझाव है कि केवल बांड्स दे दिये जायँ उसको मैं तहे दिल से पसन्द करता हूं। यह तो हम जरूर चाहते हैं और कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिये यह चाहते हैं लेकिन हम अकेले एक ही तरफ नहीं देखना चाहते। हम तो चाहते हैं कि जमींदारों का भी फायदा हो। मुझे तो इसमें (महज बांड देते हैं) जमींदार का फायदा दिखायी देता है। इसलिये कि जमाना आजकल कुछ नाजुक है। आजकल इतना रुपया लेकर घर में रखना खतरे की बात है। इसलिये जमींदारों के लिये सबसे अच्छी बात इस वक्त यह रहेगी कि उन्हें बांड दे दिये जायं। अगर उन्हें एकमुश्त रुपया दे दिया जाय तो क्या गारन्टी है कि वे उसका सदुपयोग करेंगे? उनके रहन-सहन को देख कर और उनके पिछले कारनामों को देखकर इसका इत्मीनान नहीं होता कि उन्हें नकद रुपया उनके लिये लाभप्रद होगा एक-एक लाख रुपया सालाना उन्होंने वसूल किया और फिर भी मकरूज हुये। कहीं लखनऊ में तो कहीं शिमला में उन्होंने रुपये को बहाया।

श्री ऐजाज रसूल--क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसका अमेंडमेंट से क्या ताल्लुक है?

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--सरकार ने तो यह गुंजायश रखी है कि रुपया भी दिया जा सकता है और बांड भी दिया जा सकता है। जो संशोधित धारा है उसमें सरकार की स्कीम यह है। जैसा कि राजाराम जी ने कहा, मैं भी कहता हूं और मेरी भी यह हार्दिक इच्छा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। स्वार्थी आदमी पागल हो जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। रुपये का गुलाम आदमी हो जाता है और रुपया किसी का भी गुलाम नहीं होता। यह है हमारे उन भाइयों की हालत जो जमींदारों की तरफ से भी और काश्तकारों की तरफ से भी हिमायत करते हैं। गुजारे के सम्बन्ध में आपने यह कहा कि गुजारा तो संशोधित धारा के मुताबिक दिया जायगा लेकिन सरकार ने उसमें यह कोई प्राविजन नहीं रखा कि गुजारा देते समय पैदावार का भी ख्याल कर लिया जाय। क्या पैदावार का ख्याल किया जाय? आज एक आदमी जिसका सौ रुपया में गुजारा होता है उसे अगर ५०० रुपया दे दिया जाय तो काम चलेगा। पैदावार तो बढ़ानी पड़ेगी वरना आदमी जिन्दा कैसे रह सकता है? आदमी स्वार्थ में अन्धा हो जाता है। अवध में गुजारेदारों की प्रथा है और मेरा ख्याल है कि आगरे में यह चीज बहुत कम है। अवध में हर छोटे-छोटे ताल्लुकेदार के यहां भी यह प्रथा है। एक लड़का स्टेट का मालिक होता है और बाकी दूसरे भाई गुजारेदार हो जाते हैं। अपने भाई का गला कट जाय और फिर भी कोई ख्याल नहीं है यह बड़ी अजीब सी बात है। मेरा विचार गुजारेदारों के सम्बन्ध में रिहैबिलीटेशन ग्रांट में से, जो गुजारेदारों को दिए जाने की व्यवस्था है उस समय यह ख्याल किया जाय उन्होंने गुजारे के ख्याल से सिक्के की गिरी हुई कीमत रखते हुए बढ़ाकर दिया जाय। इसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ एक बात कहनी है और वह यह है कि वक्त ज्यादा न लिया जाय। जहां तक हो सके जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाय।

आप अदालत में जायं या कहीं जायं लेकिन २६ जनवरी के पहले आप इसको खत्म कर दीजिए। देखिए आप की जमींदारी तो जरूर खत्म हो रही है लेकिन सरकार की मंशा यह है कि जमींदार और काश्तकार मिलकर जहां रहें आनन्द की जिन्दगी बितावें। आज काश्तकार यह चाह रहा है कि जल्द से जल्द जमींदारी खत्म हो लेकिन आप फिर अड़ंगा लगा रहे हैं। आपकी यह नियत है कि जहां तक हो सके इसमें देरी हो। कम से कम इतना तो समझिए कि आखिर यह काश्तकार आपका क्या नाम लेंगे और कैसे आपके साथ वह सहानुभूति रक्खेंगे। इतना ख्याल करके मेरी आप से दरख्वास्त है कि जहां तक हो सके जल्द से जल्द इस बिल को खत्म करिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तक़रीर खत्म करता हूं।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब चेयरमैन साहब, सवाल यह है कि जो बिल कौंसिल से पास हो करके आया है आया उसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं या खराबी हुई है। आप यह देखें कि गवर्नमेंट बराबर अपनी राय तब्दील करती जा रही है। कौंसिल में १९६ तरमीमें की गयीं। जब पहली मर्तबा यह बिल असेम्बली में आया तब दूसरा बिल था। उसके बाद जब यह सेलेक्ट कमेटी में गया तो वहां बहुत सी तरमीमें हुयीं। जब यह फिर असेम्बली में आया तो फिर काफी तरमीमें हुईं। असेम्बली की तरमीमों के बाद यह कहा गया कि अब यह बिलकुल ठीक बिल है लेकिन उसके बाद भी कौंसिल में १९६ तरमीमें की गयीं। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट गलतियों पर गलतियां करती चली जा रही है और यह अपना माइंड मेक अप नहीं कर पा रही है कि कौन दफा दुरुस्त है और कौन दफा गलत है। मिस्टर इंद्रदेव त्रिपाठी ने एक नसीहत आमेज़ तकरीर फरमाई और यह कहा कि आप लोग वक्त न लें, आपको अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहिए था कि गवर्नमेंट को इतनी तरमीमें नहीं करना चाहिये था ताकि इस पर बहस न होती। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वक्त लगे। गवर्नमेंट यह तय ही नहीं कर पा रही है कि किस तरह बिल पास किया जाय। इस तरह जो देर हो रही है उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जहां तक यह सवाल है कि जो तरमीमें कौंसिल में की गयीं हैं वह काश्तकारों के लिए फायदेमन्द हैं या जमींदारों के लिए फायदेमन्द हैं या किसी और शख्स के लिए फायदेमन्द हैं। उसके लिए मेरा ख्याल यह है कि कौंसिल में तरमीमें किसी के फायदे के लिए नहीं की गयी हैं बल्कि उनके पीछे गवर्नमेंट का एक ही नुकते नजर है कि काश्तकार किसी सूरत से उनके चंगुल से न निकलने पायें और उनको किसी तरह से अपने अख्तियार में रक्खें और इसलिए रक्खें कि आइंदा इलेक्शन में उनके वोट हासिल हो सकें। दूसरी बात यह है कि जहां तक हो सके जमींदारों को नुक्सान पहुंचाया जाय। आप देखेंगे कि कौंसिल में जितनी तरमीमें की गयी हैं वह जमींदारों को नुक्सान पहुंचाने वाली हैं। हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री हमेशा बड़े अच्छे अल्फाज में जमींदारों को याद फरमाते हैं। उन्होंने आज बहुत जोरों से यह फरमाया कि गवर्नमेंट को जब मौका मिलता है तब वह जमींदारों का फायदा करती है, लेकिन जो तरमीमें कौंसिल में पास की गयी हैं अगर मैं उनकी वज़ाहत करूं तो उससे आपको मालूम होगा कि यह बिल जो अपर चेम्बर से पास होकर के आया है यह जमींदारों को बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाता है। हुजूर वाला, अगर आप देखें तो एक तो सेक्शन ३९ में जो तब्दीली की गयी। अव्वल तो वह वही सेक्शन है जो मुआविज़े का उसूल है। उस उसूल में गवर्नमेंट ने जो बराबर तरमीमात की हैं उसमें जमींदारों को नुक्सान पहुंचा। मसलन सायर की रक़म के बाबत यह कहा गया कि अगर डेड रेण्ट है पटवारियों के यहां और उसमें सायर का इंदराज है तो माना जायगा वर्ना अगर सायर की रक़म इंदराज नहीं है तो वह रकूमात मुआविज़े में नहीं मानी जायंगी। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े जमींदार इनकमटैक्स देते हैं तो उनको मिल सकता है वरना जो छोटे-छोटे जमींदार, वह गरीब जमींदार जिनको कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मुहब्बत की नजर से देखती है उनको एक पैसा मुआविजा भी सायर का नहीं मिलेगा। क्योंकि पटवारी लोग कागजात में कभी इन्दराज करते नहीं हैं और सायर की रकम लिखते नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इधर तो हम कम्पेन्सेशन की दफा में यह दिखलायें कि सायर की रक़म १० साल की औसत लगाकर हम तुमको दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट की नियत खराब थी और उसके पास रुपया नहीं है तो ...

माननीय श्री हुकुम सिंह—बांड दे देंगे, रुपये की जरूरत नहीं है।

श्री ऐजाज रसूल—बांड भी आप कम ही देना चाहते हैं। आपकी नियत ठीक नहीं है। कम्पेनसेशन में भी कम बांड देना चाहते हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मजबूत कागज पर छपा देंगे।

श्री ऐजाज रसूल—वह कागज ऐसा है जो जला देने के काबिल है। आप जो बांड देते हैं जब दूसरी गवर्नमेंट आयेगी वह उनको मानेगी नहीं। वह ऐसे खराब बांड्स होंगे जिनको कोई गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि आप सूबे के लोगों पर ५ करोड़ का सूद बिला वजह लगाकर इनकम्बरेंस कर रहे हैं। इसके लिए हर गवर्नमेंट यह ख्याल करेगी कि बिला वजह हम पर ५ करोड़ के सूद का इजाफा इस गवर्नमेंट ने कर दिया और हम पर जिम्मेदारी दे दी। तो इसका नतीजा क्या होगा कि कोई गवर्नमेंट आये वह इस जिम्मेदारी के बोझ को नहीं उठायेगी। इसलिए आज आप मजबूत कागज पर छपाकर दें, चाहे खूबसूरत कागज पर छपा कर दें, चाहे मिनिस्टर साहब अपनी तस्वीर छपा कर दें लेकिन वह बांड्स मानने के काबिल नहीं होंगे।

तो मैं यह कह रहा था कि हुजूर वाला, आप यह ख्याल कीजिए कि गवर्नमेंट ने सायर की रकम में जमींदारों को बिल्कुल मार डाला। हम तो गवर्नमेंट को इनकमटैक्स देते हैं, इसलिए हमारे १० साल के रेकार्ड्स निकल आयेंगे, औसत आमदनी का निकल आयेगा और मुआविजा मिल जायगा और बावजूद कि आपने तरमीम में सख्ती लाने की कोशिश की वह हमारे लिए नुक्सानदेह बात है आपके पास कागजात हैं, लेकिन आप छोटे जमींदारों को एक पैसा नहीं देते हैं। उस तरफ तो २८ गुना दे रहे हैं और १५ गुना कास्ट आफ मैनेजमेंट ले रहे हैं। अब उनको नुक्सान पहुंचाने के लिए यह एक तरकीब लगा दी कि सायर जो रेकार्डेड पटवारी में हैं उनको हम मानेंगे। तो नतीजा क्या होगा कि जो छोटे जमींदार हैं वह चूं भी नहीं कर पायेंगे और गवर्नमेंट उनका मुआविजा मार लेगी और इसी वजह से आप ने यह तरमीमात कौंसिल में पेश की। मेरा ख्याल यह था कि असेम्बली में जिन उसूलों पर यह बिल बना था उनके खिलाफ आपको तरमीमात नहीं लानी चाहिये थी लेकिन मैं देखता हूं कि असेम्बली में जो उसूल बन चुके थे, जो उसूल कि सिलेक्ट कमेटी ने माने उनके खिलाफ अपर चेम्बर में तरमीम लाकर उन उसूलों को तोड़ा गया। तो यह गवर्नमेंट की कारसाजी और तरीका है, अवाम को धोखा देना चाहती है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—
Sir, Is it parliamentary to say that Government want to commit fraud on the public?

(श्रीमान् जी, क्या यह कहना शिष्ट भाषण है कि सरकार जनता को धोखा देना चाहती है।)

श्री ऐजाज रसूल—अगर आप इससे बहुत नाराज हैं तो मैं उन अल्फाज को बदल कर "गलतफहमी में डालना चाहती है" रखना चाहता हूं।

सेलेक्ट कमेटी में दफा १३५ की सूरत यह थी कि दस गुना वसूल करेंगे। उसके बाद आपने असेम्बली से ग्यारह गुना पास करवाया कि फलां तारीख के बाद काश्तकारों को ग्यारह गुना देना पड़ेगा। अब आपने कौंसिल से बारह गुना वारिद करा दिया कि काश्तकारों को बारह गुना देना पड़ेगा और किस्तों में देना पड़ेगा जिसके मतलब ये हैं कि चार साल तक काश्तकार गवर्नमेंट और अहलकारों के चंगुल में रहे ताकि वह निकल न सके और उनसे फायदा हासिल कर सकें। अब आप यह देखिए कि दफा ३३७ लगा दी। गवर्नमेंट ने जितने भी जबानी या लिखे हुए आर्डर्स वसूलयाबी के बाबत किए वह सब जायज करार दिए गए। जब आप अलहदा एक बिल पास कर चुके हैं "टेनेंट्स प्रिविलेजेज ऐक्ट" और उसको तरमीम कर चुके हैं तो फिर उस शेड्यूल में इस बिल का लाना मेरी समझ में नहीं आता। मैं यह मतलब लगाऊं कि जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी गवर्नमेंट का इरादा हमेशा दस गुना और बारह गुना वसूल करते चले जाने का है।

मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से पूछता हूं कि इस दफा १३७ का क्या मतलब है। आपने कोई पीरियड फिक्स किया है ? मेरे ख्याल में आपने कोई पीरियड फिक्स नहीं किया। आप यह समझते हैं कि मेन मे कम ऐंड मेन मो गो लेकिन हम दस गुना लगान बराबर वसूल करते चले जायंगे ताकि काश्तकार आजादी की सांस न ले सके।

दूसरी बात यह है कि जब आप ने कह दिया कि हम जमींदारों को बांड्स देंगे तो आप दस गुना लगान क्यों ले रहे हैं। अगर आप जमींदारों को नकद मुआविजा देते तो एक बात थी लेकिन आपसे रुपया वसूल हो नहीं रहा है। प्रीमियर साहब ने काउंसिल की तकरीर में बहुत वजाहत के साथ कहा कि हमारे पास रुपया है नहीं, हम बांड्स देंगे। जब आप बांड्स दे रहे हैं तो बेचारे गरीबों, काश्तकारों जिनके वोट्स पर आप आये हैं जिनसे आप ने इतने वादे किये हैं कि उनका सर ऊंचा करेंगे, उनको अच्छी हालत में रखेंगे और उनके गालों पर सुर्खी लायेंगे उनका ही गला घोंट रहे हैं और उन्हीं से रुपया क्यों वसूल कर रहे हैं। हम जमींदारों के बारे में तो कहा जाता है कि हम काश्तकारों से नाजायज फायदा उठा रहे हैं लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह जो इस तरह से रुपया गवर्नमेंट वसूल कर रही है वह लीगल डकैती नहीं है क्या? और फिर जमींदारों के लिए तहइया कर चुकी है कि बांड्स देगी तो फिर क्या जरूरत है कि इस तरह से किसानों से रुपया वसूल करे। अब एक सितमे जरीफ यह देखिए कि गवर्नमेंट ने यह क्या किया है कि किराये का मकान जिस वक्त वेस्ट हो तो जमीन का मालिक तो किरायेदार हो और बाकी अमले का मालिक वह होगा जो किराया वसूल करता है। यह किस किस्म की दफा है मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत गौर किया। मैं आनरेबिल मिनिस्टर से कहूंगा कि यह दफा किस वास्ते बनी। क्या इसमें लिटीगेशन का इरादा है कि किरायेदार से और जो किराया वसूल करे उसमें भी मुकद्दमेबाजी हो। इसमें जितनी दफायें हैं अगर उनको देखा जाय तो वह अजीब चूं चूं का मुरब्बा है। हर दफा में कोई न कोई गवर्नमेंट की चालाकी नजर आती है। अब इसके बाद गवर्नमेंट यह भी कहती है कि जमींदार लोग हमारे मशकूर हों इसलिए कि हमने अब १० हजार रुपये वालों तक को रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे दी है। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई वजह नहीं है उन्होंने जो हक़ बात थी उसको पूरा किया है। उसमें अहसानमंद होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि आप जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में कम्पेंसेशन देने वाले थे उनसे उस पर ऐग्रीकल्चर टैक्स लिया जाता और उससे उनके कम्पन्सेशन में कमी आती यह हमने आप को प्वाइंट आउट किया और उस वक्त गवर्नमेंट ने मजबूर हो कर यह किया क्योंकि यह हक और इंसाफ की चीज नहीं होती कि पांच हजार वालों को ज्यादा कम्पेंसेशन मिलता और दस हजार वालों को कम। तो आप ने इसको चार नाचार हो कर मंजूर किया कोई अहसान नहीं किया है। वह हमारा हक़ था और अगर आप न देते तो वह आपकी गलती होती आपने उसे सुधार लिया है।

अब गुजारेदारों का मसला लीजिए। इस जमींदारी अबालिशन बिल में आपने इंटरमीडियरी को हटाने की बात करके एक नई चीज की है और अगर कोई नई चीज करनी थी तो उसको वाजे तौर पर क्लियर करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने बिला वजह एक झगड़ा पैदा कर दिया है। इस गुजारेदार की दफा में सिर्फ यह है कि अगर कम्पेंसेशन आफिसर के सामने ये जमींदार और गुजारेदार दोनों राजी हो जायं कम्पेंसेशन देने में तो उनको कम्पेंसेशन मिल जायेगा और अगर ऐसा नहीं हो तो गुजारेदार को तीन महीने के अन्दर दावा कर देना लाजिमी है। तो इसमें कोई खास बात गवर्नमेंट ने नहीं की है यह तो जमींदार आपस में ही तय कर सकते थे तभी तय हो सकता था तो इसमें कौन नई बात आपने की लेकिन कम्पेनसेशन आफिसर ने बिला वजह जमींदारों को छेड़ा और हम जमींदारों को लड़ाया। नतीजा इसका यह है कि मुकदमेबाजी का एक और तरीका हो गया है। जब जमींदारों की आमदनी कम करके कम्पेनसेशन दिया जाता है तो क्या वजह है कि गुजारेदारों के लिए भी उतना रिडक्शन क्यों न किया जाय।

[श्री ऐजाज रसूल]

हुजूरवाला अब दफा १६ देखिए। गवर्नमेंट ने इस दफा को ऐसा बनाया है जो कि गवर्नमेंट की शान के खिलाफ है। आप देखें कि बस्ती जिले में रिवीजन हुआ और रिवीजन होने की वजह से एक अफसर भेजा गया जिसने कि समरी इनक्वायरी की और इनक्वायरी करने के बाद रिकार्डेड काश्तकारों के नाम लिख दिए और उसके बाद जमींदारों ने मुकद्दमा किया और कामयाब हुए, अपील से भी जीते और अब उनका नाम दर्ज है, लेकिन यह दफा इस सूरत से तरमीम की गयी है कि जो मुकद्दमे कामयाब हो गये हैं उनको भी दुबारा काश्तकार बना दिया जायगा और मौरूसी काश्तकार मान लिया जायगा। मेरे ख्याल में यह एक अजीब बात है। अगर दफा १६ का मुलाहिजा फरमाया जाय तो यह देखा जायगा कि जो मुकद्दमे जीत भी गए हैं उनका भी नाम नहीं लिखा जायगा। अपर हाउस से इस चीज को पास करवा कर इस ऐवान में लाना और मनवाना मेरी समझ में जायज और मुनासिब नहीं है। ये तमाम उसूली बातें इस ऐवान में लाई जानी चाहिए थी बजाय इसके कि अपर चेम्बर से इसको पास कराया गया। मुझे अफसोस है कि हम लोगों को मजबूरन तरमीमात पेश करनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोगों का ख्याल है और जायज ख्याल है कि इसमें न जनता का फायदा है न जमींदारों का फायदा है बल्कि सरासर नुकसान ही नुकसान नजर आता है। हुजूरवाला, अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि भवन इन सब चीजों पर तवज्जह करेगा और इस पर गौर करेगा। मिनिस्टर साहब ने हमारे दोस्त गुरु नारायण साहब से एक बात कही थी कि वह कोई दफा दिखायें कि ग्रो मोर फूड की बात कहां है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह कहा था कि किसी भी तरमीमी दफा से "ग्रो मोर फूड" का सवाल नहीं आता है।

श्री ऐजाज रसूल--आपके अगराज मकासिद में लिखा है कि अगर जमींदारी खत्म हो जायगी तो गल्ले की पैदावार ज्यादा हो जायगी और फायदेमंद होगा। हमारे मिनिस्टर साहब को बहुत बेचैनी है कि मेरी तकरीर खत्म हो जाय लिहाजा मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम जायज तरमीमें पेश करेंगे तो उसको मंजूर फरमायेंगे क्यों कि अपर चेम्बर में इस कदर गलती की गयी है कि उनको दुरुस्त करना जरूरी है।

श्री नवाजिश अली खां--जनाब चेयरमैन साहब, कल शाम से इस बिल के ऊपर तकरीर हो रही है और यह कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यह साबित किया जाय कि जमींदार कितने रिऐक्शनरी हैं और हमारे सोशलिस्ट भाई राजाराम शास्त्री वगैरह यह कोशिश कर रहे हैं कि गो यकीनन कोशिश नहीं करते हैं कि जहां तक हो सके गवर्नमेंट को हैमर किया जाय। गो अब मार्च के बजाय दिसम्बर के लिए इलेक्शन चले गए हैं। जहां तक जनता का या मुल्क का ताल्लुक है इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस किस्म से पार्टी लाइन पर वर्क करने के बजाय फायदा के नुकसान ही पहुंचता है। मेरे ख्याल में राजा राम जी भी इसको तसलीम करते हैं लेकिन वह एक ऐसे मुकाम पर बैठे हैं कि उनको इस किस्म की तकरीर करनी पड़ती है। जब गवर्नमेंट ने बिल पेश किया है उस वक्त माल मंत्री ने इस बात की तवज्जह नहीं की और इस पर बहस की किन लाइन्स पर तब्दीली की गई है। आया यह इम्प्रूव किया गया है फार जमींदार या फार टेनेन्ट्स। इसमें ज्यादा सोशेला-इजेशन या वैस्टेड इंट्रेस्ट का ख्याल रखा गया है।

ग्रो मोर फूड वाली बात समझ में नहीं आती है कि इस बिल से किस तरह से गल्ले की पैदावार बढ़ जायगी। अगर किसी काश्तकार के पास चार बीघा जमीन है और उसका वह भूमि-धर हो जाता है तो एक बीघे में अगर वह एक मन गल्ला पैदा करता है तो किस तरह से भूमि-धर होने के बाद चार बीघे जमीन में चार मन के बजाय दस मन गल्ला पैदा कर लेगा। खैर यह तो मैजारिटी पार्टी की चीज है वह जैसे चाहे कर सकती है। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी और इम्पोरटेन्ट है वह यह है कि हमारे भाइयों ने बाज सेक्शन का हवाला दिया

हैं लेकिन मैं खासतौर से अर्ज करूंगा कि कुछ सेक्शन्स तरमीम हो कर इतने मुहिम और गलत हैं कि कतई तौर पर उनपर लिटीगेशन होगा। गोया माल मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुनेगा जब तक क्लेरीफाई नहीं होगा। फिजूल लिटीगेशन और मुकद्दमेबाजी होगी और जमींदारों की तौहीन होगी और मैं आपकी खिदमत में बाज चीजें अर्ज करना चाहता हूं। ज्यादा लम्बी तकरीर मैं करना नहीं चाहता। एक मसला गुजारेदार के मुताल्लिक है। गुजारेदारों में कोई डिसटिंक्शन नहीं किया गया है और न इसका ही जिक्र किया गया है आया गुजारेदारों का गुजारा स्केल डाउन किया जायगा, आधा दिया जायगा, चौथाई दिया जायगा या क्या दिया जायगा। ताल्लुकेदारी में आमतौर पर दो किस्म के गुजारेदार मिलते हैं। एक तो गुजारेदार हैं जिनकी लाइफ स्टेट होती है और दूसरे वे जिनको नस्ल ब नस्ल गुजारा मिलता है और जो कांट्रेक्ट की तहत में होते हैं। बाज ऐसे गुजारेदार लखनऊ में मौजूद हैं जिनकी लाइफ स्टेट है महज अपनी जिन्दगी भर लेंगे। गुजारेदारों के मुताल्लिक कोई वजाहत नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन होगी। आगे मुलाहिजा कीजिए कि काश्तकारान जो बिला फैसल थे अगले बिल के अन्दर गवर्नमेंट ने उनको जो ट्रेसपासर थे जिनको एग्रेसर कहा जाता है उनको किसी सूरत में टेनेन्ट मान कर भूमिधर बना दिया, यह चीज कतई नामुनासिब है। इसके अलावा जिस दिन से टेनेन्ट प्रिविलेजेज बिल पास हुआ गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने देहात में दौड़ना शुरू किया जीपों से और पुलिस की निगरानी में जरा इस काम को शुरू किया, अक्सर मुकामात पर ऐसे वाकयात पेश आये कि बाज जगह नाजायज किस्म की कार्यवाहियां की गयीं। टेनेन्ट प्रिविलेजेज बिल को ले आते, इसको तरमीम कर देते तो बेहतर होता। लेकिन बीच ही में ३३७ दफा ए से एक अलग ऐक्ट को इस ऐक्ट के साथ तरमीम किया है। अभी तक यह कोशिश की गयी कि काश्तकारान से १८० करोड़ रुपया १० गुना के हिसाब से भूमिधर बनने के लिए वसूल किया जाय, लेकिन अभी तक १८० करोड़ के बजाय २७ या २८ करोड़ रुपया कुल जमा हुआ है। इस सिलसिले में यह चीज बड़ी साफ नजर आती है कि या तो काश्तकारान गरीब हैं या इस काबिल नहीं हैं कि दे सकें या वे इस कानून को पसन्द नहीं करते और इसलिए देना नहीं चाहते। अगर वह इसे पसन्द नहीं करते और देना नहीं चाहते तो आइन्दा बारह गुना किस्त देने के लिए किस हालत में तैयार हो जायंगे। अगर गरीब हैं और दे नहीं सकते तो जितने अमीर थे उनसे १० गुना लिया गया और जो गरीब हैं उनके लिए १२ गुना कर दिया। कैसी यह कांट्रेडिक्टरी पोजीशन पैदा होती है कि १० की जगह ११ किया गया और कौंसिल में जा कर १२ कर दिया गया। औरतों को हक़ हासिल था कि वे सबलेटिंग कर सकती थीं, यह राइट उनको दिया गया था लेकिन कौंसिल में जब यह बिल पहुंचा तो वहां पर यह कर दिया गया कि जो औरतें अपनी मियां से अलग हों वे ही सबलेटिंग कर सकती हैं और अगर मियां के घर आबाद हों तो ऐसी सूरत में उनको सब लेटिंग का हक नहीं होगा। मैं आनरेबिल माल मंत्री की खिदमत में अर्ज करूंगा। सिवा इसके कोई इलाज नहीं है कि या तो औरतें तलाक लेकर अपने मियां से अलग हो जायं या वे दुआ करें कि रांड हो जायं तभी उनको सब लेटिंग का हक पैदा होता है। बेहतर यही है कि हिन्दू कोड बिल पास कर दिया जाय ताकि उसके जरिये से यह ऐक्ट यहां लागू हो सके। ठेकेदारी एक ऐसी आम चीज है जो पहले से, बरसों से और सदियों से चली आ रही है और अकार्डिंग टू दी मैनेजमेंट आफ दि स्टेट वह चीज की जाती रही है। इसको यहां पर किसी तरह से भी टच नहीं किया गया था, उन ठेकेदारों को उसी लाइन पर रखा जायगा, उनको भी इंटरमिडियरी समझा जायगा और उनको भी मुआविजा दिया जायगा लेकिन इस तरमीम से ऐसा मालूम होता है कि इन तमाम चीजों को भी खत्म कर दिया गया है।

कम्पेन्सेशन जैसा कि लफ्ज़ है उसके मानी मुआविज़े के हैं। मुआविज़ा फारसी का लफ्ज है, इसके मानी एवज के हैं जैसे आपको यह कुर्सी है और अगर आप उसका एक्ज करेंसी में १० रु० होता है तो वह दिया जाना चाहिए। उसका मतलब यह होता है, इवज़ाना, मुआविज़ा, बदल या मुतदाबादिल। अब देखना यह है कि जो कम्पेंसेशन लफ्ज यहां इस्तेमाल

[श्री नवाजिश अली खां]

किया गया है क्या उसके मानी यही होते हैं जो सिर्फ उस लफ्ज की है। अव्वल तो जो कुछ मिल रहा है वह जाहिर ही है उसके ऊपर एक चीज यह है कि वह तीन तरह से दिया जायगा। एक तो रुपये की शक्ल में दिया जायगा, दूसरे वह रुपये और बांड की शक्ल में मिलेगा, तीसरे वह सिर्फ बांड की शक्ल में दिया जायगा, लेकिन यह बिलकुल क्लीयर नहीं बताया गया है कि किस किस्म से दिया जायगा और आया कि यह नेगोशियेबिल बांड्स के जरिये से दिया जायगा या नाननेगोशिएबिल बांड्स के जरिये से। इसके बाद अगर अगले एलेक्शन में ५-४ साल के बाद सोशलिस्ट भाई आ गए तो उनका सब से पहला काम यह होगा, अपने लिये वोटों को हासिल करने के लिए कि वे बांड्स को खत्म कर दें।

आखिर में मैं मालमंत्री जी की खिदमत में अर्ज करूंगा कि खुसूसन उनके जिले में जो ताल्लुकेदार हैं उन्हें दफा ९ के तहत में बहुत नुक्सान होगा। अगर जनाब की इजाजत हो तो उसको अंग्रेजी में पढ़कर सुना दूं। वह इस तरह है --

"All private wells in holdings, grove or abadi, trees in abadi, and all buildings situate within the limits of an estate, belonging to or held by an intermediary or tenant or other person, whether residing in the village or not, shall continue to belong to or be held by such intermediary, tenant or person, as the case may be, and the site of the wells or the buildings with the area appurtenant thereto shall be deemed to be settled with him by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed;"

(किसी आस्थान में स्थित ऐसे सब निजी कुएं, जो खेतों, बाग अथवा आबादी में हों या आबादी के पेड़ और सब इमारतें, जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार या दूसरे व्यक्ति की हैं या उसके उपभोग में हों, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती, काश्तकार या अन्य व्यक्ति के जैसी भी दशा हो, बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और सम्बद्ध क्षेत्र सहित उन कुओं पर इमारतों के स्थल के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर किया है, जो नियत किए जायें।)

यहीं तक जो क्लाज है वह यहां से पास हो कर गया था लेकिन जो लाइन कौंसिल से ऐड होकर आयी है उसने हमारे जिले को बिलकुल खत्म कर दिया। इत्तफाक से मैनेजर बलरामपुर रियासत भी बैठे हुए हैं। अगर मालमंत्री जी उनसे अकेले में मशविरा करें तो उनको मालूम होगा कि ९० फीसदी उनको होगा। वे अल्फाज जो बढ़ाए गये हैं ये हैं:--

"Provided that the site of the building with the area appurtenant thereto shall be deemed to be settled with the person in occupation of the building."

(किन्तु प्रतिबंध यह है कि इमारत के स्थल और उनसे सम्बद्ध क्षेत्र के विषय में यह समझा जायगा कि उनका बन्दोबस्त उस व्यक्ति के साथ हो गया है जिसके अध्यासन में उक्त इमारत है।)

उसका मतलब यह है कि जो मौके पर काबिज होगा उसकी मिल्कियत हो जायगी। एक एक रियासत में ४०-४०, ५०-५० जिलेदारियां हैं। अकेली नानपारा रियासत में ४२ से ऊपर जिलेदारियां हैं। इसी किस्म की बलरामपुर में १५० जिलेदारियां हैं हर एक जिलेदारी १०-१५ हजार रुपये की है। तो उसका मतलब यह है कि वह जायदाद सब उनके हाथ से निकल जायगी। हालांकि उनमें इन्टरमिडियरी नहीं है और न उसका किसी से ताल्लुक है। वह उनकी पर्सनल जायदाद है लेकिन वह भी उनके हाथ से निकल जायगी। बहुत से ऐसे मुकाम हैं, बाजार हैं, हाट हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं वह

उनकी मिलकियत से निकल जायगी। मैं आनरेबिल माल मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम वह आखिरी अल्फाज को तो निकाल दें जो कि बढ़ाये गये हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैंने नहीं बढ़ाया है कौंसिल ने बढ़ाया है।

श्री नवाजिश अली खां—आपकी मरजी से वह बढ़ाया गया है। इसके बाद में यह अर्ज करूंगा कि जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है वह भी सब खत्म हो जाता और किसी लीगल मशविरे की भी जरूरत न पड़ती और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी जरूरत न होती अगर माननीय माल मंत्री इस पर ख्याल करते। एक करोड़ के करीब आदमी इस जमींदारी अबालिशन से बेकार होंगे उनका भी कोई इन्तजाम करना जरूरी है। हम लोग भी समझते हैं कि मुल्क की हालत इस तरह की है और मुल्क के चारों तरफ इस तरह की हवा है कि जिसको देखते हुये कोई झगड़ा नहीं करना चाहिये, मगर वह तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट कुछ ख्याल करे और इस सूबे के अन्दर और ज्यादा रिफ्यूजी पैदा न करे, यहां तो पहले ही बहुत ज्यादा तादाद में हैं। इन अल्फाज के साथ में इस बिल की मुखालफत करता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् सभापति जी, जो विधेयक कौंसिल से संशोधित होकर आया है उसके लिये मैं कौंसिल को धन्यवाद देता हूं कि जमींदार ख्वाह काश्तकार हो दोनों के लिहाज से वह पहले से सुन्दर हो गया है। मैं काश्तकार के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जहां आबादी के अन्दर काश्तकार मकान या सहन दरवाजा की जमीन का मालिक नहीं हो सकता था अब वह तमाम उन जमीनों का, जहां पर काश्तकार का मकान होगा या उसका सहन दरवाजा होगा उसका वह मालिक हो सकेगा। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ इस सम्बन्ध में एतराज किया। जमींदार साहबान अभी तक उन जमीनों के मालिक होते थे। मकान के अमले के मालिक सिर्फ किसान होते थे लेकिन अब वह हो सकेंगे।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

मुझे ताज्जुब है कि अब जिस तरह से जमींदार साहबान टीका-टिप्पणी कर रहे हैं जब कि जमींदारी खत्म हो रही है तब भी उनको सन्तोष नहीं हो रहा है कि काश्तकार अब उस जमींन का जो कि आबादी के अन्दर है उसका मालिक कैसे हो सकता है। अब हर एक काश्तकार उस जमीन का जो आबादी के अन्दर है और साथ ही उस जमीन का जहां पर उसका सहन दरवाजा है, मालिक हो सकेगा।

दूसरी बात काश्तकार की सहूलियत के लिये जो खासतौर पर की गई है वह यह है कि भूमिधरी हक को प्राप्त करने के लिये अगर किसी ने अभी तक अपना लगान जमा नहीं किया है तो वह १२ गुना लगान चार किस्तों में अगर जमा कर देता है तो उसको भूमिधरी हकूक मिल जायेंगे अगर इसका सूद भी देखा जाय तो बहुत कम होता है। जमीन को हासिल करने के लिये किसान काफी ज्यादा सूद पर महाजनों से रुपया लेकर जमीन को पट्टे पर लिखाते थे या जमीन खरीदा करते थे। लेकिन इस बिल के जरिये उनको काफी सुविधा हो गई है भूमिधरी के हक को हासिल करने में जब कि उनके पास किस्त देने को एक साथ रुपया नहीं है। दूसरे मैं अपने बनारस डिवीजन के शरहमुऐयन काश्तकारों के फायदे की बात कहता हूं। पहले शरहमुऐयन काश्तकार की जमीन पर अगर कोई असामी बनता था तो शरहमुऐयन लगान का १५ गुना अधिवासी को देना पड़ता था तब उसका लगान कम होता था लेकिन अब मौरूसी लगान की दर का १५ गुना देने पर वह मालिक हो सकेगा और इस तरह से शरहमुऐयन काश्तकारों के लिये काफी सन्तोषजनक बात हो गई है। जमींदारों के फायदे के लिये भी इस

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य]

बिल में इम्प्रूवमेंट किया गया है पहले ५ हजार से ऊपर के जमींदारों के लिये पुनर्वासिन अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उनके लिये कि जो ५ हजार से दस हजार तक के जमींदार हैं पुनर्वासन अनुदान की व्यवस्था कर दी गई है। इससे जमींदारों को काफी सन्तोष होना चाहिये लेकिन मैं यह कहूंगा कि चाहे उनके कितने ही फायदे की बात हो या कुछ भी सुधार हो लेकिन उनको सन्तोष नहीं होता। उनको तो इसी में सन्तोष है कि उनकी जमींदारी बनी रहे और वही पुराना हक बना रहे। वर्ना उनकी मांगें इसमें काफी हद तक पूरी की गई हैं। गुजारेदारों के मुताल्लिक जमींदारों की तरफ से एतराज हुआ। उनके लिये भी कौंसिल में संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है और वह न्याययुक्त है। न्याययुक्त हर बात का सदन को समर्थन करना चाहिये। हम लोग तो उसका समर्थन करते हैं। हमारे जमींदारों की तरफ या अपोजीशन में कोई गुजारेदार होता तो वह उसकी ताईद करते लेकिन मालूम होता है कि जमींदार भाइयों को अपने भाई-बन्दों से मुहब्बत नहीं है। तो यह एक न्यायसंगत चीज है और इसमें उनके लिये भी न्याय रखा गया है और इसीलिये संशोधित रूप में जो विधेयक आया है उसमें गुजारेदारों के लिये भी प्राविजन किया गया है। हम उसे स्वीकार करते हैं और सबको इसे स्वीकार करना चाहिये।

एक बात यह कही गई कि संशोधित रूप में गल्ला कैसे ज्यादा पैदा होता है। यह तो सोचने की बात है कि गल्ला पैदा करने के लिये जमीन ही एक साधन है और किसान काश्त करने वाले हैं। फिर भी व्यवस्था ठीक हो तो गल्ला ज्यादा पैदा हो सकता है और जमींदारी खत्म होने के साथ जो भूमि व्यवस्था होगी उसमें गल्ला ज्यादा पैदा होगा इसमें कोई शुबहा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी तक जमींदार साहबान या बड़े काश्तकार जमीन के मालिक होते थे और खेती करने वाले दूसरे होते थे और वह जमीन में किसी तरह की तरक्की करना पसन्द न करते थे। जमींदार या खेत के मालिक जो खुद खेती नहीं करते थे वह खुद तरक्की नहीं करते थे कहीं खेत नाले बने रहते थे, मेड़ें टूटी रहती थीं, कहीं वह खेत फरटिलाइज करने को धन नहीं पाते थे लेकिन जब काश्तकार ही खुद अपनी जमीन का मालिक होगा तो वह खुद उसमें तरक्की करेगा और इस तरह से जमीन की तरक्की होगी और पैदावार बढ़ेगी। यह समझने की बात है लेकिन फिर भी एतराज किया जाता है कि गल्ला कैसे ज्यादा पैदा होता है। इस बिल के पास हो जाने के बाद काश्तकारों को अपनी जमीन से ज्यादा मुहब्बत और उनसियत होगी और इस तरह से खेती की तरक्की होगी और सूबे की उपज बढ़ेगी और इस तरह से कहना चाहिये कि यहां के रहने वाले जो इन्सान हैं उन सबका फायदा होगा। गल्ले की समस्या भी इस तरह हल हो सकेगी और इसीलिये हमें इसका स्वागत करना चाहिये।

एक बात पर और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो वहां से संशोधन हुआ कि निगोशियेबिल बांड्स में मुआविजा दिया जाय उससे भी जमींदार साहबान को बेचैनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग मुआविजा कम नहीं करना चाहते। मान लीजिये कि आप लोगों की रुकावट से या जिस तरह आपने प्रोपेगेंडा किया उसके ही असर से या काश्तकारों के पास रुपया नहीं था उसके असर से रुपया कम जमा हुआ, लेकिन कम रुपया जमा होने की वजह से उनके मुआविजे में कमी नहीं की गयी बल्कि उनके लिये यह व्यवस्था की गयी कि बांड की शक्ल में उनको मुआविजा दिया जायगा और वह भी सूद के साथ। इस बात का कोई लिहाज नहीं किया गया कि जमींदार साहबान का क्या रुख था, इस कानून के बनने में उन्होंने कितनी दिक्कतें पैदा कीं, इस

कानून के बनने में उन्होंने कोई हमदर्दी दिखायी या नहीं, इन सब बातों का कतई खयाल नहीं किया गया और उनके लिये कम्पेनसेशन की व्यवस्था की गयी। इसलिये भी जमींदार साहबान को इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिये। इसलिये जमींदार और काश्तकार दोनों के फायदे का लिहाज करते हुये कौंसिल द्वारा जो संशोधित रूप में विधेयक उपस्थित हुआ है उसका इस भवन को और जमींदार साहबान को स्वागत करना चाहिये और इसे जल्द से जल्द पास करने में मदद देनी चाहिये ताकि यह कानून की शक्ल में आकर यहां के रहने वाले जमींदार और काश्तकार सबको फायदा पहुंचा सके, काश्तकार और जमींदार के दर्मियान मुहब्बत पैदा हो और मिलजुल कर इस देश की तरक्की हो सके।

दफा १९६ में जो खाली जमीन गांव को मिलेगी उसकी व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि पहले कोआपरेटिव सोसाइटी को मिलेगी। उसके बाद अन-एकोनामिक होल्डिंग को एकोनामिक बनाना और उसमें लैंडलेस लेबरर्स वगैरह को बसाया जाय, इस सम्बन्ध में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब कोई चालाकी से यह नहीं कर सकेगा कि गांव की कोआपरेटिव सोसायटी बना ली और जो खाली जमीन है उसको लेकर हमेशा के लिये मालिक हो गया। बल्कि अगर कोआपरेटिव सोसायटी टूटेगी तो वह जमीन गांव को वापस हो जायगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर माने में यह विधेयक काफी सुधरे हुये रूप में कौंसिल से आया है और काश्तकार और जमींदार, हर एक का फायदा हुआ है चाहे उसको जमींदार साहबान कबूल करें या न करें। वे तो खैर इसे हर्गिज कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो यह निवेदन करूंगा कि संशोधित रूप में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिये बल्कि इसकी तारीफ करनी चाहिये और इसको जल्द से जल्द पास करने में पूरे तौर पर मदद देनी चाहिये।

श्री रामशंकर लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष—असल में यह जो प्रस्ताव है उसे मैं एक जाब्ते का प्रस्ताव समझता हूं इसलिये कि इसमें कोई उसूल की बहस तो की नहीं जा सकती। सिर्फ इतना सवाल है कि जो संशोधन वहां से आये हैं उनसे इस सदन ने जिन उसूलों को मान लिया है उनमें कोई खास अन्तर पड़ा है या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि जब जब वे संशोधन आने वाले हैं तो इस प्रस्ताव पर मैं यह अनुमति दे दूं कि बहस बन्द करने का प्रस्ताव आ सके। मैं अनुमति देता हूं।

श्री रामशंकर लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय पर अब वाद-विवाद बन्द किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस प्रस्ताव पर अब वाद-विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—६२

विपक्ष में—१६।)

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर कल से आज तक वादविवाद हुआ। इस तरफ से भी लोगों ने तकरीरें कीं और उस तरफ से हमारे मित्रों ने भी तकरीरें कीं। मैंने भी बड़े गौर से सुनने की कोशिश की और समझने की भी कोशिश की। हमारे चन्द मित्रों ने कुछ तरमीमों के मुताल्लिक एतराजात पेश किये और इस बात का इजहार किया कि उन तरमीमों को वह पसन्द नहीं करते। हमारे राजा साजिद हुसैन साहब ने धारा १५५ का हवाला देते हुये यह फरमाया कि कौंसिल ने एक ऐसी तरमीम करदी है जिससे मियां बीबी की अलहेदगी

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

का खौफ पैदा हो गया है। मेरे ऊपर भी खौफ तारी हो गया यह बात सुनकर और फिर मैंने समझने की कोशिश की कि आया इस खौफ में जरा भी तत्व या असलियत है या राजा साहब दूसरे वजूहात से खायफ होकर ही यह चीज बयान कर रहे हैं। धारा १५५ में श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं:—

"A bhumidhar or a sirdar who is a woman . . ."

(ऐसा भूमिधर या सीरदार जो स्त्री हो . . .)

इसमें तरमीम यह हुई थी—

"An unmarried woman, or if married. divorced or separated from her husband, or a widow.

(अविवाहिता, परित्यक्ता या पति से विलग या विधवा स्त्री हो।)

यह यहीं की पास शुदा धारा है। कौंसिल ने इसमें कलम तक नहीं लगाया। लिहाजा यह इल्जाम कौंसिल पर आयद करना कि उनकी तरमीम से ऐसे खतरात पैदा हो गये हैं, गलत है। इसके जिम्मेदार राजा साहब खुद हैं जिन्होंने इसे पास किया था। उसके बाद मैंने कुछ अपने और मित्रों से सुना। नवाब ऐजाज रसूल साहब की तकरीर मैंने बहुत गौर से सुनी। गुजारेदारों के बारे में उनके दिल में सांप लोट गया। कौंसिल में भी सांप लोटा था। आप फरमाते यह हैं कि इससे लिटीगेशन बढ़ेंगे। हां, ठीक है, मुमकिन है कि बढ़ें लेकिन अगर एक ही मरिसे आला की औलाद में मसलहत न हो तो यह बदकिस्मती ही है। यह तो प्रीजंम्प्शन ही है कि भाई भाई में, भाई-भतीजे में और मां बेटे में मसलहत होगी लेकिन अगर ऐसी इस देश की बदकिस्मती आये तो ऐसे करीब रिश्तेदारों में भी मसलहत न हो, तो इसके लिये सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है। इसी प्रीजम्प्शन पर यह रक्खा गया है कि अगर आप राजी तो क्या करें काजी। इसमें यह उसूल नहीं तय किया गया हैं कि वह गुजारेदार, जिनका हेरीडिटरी राइट है या जिनका महज लाइफ इंट्रेस्ट है उनकी तादाद कैसे मुकर्रर की जायगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक अमेंडमेंट के जरिये यह रक्खा गया है कि अगर आपस में तय न हो तो अदालत में चाराजूई की जाय जैसा कि अभी तक होता आया है। इसके लिये उसूल पहले से ले डाउन हैं। पर्सनल ला में इसके लिए उसूल हैं। आगरा जमींदारी ऐक्ट में भी धारा १३ में और अवध स्टेट्स ऐक्ट में भी धारा २४ से २८ तक यही उसूल दिये हुये हैं। जिस आधार पर अभी तक गुजारे के मुकदमे तय होते आये हैं उसी आधार पर आइन्दा भी तय होंगे। देखना यह है कि अगर ऐसी तरमीम न की जाती तो क्या हश्र होता। उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिये और उन गरीबों की गुजरऔकात किस तरह से होगी इसका भी लिहाज तो इस सदन के माननीय सदस्यों को करना ही चाहिये। अगर हम भूल गये थे और हमारे एल्डर्स, अपर हाउस के लोगों ने उस खामी को देख करके यह सुझाव हमारे सामने दिया है तो उस पर हम आप गौर करें। फौरन उस पर परेशान हो जाना यह किसी तरह से मुनासिब और जायज बात नहीं है। इसके साथ साथ मुझे अफसोस है कि हमारे कुंवर साहब ने धारा १६ का हवाला देते हुए फरमाया कि लीजिये इसमें आक्यूपेंट को जो राइट दिया गया है सीर और खुदकाश्त में वह महज बड़े बड़े जमींदारों को दिया गया है, ढाई सौ या उससे कम के जमींदारों को नहीं दिया गया। उससे एक डिस्क्रिमिनेशन किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन छोटे जमींदारों का जिनका हवाला आप बार-बार देते हैं अगर उनको कुछ फायदा हो जाता है तो यह द्वेष क्यों, यह परेशानी क्यों? आपको खुश होना चाहिये। हमारे कुंवर साहब ने फरमाया कि अगर छोटों को फायदा हो जाय

तो हम तैयार हैं त्याग करने के लिये कि हमें मुआविजा न दिया जाय। जरा-सा डिस्क्रिमिनेशन इसमें किया गया तो आग बबूला हो गये, अगर आपकी जमींदारी जब्त की जाय और उनकी नहीं होती तो क्या हस्र होता? तो यह कहना कि डिस्क्रिमिनेशन किया गया ठीक नहीं है। वह छोटे तबके के हैं। वह तो खेती करते हैं, अपने हाथ से धान बैठाते हैं, कीचड़ में कदम रखते हैं, रात में वह खेतों की सिंचाई करते हैं और बरसात में खेतों के किनारे रहते हैं। तो उनकी सीर तो उनकी खेती में है। अगर उनको प्रोटेक्शन दे दिया गया तो कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा सिन नहीं किया गया जिसके लिये सरकार किसी तरह से कनडैम्नेबिल हो। हमारे राजाराम शास्त्री तो बीड़ा उठाये हुये हैं। चाहे जितनी भलाई सरकार करे, उनकी ऐनक और मेरी ऐनक बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। काक दृष्टि से काम नहीं चलता। अगर अच्छे को भी बुरा कहेंगे तो वह भी बुराई है। किस्सा है कि कोई चिल्लाता था "भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया"। किसी दिन सचमुच भेड़िया आ जायगा और आपको उठा ले जायगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अच्छे को भी बुरा कहें तो फिर कैसे मुतास्सिर हों आपकी बात से। लिहाजा अच्छे को अच्छा कहिये, बुरे को बुरा कहिये। फिर हमारे दोस्त ने अपनी तकरीर के आखिर में यह भी नहीं कहा कि इस पर कंसीडर किया जाय। अगर वहां तरमीमें हुई हैं, गलत हुई हैं तो हम इन तरमीमों का मोशन थोड़े ही लाये हैं। हम कहते हैं कि कंसीडर किया जाय। आपने यह भी नहीं कहा कि कंसीडरेशन के मोशन की ताईद करता हूं। तरमीमों की एक लम्बी फेहरिस्त है। एक-एक करके तरमीमें आयेंगी। हम आप विचार करें, अगर कोई तरमीम गलत हो वह दुरुस्त की जाय, जो अच्छी तरमीम आई है उसको यह सदन मंजूर करे, लेकिन यह कहना कि "आई रिफ्यूज टु कंसीडर दिस रेजोल्युशन" (मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने से इंकार करता हूं।) यह कहां तक मुनासिब है? मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मेरे लायक दोस्त नवाब साहब जो मेरे हम वतन हैं उन्होंने कुछ बातें फरमाईं, लेकिन मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तफसील का मौका तो फिर आयेगा जब हर एक तरमीम पेश होगी। आज मैं अर्ज कर दूंगा तो दोबारा कहने पर वह नागवार खातिर होगा। आप भी कहेंगे कि यह कैसा मिनिस्टर है कि बार-बार दोहराता है। मेरा कहना तो यह है कि हम और आप गौर करें, मैं तो कहता हूं कि यूनेनिमसली आप हम तय करें। यह मेरी दरख्वास्त है दस्तबस्ता कि इस कंसीडरेशन के मोशन को मंजूर कर लिया जाय और फिर हम आप बैठें। कूल हैडिडली सोचें कि गलत तरमीम है या ठीक है। अगर गलत है तो रिजेक्ट कीजिये और सही है तो ऐक्सेप्ट की जाय। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कह कर अपने मित्रों से नम्र निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव है उसे हम सर्वसम्मति से पास करें और स्वीकार करें।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सन् १९४९ ई० के उत्तर-प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)--

पक्ष में--६७

अचल सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री

गजाधर प्रसाद, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जाहिद हसन, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचन राम गुप्त, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन, श्री
भीमसेन, श्री
मसुरियादीन, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नबी, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामबदन सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
लाखनदास जाटव, श्री
विद्याधर बाजपेयी, श्री
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव दयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सुदामा प्रसाद, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में--१२

अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
गुरु नारायण, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
राजकुंवार सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसैन, श्री
सईद अहमद, श्री

माननीय अध्यक्ष--अब इन संशोधनों पर विचार होगा। धारा २ में १ से ४ तक जो संशोधन हैं इनमें किसी संशोधन की सूचना नहीं है। मैं इस पर राय लिये लेता हूं और पांचवीं पर चूंकि संशोधन की सूचना है इसलिये उस पर विचार होने के बाद राय ली जायेगी। जिन संशोधनों पर किसी संशोधन की सूचना नहीं है उस पर राय वैसे ही ले ली जावेगी और जिन पर संशोधन होंगे उनको विचार के लिये रखा जायेगा और विचार होने के बाद उन पर राय ली जायेगी मैंने बता दिया कि जो तरीका होगा ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो जाय।

धारा २ *

उपधारा (१) में निम्नलिखित संशोधन किये जायं:—

(१) तीसरी पंक्ति में शब्द "जिनसे" और शब्द "कोई" के बीच आने वाला शब्द "तत्वतः" निकाल दिया जाय तथा शब्द "कोई" और शब्द "अन्तर" के बीच शब्द "मौलिक" बढ़ा दिया जाय।

(२) तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "साथ" और चौथी पंक्ति में आने वाले शब्द "हो", खंड (क) की दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक "१९३९" खंड (ग) की क्रमशः दूसरी और तीसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द "प्रयोजन के" और "काम के" खंड (ङ) के उपखंड (१), (२) और (३) की दूसरी पंक्तियों में आने वाले अंक "१९४९", तथा खंड (ङ) के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक "१९५०" के बाद एक एक अर्धविराम बढ़ा दिया जाय।

(३) खंड (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द "दखल" के स्थान पर शब्द "अध्यासन (occupation)" और आठवीं पंक्ति में शब्द "शरणार्थियों" के बाद आने वाले शब्द "के" के स्थान पर शब्द "को" रख दिया जाय।

(४) खंड (ङ) के उपखंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "एन्क्लेब्ज" के बाद और शब्द "जो" के पहले कोष्ठकों में शब्द "(अन्तरक्षेत्र)" बढ़ा दिया जाय।

(५) खंड (ङ) के बाद और प्रतिबन्धात्मक वाक्य के पहले निम्नलिखित खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"देहरादून जिले का परगना जौनसार बाबर और मिर्जापुर के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।"

उपधारा (२)

(१) उपधारा (२) की पांचवीं पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "के" के बाद तथा उसी पंक्ति में शब्द "काम" के बाद वाले "के" के बाद एक एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय और छठीं पंक्ति में शब्द "दखल" के स्थान पर शब्द "अध्यासन (occupation)" रख दिया जाय।

(२) पैरा २ के साथ लगे "स्पष्टीकरण" में निम्नलिखित संशोधन किये जायं:

(१) दूसरी, पांचवीं और सातवीं पंक्तियों में क्रमागत अंक "१९५२", "१८६०" और "१९१३" के बाद तथा चौथी, छठीं और नवीं पंक्तियों में शब्द "के" के बाद एक एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय?

(२) पहली, नवीं, दसवीं, ग्यावरहीं और बारहवीं पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "क्षेत्र" "पास" "रहा हो", "वह" और "है" के स्थान पर शब्द "क्षेत्रों", "अधिकार में", "रहे हों", "वे" और "हैं" रख दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा (१) में जो संशोधन विधान परिषद् ने किया है कि तीसरी पंक्ति में शब्द "जिन से" और शब्द "कोई" के बीच आने वाला शब्द "तत्वतः" निकाल दिया जाय तथा शब्द "कोई" और शब्द "अंतर" के बीच शब्द "मौलिक" बढ़ा दिया जाय उस संशोधन से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा (१) में जो संशोधन विधान परिषद् ने किया है कि तीसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "साथ" और चौथी पंक्ति में आने वाले शब्द "हो" खंड (क) की दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक "१९३९", खंड (ग) की क्रमशः दूसरी और तीसरी पंक्तियों में आने वाले शब्द "प्रयोजन के" और "काम के",

---

* धारा २ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन।

[माननीय अध्यक्ष]

खंड (ङ) के उप खंड (१), (२) और (३) की दूसरी पंक्ति में आने वाले अंकों "१९४९" तथा खंड (ड) के उप खंड (४) को दूसरी पंक्ति में आने वाले अंक "१९५०" के बाद एक-एक अर्धविराम बढ़ा दिया जाय, उस संशोधन से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा (१) में जो संशोधन विधान परिषद् ने किया है कि खंड (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द "दखल" के स्थान पर शब्द "अध्यासन (occupation)" और आठवीं पंक्ति में शब्द "शरणार्थियों" के बाद आने वाले शब्द "के" के स्थान पर शब्द "को" रख दिया जाय, उस संशोधन से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा २ की उपधारा (१) में जो संशोधन विधान परिषद् ने किया है कि खंड (ड) के उपखंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "एन्क्लेब्ज" के बाद शब्द "जो" के पहले कोष्ठकों में शब्द "(अन्तरक्षेत्र)" बढ़ा दिया जाय, उस संशोधन से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २ की उपधारा (च) निकाल दी जाय।

मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से समझना चाहता हूं कि क्या वजह है कि--

"Pargana Jaunsar-Bawar of Dehra Dun District and the area of Mirzapur District in the south of the Kaimur Range:"

(देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।)

इसमें बढ़ा दिया गया है। पहले असेम्बली में जो बिल पास हुआ था और सिलेक्ट कमेटी में पास हुआ था उसमें यह एरिया नहीं रखे गए थे। मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या वजह वाके हुई कि गवर्नमेंट ने कौंसिल में इनको इंक्लूड कर दिया। इस लिए मैंने अमेंडमेंट पेश किया है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक उपस्थित किया गया था उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट सन् १९३५ पेश था और उसमें जौनसार बाबर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज थे और उनके संबंध में प्रान्तीय सरकार को कोई अधिकार कानून बनाने का नहीं था। इसलिए यह नहीं लिए जा सके थे और उसमें यह रखा था, धारा ९२ गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में है कि अगर गवर्नर नोटीफाई कर दे तो वह कानून लागू हो सकता है, हमारा नया संविधान आया तो उसमें यह पावर नहीं रहा और यह एक्सक्लूडेड एरिया भी नहीं रहे और प्रान्तीय लेजिस्लेशन को अधिकार हो गया कि वह इनके सम्बन्ध में भी कानून बना सकता है। वहां की हालत यहां से कतई मुख्तलिफ है। वहां के टेनेन्सी के बारे में जो कानून है वह यहां से बिल्कुल पृथक है जैसा कि उपधारा (२) में रखा गया है। लिहाजा इस विधेयक में इनको भी शामिल करना जरूरी हो गया। इसलिए इनको यहां रखा गया है। लिहाजा विधेयक के पास हो जाने के बाद necessary modification and adaptation (आवश्यक रूपान्तरण और अनुकूलन) के बाद लागू कर सकें। सिर्फ यही तात्पर्य था। हमारे मित्र नवाब साहब समझ गए होंगे और राजा साहब जगमनपुर भी समझ गये होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस तरमीम को वापस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्र शाह—श्रीमान् जी, हमने मंत्री का भाषण सुना। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि किस कारण से आप देहरादून जिले के जौनसार बावर वगैरह लेना चाहते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि नैनीताल, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा को किस लिए छोड़ दिया गया है ...।

माननीय श्री हुकुम सिंह—कहां छोड़ा गया है?

श्री वीरेन्द्र शाह—मंत्री जी ने कह दिया है कि तो ठीक है वर्ना अगर आप इन तीन पहाड़ी जिलों को छोड़ रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप इनको न छोड़ें और बाद में लें जिस वक्त नैनीताल–गढ़वाल और अल्मोड़ा को लें। हमारे मंत्री जी ने कहा था कि वहां की टेढ़ी समस्यायें हैं। वहां बहुत से काश्तकार हैं और तरह तरह के लोग हैं। अगर वह इस बिल में आयेंगे तो गड़बड़ी हो जायगी। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे छोटे छोटे इलाकों में इस बिल को लागू कर देने से क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय पुनः उस पर विचार करेंगे। इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है। जब लोगों को इत्मीनान है तो क्यों जल्दी करें और बार बार तय की हुई चीज को बदलें और उन इलाकों को ले लें जिनमें दिक्कत बढ़ने की संभावना हो। मैं समझता हूं कि मंत्री जी हमारे संशोधन को समझेंगे और स्वीकार करेंगे।

श्री ऐजाज रसूल—चूंकि आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने वाजे कर दिया है इस लिए मैं इसको इंसिस्ट नहीं करता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् ने जो संशोधन किया है कि धारा २ की उपधारा (१) में खंड (ङ) के बाद और प्रतिबन्धात्मक वाक्य के पहले निम्नलिखित खंड (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"देहरादून जिले का परगना जौनसार बावर और मिर्जापुर जिले के कैमूर श्रेणी के क्षेत्र" इस संशोधन से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन की उपधारा (२) में निम्नलिखित संशोधन किए जायं:

(१) उपधारा (२) की पांचवीं पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "के" के बाद तथा उसी पंक्ति में शब्द "काम" के बाद वाले "के" के बाद एक–एक अर्ध विराम जोड़ दिया जाय और छठीं पंक्ति में शब्द "दखल" के स्थान पर शब्द "अध्यासन (occupation)" रख दिया जाय।

(२) पैरा २ के साथ लगे "स्पष्टीकरण" में निम्नलिखित संशोधन किए जायं:

(१) दूसरी, पांचवीं और सातवां पंक्तियों में क्रमात् अंक "१९५२", "१८६०" और "१९१३" के बाद तथा चौथी, छठीं और नवीं पंक्तियों में शब्द "के" के बाद एक एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय।

(२) पहली, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "क्षेत्र", "पास", "रहा हो", "वह" और "है" के स्थान पर शब्द "क्षेत्रों", "अधिकार में" "रहे हों", "वे" और "हैं" रख दिए जायं, इन संशोधनों से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३*

धारा ३ में निम्नलिखित संशोधन किए जायं:—

(१) खंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "में" के बाद आने वाला विराम निकाल दिया जाय।

(२) खंड (३) के प्रथम पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत" और शब्द "निर्माणों" के पहले शब्द "ऐसे सभी प्रयोजन हैं जिनका संबंध" बढ़ा दिए जायं, पंक्ति चार में शब्द "किसी" निकाल दिया जाय, और शब्द "विषय" के स्थान पर शब्द "विषयों" रख दिया जाय, पांचवीं पंक्ति में शब्द "उन्नति सम्मिलित है" के स्थान पर शब्द "प्रोन्नति (advancement) से हो" रख दिए जायं और उसी पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "ऐसा" के स्थान पर शब्द "ऐसे" रख दिया जाय, छठीं पंक्ति में शब्द "कोई" और शब्द "सम्मिलित" निकाल दिए जायं तथा उसी पंक्ति में आने वाले शब्द "है जिसका" के स्थान पर शब्द "हैं जिनका" रख दिए जायं तथा अन्तिम पंक्ति में शब्द "कृत्यों" के बाद और शब्द "से" से पहले शब्द "के सम्पादन" बढ़ा दिए जायं।

(३) खंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "अधीन" के बाद और शब्द "कलेक्टर" के पहले शब्द "प्राप्त" बढ़ा दिया जाय, शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "किसी" रख दिया जाय तथा उसी पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "कार्य" के बाद शब्द "के" बढ़ा दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में शब्द "करने" निकाल दिया जाय।

(४) खंड (७) की प्रथम पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "डिक्री" के स्थान पर शब्द "डिगरी" रख दिया जाय और उसी पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "उसे" के स्थान पर शब्द "डिक्री को" रख दिए जायं तथा अंक "१९०८" के बाद एक अर्ध विराम लगा दिया जाय।

(५) खंड (८) की तीसरी पंक्ति में अंक "१९०१" पांचवीं पंक्ति में शब्द "रजिस्टरों के", छठीं पंक्ति में शब्द "खंड (इ) के" तथा दसवीं और ग्यारहवीं पंक्ति में शब्द "के" के बाद एक एक अर्ध विराम बढ़ा दिया जाय, सातवीं तथा आठवीं पंक्तियों में आने वाले शब्द "जहां तक उसका संबंध दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) से है" उसके बाद आने वाले अर्ध विराम सहित अपने वर्तमान स्थान से हटाकर छठीं पंक्ति में शब्द "के" के बाद और शब्द "अधीन" के पहले रख दिए जायं, दसवीं पंक्ति से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय तथा दसवीं और ग्यारहवीं पंक्तियों में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "आस्थानों" और ग्यारहवीं पंक्ति में शब्द "अंश" के स्थान पर शब्द "अंशों" रख दिया जाय।

(६) खंड (११) के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उद्यानीकरण" के स्थान पर शब्द "उद्यानकरण" रख दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (क) की तीसरी पंक्ति से शब्द "उसके" निकाल दिया जाय और चौथी पंक्ति में शब्द "सम्बन्धित किसी के" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (ख) की पहली और तीसरी पंक्तियों में शब्द "लिए" के बाद एक-एक अर्ध विराम बढ़ा दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय और उसी उपोपखंड की पहली तथा तीसरी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "निर्माण" और शब्द "उसमें" के स्थान पर शब्द "निर्माणों" और "उनमें" रख दिए जायं तथा खंड (११) के ही प्रतिबंधात्मक वाक्य की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उन्नत" के स्थान पर शब्द "उन्नति" रख दिया जाय।

---

*धारा ३ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन।

(७) खंड (१२) की दूसरी और छठीं पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "किसी आस्थान के संबंध में ऐसे" और "में" के स्थान पर "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो, उक्त" और "के" रख दिए जायं तथा शब्द "तात्पर्य" के बाद और शब्द "उक्त" के पहले एक-एक अर्ध विराम बढ़ा दिया जाय ।

(८) खंड (१३) की तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "पास" और "दखल" के स्थान पर शब्द "अधिकार" और "अध्यासन" रख दिये जायं।

(९) खंड (१४) की दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "छोड़", "पास या दखल" और "उद्यानीकरण" के स्थान पर शब्द "छोड़कर", "अधिकार या अध्यासन" तथा "उद्यानकरण" रख दिए जायं तथा चौथी पंक्ति से शब्द "पशुचर" निकाल दिया जाय।

(१०) खंड (१५) की पहली, दूसरी, चौथी और पांचवीं पंक्तियों में यथाक्रम "वह", "के सम्बन्ध में प्रयुक्त", "देने का" और "इसी प्रकार" के स्थान पर शब्द "उसका सम्बन्ध", "से", "उठाने के" और "तदनुसार हो" रख दिए जायं तथा पांचवीं पंक्ति में शब्द "है" और शब्द "व्याख्या" के पहले शब्द "भी" जोड़ दिया जाय।

(११) खंड (१६) की द्वितीय पंक्ति में आने वाला शब्द "वही" अपने वर्तमान स्थान से हटाकर प्रथम पंक्ति में शब्द "का" के बाद और शब्द "अर्थ" के पहले रख दिया जाय तथा अंक "१३०८" के बाद एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय।

(१२) खंड (१७) की १० वीं पंक्ति से शब्द "कोई" निकाल दिया जाय और बारहवीं पंक्ति में आने वाला शब्द "जिसमें वह खान स्थित हो" अपने पहले और पीछे आने वाले अर्धविराम सहित अपने वर्तमान स्थान से हटा कर ग्यारहवीं पंक्ति के अन्त में शब्द "जिले के" के बाद रख दिए जायं ।

(१३) खंड (२१) में शब्द "किसी आस्थान के संबंध में" और शब्द "दाय के उत्तराधिकारी" के स्थान पर यथाक्रम शब्द "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो" और "दायाधिकारी" रख दिए जायं, वाक्यखंड "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो" के पहले और पीछे एक एक अर्ध विराम जोड़ दिया जाय और अंतिम शब्द "है" के पहले शब्द "भी" बढ़ा दिया जाय।

(१४) खंड (२६) की दूसरी पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "से" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय।

(१५) खंड (२७) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "अर्थ" के बाद आने वाला शब्द "वही" अपने वर्तमान स्थान से हटा कर शब्द "अर्थ" के पहले रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन की धारा ३ में निम्नलिखित संशोधन किए जायं:—

(१) खंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "में" के बाद आने वाला विराम निकाल दिया जाय ।

(२) खंड (३) के प्रथम पंक्ति में शब्द "अन्तर्गत" और शब्द "निर्धनों" के पहले शब्द "ऐसे सभी प्रयोजन हैं जिनका सम्बंध" बढ़ा दिये जायं, पंक्ति चार में शब्द "किसी" निकाल दिया जाय और, शब्द "विषय" के स्थान पर शब्द "विषयों" रख दिया जाय, पांचवी पंक्ति में शब्द "उन्नति सम्मिलित है" के स्थान पर शब्द "प्रोन्नति (advancement) से हो" रख दिये जायं और उसी पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "ऐसा" के स्थान पर शब्द "ऐसे" रख दिया जाय, छठीं पंक्ति में शब्द "कोई" और शब्द "सम्मिलित" निकाल दिये जायं तथा उसी पंक्ति में आने वाले शब्द "है जिसका" के स्थान पर शब्द "हैं जिनका" रख दिये जायं

[माननीय अध्यक्ष]

तथा अंतिम पंक्ति में शब्द "कृत्यों" के बाद और शब्द "से" से पहले शब्द "के सम्पादन" बढ़ा दिये जायं।

(३) खंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "अधीन" के बाद और शब्द "कलेक्टर" के पहले शब्द "प्राप्त" बढ़ा दिया जाय, शब्द "कोई" के स्थान पर शब्द "किसी" रख दिया जाय तथा उसी पंक्ति के अंत में आने वाले शब्द "कार्य" के बाद शब्द "के" बढ़ा दिया जाय और पांचवीं पंक्ति में शब्द "करने" निकाल दिया जाय।

(४) खंड (७) की प्रथम पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "डिक्री" के स्थान पर शब्द "डिगरी" रख दिया जाय और उसी पंक्ति के अन्त में आने वाले शब्द "उसे" के स्थान पर शब्द "डिक्री को" रख दिये जायं तथा अंक "१९०८" के बाद एक अर्धविराम लगा दिया जाय।

(५) खंड (८) की तीसरी पंक्ति में अंक "१९०१", पांचवीं पंक्ति में शब्द "रजिस्टरों के", छठीं पंक्ति में शब्द "खंड (इ) के" तथा दसवीं और ग्यारहवीं पंक्तियों में शब्द "के" के बाद एक एक अर्धविराम बढ़ा दिया जाय, सातवीं तथा आठवीं पंक्तियों में आने वाले शब्द "जहां तक उसका सम्बन्ध दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) से है" उसके बाद आने वाले अर्धविराम सहित अपने वर्तमान स्थान से हटाकर छठीं पंक्ति में शब्द "के" के बाद और शब्द "अधीन" के पहले रख दिये जांय, दसवीं पंक्ति से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय तथा दसवीं और ग्यारहवीं पंक्तियों में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "आस्थानों" और ग्यारहवीं पंक्ति में शब्द "अंश" के स्थान पर शब्द "अंशों" रख दिया जाय।

इन संशोधनों से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री साजिद हुसैन—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि "धारा ३ के खंड ११ (१) की पंक्ति ६, ७ तथा ८ में प्रस्तावित शब्द जिसके अन्तर्गत..............भी है" निकाल दिये जायं।

इस संशोधन से मुराद वही है कि पिस्सीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग के जो शब्द हैं वह न रखे जायं।

ऐनीमल हसबेंड्री के सिलसिले का जो बहाना है वह यह मानी रखता है कि उनको हम एनीमल्स में शामिल नहीं करते और अगर जानवरों में शामिल करते हैं तो अगर हम जानवरों को शुमार करते हैं तो हमारे लिये जरूरी हो जाता है कि पूरी फेहरिस्त हम इस किस्म की दें। वह असल चीज है उसको एनीमल हसबेंड्री के साथ लाना जरूरी नहीं है। जब उसकी तशरीह कर देते हैं तो मेन चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस सिलसिले में हमको याद रखना चाहिये कि देहात में बहुत और ऐसे काम हैं यानी हार्स ब्रीडिंग या शिकारी कुत्ते की नस्ल बढ़ाना और भी इस किस्म के काम है वह तमाम इसमें जाहिर करना चाहिये। वह फेहरिस्त तो इस वक्त मेरे पास नहीं है और न मैं देना जरूरी समझता हूं। घोड़ों का अहम मसला है और खासकर इस मुल्क में जहां कि जमीन के रस्लोरसायल इतने खराब हैं कि जिनकी वजह से हम ऐसे जानवरों की नस्ल बढ़ाना चाहते हैं या नस्लों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम लोगों को इजाजत दें कि वह तमाम इस काम में दिलचस्पी ले सकें। जब कि एक चीज के अन्दर यह तमाम चीजें कवर हो सकती हैं तो महज इस चीज को मेन्शन करना क्या माने रखती है कि हम उन चीजों को परमिशन नहीं दें। अगर हम उनको परमिशन देते तो उसमें शामिल कर देते लिहाजा जब एनीमल हसबैन्ड्री का जिक्र हो गया तो यह जिक्र करना बहुत गैर मामूली है। मेरी नजर से कोई ऐसी जगह नहीं गुजरी कि जहां पर एग्रीकल्चर के लिये यह चीज खासतौर पर इस्तेमाल की गई हो गोया कि यह चीज उसमें शामिल नहीं है। मुमकिन है कि सरकार को इस बात का शुबहा हो कि एनीमल हस्बेंड्री में मछली या मुर्गी शामिल नहीं

हैं। किसी डाक्टर से जाकर पूछा जाय तो यह मालूम हो सकता है या किसी एन्साइक्लोपीडिया को कंसल्ट किया जा सकता है। और यह ऐसी सूरतें ऐसी है कि जिनको एक मामूली से मामूली आदमी जो ले मैन हो वह भी समझ सकता है और वह भी इस किस्म की गलती नहीं करेगा अगर उससे दरियाफ्त किया जाय तो वह भी बतला सकता है इस में इस के बढ़ा देने से एक किस्म का शक पैदा होता है और उस शक का असर यह हो सकता है कि मुमकिन है कि इस से आइन्दा कोई मुकदमेबाजी बढ़े और ऐसी सूरत में यह भी मुमकिन है कि आइन्दा देहात की जनता को तकलीफ पहुंचे और वह तकलीफ इस किस्म की होगी यानी यह कि हार्स ब्रीडिंग यानी ऐसे जानवरों वगैरा के पालने और नस्लें तैयार करने में रुकावट पैदा होगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। श्रीमान् जी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कौंसिल से किसी तरह की तरमीम जब इस सदन के सामने आकर पेश हो तो उसके खिलाफ इस तरह के अमेंडमेंट आ सकते हैं या नहीं जैसा कि नियम १०५ (१) (ी) में है कि--

"In considering amendments made by the Council, amendments relevant to the subject-matter of such amendments may be moved but no further amendments shall be moved to the Bill, unless it is consequential upon, or an alternative to, an amendment made by the Council."

(परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार के समय, उन संशोधनों के विषय से सम्बद्ध संशोधन प्रस्तावित किये जा सकेंगे किन्तु विधेयक पर कोई और संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा, अतिरिक्त इसके कि वह परिषद द्वारा किये गये किसी संशोधन का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।)

और १५१ (२) में यह दिया हुआ है कि--

"An amendment may not be moved which, if carried, would have merely the effect of a negative vote."

(ऐसा संशोधन प्रस्थापित नहीं किया जा सकता है जो, स्वीकृत हो जाने पर केवल नकारात्मक मत का बोधक हो।)

यहां पर इस तरह का अमैंडमेंट कर कि वह अमेंडमेंट ही निकाल दिया जाय यह एक नैगेटिव चीज है। उस के खिलाफ अगर यह कहते कि यह सुधार कर दिया जाय या कोई कांसिक्वैन्शियल चीज होती तब तो ठीक था लेकिन आप एक नैगेटिव अमेंडमेंट को शक्ल नहीं दे सकते। चुनांचे यह चीज १५१ में साफ कर दी गई है और यही चीज रिज्यूल्यूशन की शकल में नियम १५८ में दी हुई है कि--

"Provided that an amendment may not be moved which if carried would have merely the effect of a negative vote."

(परन्तु कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जिसके स्वीकृत हो जाने पर नकारात्मक मत का प्रभाव हो।)

इसलिये मैं समझता हूं कि यह उसूलन गलत है और नियमों के खिलाफ है।

माननीय अध्यक्ष--श्री साजिद हुसैन! क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री साजिद हुसैन--मेरा जाती ख्याल यह है कि यह जो एतराज मौर्य जी ने पेश किया है वह अगर इस के टैक्स्ट को दोबारा गौर करें तो देखेंगे कि नफी हुक्म करने का कोई ख्याल इसमें नहीं है बल्कि सिर्फ एक सुधार का ही है यानी जो मेरा ख्याल है जिसका यह टुकड़ा बन गई है उसमें इस टुकड़े के जुड़ जाने से उसूलों पर पूरा असर पड़ता है और उस में दिक्कतें पैदा होती हैं।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी--यह बात जो मौर्य साहब ने पेश की है उसमें जहां तक नियम १०५ का ताल्लुक था वह बिलकुल सही था लेकिन उन्होंने यह गौर नहीं किया कि दफा १५१ का कोई वास्ता इस से नहीं है कि--

"Consideration of amendments made by the Council"

(परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार)

वह तो इसलिये है कि कौंसिल में वहां क्या तरीका होगा यह दूसरी बात है। यह चीज दफा १०५ (२) में वाजे है की कौंसिल में आने पर क्या तरीका होगा और १५१ का इस से कोई वास्ता नहीं है और यह कहना मुनासिब नहीं है और जो अमेंडमेंट कौंसिल से हो कर आये है उन के बारे में इस तरह से महदूद करना नामुनासिब है।

माननीय अध्यक्ष--हां, यह तो मैं मानता हूं कि ऐसे तरमीम नहीं की जा सकती कि जिस से असल चीज से मुखालफत हो और इस आदरणीय सदन में यही सूरत रही है कि अगर किसी को किसी धारा की मुखालफत करना है तो वह धारा का विरोध कर सकता है लेकिन धारा को निकालने की तरमीम नहीं पेश हो सकती। इस में माननीय सदस्यों को यह हक हर तरमीम के मुताल्लिक हासिल है कि वे इस बात की वजूहात पेश करें कि यह तरमीम जो विधान परिषद् ने की है वह न स्वीकार की जाय। तो मैं अगर इसको तरमीम की हैसियत से पेश करने की इजाजत न भी देता हूं तो भी मैं यह समझता हूं कि हर एक माननीय सदस्य को यह हक हासिल है कि वह उस तरमीम का विरोध कर सकें जोकि वहां से आयी है। इस सिलसिले में कागजात में तरमीमों को जो तरतीब दी गई है उसमें मैंने देखा कि कुछ इधर उधर हो गयी है। यह जो तरमीम है माननीय सदस्य ने केवल विधेयक में जो तरमीम छपी है उसे देख कर इसका नोटिस दे दिया। मैं अभी यही देख रहा था कि ६ के ऊपर जो तरमीम है उसमें मुमकिन है कि ऐसा कर दिया जाय। एक जनरल तरीके से कुछ तरमीमात वहां मंजूर हुई है कि चन्द अल्फाज को जिनकी फेहरिस्त हमारे कार्यक्रम के ३३ पन्ने पर लिखी हुई है, वह विधेयक भर पर लागू हैं तो यह जो तरमीमें हैं वे जनरल हैं कि जहां-जहां यह शब्द इस विधेयक में आये हों वहां-वहां यह शब्द रख दिया जाय। यह अकेले इस दफा के मुताल्लिक नहीं हैं। जब उस हिस्से पर मैं आऊंगा उस पर हर एक की राय लूंगा और जाहिर है कि जब मैं राय लूंगा, कोई प्रश्न सदन के सामने रखूंगा तो हरएक माननीय सदस्य को अख्तियार होगा कि वह अपनी राय का इजहार करे इसलिये इसे तरमीम की हैसियत से उपस्थित होने के लिये मैं इजाजत नहीं देता लेकिन जब वह हिस्सा आयेगा उस वक्त माननीय सदस्य अगर कुछ तरमीम करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर वह तरमीम नहीं हो सकती तो हर तरमीम की जो विधान परिषद् ने किया है मुखालिफत करने का तो मौका मिलेगा। उसी तरीके से यह अच्छा रहेगा कि वह पूरी तरमीम जो विधान परिषद् ने जनरल की है उनको मैं फिर लूं।

श्री ऐजाज रसूल--हुजूरवाला, क्या असेम्बली के मेम्बरों को अख्तियार नहीं है कि कौंसिल में जो तरमीमें हुई हैं उन पर तरमीमें पेश कर सकें ?

माननीय अध्यक्ष--जरूर पूरा हक है मगर वह तरमीम होना चाहिये। माननीय सदस्य समझ नहीं पाये। जो तरमीम उन्होंने की है उसको तरमीम करना दूसरी चीज है और यह कहना की वह तरमीम ही हटा दी जाय यह दूसरी चीज है। अगर उन्होंने कहा कि फलां काम १५ दिन के अन्दर होना चाहिये तो इस सदन को तरमीम की हैसियत से पूरा अख्तियार है कि १५ दिन के बजाय १० दिन कर दिया जाय या २० दिन कर दिया जाय लेकिन यह कहना कि यह हटा ही दिया जाय, तरमीम नहीं है बल्कि उसकी मुखालफत है।

अब मैं इस सिलसिले में राय लेता चल रहा हूं। जो जनरल हैं उन्हें तो उसी जगह लूंगा और मैंने दफतर को भी हिदायत कर दी है कि जो कोई तरमीम ऐसी हो जो इस बुनियाद पर हो तो वह उसी जगह चढ़ा दी जाय ताकि वह बाद को ही ली जाय।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् ने जो संशोधन किया है कि धारा ३ के खंड ११ के उपखंड (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उद्यानीकरण" के स्थान पर शब्द "उद्यानकरण" रख दिया जाय उपखंड (२) के उपोपखंड (क) की तीसरी पंक्ति से शब्द 'उसके' निकाल दिया जाय और चौथी पंक्ति में शब्द "सम्बन्धित किसी के" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (ख) की पहली और तीसरी पंक्तियों में शब्द "लिए" के बाद एक एक अर्ध-विराम बढ़ा दिया जाय, उपखंड (२) के उपोपखंड (छ) की प्रथम पंक्ति से शब्द "किसी" निकाल दिया जाय और उसी उपोपखंड की पहली तथा तीसरी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "निर्माण" और शब्द "उसमें" के स्थान पर शब्द "निर्माणों" और "उनमें" रख दिये जायं, तथा खंड (११) के ही प्रतिबंधात्मक वाक्य की अन्तिम पंक्ति में शब्द "उन्नत" के स्थान पर शब्द "उन्नति" रख दिया जाय, इसको यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजकुंवार सिंह—मैं श्रीमान की आज्ञा से पेश करना चाहता हूं कि धारा ३ की खंड ११ (१) की पंक्ति ८ के शब्द "भी है" के बाद शब्द "मधुमक्खी पालन, अश्व पालन तथा वाराह-वृद्धि" जोड़ दिये जायं।

श्रीमान् जी, यह जो संशोधन है वह इम्प्रूवमेंट्स के बारे में है। आजकल जबकि मधुमक्खी-पालन और पशुपालन के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है तो कोई वजह नहीं समझ में आती कि इन चीजों को इनके साथ न जोड़ा जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस तरमीम के मानने में कोई एतराज न होता चूंकि हमारे कुंवर साहब को इन जानवरों में दिलचस्पी है मगर दिक्कत यह है कि यह तरमीम गलतफहमी पर मबनी है। धारा ३ की उपधारा (११) होल्डिंग के सम्बन्ध में है कि होल्डिंग के खाते के मुताल्लिक क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। मधु-मक्खी जमीन पर तो लगती नहीं गालिबन पेड़ों पर लगती है। खाते में इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक मधु-मक्खी से नहीं होता है। लेकिन घोड़ा और सुअर के बारे में आपकी ख्वाहिश है कि वह इसमें शामिल कर लिये जायें। परन्तु मैं समझता हूं कि वे शामिल हैं और राजा साजिद हुसैन साहेब जो अंग्रेजी जबान के माहिर हैं वह समझेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में ऐनिमल की डेफिनीशन दी है। मैं श्रीमान की आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूं। उसमें सिर्फ वही जानवर शामिल हैं जो दूध पिलाते हैं मुर्ग और मछली दूध नहीं पिलाते।

लोगों को शक था कि शायद मछली आयेगी नहीं लेकिन एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट में मछली वगैरह का काम चल रहा है लिहाजा इसको शामिल करने की जरूरत थी और इसीलिये इसको शामिल किया गया। सुअर और घोड़े पहले से शामिल हैं क्योंकि दूध पिलाते हैं। इस डेफिनिशन को पढ़ने के बाद शायद मैं समझता हूं कि यह शक रफा हो जायगा:—

'An animal may be defined as a livinig organism. the protoplasm of which does not secrete cellulose cell-wall and which requires for its existence proteid material obtained from the living or dead bodies of exitsting plants or animals. The common use of the word animal as the equivalent of mammal, as opposed to bird or reptile or fish, is erroneous."

("जानवर" की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है जानवर एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवरस से पेश्यात्मक पेशीभित्ति का क्षरण नहीं होता और जिसे अपने जीवन के लिये वर्तमान पौधों अथवा

[माननीय श्री हुकुमसिंह]

जानवरों के जीवित अथवा मृत शरीरों से प्राप्त होने वाली मांसवर्धक सामग्री की आवश्यकता होती ह । "जानवर" शब्द का स्तन्यपोषित प्राणी के लिये, उसे पक्षी, रेंगने वाले प्राणीवर्ग अथवा मत्स्य से भिन्न निर्दिष्ट करने के लिये जो व्यवहार होता है वह सम्भ्रान्त प्रयोग है।)

इसके पढ़ने से भी मुझे पता चला कि घोड़े और सुअर इसमें आजायेंगे और मधुमक्खी की तो जरूरत ही नहीं ह लिहाजा इस तरमीम की भी जरूरत नहीं थी और अगर जरूरत होती तो मैं अपने मित्र के शौक को पूरा करने के लिये तरमीम को जरूर मान लेता और इसमें मुझे कोई एतराज भी नहीं होता । चूंकि जरूरत नहीं है लिहाजा मैं इस तरमीम का मुखालिफत करता हूं।

श्री साजिद हुसैन--माननीय स्पीकर, अभी माननीय माल मंत्री ने एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में से कुछ टुकड़े पढ़ कर सुनाये। जहां तक कि इंगलिश लैंगुएज का ताल्लुक है, एन्साइ-क्लोपीडिया ब्रिटैनिका अथारिटी नहीं मानी गयी है। यह सिर्फ एक जेनेरल इन्फार्मेशन की किताब है। इसके चीफ एडीटर जे० एल० गार्विन ने स्टाफ की मदद से लोगों को जेनरल इन्फार्मेशन के लिये एक किताब तैयार कर दी है। इसके चौबिस वाल्यूम्स हैं, जो गुजिस्ता वाल्यूम्स का खुलासा है। रीसैंटली यह इन्तिजाम किया गया कि अब पूरे वाल्यूम्स नहीं छपते ह बल्कि इसके सिर्फ एडीशन्स ही छपते हैं। जहां तक इंगलिश लिटरेचर का ताल्लुक है, यह अथारिटी नहीं मानी जाती है और न मानी जा सकती है। यह एक जेनरल इन्फार्मेशन की किताब है और यह फाइनल अथारिटी इस मसले में नहीं समझी गई है। अगर ऐसा होता तो लोग एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका पढ़ लिया करते और उनको डिग्रियां मिल जातीं। इसमें जो इन्फार्मेशन्स दी हुई हैं वह बड़ी काफी और एक्सटेंसिव जरूर हैं इसको मैं मानता हूं लेकिन इसमें एडीशन्स आल्टरेशन्स और माडीफिकेशन्स होते रहते हैं। अगर कुछ दिन पहले का इसका रिकार्ड माननीय माल मंत्री जी देखें तो उनको अन्दाजा हो सकता है कि इसमें कितने एडीशन्स हो चुके हैं और कितने माडीफिकेशन बराबर जारी हैं।

माननीय अध्यक्ष--अब आप इस तरमीम पर भी कुछ फरमा दीजिये।

श्री साजिद हुसैन--मुझे यह कहना है कि जहां तक मैंने किताबों का मुताला किया है मैंने यह पाया है कि एनिमल किंगडम ह्यूमेन किंगडम से डिफ्रेंशिएट की गयी है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को एक क्लासीफिकेशन में एनिमल्स में शुमार किया गया है जैसा कि हमारे माननीय माल मंत्री जी को मालूम है कि जहां तक दूध पिलाने का ताल्लुक है इंसानों में भी यह रिवाज जारी है। और यह चीज अगर क्लासिफिकेशन में लाते हैं तो फिर शायद वह एनिमल हस्बेंडरी में इंसानों का पालन भी शुमार कर रहे हैं। क्या क्या इसके कांसिक्वेंसेज हो सकते हैं कहां तक यह चीज जाती है यह भी गौर तलब है। इधर से किताब उठा ली उधर से किताब उठा ली यह मुनासिब सूरत नहीं है। उनका ख्याल सिर्फ यह ह कि मैमल्स जो दूध पिलाने वाले एनिमल्स हैं ....

माननीय अध्यक्ष--आप काफी देर तक बोलेंगे?

श्री साजिद हुसैन--जी हां, मुझे काफी बोलना है।

माननीय अध्यक्ष--तो आप कल बोलियेगा अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

नत्थी "क"

(देखिये २७ दिसम्बर, १९५० के तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर)

Ch. Latafat Husain, M. L. A., P. S to Hon'ble Minister for Communications.	Chairman
Sri Mangla Prasad, M. L. A. (now Parliamentary Secy).	Members
Sri Raja Ram Arora, M. L. C.	
Sri Asrar Ahmad, M. L. A.	
Srimati Purnima Banerji, M. L. A.	
Sri Khushwaqt Rai, M. L. A.	
Sri E. M. Phillips, M. L. A.	
Sri Har Sahai Gupta, M. L. C.	
Sri Masooduzzaman, M. L. C.	
Sri Shanti Prapanna Sharma, M. L. A.	
Sri Sudama Prasad, M. L. A.	
Sri Shyam Lal Verma, M. L. A.	
Sri Sultan Alam Khan, M. L. A.	
Thakur Lal Singh, Government Estate Officer.	Secretary

नत्थी "ख"

(देखिए २७ दिसम्बर, १९५० के तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४ पर)

शिक्षा सन् १९४९-'५० में चालू इंडियन मेडिसिन बोर्ड से मान्य तथा संबद्ध कालेजों की सूची

क्रम संख्या	नाम संस्था	पाठ्यक्रम जिसके लिए मान्य वा संबद्धित है	विद्यार्थियों की संख्या	प्रादेशिक सरकार द्वारा व्यय	संस्था द्वारा व्यय	बन्द करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का सारांश
१	२	३	४	५	६	७
	(क) इंडियन मेडिसिन बोर्ड से मान्य संस्थाएं					
				रु०		
१	आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्व विद्यालय, बनारस	ए० एम० एस० षड्वर्षीय उपाधि	२९७	१,१०,०००		
२	आयुर्वेदिक कालिज, गुरुकुल कांगड़ी-विश्वविद्यालय, हरिद्वार	आयुर्वेदालंकार पंचवर्षीय उपाधि	५८	३७,०००		गुरुकुल अपनी उपाधि शिक्षा क्रम बन्द करदे तथा संस्था को बोर्ड से संबद्ध कर दिया जाय।

३	आयुर्वेदिक कालेज, गुरुकुल विश्व-विद्यालय, वृन्दावन	आयुर्वेद शिरोमणि साढ़े चार वर्षीय उपाधि	१३	१००	गुरुकुल अपनी उपाधि शिक्षा क्रम बन्द कर दे केवल द्विवर्षीय सहायक वैद्य शिक्षा क्रम चलावे।
	(ख) इंडियन मेडिसिन बोर्ड से संबद्ध संस्थाएं				
४	बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षाक्रम तथा द्विवर्षीय सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	२२७	४०,०००	
५	ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षा-क्रम	२००	४३,०००	
६	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार		१३७	२३,०००	
७	कान्यकुब्ज आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षा-क्रम तथा सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	१३१	३,५००	संस्था बन्द कर दी जावे।
८	मूलचन्द रस्तोगी आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षा-क्रम	५२	७,५००	वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा समाप्त करने के लिए केवल ४ वर्ष तक उपाधि शिक्षाक्रम की कक्षाएं चलाएं। सहायक वैद्य शिक्षा क्रम के लिए सम्बद्ध कर दिया जावे।

क्रम संख्या	नाम संस्था	पाठ्यक्रम जिसके लिये मान्य या संबद्धित है	विद्यार्थियों की संख्या	प्रादेशिक सरकार द्वारा व्यय	संस्था द्वारा व्यय	बन्द करने के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का सारांश
१	२	३	४	५	६	७
				रु०		
९	लेखराम आयुर्वेदिक कालेज डारली, मेरठ	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षाक्रम	४३	१०,०००		संस्था बन्द कर दी जावे।
१०	रामसहाय वैधक संस्कृत कालेज, मेरठ	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षा-क्रम की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा	४०			
११	दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, बनारस	बी० आई० एम० एस० उपाधि शिक्षा-क्रम	१०१	२,०००		संस्था बन्द कर दी जावे।
१२	अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, बनारस	उपाधि परीक्षा की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा तथा द्विवर्षीय गृहस्वास्थ्य विशारद शिक्षाक्रम	८१	५००		उपाधि परीक्षा की कक्षाएं बन्द कर दी जावें केवल गृ० स्वा० वि० शिक्षाक्रम चालू रहे।
१३	बलदेव आयुर्वद विद्यालय बड़गांव, बनारस	उपाधि परीक्षा की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा तथा सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	५३			उपाधि परीक्षा की कक्षाएं बन्द कर दी जावें केवल सहायक वैद्य शिक्षा-क्रम की कक्षाएं चालू रहें।

१४	आयुर्वेद सदन, हरबटपुर, देहरादून	उपाधि परीक्षा की प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा तथा गृ० स्वा० वि० व सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	१०९	५००	उपाधि व शिक्षा-क्रम को तथा सहायक वैद्य शिक्षाक्रम की कक्षाएं बन्द कर दी जावें।
१५	श्री सावित्री देवी लक्ष्मीनारायण संस्कृत आयु० कालेज, फर्रुखाबाद	उपाधि परीक्षा की प्रथम व द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा तथा सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	३०	५००	उपाधि परीक्षा की कक्षाएं बन्द कर दी जावें केवल सहायक वैद्य शिक्षा-क्रम की कक्षाएं चालू रहें।
१६	गांधी आयुर्वेद विद्यालय, हरदोई	सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	संस्था ने सूचना नहीं दी।		संस्था के अधिकारियों ने स्वयं ही १९५०-५१ से संस्था बन्द कर दी है।
१७	उत्तराखंड विद्यापीठ, विद्यालय गुप्त-काशी, गढ़वाल	उपाधि परीक्षा की प्रथम व्यावसायिक परीक्षा तथा सहायक वैद्य शिक्षा-क्रम	२०	७,०००	उपाधि परीक्षा की कक्षाएं बन्द कर दी जावें केवल सहायक वैद्य शिक्षा क्रम की कक्षाएं चालू रहें।
१८	ब्रजभूषण सरस्वती आयुर्वेद विद्यालय, कानपुर	सहायक वैद्य शिक्षाक्रम			संस्था बन्द कर दी जावे।

क्रम संख्या	नाम संख्या	पाठ्यक्रम जिसके लिये मान्य वा संबद्धित है	विद्यार्थियों की संख्या	प्रादेशिक सरकार द्वारा व्यय	संख्या द्वारा व्यय	बन्द करने के संबध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश का सारांश
१	२	३	४	५	६	७
१९	नरेन्द्र विद्यामन्दिर करावली, आगरा	सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	७			संस्था बन्द कर दी जावे।
२०	जगदम्बा आयुर्वेद विद्यालय, बनारस	गृहस्वास्थ्य विशारद तथा सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	८			इस संस्था के विषय में बोर्ड ने समिति को देर से सूचना दी, अभी इसके विषय में कोई सिफारिश नहीं की गई है।
२१	द्विवेदी आयुर्वेद विद्यालय, कानपुर	सहायक वैद्य शिक्षाक्रम	९			संस्था बन्द कर दी जावे।

नत्थी "ग"

[देखिए २७ दिसम्बर, १९५० के तारांकित प्रश्न ६६ (९५) का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५ पर]

जिले का नाम	कर जो लगाया गया			कर जो वसूल हुआ			अन्य विवरण
१	२			३			४
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
देहरादून ..	९४,७५६	०	०	२७,२४०	७	६	
सहारनपुर ..	४,८७,०००	०	०	५१,०७४	०	०	
मुजफ्फरनगर ..	४,१५,२००	०	०	२२,०००	०	०	
मेरठ ..	६,४३,७१७	०	०	६२,५७४	०	०	
बुलन्दशहर	२,१३,३९९	०	०	१४,११४	०	०	
अलीगढ़ ..	४,३८,७९३	१०	७	८७,२४७	११	९	
मथुरा ..	३,६६,९४५	०	०	८४,५०२	०	०	
आगरा ..	३,७३,०९८	०	०	१५,७७२	०	०	
मैनपुरी ..	२,०२,९८४	११	५	१२,६९०	११	३	एक निरीक्षक क्षेत्र की सूचना सम्मिलित नहीं है।
एटा ..	३,६३,०७६	१३	६	५३,५४६	०	१०	
बरेली ..	३,५६,११२	१४	६	४१,८७१	१३	३	
बिजनौर ..	४,४२,२४७	०	०	१४,८७८	०	०	
बदायूं ..	५,००,७५८	८	८	वसूल नहीं हो सका।			कर सूची प्रधान जिला बोर्ड ने स्वीकृत कर के देर में भेजी इस कारण वसूली नहीं हुई।

जिले का नाम		कर जो लगाया गया			कर जो वसूल हुआ			अन्य विवरण
१		२			३			४
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
मुरादाबाद	..	२,०५,०००	०	०	२३,६८३	०	०	
शाहजहांपुर	..	३,२०,१८२	४	५	११,८६०	६	३	
पीलीभीत	..	१,४८,४३९	०	०	१२,७८५	०	०	
फर्रुखाबाद	..	३,९६,९२६	११	०	७,५४४	१	६	दो सर्किल की सूचना वसूली में नहीं है।
इटावा	..	३,०३,६४४	४	३	१,११,८०८	६	५	
कानपुर	..	२,७०,०००	०	०	३०,०००	०	०	
फतेहपुर	..	२,२८,६११	४	०	३७,२३०	८	३	
इलाहबाद	..	१,२७,२५३	४	३	१४,७१९	४	९	
बांदा	..	२,२१,२३९	०	०	२१,५२०	०	०	
हमीरपुर	..	८४,३२०	०	०	६,५४०	०	०	
झांसी	..	१,२१,६०५	११	६	२०,५९२	५	१०	
जालौन	..	२,५५,२८६	०	०	७,०००	०	१०	
बनारस	..	३,२५,४८५	०	०	२०,७४५	०	०	
मिर्जापुर	..	१,१२,२१६	१४	०	२१,९२९	१०	७	
जौनपुर	..	कर निर्धारण सूची स्वीकृत नहीं हुई। कारण प्रधान जिला बोर्ड ने सूची देर में स्वीकृत कर के भेजी।						
गाजीपुर	..	२,३१,३१८	७	०	८,७३९	४	७	
बलिया	..	२,८४,३८८	८	०	१५,४९६	१२	०	
गोरखपुर	..	३,९८,६४५	१२	०	३९,३६२	७	०	
बस्ती	..	२,९७,१८१	०	०	१,४८,०७०	०	०	

जिला का नाम	कर जो लगाया गया			कर जो वसूल हुआ			अन्य विवरण
१	२			३			४
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	
आजमगढ ..	२,२३,०१८	९	१०	२०,७९२	४	६	
देवरिय ..	३,५५,३३७	३	३	३८,३१८	०	३	
नैनीताल .	५,९५७	८	०	२६,०११	१४	६	
अल्मोड़ा ..	३,०४५	०	०	५००	०	०	
गढ़वाल ..	२,३६५	०	०	९००	०	०	
लखनऊ ..	१,८०,३३३	११	६	२१,५०३	१	०	
उन्नाव ..	२,०१,०४४	१२	०	२३,२९५	७	३	
रायबरेली ..	२,४३,९७७	१५	६	४६,९१०	६	०	
सीतापुर ..	३,६८,३६६	०	०	१,२२,१०५	०	०	
हरदोई ..	३,१४,२५७	०	०	४२,९४७	०	०	
खीरी ..	३,८१,४२८	६	०	३८,०५४	१	६	
फैजाबाद .	३,५१,०५०	०	०	४०,९२८	०	०	
गोंडा ..	३,१५,४०३	०	०	१,०६,६४८	०	०	
बहराइच ..	३,२५,६१०	१	०	१७,२८०	११	३	
सुल्तानपुर ..	३,२५,०९७	१५	६	३४,७४५	१५	३	
प्रतापगढ़ ..	२,०१,१९५	०	०	..			जिलाधीश ने कुछ नहीं लिखा है।
बाराबंकी ..	५,४७,८७६	११	६	७१,६७३	१४	३	
योग ..	१,३२,७६,२००	६	२	१७,७०,७५१	०	१०	

पी० एस० यू० पी०—२०५ एल० ए०—१९५१—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष श्री नफ़ीसुल हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६२)

अचल सिंह, श्री
अजित प्रताप सिंह, श्री
अब्दुल ग़नी अन्सारी, श्री
अब्दुल मजीद, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अब्दुल वाजिद, श्रीमती
अब्दुल हमीद, श्री
अम्मार अहमद खां, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अल्फ्रेड धर्मदास, श्री
अक्षयबर सिंह, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम, श्री
ईतिजा हुसन, श्री
इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री
इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती
ई० एम० फिलिप्स, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
करीमुर्रजा खां, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुशलानन्द गैरोला, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
खुशवक्त राय, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगासहाय चौबे, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, माननीय श्री
गुरुनारायण, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम, श्री
छेदालाल गुप्त, श्री
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जफर अहमद, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, श्री
जहूर अहमद, श्री
जाहिद हसन, श्री
जुगल किशोर, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु अवस्थी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री

दीप नारायण वर्मा, श्री
नवाजिश अली खां, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री
परागीलाल, श्री
पूर्णमासी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रयाग नारायण, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बशीर अहमद अन्सारी, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजमोहनलाल शास्त्री, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
भगवानदीन, श्री
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मसुरियादीन, श्री
महफूजुर्रहमान, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
मिजाजीलाल, श्री
मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री
मुख्तार अहमद किदवाई, श्री
मुज़फ्फर हुसैन, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद इस्माईल, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शरवानी, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद रजा खां, श्री
मुहम्मद शकूर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
राजकुंवार सिंह, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृपाल सिंह, श्री
रामचन्द्र पालीवाल, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामनारायण, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामशंकर लाल, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लताफत हुसेन, श्री
लाखन दास जाटव, श्री
लालबहादुर, माननीय श्री
लालबिहारी टंडन, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोटनराम, श्री
विद्याधर वाजपेयी, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय कुमार मुकर्जी, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरबल सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री
शंकर दत्त शर्मा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द सिंघल, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सरवत हुसैन, श्री
साजिद हुसैन, श्री

सिंहासन सिंह, श्री
सीताराम अष्ठाना, श्री
सैयद जाकिर अली, श्री
सुदामा प्रसाद, श्री
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सईद अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हर गोविन्द पन्त, श्री
हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, सन् १९५० ई०

[२७ दिसम्बर, सन् १९५० ई० के स्थगित प्रश्न]

(दूसरे दिन के लिए निर्धारित)

तारांकित प्रश्न

*९३—श्री गुरुनारायण—[स्थगित किया गया।]

[२७ दिसम्बर, सन् १९५० ई० के स्थगित प्रश्न]

(चौथे दिन के लिये निर्धारित)

तारांकित प्रश्न

एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में अपीलें

*१—श्री गुरुनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में कुल प्रान्त भर की अपीलें केवल लखनऊ में ही दायर की जाती हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह (माल मंत्री)—एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में अपीलें केवल लखनऊ में ही नहीं बल्कि जिलों में भी दायर की जाती हैं और रजिस्ट्री द्वारा भी भेजी जा सकती हैं।

श्री गुरुनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि प्रान्त भर की अपीलों के लिये हर जिले से आने-जाने में जनता को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है और अधिक व्यय होता है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुकद्दमे में तो जरूर परेशानी उठानी पड़ती है।

*१०—श्री गुरुनारायण—क्या केवल एक ही आफिसर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की अपीलों को सुनने के लिए नियुक्त किया गया है?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*११—श्री गुरुनारायण—एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की कितनी अपीलें अब तक इस प्रान्त में दायर हुई हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—३० सितम्बर, १९५० ई० तक १८५९ अपीलें दायर की गई हैं।

*१२—श्री गुरुनारायण—एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की कितनी अपीलें अब तक निर्णय की जा चुकी हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—९७३ अपीलें अब तक निर्णय की जा चुकी हैं।

*१३—श्री गुरुनारायण—कितनी एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की अपीलें जिलों में निर्णयार्थ फिर वापस भेजी गयी हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—२६० अपीलें जिलों में फिर से कर निर्धारित करने के लिए भेजी गयी हैं।

[बृहस्पतिवार, २८ दिसम्बर, सन् १९५० ई० के प्रश्न]

(पांचवें दिन के लिये निर्धारित)

तारांकित प्रश्न

*१—५—श्री मुहम्मद असरार अहमद—[माननीय शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति के कारण २ जनवरी, १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य की जेलों में हवालाती

*६—श्री गुरुनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त की जेलों में कुल कितने हवालाती हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल (मादक कर मंत्री)—पहली अक्तूबर, सन् १९५० को उत्तर प्रदेश की जेलों में हवालाती कैदियों की संख्या १३,२९९ थी।

*७—श्री गुरुनारायण—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस प्रान्त की जेलों में जो हवालाती हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो ६ हफ्ते से जायद जेलों में रह चुके हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल—ऐसे हवालाती जो ६ सप्ताह से अधिक जेल में रह चुके थे केवल ६,४९३ थे।

श्री गुरुनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि छः सप्ताह से अधिक क्यों इतनी तादाद में कैदी रखे गये जब कि छः हफ्ते के अन्दर फैसला हो जाना चाहिये?

माननीय श्री गिरधारी लाल—रखे तो गये मगर मजबूरन।

श्री गुरुनारायण—आधे से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जिनका फैसला नहीं हुआ है और छः हफ्ते से ज्यादा हो गये हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुकद्दमों के होने में देरी हुई इसलिये रहना पड़ा।

श्री ऐजाज़ रसूल—क्या गवर्नमेंट कोई इन्तजाम करेगी कि मुकद्दमे जल्द से जल्द फैसल हो सकें?

माननीय श्री हुकुम सिंह—कर रही है।

कोर्ट फी स्टैम्प्स व रजिस्ट्रेशन से सरकारी आय

*८—श्री गुरुनारायण—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कब कोर्ट फीस स्टैम्प्स व रजिस्ट्रेशन फीस की दर बढ़ायी गयी थी?

माननीय श्री गिरधारी लाल—(१) कोर्ट फीस, कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० (१८७० ई० के ऐक्ट सं० ७) द्वारा निर्धारित कोर्ट फीस, उत्तर प्रदेश में १९४३ ई० के ऐक्ट संख्या ८ द्वारा २५ प्रतिशत सरचार्ज लगा कर १९४३ ई० में पिछली बार बढ़ायी गयी थी। बढ़ाई हुई दरें १९४८ ई० के यू० पी० ऐक्ट संख्या १४ द्वारा स्थायी कर दी गयीं।

(२) स्टाम्प ड्यूटी—इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ (१८९९ ई० के ऐक्ट सं० २) द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पिछली बार उत्तर प्रदेश में १९४३ ई० के ऐक्ट सं० ९ द्वारा २५ प्रतिशत सरचार्ज लगा कर १९४३ ई० में बढ़ायी गयी थी। बढ़ायी हुई दरें १९४८ ई० के यू० पी० ऐक्ट सं० १७ द्वारा स्थायी कर दी गयीं।

(३) फीस रजिस्ट्री—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ ई० के ऐक्ट सं० १६) की धारा ७८ के अधीन निर्धारित फीस रजिस्ट्री की दरें उत्तर प्रदेश में पिछली बार पहली जनवरी, १९४८ ई० से बढ़ायी गयी थीं।

श्री गुरु नारायण—क्या सरकार उस २५ प्रतिशत को जो कोर्ट फीस और स्टाम्प ड्यूटीज के सम्बन्ध में बढ़ाया गया है जनता की आर्थिक दशा खराब होने के कारण कम करने का विचार कर रही है?

माननीय श्री गिरधारी लाल—नहीं।

श्री गुरु नारायण—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इंगलैण्ड और अमरीका में जो कोर्ट फीस की दर हैं वह यहां के दर से कितनी ज्यादा हैं?

माननीय श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है।

*९—श्री गुरुनारायण—क्या सरकार कोर्ट फीस, स्टैम्प्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस से जो आय हुई उसके आंकड़े अलग-अलग पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक साल के पृथक्-पृथक् बतलाने की कृपा करेगी?

माननीय श्री गिरधारी लाल—(१) पिछले ५ वर्षों में कोर्टफीस से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है:—

सन्	रु०
१९४५	१,५९,७१,५२२
१९४६	१,५८,१४,३३३
१९४७	१,४४,५७,९२३
१९४८	१,४९,३१,५०४
१९४९	१,६५,२४,३५५

(२) पिछले ५ वर्षों में स्टाम्प ड्यूटी से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है :—

सन्			रु०
१९४५	..	..	५४,११,४५९
१९४६	..	..	५८,५२,२३८
१९४७	..	..	७१,३२,५७१
१९४८	..	..	६९,७७,६४५
१९४९	..	..	६९,५१,५२५

(३) पिछले ५ वर्षों में फीस रजिस्ट्री से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है :—

सन्			रु०
१९४५–४६	..	..	१५,४०,१७१
१९४६–४७	..	..	१६,१२,७७५
१९४७–४८	..	.	१७,६७,९१७
१९४८–४९	..	..	२४,४९,६३७
१९४९–५०	..	..	२२,०७,७३१

*१०—१३—श्री खुशवक्त राय—[स्थगित किये गये ।]

*१४—१७—श्री बनारसी दास—[स्थगित किये गये ।]

*१८—१९—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—[२ जनवरी, १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये ।]

[illegible]

*२०—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि डिप्टी कलेक्टरों से जुडीशियल काम निकाल लेने के उपरान्त अब तक जिलों में उनकी तादाद क्यों नहीं कम की गयी ?

श्री चरण सिंह—(माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव)—पुनस्संगठन (रिआर्गेनाइजेशन) की समस्या सरकार के विचाराधीन है। इस बीच डिप्टी कलेक्टरों के स्वीकृत कैडर में ३५ तथा जुडीशियल आफिसरों के स्वीकृत कैडर में १५ जगहें भरी नहीं गयी हैं। एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी के पृथक्करण की योजना अभी तक १८ जिलों में लागू की गयी है और उन जिलों में डिप्टी कलेक्टरों द्वारा किये गये मुकद्दमों की तादाद में कमी हो गयी है। परन्तु इन जिलों में भी द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों द्वारा किये गये मुकद्दमों की अपीलें सुनने तथा फौजदारी व माल के विशेष मुकद्दमों के फैसलों के लिये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने पड़े हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

माननीय श्री हुकुम सिंह—जब तक कतई तौर से तय न हो जाय।

अन्नोत्पादन में उन्नति

*२१—श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार कृपा कर के यह बताएगी कि इस समय तक इस राज्य ने अन्न के मामले में कितनी उन्नति की है, और क्या अब यह अपने राज्य के उत्पादन पर निर्भर रह सकता है?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी (कृषि मंत्री)—इस राज्य में पिछले २ सालों में 'अन्न उपजाओ' आन्दोलन के संबंध में जितना काम हो चुका है उससे लगभग २,४९४४० टन ज्यादा अन्न पैदा होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यह राज्य अन्न के संबंध में अभी तक इस काबिल नहीं हो सका है कि अपनी उपज पर निर्भर रह सके।

खटिक जाति का परिगणित जातियों से पृथक्करण

*२२—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह पता है कि खटिक जाति परिगणित जातियों की सूची में से निकाल दी गयी है?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*२३—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खटिक सभा और उस जाति के बहुत से लोगों ने अपनी जाति को परिगणित जाति में ही रखने के लिए सरकार के पास प्रार्थना-पत्र दिए हैं?

श्री चरण सिंह—खटिकों की ओर से अपनी जाति को परिगणित जातियों में शामिल रखने के लिए भी प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं और परिगणित जातियों की सूची में से निकाल देने के लिए भी अनेक प्रार्थना-पत्र मिले थे और अब भी मिले हैं।

*२४—श्री गजाधर प्रसाद—सरकार ने उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या विचार किया है?

श्री चरण सिंह—सरकार खटिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर फिर से विचार कर रही है जिससे यह निर्णय हो सके कि इस जाति को हरिजनों की साधारण असुविधाएं हैं या नहीं और उनको परिगणित जातियों में शामिल करना जरूरी है अथवा नहीं।

श्री गजाधर प्रसाद—जो जांच सरकार कर रही है वह केवल शहरों में कर रही है या देहातों में भी?

श्री चरण सिंह—ज्यादातर देहातों में।

रामपुर जेल के हवालाती

*२५—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जेल में इस समय कितने हवालाती हैं?

माननीय श्री गिरधारी लाल—अक्तूबर सन् १९५० ई० को रामपुर जेल में १२७ हवालाती थे।

*२६—श्री कृष्णशरण आर्य—क्या सरकार इन सब हवालातियों की एक सूची, उनकी जेल में प्रवेश तिथि, उनके विरुद्ध आरोपित दोष तथा उनके संबंध में अब तक न्यायालय से निर्णय न होने के कारणों सहित देने की कृपा करेगी?

माननीय श्री गिरधारी लाल--एक †सूची मेज पर रक्खी गयी है जिसमें हवालातियों के नाम, उनकी जेल में प्रवेश तिथि और उनके विरुद्ध आरोपित दोष दिए हुए हैं। उनके मुकद्दमे में देर होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:--

१--मैजिस्ट्रेटों की बदली,

२--गवाहों का देर में मिलना,

३--सहायक अपराधियों को दूसरी जेलों से बुलाना।

श्री कृष्णशरण आर्य--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिटी मैजिस्ट्रेट और एस० डी० एम०, मिलक, की अदालतों में आठ-आठ महीने से ज्यादा के हवालाती मुकद्दमे क्यों पड़े हुए है?

माननीय श्री हुकुम सिंह--यह महज इत्तिफाक की बात है।

बलिया के व्यापारियों को लोहे के लाइसेन्स

*२७--श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि बलिया में कितने व्यापारियों को लोहे के लाइसेंस दिए गए हैं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)--१९।

*२८--श्री खुशवक्त राय--इनमें कितने पुराने व्यापारी हैं और कितने नए?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--१५ पुराने व्यापारी और ४ नए।

*२९--श्री खुशवक्तराय--क्या यह सच है कि किसी व्यापारी को ३२ टन का कोटा मिलता है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

*३०--श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि बलिया में उस व्यापारी का न तो कोई लोहे का कारखाना है और न कोई दूकान ही है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह प्रश्न उठता ही नहीं।

*३१--श्री खुशवक्त राय--क्या यह सच है कि कुछ ऐसे व्यापारियों को लोहे का लाइसेंस दिया गया है, जिन्होंने कभी लोहे का काम नहीं किया है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। ४ व्यापारियों को जिन्हों ने पहिले लोहे का काम नहीं किया था, राजनीतिक पीड़ित होने के कारण लाइसेंस दिया गया है।

हरिजनों के लिए सुरक्षित नौकरियों में प्रतिशत भर्ती

*३२--श्री गजाधर प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के लिए सुरक्षित नौकरियों के कोटा में अब तक की भर्ती में कितने प्रतिशत हरिजन भर्ती किए जा चुके हैं?

श्री चरण सिंह--अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए नौकरियों के सुरक्षित कोटे में अब तक की गयी भर्ती का ठीक-ठीक प्रतिशत बताना कठिन है। इस मामले में सरकार अपने उत्तरदायित्व को भलीभांति समझती है और कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कार्य क्षमता बनी रहे। इस बात का ध्यान रखते हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को पूरे १० प्रतिशत तक की जगह दी जाय, जो कि उनके लिए नौकरियों में सुरक्षित रक्खी गयी हैं।

---

†सूची छापी नहीं गई।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत, जौनपुर जिले में सीमेंट

*३३--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले में अभी तक कितना सीमेंट पड़ा है, जो वितरित नहीं हुआ है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--१ अक्तूबर सन् १९५० ई० को ५७२.५ टन सीमेंट जौनपुर जिले में स्टाक में था, जिसको जरूरत से ज्यादा एलान कर दिया गया है।

*३४--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--सीमेंट का इस समय बाजार रेट क्या है और जो सीमेंट उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार के पास पड़ा है, उसका रेट क्या है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--जौनपुर के जिले में आजकल देशी सीमेंट कंट्रोल के भाव पर ४ रु० १४ आ० ६ पा० फी बोरे (१ हन्डरवेट) के हिसाब से बिक रहा है। महकमे की सीमेंट का भाव सभी केन्द्रों पर ५ रु० १२ आ० फी बोरा था।

*३५--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार को पता है कि उक्त सीमेंट बरसात के कारण खराब हो रहा है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--अभी तक तो जिला जौनपुर से सीमेंट के बोरों के खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

*३६--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--सरकार उक्त सीमेंट को बेचवाने का कौन सा प्रबंध कर रही है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--सीमेंट का सरप्लस स्टाक जौनपुर के जिलाधीश के अधीन कर दिया गया है, जिसको कि बिना किसी रोक के जनता के हाथ कन्ट्रोल भाव पर बेचा जा रहा है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या जो सीमेंट स्टाक में ज्यादा था वह कब से बेचा जा रहा ह और कंट्रोल के भाव पर पहले से क्यों नहीं बेचा गया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--इस जिले में ख्याल यह था कि ८०० कुओं का टार्गेट पूरा होगा। इसलिए सीमेंट का इतना स्टाक रखा गया। किसानों से दरख्वास्तें मांगी गयीं, लेकिन बहुत कम दरख्वास्तें आयीं। इसलिए यह स्टाक पड़ा रहा और दरख्वास्तों के आने के इंतजार में दूसरा इंतजाम नहीं किया गया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या यह सही है कि पहले सीमेंट ५ रुपए १२ आने के भाव से बेचा गया और जब नहीं बिका तो ४ रु० १२ आने के हिसाब से बेचा गया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--गालिबन ऐसा ही हुआ होगा।

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि इस जिले म जरूरत से ज्यादा किस तरह और क्यों इतना सीमेंट एलाट कर दिया गया ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--मैंने अर्ज किया कि ८०० कुओं की दरख्वास्तों की उम्मीद की जाती थी, लेकिन उसकी जगह ३०० दरख्वास्तें ही मिली।

*३७--श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार बताएगी कि जौनपुर के गोदाम से हाल ही में जो एक सौ बोरा सीमेंट चोरी हो गया ह उसके सिलसिले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है ?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--कुल सीमेंट के ८० बोरे चोरी गए थे ज्यों ही सीनियर मेकेनिकल इंस्पेक्टर को इस चोरी का पता लगा उसने फौरन ही इसकी रिपोर्ट जिलाधीश को दे दी थी। अब मामला जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--जो ८० बोरे सीमेंट के चोरी गए उनके बारे में किस-किस के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट की गई?

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी--मामला जेर तहकीकात है।

लालगंज, जिला राय बरेली में शकर के जाली परमिट

*३८--श्री श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या यह सच है कि लालगंज, जिला रायबरेली में १७ अगस्त को जिला सप्लाई आफिसर जांच करने गए थे?

माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त--जी हां।

*३९--श्री श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या यह सच है कि उन्होंने शकर के २७ परमिट जाली पकड़े?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां। उन २७ परमिटों के जाली होने का शुबहा है।

*४०--श्री श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ये परमिट किसके नाम से जारी हुए थे?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--एक अनुसूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२४ पर)

*४१--श्री श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि जिन सज्जनों के यह जाली परमिट पकड़े गए, उनके विरोध में क्या कार्रवाई की गयी?

*४२--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन जाली परमिटों के जो प्रार्थना-पत्र आए थे उन पर किनकी सिफारिशें थीं?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन सब मामलों पर जांच की जा रही है और उन व्यक्तियों का शक्कर का कोटा मुअत्तिल कर दिया गया है। यह परमिट हिन्दू-मुस्लिम हलवाई संघ द्वारा दिए गए थे और उन पर न कोई प्रार्थना-पत्र थे न किसी की सिफारिश थी।

श्री श्यामसुन्दर शुक्ल--क्या सरकार कृपा कर बतलाएगी कि यह जांच कब तक पूरी होने की आशा है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त-- जांच शीघ्र ही खत्म हो जायगी।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी जांचों में इतनी देर क्यों लगती है?

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस जांच में इतनी देर इस कारण से हुई है कि यह परमिट हिन्दू-मुस्लिम कान्फक्शनर्स एसोसिएशन ने काटे थे। इस एसोसिएशन को जो माल दिया जाता था वह सारे जिले का माल होता था और इन कान्फक्शनर्स की संख्या अधिक है। जिलाधीश ने उन व्यक्तियों का कोटा काट दिया, जिन्हें उन्होंने जाली समझा और बाद में यह तय किया कि परमिट काटने का अधिकार संघ से हटा लिया जाय और इस बात की इंक्वायरी की जाय कि किस आदमी का दोष था जाली परमिट जारी करने में। इसके बारे में कई व्यक्तियों से जानकारी हासिल करना है, उसके बाद सरकार को रिपोर्ट पेश की जायगी और इसी वजह से देरी हुई है।

एटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में पूछताछ

*४३—श्री चेतराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एटा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के गत चुनाव में एटा चुनाव-क्षेत्र से कौन सज्जन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य चुने गय थे?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर (स्वशासन मंत्री)—श्री महेन्द्र सिंह पचौरी व श्री श्यामलाल नागर चुने गये थे।

*४४—श्री चेतराम—क्या यह सच है कि उक्त चुनाव में सकीट चुनाव-क्षेत्र की मतदाता सूची भारतीय प्रेस, एटा में छपी थी?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—जी हां।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस भारतीय प्रेस के प्रोपराइटर कौन साहब हैं?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*४५—श्री चेतराम—क्या सरकार के पास यह शिकायत भेजी गई थी कि उक्त छपाई के समय मतदाता सूची में कुछ अवैधानिकरूप से परिवर्तन कर दिया गया था?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर—इस संबन्ध में एक प्रार्थना-पत्र शहर कोतवाल को दिया गया था।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रिपोर्ट कोतवाल साहब के पास आई थी उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई?

माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर— उसके ऊपर जांच की गई और वह रिपोर्ट गलत पाई गई।

*४६-५०—श्री गोपाल नारायण सक्सेना—[माननीय पुलिस मंत्री की अनुपस्थिति के कारण तारीख २ जनवरी, सन् १९५१ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

सन् १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक (क्रमागत)

धारा ३ *

माननीय अध्यक्ष—अब जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक पर जो संशोधन विधान परिषद् ने किये हैं उन पर विचार जारी रहेगा। कल श्री साजिद हुसैन एक संशोधन पर बोल रहे थे, वह मेहरबानी करके उसे जारी रखें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैं श्रीमान् की आज्ञा से एक बात कह देना चाहता हूं ताकि बहस मुख्तसर हो जाय। एनीमल्स में घोड़ा और सुअर दोनों आते हैं। मैं इसे कंसीड करता हूं।

श्री साजिद हुसैन—मेरा ख्याल यह है, माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कुछ कल कहा था उसके मुताल्लिक़ लोगों को गलतफहमी हुई। चुनान्चे प्रेस में जो रिपोर्ट आई है वह गलतफहमी पर मबनी है और जब प्रेस के ऐसे एलर्ट रिपोर्टर हों गलतफहमी में पड़ सकते हैं तो यह इमकान है कि माननीय माल मंत्री और अन्य सदस्य गलती में पड़ सकते हैं, मेरे मुताल्लिक़ यह कहा गया कि मैंने कहा कि फिश और फाउल एनीमल्स में शामिल नहीं हैं। लेकिन ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने जो कुछ कहा·· ...

माननीय श्री हुकुम सिंह—जो तरमीम जेरे बहस है उसका फिश और फाउल से कोई संबंध नहीं है। सवाल मधुमक्खी, घोड़े और सुअर का है। अगर मेरे दोस्त अपनी तकरीर से अखबार का करेक्शन करना चाहते हैं तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि फिश और फाउल का तरमीम से कोई संबंध नहीं।

*धारा ३ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन २७ दिसम्बर, १९५० की कार्यवाही में छपे हैं।

माननीय अध्यक्ष--यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य इसी तरमीम पर अपनी तकरीर महदूद रखें।

श्री साजिद हुसैन--माननीय मंत्री ने अपने आर्ग्युमेंट का सपोर्ट एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से हासिल किया। बहरहाल जो उनका बेसिस था वह यह था। मैं आपकी आज्ञा से उसका एक एक पोर्शन पढ़ना चाहता हूं।

"Animal, a term first used to denote a living thing, but now used to designate one branch of living things as opposed to the other branch known as plants. Until the discovry of protoplasm, and the series of investigations by which it was established that the cell was a fundamentally structure essentially alike in both animals and plan s, there was a vague belief that plants, if they could really be regarded as animated creatures, exhibited at the most a lower grade of life."

(जानवर--पहले इस शब्द का प्रयोग प्राणयुक्त वस्तुओं का द्योतक करने के लिये होता था, परन्तु अब इसका प्रयोग प्राणयुक्त वस्तुओं के एक वर्ग के अभिधान में होता है ताकि उसका उस अन्यतर वर्ग से विभिन्नत्व निर्दिष्ट हो जाय, जिसे पौधा कहते हैं। जब तक जीवरस का आविष्कार नहीं हुआ था और वे अनुसन्धान भी नहीं हुये थे, जिनके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि भित्ति मूलतः एक ऐसी निर्मिति है जो पौधों और जानवरों में समान रूप से विद्यमान है, ऐसा कुछ विश्वास था कि पौधों को यदि प्राणयुक्त जन्तु समझा भी जाय तो उनमें अधिक से अधिक एक निम्नतर श्रेणी के जीवन की अभिव्यक्ति होती है।)

माननीय अध्यक्ष--मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य इस तरमीम से दूर जा रहे हैं। जो बात वह कह रहे हैं उसके लिये उनको दूसरा मौका मिलेगा। मैंने कल कहा था उस वक्त माननीय सदस्य को बोलने का मौका होगा लेकिन इस वक्त जो तरमीम पेश है वह उसी पर रहें। अब अगर आज अखबार ने कुछ कहा है तो उसको दुरुस्त करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। जब मौका सही हो तब ऐसा किया जाय।

श्री साजिद हुसैन--मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मधुमक्खी का नाम खसूसियत से एनीमल हस्बैन्डरी के अलावा मेन्शन किया जा सकता है तो यह जो नाम जानवरों के माननीय राजकुंवार जी ने दिये हैं इनको भी उसके साथ आना चाहिये। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं कि लफ्ज एनीमल इन तमाम चीजों को कवर करता है और अगर इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के बाद वजाहत की जरूरत है, लिस्ट देने की जरूरत है तो यह नाम भी उसके साथ होना चाहिये क्योंकि अगर यह नाम नहीं आते हैं तो यह जरूरी नहीं समझा जायगा कि वह इसमें शामिल है। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री को एक हद तक गलतफहमी हुई कि वह इसको शामिल करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसमें दो नाम सजेस्ट किये गये हैं और इनको वह शामिल करने के लिये तैयार नहीं हैं। मछली और मुर्गी को वह शामिल करना चाहते हैं। अब इसके मुताल्लिक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि अगर यह लफ्ज एनीमल इस्तेमाल किया जाय तो यह चीज कोई भी शामिल नहीं होनी चाहिये और अगर शामिल है तो यह चीज भी जरूरी तौर पर शामिल है। लिहाजा इसके लिये जरूरी है कि हम समझें कि लफ्ज एनीमल क्या है अगर . . . .

माननीय अध्यक्ष--मैं आपको इसके मुताल्लिक पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री साजिद हुसैन--तो क्या मैं यह समझूं कि .. .. ..

माननीय अध्यक्ष--इस बिल में जो संशोधन है वह आगे आने वाले हैं। उस वक्त आपको मौका मिलेगा कि इन बातों को कहें।

श्री साजिद हुसैन—मुझे हिन्दी का ज्यादा इल्म नहीं है जिससे मैं उन तमाम बातों को समझ सकूं....।

माननीय अध्यक्ष—मैंने कहा कि वह जनरल तरमीमों की लिस्ट, जिसमें २१-२२ तरमीमें हैं वह सब से आखीर में मैं लूंगा। उसमें जब एनीमल की तारीफ आयेगी उस वक्त माननीय सदस्य बोल सकते हैं। इस वक्त तो महज यह है कि इसमें यह शब्द बढ़ा दिये जायं या नहीं और उसके लिये ही आप इस वक्त खड़े हुये हैं कि वह बढ़ा दिये जायं या नहीं।

श्री साजिद हुसैन—बहुत अच्छा। तो मैं उस वक्त ही इस पर बोलूंगा।

श्री गोपाल नारायण सक्सेना—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें हिस्सा तो नहीं लेना चाहता था लेकिन चूंकि मधुमक्खी का इसमें जिकर आ गया कि वह भी मजीद इसमें जोड़ दिया जाय। इसलिये बोलना जरूरी हो गया है। मैं भी इसके मुताल्लिक कुछ काम करता रहता हूं और मैं समझता हूं कि मधुमक्खी से भी काफी फायदा फूड के बढ़ाने में है और इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह मधुमक्खी जरूर जोड़ दिया जाय और अभी तक लोगों का यह ख्याल था कि प्लेन के अन्दर यह ठीक तरह से नहीं हो सकती है, लेकिन अब यह तीन साल का तजुरबा कहता है कि यह हो सकता है। हनी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने और दूसरे एसोसियेशन ने इस बात को साबित कर दिया कि पहाड़ों पर ही नहीं, प्लेन में भी अच्छी तरह से मधुमक्खी का पालन हो सकता है और अगरचे कोशिश की जाय तो यह कमर्शियल लाइन पर भी चल सकता है। अभी तक तो जो काम इसके मुताल्लिक हुये हैं वह सिर्फ डिमांस्ट्रेशन के तौर पर वैल्यू रखते हैं कुछ लड़कों को सिखाया जाता है कि वह किस तरीके से गांव के अन्दर इस काम को चला सकते हैं और इस बात की कोशिश हुई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों में इस काम को कुछ शुरू किया जाय। अभी गवर्नमेंट ने ग्रान्ट भी ज्यादा नहीं दी है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह काम प्लेन्स में बढ़ाया जाय तो काफी बढ़ सकता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। शहद क्या चीज है और उससे क्या फायदे हैं यह तो हर शख्स जानता है और मैं यहां तक कहूंगा कि अमेरिका में फ्लैट्स तक पर बी हाइव रखे जाते हैं। इसलिये मैं ज्यादा वक्त न लेकर माननीय मंत्री से अर्जदाश्त करूंगा कि अगर यह शब्द "मधुमक्खी" जोड़ दिया जाय तो गैरमुनासिब न होगा और उम्मीद हैं कि आप इसे जरूर मान लेंगे।

श्री नवाजिश अली खां—जनाब स्पीकर साहब, यह कोई ऐसी लम्बी तरमीम नहीं है लेकिन मैं जनाब माल मंत्री साहब से उनकी खिदमत में इतना अर्ज करूंगा कि मधुमक्खी एक निहायत मुफीद चीज है इसमें कोई दो ओपीनियन नहीं हो सकती और जनाब वाला जब अमीनाबाद में डिनर में तशरीफ फरमां होते हैं तो वहां उनको मालूम ही हो जाता है कि कितनी जोर से यह इंडस्ट्री बढ़ रही है। मेरे ख्याल में इस को जरूर शामिल कर लेना चाहिये और हमारे माननीय सदस्य जो उस अनजुमन के सदर हैं उन्होंने इसके बारे में काफी बयान कर दिया और उसके मुताल्लिक ज्यादा कहने की जरूरत नहीं मालूम होती। अलबत्ता घोड़ों के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि घोड़ा ऐसी चीज है जिसकी हमारे मुल्क को आजाद होने के बाद और ज्यादा जरूरत है और हमारी मिलिटरी और पुलिस के अच्छे स्टैन्डर्ड को कायम रहने के लिये अच्छी नस्ल के घोड़ों की अशद जरूरत है और उनके बगैर काम नहीं चल सकता। अभी हाल में मुझे एक मिलिटरी एक्सपर्ट से गुफ्तगू करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आपके यहां गवर्नमेंट का आइडिया है कि वह रेसेज को खत्म कर दें लेकिन मैं आपको मिलिटरी वालों की राय बतलाता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो यह बिलकुल नामुमकिन हो जायगा कि उम्दा घोड़े किसी सूरत से भी दस्तयाब हो सकें। लिहाजा मधुमक्खी और घोड़ों का जहां तक ताल्लुक है उनको शामिल करना बहुत जरूरी है और जो बनमोहरे हैं उनको भी शामिल कर लिया जाय तो मुनासिब होगा। इन तीनों चीजों को

[श्री नवाजिश अली खां]

यानी मधुमक्खी, घोड़ों और बनमोहरों की हमें काफी जरूरत है और इन तमाम बातों को देखते हुये में जनाब राजकुंवार साहब की तरमीम की बड़े जोर के साथ ताईद करता हूं और इन हालात में मैं जनाब माल मंत्री की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस किस्म की तरमीम पर हाउस में इतनी बहस की क्या जरूरत है और आप इन चीजों को भी उस में शामिल कर लीजिये। आपको देखना चाहिये कि इस से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता और अगर फायदा है तो बेहतर यही है कि इस को ऐड करना चाहिये और अगर यह साबित हो जाय कि यह नुकसानदेह चीजें हैं तो हम इसे वापिस लेने के लिये तैयार हैं।

श्री राजकुंवार सिंह—श्रीमान् जी, मैंने कल जो संशोधन पेश किया था उसके बारे में हमारे मंत्री माल साहब ने जो फरमाया उसके अन्दर उन्होंने दो प्वाइन्ट जहां तक मैं समझा हूं बयान फरमाये। नम्बर १ यह कि मधुमक्खी जमीन पर पैदा नहीं होती है, लिहाजा उसको इसके अन्दर शामिल करना जरूरी नहीं है। दूसरे यह कि अश्व पालन और बाराह वृत्ति जो इसमें बढ़ाया जा रहा है वह एनिमल हस्बैन्डरी के अन्दर कवर हो जाता है। इसलिये मैं इन्हीं दो बातों के बारे में फिर माल मंत्री साहब की तवज्जह दिलाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करके अवश्य ही इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। आजकल जबकि अन्न की ओर बहुत ज्यादा तवज्जह है कि उसकी वृद्धि होनी चाहिये तो वे चीजें जो एक तरफ अन्न की वृद्धि करती हैं और हमारी खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये खाद की आवश्यकता को भी पूरा करती हैं उनकी ओर तो जरूर ही तवज्जह करके इसे मंजूर कर लेना चाहिये। मधुमक्खी जमीन पर पैदा नहीं होती, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी, इसलिये कि उन्होंने फरमाया कि वे दरख्त के ऊपर पैदा होती हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह—बक्स भी लगाये जाते हैं।

श्री राजकुंवार सिंह—जी हां, बक्स भी लगायें जाते हैं, दिवालों के ऊपर भी पैदा हो जाती हैं और बकौल शख्से, शहद, चिपक की चीज हैं, जहां उनको जगह मिली वहां वे अपना छत्ता रख कर शहद पैदा करना शुरू कर देती हैं। बहरहाल, न वह पानी की पैदावार है और न वह आसमानी पैदावार है। इसलिये मधुमक्खी का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है। मैं समझता हूं कि माल मंत्री भी इस पर गौर कर रहे हैं और यह सोचते हैं कि अगर कोई अड़चन न हो तो हम इसको मंजूर कर लें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—नहीं, ऐसा नहीं सोचता।

श्री राजकुंवार सिंह—फरमाते हैं कि अड़चन कोई नहीं है। उनको एक अड़चन जरूर है कि इस बिल के अन्दर अगर कोई तरमीम हुई तो चाहे वह मुनासिब ही क्यों न हो, इस बिल को फिर कौंसिल में भेजना पड़ेगा या ज्वाइन्ट सेशन में पेश करना पड़ेगा तो मुमकिन है देर हो जाय। हम लोगों का मंशा देर करने का हरगिज नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द पास करें ताकि जहां आपके और कारनामे हैं वहां एक यह भी इजाफा हो जाय कि आपने देश का कितना नुकसान किया, एक बनी बनाई संस्था को बिगाड़ा। और यह तो इसके लफ्जों से ही जाहिर होता है कि उन्होंने लफ्ज विनाश उसके साथ रखा है हालांकि वे यह कहते हैं कि हम दोनों के ही हितैषी हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल लफ्ज विनाश तो उसके साथ है। उसके जो कुछ भी माने लगाये गये हों यह वे ही जानते हैं।

अब अश्वपालन और बाराह वृत्ति के बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि जैसे-जैसे आपकी खेती के काम के अन्दर तरक्की का जमाना आयेगा वैसे-वैसे मुमकिन है

आप घोड़ों से खेती करने पर मजबूर हो जायं और अगर आपको घोड़ों से खेती करने की जरूरत पड़ी और उस वक्त अच्छे घोड़े नहीं हुये तो क्या सूरत होगी यह आपही बेहतर समझ सकते हैं। अलावा इसके फौज और ट्रान्सपोर्ट, ये दो चीजें भी ऐसी कि जिनके लिये आपको घोड़ों की जरूरत है और अगर उनकी तरक्की नहीं रही, जसा कि इस वक्त है, तो वे घोड़े जो आज से कुछ वर्ष पहले मिलते थे अब नहीं मिल सकते। तो ऐसी दिक्कतें आपके सामने पेश आयेंगी। इसलिये मैं तो यह अर्ज करूंगा कि आपको बाहर के देशों के घोड़ों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि अपने ही देश के घोड़ों की नस्लों को क़ायम रखना चाहिये, उनको बढ़ाना चाहिये और उनको तरक्की के लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया रिसर्च वगैरह में खर्च करना चाहिये। अर्ज यह है कि जहां इसको ट्रांस्पोर्ट के लिये जरूरत है वहां खेती व खाद के लिये भी इसकी जरूरत है। बाराह, मैं आप से अर्ज करूंगा कि अलावा फैट के, खेती के लिए भी मुफीद है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी खाद से पैदा होती हैं। मसलन अंगूर है, इसकी खेती के लिए उसकी खाद की जरूरत पड़ती है और भी ऐसी बहुत सी खाद है जिनकी कमी को वह पूरा करता है। मुझे इसका जाती तजुर्बा है और बहुत सी जमीनों में पैदावार आती है, मसलन ऊसर जमीन में उसकी खाद से एक किस्म की तरक्की होती है। ऊसर जमीन के अन्दर ताकत पैदा होती है। ऐसी सूरत में मैं माल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह उन्हें जरूर स्वीकार कर लें।

एक आपत्ति कल और भी थी और वह यह थी कि माल मंत्री जी ने यह फरमाया था कि यह एनीमल हसबेंड्री से कवर हो जाता है। जहां तक शब्द 'जानवर' का ताल्लुक है, उसके बारे में कल की बहस में यह चीजें आयीं और मुझे खुद एक दफा की याद आती है कि हम लोग उर्दू पढ़ने के लिए बैठे तो लफ्ज जानवर के माने यह बतलाए गए कि जितनी भी जानदार चीजें हैं वे सब जानवर हैं और जानवर की तारीफ में आ जाते हैं। और उसके बाद यह भी बतलाया गया कि इनसानात और हैवानात ये दो किस्में हैं। अगर यह संशोधन नामंजूर हुआ तो उसकी वजह से कमी रहेगी। इसलिए मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इसे स्वीकार फरमायें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के जरिए से दो चीजें चाही जाती हैं। एक तो यह कि शहद की मक्खी बढ़ा दी जाय और दूसरे घोड़ा और सुअर बढ़ा दिए जायं। जहां तक घोड़ा और सुअर का ताल्लुक है, मैं अपने मित्र की इत्तिलायाबी के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि शायद वे एनीमल की तारीफ में आ जावेंगे। लिहाजा इन जानवरों के बारे में उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वह उनकी वृद्धि कर रहे हैं तो करते रहें और मैं राजकुंवार सिंह को इत्तिला देना चाहता हूं कि सरकार हार्सब्रीडिंग के लिए स्टैलियन प्रोवाइड करती है और अगर जरूरत हो तो सरकार सहायता करने के लिए तैयार है। सुअर की ब्रीडिंग अलीगढ़ में हो रही है एनीमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट के जरिए से। मैं अपनी बहस की ताईद में यह मिसालें पेश कर रहा हूं। रही बात शहद की, उससे मुझे भी हमदर्दी है जैसे पालन जी को है। यहां उसमें कोई रुकावट नहीं है अगर उसमें हम मधुमक्खी न रखें। मैं श्रीमान् की आज्ञा से वह खास मजमून जिसमें बढ़ाये जाने का जिक्र है उसका तर्जुमा पढ़ना चाहता हूं:

"Improvement" means with reference to a holding (i) a dwelling house erected on the holding by the tenure-holder for his own occupation or any other constructions erected or set up by him on the holding for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry-farming ;

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

["उन्नति" का अर्थ किसी खाते के संबंध में निम्नलिखित है :—

(१) खाते की भूमि में खातेदार द्वारा अपने रहने के लिए बनाया गया घर या ऐसे अन्य निर्माण, जो उसने कृषि (उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन और कुक्कुट-पालन भी है) संबंधी प्रयोजनों के लिए खाते की भूमि में बनाए या खड़े किए हों ;]

जहां तक शहद का ताल्लुक है, मैंने श्री पालनजी की मेहरबानी से देखा कि वहां बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं और उनमें शहद की मक्खी छत्ते लगाती हैं। पेड़ों में भी लगाती हैं। होल्डिंग पर यह जरूरी नहीं है कि कोई कंस्ट्रक्शन किया जाय बी-कीपिंग के लिए।

लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है वर्ना मैं इसे जरूर मान लेता, क्योंकि मैं आजकल रोजमर्रा शहद, डाक्टर के कहने के मुताबिक खाता हूं। यह तरमीम गैर जरूरी है लिहाजा मैं चाहता हूं कि कुंवर सहाब फिर समझ लें और इस तरमीम को वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि धारा ३ के खंड ११ (१) की पंक्ति ८ के शब्द "भी है" के बाद शब्द "मधु मक्खी पालन, अश्व-पालन तथा बाराह वृद्धि" जोड़ दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री साजिद हुसैन—अब मौका है ?

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य समझे नहीं हैं। वहां से जो तरमीमें हो करके आई हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि फलां फलां धारा में यह तरमीमें हो जायं। आखिर में २१,२२ तरमीमें ऐसी हैं, जिनमें यह है कि इस बिल में जहां-जहां यह लफ्ज आए हैं उनको बदल करके यह कर दिया जाय। एनीमल हस्बैंडरी की जो तारीफ आपने की है, वह उन तरमीमों में आयेंगी। आखिर में इस सिलसिले में तरमीम की गयी है, जब वह आयेगी तब आपको मौका होगा। हमारे माननीय सदस्य अगर आज का एजेंडा देखेंगे तो पन्ना ४३ पर यह तरमीम मिलेगी। जनरल संशोधन उसमें दिए हुए हैं। जब यह सब तरमीमें खत्म हो जायंगी तब वह ली जायंगी।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् ने जो संशोधन किया है कि धारा ३ के खंड (१२) की दूसरी और छठीं पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "किसी आस्थान के संबंध में ऐसे" और "में" के स्थान पर "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो, उक्त" और "के" रख दिए जायं तथा शब्द "तात्पर्य" के बाद और शब्द "उक्त" के पहले एक-एक अर्धविराम बढ़ा दिया जाय इस संशोधन से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान परिषद् ने, जो संशोधन किए हैं कि धारा ३ में

खंड (१३) की तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "पास" और "दखल" के स्थान पर शब्द "अधिकार" और "अध्यासन" रख दिए जायं।

खंड (१४) की दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्तियों में यथाक्रम शब्द "छोड़" "पास या दखल" और "उद्यानीकरण" के स्थान पर शब्द "छोड़कर", "अधिकार या अध्यासन" तथा "उद्यानकरण" रख दिए जायं, तथा चौथी पंक्ति से शब्द "पशुचर" निकाल दिया जाय।

खंड (१५) की पहली, दूसरी, चौथी और पांचवीं पंक्तियों में यथाक्रम "वह", "के संबंध में प्रयुक्त", "देने का" और "इसी प्रकार" के स्थान पर शब्द "उसका संबंध", "से", "उठाने के" और "तदनुसार ही" रख दिए जायं तथा पांचवीं पंक्ति में शब्द "है" और शब्द "व्याख्या" क पहले शब्द "भी" जोड़ दिया जाय।

खंड (१६) की द्वितीय पंक्ति में आने वाला शब्द "वही" अपने वर्तमान स्थान से हटाकर प्रथम पंक्ति में शब्द "का" के बाद और शब्द "अर्थ" के पहले रख दिया जाय तथा अंक "१९०८" के बाद एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय।

खंड (१७) की १० वीं पंक्ति से शब्द "कोई" निकाल दिया जाय और बारहवीं पंक्ति में आने वाले शब्द "जिसमें वह खान स्थित हो" अपने पहले और पीछे आने वाले अर्धविराम सहित अपने वर्तमान स्थान से हटाकर ग्यारहवीं पंक्ति के अन्त में शब्द "जिले के" के बाद शब्द रख दिए जायं।

खंड (२१) में शब्द "किसी आस्थान के संबंध में" और शब्द "दाय के उत्तरा–धिकारी" के स्थान पर यथाक्रम शब्द "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो" और "दायाधिकारी" रख दिए जायं। वाक्यखंड "जब उसका संबंध किसी आस्थान से हो" के पहिले और पीछे एक-एक अर्धविराम जोड़ दिया जाय और अन्तिम शब्द "है" के पहिले शब्द "भी" बढ़ा दिया जाय।

खंड (२६) की दूसरी पंक्ति के आदि में आने वाले शब्द "में" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया जाय।

खंड (२७) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "अर्थ" के बाद आने वाला शब्द "वही" अपने वर्तमान स्थान से हटकर शब्द "अर्थ" के पहिले रख दिया जाय।

इन संशोधनों से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ६*

(१) खंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाग" और शब्द "भूमि" के बीच आने वाले अर्धविराम के स्थान पर एक संयोजक चिन्ह (हाइफन) रख दिया जाय।

(२) खंड (क) के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "ऐसे" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक" रख दिया जाय।

(३) धारा ६ के खंड (ग), (१) कर लिया जाय और निम्नलिखित खंड (ग) (२) जोड़ दिया जाय :—

> " (ग) (२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गए किसी अनुबंध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंचित (compounded) अथवा अभित्यक्त (released) हो गया हो तो उक्त अनुबंध या संविदा के होते हुए भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा।"

* धारा ६ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन।

(४) धारा ६ के खंड (ङ) में निम्नलिखित संशोधन किए जायं:--

पांचवीं पंक्ति में शब्द "तथा ऐसे सब ऋण" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "या" रख दिया जाय और उसी पंक्ति में आने वाला शब्द "उसे" निकाल दिया जाय ।

(५) सातवीं पंक्ति के अन्त में आनेवाले शब्द "दिए गए" निकाल कर उनके स्थान पर शब्द "उससे प्राप्य" रख दिए जायं ।

(६) धारा ६ की उपधारा (ङ) की पंक्ति ९ में शब्द "हो" के बाद और शब्द "और" के पहले शब्द "जायेंगे" के स्थान पर शब्द "जायेगी" तथा उक्त खंड के अन्त में आन वाले शब्द "किए जा सकेंगे" के स्थान पर शब्द की जा सकेगी" रख दिए जायं ।

(७) खंड (छ) की पांचवीं पंक्ति में शब्द " (share)" निकाल दिया जाय ।

माननीय अध्यक्ष--अगर तरमीम का नोटिस है तो वह मैं पहले ले लूंगा । अगर आप किसी ऐसी तरमीम पर बोलना चाहें जिसमें किसी तरमीम का नोटिस नहीं है तो फिर आपको इत्तिला देनी चाहिए।

श्री साजिद हुसैन--जनरल डिसकशन ।

माननीय अध्यक्ष--जनरल डिसकशन का कोई सवाल ही नहीं है। जो तरमीमें हैं उन्हीं पर एक-एक करके विचार किया जाय ।

प्रश्न यह है कि विधान परिषद् ने, जो संशोधन किया है कि धारा ६ के खंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाग" और शब्द "भूमि" के बीच आने वाले अर्धविराम के स्थान पर एक संयोजक चिन्ह (हाइफ़न) रख दिया जाय और खंड (क) के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "ऐसे" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक" रख दिया जाय, इन संशोधनों से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ऐजाज रसूल--जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा ६ (ग) (२) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा ६ (ग) (२) रक्खी जायः--

"(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहिले किए गए किसी अनुबंध या संविदा के अधीन कोई लगान , अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, तो उक्त अनुबंध या संविदा राज्य सरकार द्वारा वैध समझा जायगा ।"

मेरी इस तरमीम का मतलब यह है कि कोई ऐग्रीमेंट या कंट्रैक्ट किसी जमींदार ने किया हो वेस्टिंग के पहिले, तो वह जायज समझा जावे ।

जो तरमीम काउन्सिल से हो कर आयी है उसका मतलब यह है कि अगर कोई कंट्रक्ट वगरह पहल स जमींदारों ने कर लिया है और वेस्टिंग बाद में हो गयी हो तो वह कंट्रैक्ट नाजायज समझा जायगा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि क्या वजह है कि गवनमेंट इस तरमीम को लाई । हम जमीन के मालिक हैं, हमको अख्तियार है कि हम कोई एग्रीमेंट या कंट्रक्ट सायर के लिए कर लें। फर्ज कीजिए की एक तालाब है, और उसके सुधार के लिए, मछली पदा करने के लिए जिसका हमारे मिनिस्टर महोदय ने खासतौर से जिक्र किया ह, उसका हमने पांच साल के लिए ठेका दे दिया और उसकी रकम वसूल कर ली। अगर हमने रकम वसूल कर ली तो क्या नाजायज काम किया ? अब गवर्नमेंट चाहती है कि वेस्टिंग के बाद कंट्रैक्ट खत्म हो जाय।

जिस कंट्रैक्टर ने लिया है वह निकाल दिया जायगा। यह कहां तक जायज चीज है। अगर कोई शख्स जब कि उसको मालूम नहीं था और मालूम भी हो कि अबालिशन होने वाला है, बिल पेश है, तो जबकि हमको अख्तियार है, जब तक वेस्टिंग नहीं होती हमको वही कुल्ली अख्तियारात है तो अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको नाजायज करना कोई मुनासिब नहीं है। इसलिए मेरी तरमीम यह है कि जो ठेके जमींदारों ने वेस्टिंग से पहले दिए हैं वे जायज समझे जायं। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इसको गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। इसके बाद बहुत बड़ा लिटिगेशन होगा। अगर ठेकेदार निकाल दिए गए तो उसका नतीजा यह होगा कि वे जमींदारों के ऊपर दावा करेंगे और अगर फर्ज कीजिए कि उसने कोई सुधार किया है तो उसका सब काम अकारथ जायगा। जितना रुपया उसने लगाया वह सब खतम हो जायगा। निहायत गलत उसूल पर गवर्नमेंट ने यह क्लाज बनाया है। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि फिर इस बात पर गौर करें और ऐसी चीज रखें जिससे किसी को नुकसान न हो। वेस्टिंग के बाद अगर साल-छः महीने कंट्रैक्ट कायम रहे तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि वेस्टिंग के बाद गवर्नमेंट अपना इंतिजाम कर सकती है लेकिन अगर कोई इंत-जाम कर लिया गया है तो उस इंतजाम में इस कदर जल्दी क्या है। वेस्टिंग के बाद सब चीजें हो जायंगी। इसलिए मैं अपने अमेंडमेंट को पेश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भवन मंजूर करेगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाब साहब ने यह फरमाया था कि क्या वजह है कि ऐसे मुआहिदे कानूनी तसव्वुर नहीं किए जाते हैं। मैं अपने दोस्त नवाब साहब को बतलाना चाहता हूं कि अगर ऐसे मुआहिदे ठीक माने जाते हैं तो इस बात का महज खतरा ही नहीं हो सकता है बल्कि उम्मीद कवी है कि जमींदार सहाबान इस उसूल पर काम करने के लिए तैयार हो जायंगे कि "जब धन देखे जात तो आधा लेय बांट" वे ऐसे मुआहिदे जरूर करेंगे कि १० रुपया लगान हो तो ५ रुपए के हिसाब से ५ वर्ष तक दे दिया जाय तो वह आपको रसीद दे दें।

श्री वीरेन्द्र शाह—कोई कांग्रेसी जमींदार करेगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—हां, कोई जमींदार करे लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता जिसने ऐसी बातें की हैं। बिला मिसालों के, बिना किसी बात के जहूर में आए कानून बनाने के लिए उस तरफ तवज्जह भी नहीं होती एक जमींदार, जो कांग्रेसी नहीं हैं, शायद राजा साहब जगमनपुर की पार्टी के हैं, उन्होंने दौरान गुफ्तगू में कबूल किया था कि उन्होंने कई वर्ष का लगान वसूल किया था और रसीदें दे दी थीं। ऐसी मिसालें हैं। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जमींदारान का हक है मुआहिदा करने का जैसा कि नवाब साहब ने कहा, मैं उनके हक में दस्तन्दाजी नहीं करना चाहता लेकिन जनाब को हक उसी वक्त तक है जब तक वह हक कायम रहे। इस साल तो हक है लेकिन आइंदा साल नहीं होगा तो आप नहीं वसूल कर सकते हैं। यही नहीं लगान एडवांस में वसूल कर लिया। बहुत से जमींदारान ऐसे हैं जो पेशगी लगान वसूल करते हैं। उसके वसूल करने का कोई कानूनी हक आपको नहीं है। और अगर वसूल कर लेते हैं तो गलत तरीके से वसूल कर लेते हैं और जिस पीरियड की बाबत वसूल कर लेते हैं उस पीरियड की जब हकीकत जाती रहती है तो उसे वापिस करने के मुस्तौजिब हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह उपधारा बनाई गयी है। एक बात का तजुर्बा मुझे और है। दाखिलखारिज के जरिए जब कोई जमींदार मरता है और उनके वरसा पर जब दाखिलखारिज के मुकद्दमे होते हैं तो अपना कब्जा साबित करने के लिए एक रुपया लगान लेकर १० रुपए की रसीद लिख देते हैं। इस तरह से मेरा ख्याल है कि अगर यह दफा न रखी जाय तो वेस्टिंग के बाद कल से ऐसी रसीदें

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

करेंगी। नतीजा क्या होगा ? १० वर्ष का लगान वसूल कर लेंगे और कहेंगे कि लीजिए यह मुआहिदा हो गया और इस तरीके से वेस्टिंग के बाद सरकारी खजाने में एक पैसा भी नहीं आ पायेगा और पब्लिक एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचेगा जमींदारी उन्मूलन हो जाने के बाद जिसका अन्दाजा इस वक्त लगा लेना ठीक होगा। आप बड़ी बुलन्द आवाज से फरमाते हैं कि मुआविज कम है। मुआविजा भी लीजिए, पहले प्रीमियम भी वसूल कर लीजिए और सारी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाय। इधर सरकार के ऊपर लाएबिलिटी भी हो जाय और दस वर्ष तक सरकार वसूल करने की हकदार भी न रहे और आपको पूरा मुआविजा भी दे ? ऐसी कोताहअंदेशी से सरकार काम नहीं करती, लिहाजा इस बात को बचाने के लिए यह तरमीम लाई गयी है। जो तरमीम नवाब साहब ने पेश की है वह बहुत खतरनाक और पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत खिलाफ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सोशलिस्ट भाई भी इस तरमीम को हराने में हमारी मदद करेंगे वरना जनता का, पबलिक का, बड़ा खतरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री गजाधर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक प्रश्न मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं। उन किसानों का रुपया, जिनसे कि जमींदारों ने वसूल कर लिया है, इस कानून के रद्द होने के साथ-साथ जायज रहेगा या नहीं रहेगा ?

माननीय अध्यक्ष—जो प्रश्न जेरबहस है उसी के संबंध में सवाल आप पूछें। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तरमीम अभी हमारे मित्र ऐजाज रसूल साहब ने इस भवन के सामने रखी है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय माल मंत्री जी की तकरीर मैंने सुनी और जो तकरीर उन्होंने की उससे यह साफ जाहिर हो गया कि बड़े उसूलों को हटा कर उन्होंने यह खतरा महसूस किया कि शायद कुछ जमींदार ऐसे हों जो कि कांट्रैक्ट कर के कई वर्ष का पेशगी पहले वसूल कर लें और इसलिए आपने यह मुनासिब समझा कि यह तरमीम कांट्रैक्ट के सिलसिले में रखी जाय कि जो भी कांट्रैक्ट हों वे वेस्टिंग के बाद इनवेलिड करार दे दिए जायं और यही नहीं रुपया वापिस किया जाय और वह कम्पेनसेशन से काट लिया जाय। श्रीमान्, सेंकटिटी आफ कांट्रैक्ट (संविदा की पवित्रता) एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार खासतौर से वह सरकार जो कि प्रजातांत्रिक है, अगर कांट्रैक्ट्स की सेंकटिटी को तोड़ती है तो देश के लिए यह बहुत ही खतरनाक उसूल हो जायगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो किसानों से कांट्रैक्ट किया है इस जमींदारी उन्मूलन बिल से कि जो भूमिधर बन जायंगे उन किसानों का लगान अब आधा होने के बाद ४० वर्ष तक आधा हो जायगा और बढ़ाया नहीं जायगा, उस कांट्रैक्ट को अगर कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और तोड़ देती है तो इस गवर्नमेंट की क्या पोजीशन होगी ? तो उसूल जो इस समय हम लोगों के सामने है वह यह है कि कांट्रैक्ट की सैंकटिटी को रक्षा करनी चाहिये और इस तरीके से कांट्रैक्ट को तोड़ देना मुनासिब चीज नहीं होगी। अगर आज आपने यह प्रिसीडेंट (दृष्टांत) कायम किया तो कल गवर्नमेंट जो बहुत विषयों में कांट्रैक्ट कर रही है उनको भी वह तोड़ सकती है और आप उसके अनुसार नहीं चल सकते हैं। जहां तक इसका सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस संशोधन में जो नवाब साहब ने रखा है कि जो कांट्रैक्ट पहले किये हैं वह वैलिड रखे जायं। यह सोचना कि जमींदार पेशगी वसूल कर लेंगे यह गलत है। मैं कहता हूं कि आजकल कोई रुपया देता नहीं है, आजकल राजनीति और देहातों में जो हालत है उससे हर शख्स डरता है क्योंकि आज कानून बदले जा रहे हैं। कल को दूसरा आयद कर दिया जायगा। इसलिये हर शख्स रुपया देने में हिचकता है और यह ख्याल करना कि जमींदारान इन चंद बातों में जो संशोधन में दी हुई हैं इनमें कांट्रैक्ट करके दस पांच वर्ष का लगान ले लेंगे, यह गलत बात है।

दूसरी बड़ी भारी बात यह है कि आज हम कोई कांट्रेक्ट करते हैं तो देखना यह है कि हमें अधिकार है या नहीं। अगर हम अपनी प्रापर्टी के मालिक हैं तो हमें अधिकार है इस संबंध में कि हम जिससे चाहें जैसा चाहें कांट्रेक्ट करें। यह भी एक अजीब चीज है कि हमारी जो योग्यता है कार्य करने की या कांट्रेक्ट करने की तो उसको भी रोक दिया जायगा। ऐसी धारा रख कर मैं समझता हूं कि सरकार कोई अच्छा उसूल कायम नहीं कर रही है और सरकार ने उन उसूलों को इस तरीके से ठुकराया तो मैं समझता हूं कि आगे चल कर बहुत ही खतरा सरकार को होगा और परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं इन चंद शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर इंचार्ज आफ दी बिल की तकरीर जो उन्होंने जवाब में की सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं इसके माने यह समझा कि आनरेबिल मिनिस्टर अपोजीशन के मेम्बरान को यह सबक पढ़ाना चाहते हैं कि ऐग्रीमेंट की कोई सेंकटिटी नहीं है और मुआहिदों का तोड़ा जाना उनके नजदीक एक सही चीज है। चुनांचे जो तरमीम अपर हाउस में की गई है उससे गवर्नमेंट की जानिब से साफ जाहिर होता है कि उनके नजदीक जो मुआहिदे या एग्रीमेंट हो चुके हैं उनकी रद्दी कागज से ज्यादा वकअत नहीं है। आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अगर गौर किया होता तो वह अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते थे कि इसका क्या मंशा हो जायगा, अगर यह इसी हैसियत म पास कर दिया गया जिस हैसियत में कि यह अपर हाउस से भेजा गया है। फर्ज कीजिये कि एक शख्श है उसने पांच साल के लिये किसी जंगल का ठेका लिया है और उसी लिहाज से वह रुपया इंवेस्ट करता है। आज आप उसको वेस्ट करते हैं और यह भी तय करते हैं कि जहां तक मुआहिदा था वह खत्म है और जो रुपया है उसको मुआविजे से वसूल किया जायगा जो जमींदार ने वसूल कर लिया है। ऐसी सूरत में आप अंदाजा लगाइये कि वह शख्स जिसने इस उम्मीद पर कि मुझे यहां ५ साल रहना है, उसके लिये अपने रहने का भी कुछ इंतजाम किया होगा और किसी तरह से रुपया कर्ज लेकर, रुपया इकट्ठा करके, अपनी जरूरतों से निकालकर इस काम में लगाया होगा वह रुपया तबाह हुआ इधर आप उस जमींदार को तबाह कर सकते हैं जिसने चार वर्ष के लिये ठेका दिया है। मेहरबानी करके आप महज इस ख्याल से कि हर वह बात ख्वाह जायज है या नाजायज आप उसे पास करा ले जायेंगे, इस हाउस के अन्दर। आप मेहरबानी करके ऐसी गलत किस्म की चीज इस हाउस के अंदर कायम न कीजिये और इस हाउस के लिये बुरी मिसालें आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिये कायम न कर जाइये। आपने यह फरमाया हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने कि बहुत से ऐसे जमींदार हैं जिनका नाम वह बतलाना नहीं चाहते जिन्होंने लोगों से कब्लअज़ वक्त लगान वसूल कर लिया है। ऐसी मिसालें उनके सामने हैं अगर ऐसी मिसालें आई हैं उनके सामने तो उनको उन मिसालों का इंतजाम करना चाहिये। अगर कोई एक आध ब्लैक शीप है जिसने कोई खास तरीका डिवाइस किया है बेईमानी करने का तो उसके लिये हम भी कोई प्रोटेक्शन देना नहीं चाहते लेकिन इसी के साथ-साथ एक गुनहगार के साथ हजारों बेगुनाहों को बर्बाद या तबाह करना, ऐसे लेजिस्लेशन के बेशक हम खिलाफ हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा लेजिस्लेशन न बनाया जाय, जिससे एक गुनहगार को सजा देने के लिये १० बेगुनाहों को सजा दी जाय। मेरे ख्याल में यह कहना आनरेबिल मिनिस्टर का सही नहीं है कि जमींदार लोग आमतौर पर कब्ल अज़ वक्त लगान वसूल कर लेते हैं। यह जाहिरा बात है अगर काश्तकार के पास इस कदर दौलत होती की वह कब्ल अज़ वक्त रुपया दे दिया करता और जमींदार उनसे कब्ल अज़ वक्त रुपया वसूल कर लिया करता तो जेड० ए० एफ० की वसूलयाबी में दिक्कत न होती। आज जो जराय और वसायल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं जाहिर हैं वे जमींदार के पास नहीं हैं। जब गवर्नमेंट बावजूद अपने जराय और वसायल के रुपया वसूल करने से कासिर रही, अब तक नहीं कर सकी है तो यह कैसे मुमकिन है और यह कैसे समझ लिया गया कि जमींदार, जिनके लिये यह भी कहा जाता है कि उनके ताल्लुकात काश्तकार से अच्छे नहीं है, उनको

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

कोई बात वे मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो किस तरह से कब्ल अज वक्त वसूलयाबी लगान की फसल के पहले वे कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया है और आनरेबिल मिनिस्टर के सामने मिसालें मौजूद हैं तो यकीनन हम भी इसको उतना ही बुरा समझते हैं जितना कि आनरेबिल मिनिस्टर समझते हैं। इन अल्फाज के साथ में अर्ज करूंगा कि आनरेबिल मिनिस्टर फिर गौर करें। इस तरह से ऐसी गलत मिसालें वह कायम कर देंगे अगर उन्होंने इसको वैसा ही मंजूर कर लिया जैसा कि वह अपर हाउस से आया है। एग्रिमेंट का लिहाज हर गवर्नमेंट ने किया है जो आम सेंकटिटी सोसाइटी में, मुल्क में, कौम में मुआहिदे के साथ रखी है वह जाया न होने पाये चाहे आपका कानून कोई भी सूरत अख्तियार करे लेकिन जो सेंकटिटी सोसाइटी की, मुल्क की और कौम की एग्रिमेंट के साथ वाबस्ता होती है वह जरूर कायम रखी जाती है। इन अल्फाज के साथ में उन तकरीरों की जो इस तरफ से इस सिलसिले में की गई हैं, ताईद करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी—जनाब स्पीकर साहब, यह जो तरमीमें हैं दोनों इस बात की मोहताज हैं कि बहुत गौर से इन दोनों को पढ़ा जाय। मैं इस वजह से गौर का लफ्ज कसदन इस्तेमाल कर रहा हूं कि असल में और जो तरमीम कौंसिल से आई है उसमें दो अल्फाज हैं एक तो एग्रीमेंट और दूसरा कांट्रेक्ट यानी अनुबन्ध और संविदा, इन दोनों में फर्क समझ लिया जाय। अगर यह समझ लिया गया तो बहुत सी पेचीदगियां अज़खुद खत्म हो जायेंगी। दफा ६ में जो तरमीम होकर आई है उसमें गवर्नमेंट ने कहीं यह नहीं कहा है कि इस किस्म के एग्रीमेंट और कांट्रेक्ट वायड होंगे। दफा ८ में साफ कहा है कि ये ऐग्रीमेंट और कांट्रेक्ट वायड होंगे। मगर दफा ६ में इस बात का कहीं तज़किरा नहीं है कि रेंट, सायर, सेस वगैरह के मुताल्लिक अगर काश्तकार और जमींदार में कोई मुआहिदा हो, ऐग्रीमेंट हो या कांट्रेक्ट हो तो उसको कानून जायज या नाजायज़ समझेगा। दो अल्फाज जिसके मुताल्लिक मैंने अर्ज किया जनाब वाला काबिले गौर है और वह इस वजह से मैंने अर्ज किया कि कानून ने ऐग्रीमेंट और कांट्रेक्ट में फर्क रखा है। ऐग्रीमेंट एक आम लफ्ज है और कांट्रेक्ट एक खास लफ्ज है। और इन दोनों के जायज और नाजायज कहने में फर्क पड़ जाता है जिसको कानून ने बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया है। जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह मैं कांट्रेक्ट ऐक्ट दफा २ के प्रावीजन (जी) और (एच) की ओर दिलाना चाहता हूं। एक में तो यह कहा गया है "An agreement enforceable by law is acontract" (ऐसा समझौता जो कानून द्वारा प्रभावान्वित किया जा सके, संविद् कहलाता है) आनरेबिल मिनिस्टर यह देखेंगे कि कांट्रेक्ट हमेशा कांट्रेक्ट होता है जिसको ला हमेशा रिकागनाइज करता है, उसकी एक सेंकटिटी होती है वह बज़रिये ला इनफोरसेबिल होता है। दफा (एच) में लिखा हुआ है "An agreement not enforceable by law in seid to be void" (ऐसा समझौता जो कानून द्वारा प्रभावान्वित न किया जा सके, व्यर्थ समझौता कहलाता है।)

इब्तदाअन कोई कांट्रेक्ट वायड नहीं होता। हमेशा वैलिड हुआ करता है। यह दूसरी बात है कि कांट्रेक्ट कानूनी नुक्तेनिगाह से नाजायज हो और माबाद उन असबाब की वजह से नाजायज हो जाय। दोनों में जो फर्क है वह लिमिटेशन ऐक्ट की दफा १९ में बताया गया है कि जो मुआहिदा कानूनी निगाह में जायज होगा उस वक्त तक बरकरार रहेगा, उस वक्त तक उस पर अमलदरामद होता रहेगा जब तक कि वह कांट्रेक्ट पुराना न हो जाय और कोई शख्स उसको कैंसिल न करा दे। हजारों मिसालें इस किस्म की हैं कि जो कैंसिलिंग या वायड ऐग्रीमेंट हुआ करते हैं ले कैंसिलेशन के मुहताज नहीं होते हैं। उसके लिये इस बात की किसी पार्टी के लिये जरूरत नहीं होती कि वह अदालत में यह कहे कि पहले यह मंजूर किया जाय और तब फिर कार्रवाई की जाय और वायड

एग्रीमेंट में पहिले अदालत से यह सोक करना पड़ता है कि यह एग्रीमेंट मंसूख किया जाय फिर बाद में रिलोफ दी जाय। उसके ऊपर हजारों नजीरें मौजूद हैं और इसी बिना पर इस कांट्रैक्ट के अन्दर यह अल्फाज़ ऐक्ट इस्तेमाल हुये हैं। इसलिये मैं तवज्जह दिलाऊंगा आनरेबिल मिनिस्टर की कि वह कांट्रैक्ट ऐक्ट की दफा २५ को पढ़ें, जिसमें यह कहा गया है कि :—

"An agreement made without consideration is Void."

(ऐसा समझौता जो बिना विचार किया गया हो, व्यर्थ होता है।)

अब इस चीज़ का आपका एग्रीमेंट था और जिसके मुताल्लिक़ मैंने अर्ज किया। लेकिन अब तरमीम ऐजाज रसूल साहब की यहां पर आ गई है। इसलिये इतना कहने के बाद मैं उस पर आता हूं, असल में जो तरमीम कौंसिल से आई है उसमें यह कहा गया है कि—

"Where under an agreement or contract made before the date of vesting any rent, cess, local rate or sayar for any perfo l after the said date has been paid to or compounded or released by an intermediary the same sall, notwithstabnding the agrement or the contract."

(यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित अथवा अभियुक्ति हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी, वह ....)

तो यहां पर इस्तेमाल हुआ है एग्रीमेंट और "कांट्रैक्ट" जिसके मायने यह हैं कि जमींदार और काश्तकार के दरमियान में अगर ऐसा मुआहिदा है जो कानूनन सही है क्योंकि कांट्रैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसको जायज करने की बात तरमीम के अन्दर कही गई है। अब कौंसिल से जो तरमीम आई है उसमें भी जमींदार और काश्तकार का जो कांट्रैक्ट होगा वह जायज होगा। इसलिये इस तरमीम के अन्दर यह खामी है कि जहां पर कांट्रैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वहां पर एग्रीमेंट इस्तेमाल होना चाहिये था। जो कौंसिल से तरमीम आई है उसमें जमींदार और टेनेंट के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसको जायज करार देकर रखा गया है। अब मेरे लायक दोस्त ऐजाज रसूल साहब की जो तरमीम है उसकी तो कोई बात ही नहीं है वह तो जायज है ही। इसलिये आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो मुखालिफत करते हैं वह उसको समझ नहीं सके इसलिये कि वह तो जायज है ही। इसलिये मेरी क़तई राय है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब इसको मंजूर करें। मैंने भी चाहा था कि इस तरह की तरमीम रखूं लेकिन मैंने यह समझा कि वह मंजूर नहीं की जायगी इसलिये उसको नहीं भेजा। लेकिन मेरी राय है कि जो तरमीम कौंसिल से आई है आप उसको पढ़ें और अगर आप मुनासिब समझें तो कानूनी राय भी लें और कांट्रैक्ट ऐक्ट की दफा २ से लेकर २९ तक पढ़ें तो वह चीज समझ में आ जायगी। मैं खुद यह तरमीम लाना चाहता था कि जो कांट्रैक्ट लफ्ज है उसको निकाल दिया जाय। अगर यह निकाल दिया जाता है तब तो कोई मायने होते हैं और ऐजाज रसूल साहब की तरमीम की भी कोई जरूरत नहीं है लेकिन जब आप उसको रखना चाहते हैं तो तरमीम की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो जो कांट्रैक्ट जमींदार और काश्तकार के दरमियान होगा वह इनवैलिड क़रार दिया जाय। मैंने कसदन् इसलिये ही नहीं रखा कि वह मंजूर नहीं किया जायगा। मैं खुद आपकी तवज्जह दिलाना चाहता था कि यह दुश्वारी है। तो इसलिये इस तरमीम की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आपने दफा ६ में इस किस्म की चीज़ को न वायड कहा है और न इल्लीगल कहा है और इसलिये कांट्रैक्ट के जो कुदरती मानी हैं वही इस्तेमाल हुये हैं और कानून के फर्क को खूब समझकर ही यहां रखा गया है। इसलिये मैं आपके जरिये से मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह खुद तरमीम पर गौर करें और कांट्रैक्ट को निकाल दें और उसके बाद जनाब ऐजाज रसूल साहब की तरमीम की जरूरत ही नहीं रहती

[श्री अब्दुल बाकी]

फर्क इतना ही है कि जो तरमीम कौंसिल से आई है उसमें तो खुद ही यह बात कंट्रैक्ट के लफ्ज में मौजूद है कि यह कंट्रैक्ट रखा जायगा और माना जायगा और अदालत में भी उसी को जायज क़रार दिया जायगा और ऐजाज रसूल साहब ने तो उसी की तशरीह की है। इसलिये मैं समझता हूं कि बेहतर होगा कि मोहरिक साहब कंट्रैक्ट के लफ्ज पर ही इक्तफा करें और अपनी तरमीम को वापिस ले लें क्योंकि उसी से उनका मतलब हल हो जाता है क्योंकि वह वायड नहीं है और इसके मानी यह हुये कि दफा ६ का कांट्रैक्ट जायज रहेगा और कानूनी रहेगा और दफा ८ का नहीं रहेगा और यह बिलकुल साफ और सही मानी निकले। इन अल्फाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि जनाब ऐजाज रसूल साहब अपनी तरमीम को वापिस ले लें क्योंकि उन का मकसद हल हो जाता है।

श्री वीरेन्द्र शाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन नवाब ऐजाज रसूल साहब ने भवन के सामने रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं श्री बाकी साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तमाम कानूनी बातों को सदन के सामने रखकर मंत्री महोदय को भी परेशानी में डाल दिया।

माननीय श्री हुकुम सिंह--क्या आप बाकी साहब से इत्तफाक करते हैं?

श्री वीरेन्द्र शाह--मैं कहता हूं कि उन्होंने जो अपनी राय दी है वह मानें या न मानें लेकिन कम से कम वह भवन के सामने सूचना के तौर पर है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह जो संशोधन है उस पर बाकी साहब ने जो हमारी पार्टी के नहीं हैं अपनी इन्डिपेंडेंट राय दे दी है। वह कानून को जानते हैं और उनकी राय का क्या होगा यह तो अदालत में तै हो सकता है लेकिन आप वकीलों के लिये मसाला दे रहे हैं और वह जमींदारों और ठेकेदारों के लड़ने के लिये काफी है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है और यह सदन उसको समझ सकता है। अब मैं यह बतलाऊंगा कि मंत्री महोदय ने जो संशोधन के उत्तर में कहा और मेरा नाम लेकर कहा कि मैं बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूं कि जिनमें नाजायज ठेके हुए हैं और नाजायज कार्यवाही हुई हैं कि जिनको कोई भी इन्सान नहीं मानेगा और उसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय प्राइवेट बातें आज यहां लाये हैं तो उन्होंने भी मुझसे कहा है कि सीर की काश्त और सोर की जो जमीन जमींदारों की जा रही है यह भी जानी नहीं चाहिये और बेइंसाफी हो रही है। तो यह ठीक है, अपना-अपना विचार है, मंत्री महोदय ने अपना विचार रखा तो मैं भी अपना विचार रखता हूं।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि बहुत से जमींदारों ने आगे का लगान वसूल कर लिया है। वह तो जब जमीन वेस्ट हो जायगी उसके बाद इल्लीगल हो ही जायगा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत से भाई ऐसे हैं और वे हमारे कांग्रेसी जमींदार हैं जिन्होंने सरकारी प्रोग्राम को समझ कर २८ गुना में अपनी जमींदारी बेच दी। आप तो आठ गुना ही दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने २० गुना ज्यादा लेकर जमींदारी बेच दी और पैसा लेकर बैठ गये उनका पया क्या सरकार वापस करायेगी? मैं नाम नहीं बतलाना चाहता हूं लेकिन ऐसे जमींदार हैं, जो कोई गलत काम करे उसको फायदा नहीं होना चाहिये। लेकिन बहुत से जमींदारों ने ठेके दिये हैं जैसे मछली और जंगलात के ठेके। तो ऐसे ठेके तो हमेशा हुआ करते हैं। ये तो तीन साल या पांच साल के लिये होते हैं। अगर किसी इस्टेट को गवर्नमेंट कोर्ट आफ वार्ड्स में लेती है तो जो जमींदार ने कंट्रैक्ट (संविदा) दिया होता है उसको सरकार मान लेती है और और विधितः भी वह माना जाता है। जब आप हमारी इस्टेट ले रहे हैं तो उसमें जो ठेके तीन या पांच साल के हैं उनको भी मानिये। हां, अगर कोई २० साल का ठेका हो तो उसको आप नाजायज करार दे सकते हैं। आप कहते हैं कि सन् १९४६ ई० में प्रस्ताव आने के बाद जमींदारों का दिमाग खराब हो गया और समझ गये कि जमींदारी जा रही है लिहाजा बीस-बीस साल के ठेके कर दिये। आप मुझे क्षमा करें, जमींदारों

ने तो अभी तक नहीं जाना कि जमींदारी जा रही है। आप ही की पार्टी के लोग समझते थे जिन्होंने २८ गुना में बेच दिया। उन्होंने ठेके भी दिये होंगे।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि सरकार हमारे लिये तो यह कहती है कि जमींदारी जाने की वजह से जमींदारों का दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने रेजोल्यूशन के बाद ऐग्रीकल्चरल टैक्स क्यों लगाया। वही चीज यहां आप पर भी लागू होती है। मैं बहुत अदब से कहता हूं कि वह इस लिये लगाया गया कि आय कम हो। आमदनी का ५० फी सदी जो मालगुजारी जमींदार देते हैं करीब-करीब उतनी ही आमदनी कम करने के लिये आपने यह टैक्स लिया। इससे आप की भी नियत का पता चलता है। यह बात जनता जानेगी और भवन के अन्दर सदस्य भी इसको समझेंगे जब आप हम पर लांछन लगाते हैं तो हमें भी हक है कि इशारा कर सकें।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मैंने भी कोई बेअदबी नहीं की।

श्री वीरेन्द्र शाह—दोनों ही चीजें साथ-साथ चलती हैं। यह कहना कि जितनी चीजें हैं जमींदार ही करते हैं और आप की तरफ से कुछ नहीं हुआ, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं अर्ज करूंगा कि इस संशोधन को हम इसलिये पेश नहीं कर रहे हैं कि इसमें देर लगे और विधान परिषद् में जाय। लेकिन अगर ऐसी जरूरत हो तो कौंसिल की बैठक ८ तारीख से है। वहां आप इस बिल को भेज कर असेम्बली के दौरान में ही पास करा सकते हैं। इसमें देरी लगने की बात नहीं है, लेकिन जो गलत चीज है और जिससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और जनता का पैसा बर्बाद होगा ऐसी चीज आप न करें। ये छोटी सी चीजें हैं और उनके लिये सरकार को जेबा नहीं देता कि वह उन्हें न माने जब तक जमींदारी लाकुली वैस्ट नहीं होती तब तक तो हमारी ही मिलकियत है। अगर आप इस संशोधन को स्वीकार न करेंगे तो पब्लिक का रुपया बर्बाद होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त (मुख्य मंत्री)—स्पीकर महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो संशोधन काउन्सिल में किया गया उसके बारे में कुछ गलत फहमी है। अगर उसके असली माने सामने रखे जायं तो कोई काबिले उज्र बात नहीं मालूम होती। संशोधन यह कहता है कि अगर किसी जमींदार ने वैस्ट होने की तारीख के बाद जो मतालबा वाजिब होता है वह पहले वसूल कर लिया तो वह उसके मुआविजे से काट दिया जायगा। सिर्फ यहां तक संशोधन जाता है। वह यह बात नहीं कहता कि वह कांट्रेक्ट नाजायज होगा या उस एग्रीमेंट पर अमल नहीं किया जायगा। वह तो केवल वैस्ट होने के बाद के मतालबे की वसूली के बारे में इतना ही कहता है कि अगर ऐसा मतालबा वसूल हुआ हो तो मुआविजे से मिन्हा कर दिया जायगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि मान लीजिये कि किसी जमींदार ने वैस्ट होने के बाद का १० साल का मतालबा वसूल कर लिया है, जैसे कोई चरागाह दिये हों या कोई बहार बेच दी हो जो कि ऐसे पेड़ों की हो जो उसके बाद उसके न रहें तो उन सब के बारे में जो ऐसी आमदनी है वह मुआविजा शुमार करते वक्त हिसाब में ले ली गई है। जो जमींदार आइंदा के लिए कुछ वसूली नहीं करता है उसे तो बेचारे को कुछ नहीं मिलता है और अगर कोई दूसरा १० या १५ साल की वसूली पेशगी कर ले तो वह उसके पास कैसे छोड़ी जा सकती है? अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे इस संशोधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि दोनों किस्म के जमींदारों को एक ही तरह से नफा या नुक्सान होना चाहिये। जब मुआविजा कायम किया जाता है तो वह तो सालाना आमदनी पर किया जाता है और उसमें सायर की आमदनी का भी शुमार किया जाता है। उसके बाद जिन जमींदारों ने आइंदा के बारे में वसूल नहीं किया है उनको तो कुछ नहीं मिलेगा तो जिन्होंने वसूल कर लिया है उनके पास वह कैसे छोड़ा जा सकता है? इसमें एग्रीमेंट कन्ट्रक्ट को मन्सूख करने की बात नहीं है। सीधी सी बात है कि मान लीजिये पहली जुलाई से जमींदारी वैस्ट होती है तो उसके बाद किसी जमींदार को कोई आमदनी डाइरेक्ट नहीं होती और मुआविजे से ही उसे काम चलाना होता है। मगर किसी दूसरे ने पहली जुलाई

[माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

से सन् ५५ तक का वसूल कर लिया है तो उसका मुआविजा उस हद तक कम किया जाय या नहीं, यही सवाल है। पहले वसूल करने वाले को मुआविजा भी पूरा मिले और वसूली भी उसके पास रहे और न वसूल करने वाले को सिर्फ मुआविजे पर ही कनाअत करना पड़े, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। सब के साथ यकसां बर्ताव होना चाहिये। वैस्ट होने के बाद किसी को यह हक नहीं है कि उसके बाद के वक्त का कुछ वसूल कर सके। इसलिए अगर उस दिन के बाद के लिए किसी ने कोई वसूली की है, तो जाहिर बात है कि उसको उसी हैसियत में और उसी जगह पर रहना चाहिए जैसे कि और जमींदार हैं, जिन्होंने वसूली नहीं की है। इसलिए ऐसी जायद वसूली जिसने कर ली है उसका मुआविजा मिनहा कर दिया जाय, बस सिर्फ इतना इसका मतलब है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल इंसाफ की बात है और जैसा कि राजा साहब जगमनपुर ने बड़े जोर से कहा कि कम से कम उधर के बैठने वाले जो हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया और वह यह समझते हैं कि कोई ईमानदार जमींदार ऐसा नहीं कर सकता है, तो जहां तक ईमानदार जमींदारों का ताल्लुक है और उधर के बैठने वालों का ताल्लुक है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है, और जो लोग ईमानदार नहीं हैं और दूसरी जगह पर बैठा करते हैं उनको अगर नुकसान पहुंचेगा तो यह वह भी पसंद करेंगे। लिहाजा जहां तक उनका ताल्लुक है और जिनसे उनका ताल्लुक है उन्हें कोई नुकसान इससे नहीं पहुंच सकता है और अगर गैरों को पहुंचे तो इससे बहुत ज्यादा उनके दिल में ठेस नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि इसके बारे में गलतफहमी वह नहीं रहना चाहिए। कोई कान्ट्रैक्ट या ऐग्रीमेंट की बात नहीं है। सब जमींदारों को एक सा व्यवहार मिल सके, सब के साथ एक सा सलूक हो, इसी के लिए यह रक्खा गया है और इंसाफ पसन्द लोगों को इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और जब राजा साहब जगमनपुर समझते हैं कि उधर के बैठने वालों में कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया हो तो फिर उस तरफ की इसको मुखालिफत होने की कोई वजह नहीं भी है।

श्री साजिद हुसैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गौर से इस बहस को सुनता रहा और इस बात के मुताल्लिक गौर करता रहा कि अगर कोई जमींदार अपने किसी मौजे को किसी शख्स के हाथ फरोख्त कर दे, तो उसके बाद फर्ज कीजिए सन् ५० में उसने फरोख्त किया और किसी चीज का ठेका उसने सन् ५५ तक के लिए दे दिया, तो क्या जो खरीदार होगा वह जमींदार से वसूल करता फिरेगा। यह एक सिम्पिल ट्रांजेक्शन है, एक शख्स खरीदता है, और एक शख्स बेचता है। यहां पर फर्क सिर्फ यह है कि एक इंडिवीजुअल है और दूसरी पार्टी एक कम्पनी की हालत में है, बल्कि आप यह समझिए कि एक बहुत बड़ी कम्पनी है, करोड़ों आदमियों की एक ग्रीड कम्पनी है, जिसका नाम स्टेट है। यह एक ट्रांजेक्शन है और कोर्ट आफ ला के सामने दोनों बराबर हैं सिवाय इसके कि यह जो बड़ी भारी कम्पनी है उसको कुछ एडीशनल पावर्स दे दिए गए हैं। अगर यह कम्पनी किसी दूसरे शख्स से उसकी जायदाद खरीदती है, तो उस शख्स को जो आमदनी उससे होगी या हो चुकी है, उसका हिसाब यह कम्पनी करने बैठे, तो मेरे ख्याल में इसको कतई कोई हक नहीं है। जो कुछ उसने लिया है देख-भाल करके लिया है, आंखें बन्द करके नहीं लिया है। अगर उसको जायदाद लेना मंजूर नहीं है तो कह दे कि हम नहीं लेते हैं। यह अजीब किस्म के अनोखे खरीदार हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर यह क्या चाहते हैं। हमारी चीज है और हमको उसका सोलह आने कानूनी अख्तियार है। आप को लाख मर्तबा गरज हो, तो खरीदिए। हम तो यह नहीं कहते हैं कि हुजूर वाला खरीद लीजिए। अगर हुजूरवाला को खरीदने की जरूरत है, तो जो मार्केट रेट है, उसको देना चाहिए, लेकिन हुजूरवाला उसमें भी कमी कर रहे हैं। बनिए के घर में क्या तरीका है और वह

किस तरह से तोलता है। मैं वह लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमको हर तरह से दबाना कहां की जस्टिस है। इसी के साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं, कि प्राइवेट प्रापर्टी या तो है या नहीं है, दो फस्लो किसी स्टेट में कभी चल नहीं सकती है और अगर चलायी जायगी तो उस स्टेट का खातमा लाजिमी है। मैं इस चीज को गारंटी करता हूं कि या तो प्राइवेट प्रापर्टी है या नहीं है। अगर एक तरीके से यह कह दें कि यह चीज जमींदारी है लिहाजा इसके लिए हमारी यह ट्रांजेक्शन और रवैया है। अगर हम एक एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लेना चाहते हैं उसके लिए दूसरा हमारा रवैया है और तीसरी चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए तीसरा रवैया है। तो यह ट्रांजैक्शन है। यहां पर लोगों की कंसेंट से एक कम्पनी को कुछ पावर्स मिल गयी है और वह क्या है ? एक्वीजिशन की। लैन्ड एक्वीजिशन के रेट्स मुकर्रर हैं। उन रेट्स से भी कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं रखा जाता है। मैं तो खुद नहीं चाहता हूं कि प्राइवेट प्रापर्टी का लफ्ज कतई रहे। अगर वह खत्म किया जाय तो बिलकुल खत्म किया जाय, मैं तैयार हूं बिलकुल इसके लिए। लेकिन जब तक प्राइवेट प्रापर्टी रहेगी हमको एक सैंकटिटी प्राइवेट प्रापर्टी की माननी पड़ेगी, उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब हमसे कहा जाता है कि हम जो यह टेस प्राइवेट प्रापर्टी पर लगा रहे हैं वह जनहित में लगा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जनहित के लिए कोई कानून नहीं बदलता और अगर बदल जाता है तो सबके लिए बदल जाता है। ला के सामने सब बराबर हैं, वह चाहे इंडिविजूअल हो, कम्पनी हो या कोई मैग्निफाइड कम्पनी हो। अगर किसी शख्स ने अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज किया तो उसने कौन सा जुर्म किया, कौन सी गलती की? अगर गलती की तो दूसरी पार्टी जो खरीदती है उसकी आंखें मौजूद हैं। यह नहीं कि सब धान-पांच पसेरी के। यह तरीका खरीदने का नहीं है। क्या वह रुपया तिजौरी में रखे बैठा है? मैं कहता हूं कि ९० परसेंट जमींदार मकरूज हैं। कहीं उन्होंने कर्जे में अदा कर दिया तो और फिर अगर किसी के ऊपर कोई आफत और मुसीबत आए तो उसके लिए वह तिजोरी में थोड़े ही रखे बैठा है? कल जो मुआविजा मिलेगा, मैं तो उसको मुआविजा नहीं कहता हूं, वह तो एक किस्म की नामिनल चीज है। खैर जो कुछ भी उसको मिले कल को कौन उसको देखने वाला है? कल को २०-२२ लाख या डेढ़-दो करोड़ लोग आपके यहां एम्पलायड होंगे? कौन सा उनके लिए आरफनेज खुला हुआ है? कौन स्टेट उनकी जिम्मेदारी लेती है? यह कम्यूनिस्ट स्टेट भी नहीं है जो हर तरह की जिम्मेदार हो। यह तो १६ आना कैपिटलिस्ट स्टेट है। जब यह हालत हमारी है उस वक्त मुझे दुख हुआ कि हमारे मुख्य मंत्री जिनका मैं सच्चे दिल से कद्रदान हूं? जिनको लोगों ने उभार कर उनका ध्यान इस तरफ लगाया है इसका मुझे सब से बड़ा दुख हुआ। मैं उनका बहुत बड़ा मानने वाला हूं। उनके गलत रास्ते से हमारी स्टेट की बुनियाद, हमारी सोसाइटी की बुनियाद हिल रही है, उनको हिलाने की फिक्र की जा रही है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--हुक्म दिया जाय कि कुछ तरमीम के बारे में कहें।

माननीय अध्यक्ष--आप तरमीम पर ही महदूद रहें, ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २ मिनट पर अस्थायी सभापति समिति के सदस्य श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अस्थायी सभापति-- उठने के पूर्व श्री साजिद हुसैन अपना भाषण कर रहे थे वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री साजिद हुसैन--माननीय सभापति जी, मैं जिस संशोधन पर भाषण दे रहा था उसका संबंध इससे था कि आया जमींदारों ने जो रुपया लीगल तरीके से कंट्रैक्ट या ऐग्रीमेंट से ले लिया है वह रुपया उनके मुआविजे से कटे या न कटे। इस सिलसिले में सरकार की जानिब से यह कहा गया कि कन्ट्रैक्ट तो बिलकुल वैलिड रहेगा। कंट्रैक्ट पर इसका कोई असर नहीं, सिर्फ रुपया जो ले लिया गया है वह ले लेंगे। यह कंट्रैक्ट कैसा है ? कंट्रैक्ट वैलिड रहे, उसके मातहत जो कार्रवाही हुई वह भी ठीक रहे, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़े। यानी यह एक किस्म की पेनालिटी है वह कंट्रैक्ट करने की जो बिलकुल लीगल वैलिड तरीके से किया गया और प्रोपराइटरी राइट्स के अन्दर किया गया। इसके लिए सरकार के पास कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। उन्होंने इंसाफ का दावा यह किया हम सब जमींदारों को बराबर समझते हैं। मगर जहांपर रिहैबिलिटेशन ग्रांट मुकर्रर की वहां पर सरकार की नजर में कोई बराबर नहीं दिखलायी दिया। उसमें कहा गया कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होतीं। छोटी-बड़ी होती है। लेकिन जब सरकार को ऐसी कोई तरकीब दिखलायी दी कि उसको माली फायदा पहुंच जाय वहां इंसाफ दिखायी दिया और वहां पांचों उंगलियां बराबर दिखायी दीं। यह एक किस्म की इनकंसिस्टेन्सी है जैसा कि मैंने इस सिलसिले में अर्ज किया था यह एक पूरी ट्रांजेक्शन के तरीके से होना चाहिए कि एक इंसान के पास एक चीज है, खोटी या खरी। सरकार को लाख मरतबा गरज हो वह उसको ले। जमींदारों की तरफ से कोई डेपुटेशन सरकार के पास नहीं गया। मेरे इल्म में और अगर किसी इंडिविजुअल जमींदार ने ऐसा किया तो फिर उसके कांसीक्वेंसेज के लिए तैयार रहना चाहिए और फिर सरकार के हाथ में है जो रकम समझे वह दे दे, जो रकम चाहे मुआविजे में से काट ले, मुआविजा दे या न दे जब कि उसकी दरख्वास्त है कि साहब जमींदारी हमको खल रही है आप ले लीजिए, बड़ा अहसान हम पर होगा, अगर यह बोझ हमारे सर से हटा दें। लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। यहां तो 'ले दहो' और 'ला दहो' का सवाल है, सप्लाई और डिमांड का सवाल है। तो इंसाफ का तकाजा यह है कि जो दाम हम कहें वह हमें मिलना चाहिए। जो शर्तें हमारी हों वह सरकार को मंजूर करनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो कम से कम जो मार्केट रेट है उसको मानना चाहिए। अगर वह नहीं मानते तो यह तो किसी तरीके से मुनासिब और जायज नहीं ह कि आप पेनलाइज करें, जमींदारों के मुआविजे से रकमें काटें जिसमें उनका कोई हाथ नहीं और जो बहुत जायज और सही तरीके से अमल में आया। मेरे ख्याल में सरकार यह रास्ता निहायत गलत अख्तियार कर रही है। अगर कल को सरकार इसी तरीके से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के सिलसिले में यह तरीका अख्तियार करेगी तो उस वक्त क्या सरकार को यह हिम्मत होगी, क्या सरकार यह कर सकेगी कि यह तुमने कैसे कंट्रैक्ट किया? मेरा यकीन है कि सरकार में न हिम्मत है और न उसका ऐसा इरादा है। तो फिर क्यों नास्ट्रिल्स में स्ट्रिंग करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। क्यों उनके लिए ऐसी सूरतें करते हैं जब वह भी इसी देश के रहने वाले हैं इस भारतवर्ष के रहने वाले हैं और बराबरी का हक रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे लिए कोई कमी नहीं रखी गयी ह, बहैसियत सिटिजन के बराबरी के राइट्स हैं। तो यह इंविडिअस डिस्टिंक्शन जमींदारों के लिए ही क्यों? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं यह देखता हूं। यह निहायत शर्म की बात है कि इस तरह से पेटी (तुच्छ) बातें कर के परेशान करें। अगर नाजायज तरीके से आप यह करेंगे तो इससे क्या तरक्की हो जायगी। यह मुल्क लिए के गलत रास्ता है, यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, दुनिया भर की बातों पर ठेस लगाता है। इन चन्द शब्दों के साथ हमारे माल मंत्री जी इस पर फिर गौर करें और अगर वह ऐसा करते हैं तो वह इस संशोधन को जरूर मंजूर करेंगे।

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर फार रैवन्यू और मुख्य मंत्री जी की तकरीरों को बड़े गौर से सुना। माननीय मुख्य मंत्री ने यह फरमाया

कि हमारी इस दफा का मतलब यह है कि हम कन्ट्रेक्ट तो इनवैलिड नहीं करते हैं, लेकिन अगर रुपया वसूल कर लिया गया हो तो हम इंटरमीडियरी से उस साल का रुपया वसूल कर लेंगे। अब अगर आप देखें कि यह किस तरह से मुनासिब और जायज है तो आपको पता चलेगा कि कम्पेंसेशन से जो जायज ऐग्रीमेंट हुए हों, जैसे कि बाकी साहब ने अपनी तकरीर में वजाहत से बतलाया गया कि अगर कोई कन्ट्रेक्ट जायज हैं और दो पार्टीज के अन्दर हो गया है तो वह इनवैलिड हो नहीं सकता जब तक कि वह ला कोर्ट में इनवैलिड डिक्लेयर न हो जाय। अब गवर्नमेंट ने उसको बचाने के लिए और अपने को बचाने के लिए यह तरकीब निकाली कि हम ऐग्रीमेंट को तो चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो रुपया मध्यवर्ती ने या जमींदार ने वसूल कर लिया है वह रुपए उसके कम्पेंसेशन से वसूल करलें और अगर कम्पेंसेशन से वसूल न हो तो हुजूरवाला, इस दफा में 'अदर मोड आफ रिकवरी' जो है उससे वह वसूल कर लेंगे। यह बात इस दफा में लिखी गई है अगर हुजूरवाला व ह यह है कि:—

"Without Prejudice to any other mode of recovery"

(वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए।)

यह बहुत जायज और मुनासिब बात थी कि जब जायदाद गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाय तो आइंदा जो रुपया वसूल किया जायगा वह गवर्नमेंट वसूल करे, लेकिन यह दफा बढ़ा कर उस अच्छी दफा को निहायत बदसूरत तरीके से पेश किया गया है।

हुजूरवाला, मेरे दोस्त बाकी साहब ने यह फरमाया कि जब एक चीज वाजे हैं तो उसकी वजाहत की क्या जरूरत है और मैंने इस तरमीम को क्यों पेश किया। इस वजह से पेश किया कि गवर्नमेंट कहीं इससे नाजायज फायदा न उठा ले। एक पोशीदा चीज को मैं वाजे कर देना चाहता हूं और ला के अन्दर कनफाइन कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो यह दफा है:—

"(i) all rents, cesses, local rates and sayar in respect of any estate or holding therein for any period after the date of vesting and which, but for the acquisition, would be payable to an intermediary, shall vest in and be payable to the State Government and not to the intermediary and any payment made in contravention of this clause shall not be valid discharge of the person liable to pay the same;

(ii) where under an agreement or contract made before the date of vesting any rent, cess, local rate or sayar for any period after the said date has been paid to or compounded or released by an intermediary the same shall be recognised as valid by the State Government."

[(१) किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लगान, अवबाब, स्थानिक कर और सायर जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न हस्तगत किए जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा;

(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहिले किए गए किसी अनुबंध या संविदा के अधीन कोई लगान, अवबाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसंधित अथवा अभितिक्त हो गया हो तो वह राज्य सरकार द्वारा वैध समझा जायगा।

[श्री एजाज रसूल]

उसके बाद जितने अल्फाज हैं "नाट विथए स्टैंडिग विथ ऐग्रीमेंट से लेकर चैप्टर तीन तक", उनको काट दिया जाय और उसकी वजह से मैंने एक नयी दफा रख दी है। मेरा मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट्स पहले हो गए हों वे जायज समझे जायं। ऊपर की जैसी असेम्बली की दफा है उसमें कोई तरमीम नहीं पेश की है, इसलिए कि मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐग्रीमेंट हुआ हो और उसका रुपया वसूल न हुआ हो तो वह गवर्नमेंट वसूल कर ले। गवर्नमेंट ने यह अनोखा तरीका निकाला है कि ऐग्रीमेंट से हम इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंट्रेक्टर दावा कर देता है तो सरकार को भी अदालत में जाना पड़ेगा, लेकिन दुबली गर्दन के जमींदार ही हैं इसलिए उनको नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं और उसमें गवर्नमेंट को आसानी है और इसलिए यह तरीका रखा है कि मुआविजा में से रुपया काट लेंगे और अगर ज्यादा वसूल कर लिया गया हो तो और कोई तरीका अख्तियार करके, जेलखाने भेज कर, प्रापर्टी अटैच करके या जो भी तरीका हो उसको अख्तियार करके, रुपया वसूल कर लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, हुजूरवाला, कि यह कहां का जायज और मुनासिब तरीका है कि यह गवर्नमेंट, जो कि जनता की गवर्नमेंट है, इस सूरत से एक खास क्लास को खत्म करने के लिए ये हथकंडे अख्तियार करे और इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है।

हुजूरवाला, मिनिस्टर सहाब ने यह फरमाया कि पेशगी लगान वसूल हो जाता है हो सकता है कि एक-दो दिन मिसाल ऐसी हो, लेकिन आज कल के जमाने में जब हर काश्तकार अपने हुकूक से वाकिफ है और जब हर काश्तकार यह जानता है कि अनकरीब जमींदारी खत्म होने वाली है, कौन शख्स जमींदार को पेशगी लगान देगा? और आपने आप नुकसान उठाएंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--फर्जी काश्तकार जो बनाये गये हैं।

श्री ऐजाज रसूल--उनका कोई मतलब यहां नहीं है। अगर फर्जी काश्तकार बनाएंगे तो उनका लगान तो गवर्नमेंट आयंदा वसूल कर लेगी। अगर उनका रिकार्ड हो गया यानी पटवारी की खतौनी में इसका इंदराज हो गया तो आयंदा गवर्नमेंट जिसको वेस्ट करेगी उससे लगान वसूल कर लेगी।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--और आगे के दस साल की रसीद दे देगी।

श्री ऐजाज रसूल--यह तो मौर्य जी का ही तरीका है वैसे ऐसा कोई तरीका नहीं है। मुझे कोई इसटेंस दी जाय। महज ख्याल की दुनिया में, महज यह ख्याल करके कि यह हुआ होगा, जमींदारों ने यह किया होगा। लिहाजा हमें भी यह सब बातें करनी चाहिए। यह तो मेरे ख्याल में एक जनता की गवर्नमेंट को जायज और मुनासिब नहीं है कि किसी भी सूरत से यह सब तरीके अख्तियार किए जायं अगर आप देखें तो मालूम होगा कि अगर बरफ भी गिरे तो वह जमींदारों पर ही गिरता है, क्योंकि और कोई तो बाकी नहीं रहा, इसलिए चलो इनको भी खत्म करें। कहीं यह पोलीटिकल राइवल्स आगे उठ न खड़े हों। लिहाजा इनको दबा दिया जाय। हर तरीके से कानून के शिकन्जे को खींचा गया।

अब रहा हुजूरवाला, सायर का सवाल तो सायर की डेफनीशन देखी जाय, सायर की यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में जो डेफिनीशन लिखी हुई है। वह यह है कि--:

'Sayar' includes whatever is to be paid or delivered by a lessee or a licensee on account of a right to grain, produce, forest rights, fisheries and the use of water for irrigation from artificial sources.

(सायर में वह चीज शामिल है जो एक पट्टेदार या लाइसेंसदार को जिन्स के जमा करने के अधिकार, जंगल के अधिकार, मछलियों के शिकार, आबपाशी के लिए बनावटी जरिए से पानी लेने के बदले देना या हवाले करना पड़े।)

यह डेफिनीशन है। मेरे लीडर नवाब साहब ने यह कहा और जायज कहा कि अगर किसी को फारेस्ट का ठेका दे दिया गया है और उसने रुपए लगा दिए हैं। उसको तो कुछ नहीं लेकिन अगर जरूरत पड़ी और रुपए ले लिए ? जब हम मालिक थे और हम ठेका देते थे और इससे पहले भी माल मंत्री मानेंगे कि जब जरूरत पड़ती थी तो जमींदार अपने गांवों पर कर्जा ले लेते थे और अक्सर अपने गांव को वह पटौती पर दे देते थे कि दो साल तक तुम इसकी मालगुजारी लो, बाद को हमें गांव वापस कर देना। अगर जमींदार ने कोई मुआहिदा किया है तब तो जमींदारों को पेनेलाइज किया जाय। लेकिन यह नहीं कि तुम्हारे मुआहिदे से वसूल कर लेंगे या और मोड आफ रिकवरी से वसूल कर लेंगे। यह कहां का इंसाफ है? आपने यही बहुत किया है कि जमींदारों को खत्म किया। फिर यह उनके साथ सलूक करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं अपना अमेंडमेंट वापस नहीं लेता हूं और ऐवान से अर्ज करूंगा कि वह इसको स्वीकार करे।

माननीय श्री हुकुम सिंह --माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय मुख्य मंत्री की तकरीर के बाद मेरा काम बहुत आसान हो गया है मगर, मेरा फर्ज है कि आखिर में कुछ अर्ज करूं, इसलिए फर्जअदायगी करने के लिए मैं खड़ा हूं। हमारे लायक दोस्त बाकी साहब ने कान्ट्रेक्ट ऐक्ट पर एक लम्बा लेक्चर दिया, यह दिखाने के लिए कि कांट्रेक्ट और ऐग्रीमेंट में फर्क है। किसी शख्स ने इस तरफ से इंकार नहीं किया था कि इसमें फर्क नहीं है। फर्क है ऐग्रिमेंट और कांट्रेक्ट में। वायड और वायडेबिल में भी जो बारीकी का फर्क है उससे भी यही जाहिर करने की कोशिश की गयी और इस सदन का काफी वक्त लिया गया। इन सब बातों को बतलाते हुए मेरे लायक दोस्त ने फरमाया कि ऐग्रीमेंट और कांट्रेक्ट तो नाजायज हो ही नहीं सकता क्योंकि इस धारा में भी नहीं कहा गया और जब कांट्रेक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो इसके मानी जायज कांट्रेक्ट के ही थे।

श्री अब्दुल बाकी--मैंने यह कहा था कि इब्तदा में कांट्रेक्ट वायड नहीं हो सकते।

माननीय श्री हुकुम सिंह--हां आपके कहने का यही मतलब होगा। शायद वह इस ख्याल में थे कि सरकार इस प्राविजन के जरिए से ऐग्रिमेंट या कांट्रेक्ट को नाजायज करार देना चाहती है और गालिबन यह गलतफहमी मेरे दोस्त को इसमें जो एक लफ्ज है उससे पैदा हुई। "नाट विथ स्टैंडिंग" का जो लफ्ज है उससे शायद मेरे दोस्त यह समझें कि इसके जरिए से यह ऐग्रिमेंट या कांट्रेक्ट नाजायज करार दिया जाता है और जो फायदा जमींदारों या इंटरमीजियरीज ने इन ऐग्रिमेंट और कांट्रेक्ट्स के अन्तर्गत हासिल किया है वह उनसे वापस ले लिया जायगा। मैं अपने लायक दोस्त से यह अर्ज करूंगा, यह मैं कैसे कहूं कि वह समझे न हों, लेकिन कोई न कोई मिसअंडर स्टैंडिंग जरूर हुई। नाट विथ स्टैंडिंग के लफ्ज से यह असर नही होता कि वे ऐग्रिमेंट और कांट्रेक्ट्स नाजायज हैं। मेरे दोस्त कानून पेशा हैं और काफी उनको तजुर्बा भी है। अक्सर ऐसे प्रेजेज कानून में मिलते हैं। अगर वह टेनेंसी ऐक्ट देख लें जो रोजमर्रा उनकी नजर से गुजरता होगा, उस की कुछ धाराएं हैं। धारा ८१, धारा ८३ और ९१ इन सब दफात में शुरुआत लफ्ज नाटवियस्टैंडिंग से ही है। उसके यह मानी नहीं उसके बाद जिनका हवाला दिया गया सब नाजायज हैं। जैसे मिसाल के तौर पर श्रीमन् के आज्ञा से मैं धारा ८३ की दो लाइंस पढ़ देना चाहता हूं:--।

"Notwithstanding any thing in the last preceding section when a decree or order for the enhancement of rant of any holding is passed".

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

(पिछली धारा में किसी चीज के होते हुए भी जब किसी खाते के लगान को बढ़ाने के लिए कोई डिग्री या आदेश दिया जाय.......)

इसके यह मानी नहीं कि प्रोसीडिंग्स सेक्शन नाजायज करार दे दिया जायगा। मानी यह हैं कि इस के होते हुए भी यह बात होगी। इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पर यह फ्रेज और अल्फाज मिलेंगे लिहाजा इसके मानी नहीं होते कि जहां पर ऐग्रिमेंट और कांट्रेक्ट के सिलसिले में नाटविथस्टैंन्गि का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाय तो ऐग्रिमेंट और कान्ट्रेक्ट वायड और वायडेबिल तसव्वर किया जाय। मानी यह हैं कि उनके होते हुए भी इस बात का प्राविजन किया गया है कि अगर किसी इंटरमीडियरी ने वेस्टिंग के बाद समय का कोई लगान वसूल किया गया हो और चूंकि वेस्टिंग के बाद उनका हक बाकी नहीं रहता और पेशगी उन्होंने वसूल कर लिया हो तो वह कांट्रेक्ट या ऐग्रिमेंट जायज होते हुए भी वह उस रकम को वापस करने के मुस्तजो होंगे क्यों कि वेस्टिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट मुस्तहक होगी उसके वसूल करने के लिए। इसमें यह इंतजाम किया गया है कि इंटरमिडियरीज की रकम से वह मतालबा वसूल कर लिया जाय। यह तो सीधा-सादा मामला है इसमें कोई पेचीदगी नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी गई, जिससे कि किसी किस्म की गलतफहमी हो। इससे यह बात मालूम नहीं होती कि जमींदारान पतली गर्दन वाले होते हैं लिहाजा उनको हलाक करने की कोशिश की जा रही है। एक से एक मोटी गरदन वाले जमींदार मौजूद हैं। न हमें तो किसी से कोई अदावत नहीं है, लेकिन यह तो एक सीधी इंसाफ की बात है, इंसाफ का तकाजा है कि जिस वक्त तक आप उसके मालिक हैं आप उसी वक्त तक उसके लागन के वसूल करने के मुस्तहक हैं और जिस वक्त आप उसके मुस्तहक नहीं हैं अगर आप ने यह लगान वसूल कर लिया है तो वह वसूलयाबी जायज वसूलयाबी नहीं है बल्कि नाजायज है। उसको आप हजम नहीं कर सकते। वह तो पब्लिक का रुपया है उसको सरकार वसूल कर सकती है, वह पब्लिक के खजाने में जायगा। और पब्लिक के फायदे के लिये सर्फ किया जायगा इसके सिवाय इसको रखने का और कोई ख्याल नहीं है। हमारे राजा साजिद हुसैन साहब न रिसेस के पहिले भी और बाद में भी तकरीर की, उन्होंने तरमीम से कम वास्ता रखा और ज्यादातर बातें उन्होंने वे कीं जो उन्होंने ऐनीमल हस्बेंडरी के सिलसिले में कौंसीड की थीं। उन्होंने कोई बुनियादी बात नहीं की, नहीं तो उसका जवाब बुनियादी देना पड़ता और कुछ मुश्किल या दिक्कत भी होती। लिहाजा इन चंद शब्दों के साथ मैं फिर इस तरमीम को मुखालिफत करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी--क्या आनरेबिल मिनिस्टर साहब साफ साफ अल्फाज में यह कहना चाहते हैं कि वे कांट्रेक्ट जो वेस्टिंग के बाद होंगे वे वाइड समझे जायंगे जैसा कि संशोधन में है ?

माननीय श्री हुकुम सिंह--We are not declaring it void or voidable.

(हम इसको निराकृत अथवा निराकरणीय प्रख्यापित नहीं कर रहे हैं।)

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि धारा ६ (ग) (२) के स्थान पर निम्नलिखित नयी उपधारा ६ (ग) (२) रखी जाय:--

"(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गए किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान; अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनों के बाद के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, तो उक्त अनुबन्ध या संविदा राज्य सरकार द्वारा वैध समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर अस्वीकृत हुआ --)

पक्ष में--११

अजित प्रताप सिंह, श्री
ई० एम० फिलिप्स, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
गुरु नारायण, श्री
नवाजिश अली, श्री
प्रयाग नारायण, श्री
मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी, श्री
मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री
राजकुंवर सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
साजिद हुसैन, श्री

विपक्ष में--५२

अचल सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री
इतिजा हुसैन, श्री
कृपा शंकर, श्री
गोपाल नारायण सक्सेना, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चरण सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
त्रेपन सिंह, श्री
दयाल दास भगत, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
नवाब सिंह चौहान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेम किशन खन्ना, श्री
प्रेमलाल वैद्य, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव प्रसाद, श्री
बादशाह गुप्त, श्री
ब्रजरानी देवी, श्रीमती
भारत सिंह यादवाचार्य, श्री
भीमसेन, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मुहम्मद एवज, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
यज्ञनारायण उपाध्याय, श्री
रघुवंश नारायण सिंह, श्री
रघुबीर सहाय, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री
लालन दास जाटव, श्री
लाल बिहारी टंडन, श्री
लोटनराम, श्री
विश्वनाथ राय, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
बीरबल सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदयाल उपाध्याय, श्री
श्यामलाल वर्मा, श्री
श्याम सुन्दर शुक्ल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सीता राम अष्ठाना, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री
हुकुम सिंह, माननीय श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

श्री अब्दुल बाकी--जनाब चेयरमैन साहब, मैं तजवीज करता हूं कि धारा ६ (ग) (२) की पंक्ति ५, ६ तथा ७ से निम्नलिखित वाक्यखंड निकाल दिए जायं --

"या उसके द्वारा अभिसन्धित (compounded) अथवा अभितिक्त (released) हो गया हो"

जनाब वाला, कौंसिल से जो तरमीम मंजूर हो कर आयी है उस तरमीम के ऊपर के टुकड़े से अगर लगाया जाय तो दोनों का मतलब यही निकलता है कि अंग्रेजी के वर्जन सी (१) में यह कहा गया है कि:

"all rents, cesses, local rates and sayar in respect of any estate or holding therein for any period after the date of vesting which, but

[श्री अब्दुल बाकी]

for the acquisition, would be payable to an intermediary, shall vest in and be payable to the State Government and not to the intermediary and any payment made in contravention of this clause shall not be valid discharge of the person liable to pay the same:"

[(१) किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से संबंधित ऐसे सभी लगान, अबवाब स्थानिक कर और सायर, जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न हस्तगत किए जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायंगे और उसको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा;]

यानी अगर काश्तकार ने कोई लगान या अबवाब या सायर वैस्टिंग के जमाने के बाद जमींदार को अदा कर दिया हो तो उस काश्तकार के मुताल्लिक यह समझा जायगा कि वह बरी जिम्मा नहीं हुआ और उसके जिम्मे स्टेट का बकाया है, यानी (१) में तो यह है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। लफ्ज आये हैं कि " shall be payable to the State (राज्य को देय होगा) " यानी स्टेट उससे वसूल कर सकेगी और वह जिम्मेदार है स्टेट को अदा करने का। अब दूसरे फिकरे में जो तरमीम हो कर आयी है उसमें यह कहा गया है कि अगर जमींदार ने वसूल कर लिया हो या सुलह कर ली हो या छोड़ दिया हो तो उस सूरत में स्टट जमींदार से वसूल करेगी। जहां तक उसे लगान वगैरह का ताल्लुक है, जिसको जमींदार ने वसूल किया ह, यह तो उसूलन सही मालूम होता है कि जब कोई स्टेट इस गवर्नमेंट की हो गयी तो उसके बाद की जो रकम है उसको जमींदार वसूल नहीं कर सकता है। अगर वसूल कर लिया है तो वह गवर्नमेंट वापस ले लेगी। लेकिन दो शकलें और हैं, जिसमें जमींदार ने वसूल नहीं किया ह, आया वह भी जमींदार से वसूल किया जायगा यानी अगर जमींदार ने छोड़ दिया या सुलह के जरिये से कहा कि हम नहीं लेंगे, कम्पाउंड कर दिया या रिलीज कर दिया तो जो तरमीम आयी ह उसमें यह है कि जमींदार ने वसूल किया हो तो भी उसे देना पड़ेगा और अगर छोड़ दिया हो तो भी देना पड़ेगा। यह अजीब सी बेजाप्तगी है, क्योंकि जो वसूल नहीं हुआ वह तो काश्तकार से वसूल ही किया जा सकेगा जैसे (१) में है तो जमींदार से वसूल करने का स्टेट को कहां से हक हासिल होगा। दूसरी जो इसमें जहमत है, मैं कल अर्ज कर रहा था कि कांस्टिट्यूशन के मुताबिक हमको जो इंग्लिश वर्जन दिया जायगा वह सही तर्जुमा होगा। जनाबवाला की वसातत से अर्ज मैं यह करना चाहता हूं कि इसमें लफ्ज दिया गया है कि:

"Where under an agreement or contract made before the date of vesting any rent, cess, local rate or sayar for any period after the said date has been paid to an intermediary the same shall be recoverable."

(यदि निहित होने के दिनांक से पहले किए गए किसी अनुबंध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिए मध्यवर्ती को दे दिया गया हो, वसूल किया जा सकेगा।)

मैं अब यह कहना चाहता हूं कि जो हिन्दी का वर्जन दिया गया है उसमें तो यह है कि वसूल किया जा सकेगा और इसमें यह है कि जरूर वसूल होगा। इन दोनों में फर्क है, यानी अंग्रेजी में जो "may recover (वसूल कर सकता है)" उसका तर्जुमा तो हिन्दी में दिया हुआ है, मगर जो अंग्रेजी में तर्जुमा है वह shall be recoverable (वसूल किया जा सकेगा) यानी कम्पल्स ी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरमीम के जरिये से जो तर्जुमा है उसके माने यह हैं कि जमींदार ने चाहे वसूल किया हो या उस रकम को जमींदार ने न पाया हो, हर सूरत में जमींदार मजबूर किया जायगा वह रकम देने के लिए जिसके लिये उसन छूट दे दी हो या सुलह कर लिया हो। अभी म तकरीर सुन रहा था आनरेबिल प्रीमियर की और वे कहते थे कि इसके तो सिम्पिल माने यह ह कि

जो जमींदार ने वसूल कर लिया होगा स्टेट उसे वसूल कर लेगी। मगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने शायद बाला बाला यह तकरीर कर दी। उन्होंने इस पर नजर नहीं डाली कि इस दफा में यह नहीं किया गया है, बल्कि इस दफा में इतनी ज्यादती की गयी है कि जमींदार ने वसूल कर लिया हो तो देना पड़ेगा और न किया हो, छोड़ दिया हो या सुलह कर ली हो तब भी देना पड़ेगा। यह मेरे ख्याल में एक ऐसी बेउसूली है, जब्र है, सितम है, जुल्म है, चाहे जो भी लफ्ज इस्तेमाल कीजिए --कि कभी भी दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं होगा अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो तो उसे उसकी सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म न किया हो, रिलीज या कम्पाउंड कर दिया है, तो यह सिविल लाइबिलिटी होती है क्रिमिनल नहीं होती। जब तक क्रिमनल नहीं होती उस वक्त तक आप किसी को मजबूर करके उससे पेनाल्टी नहीं ले सकते। यानी जमींदार ने वसूल भी नहीं किया और आप कहते हैं कि नहीं, जरूर देना होगा और लफ्ज आप ने रखा है shall be recoverable (वसूल किया जा सकेगा)। मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजी का बड़ा बेजा तर्जुमा है। जैसा कि मैं कल कह रहा था, तर्जुमा सही होना चाहिए। तर्जुमा करते समय इसे नजर अन्दाज कर दिया गया कि shall और may में क्या फर्क है। अगर वसूल कर लिया है तो जमींदार से लिया जायगा और अगर उसने रिलीज या कम्पाउंड कर दिया है तो उसका प्रावीजन सी (१) में मौजूद है। अगर काश्तकार ने दे भी दिया हो तो उसको जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, यह उसमें है। अगर नहीं दिया है तो वह तो सिम्पिल ला है। रेंट या लोकल रेट वगैरह तो दे ही देगा, बह किसी ने वसूल नहीं किया है। इसलिए वह तो सवाल पैदा ही नहीं होता। यह तरमीम बहुत ही सादी और वाजे है। इसमें जहां तक कम्पाउंड और रिलीज करने का सवाल है, दोनों अल्फाज को उड़ा दिया जाय तो वह इससे सीधी सादी बात हो जायगी कि अगर काश्तकार ने नहीं अदा किया है वेस्ट के बाद का रेंट, सेस, लोकल रेट, सायर जमींदार को तो गवर्नमेंट तो वसूल कर ही लेगी और अगर जमींदार ने वसूल किया है तो उससे लिया जायगा। या तो कम्पाउंड और रिलीज का लफ्ज अपनी जगह पर सही नहीं है और या आप कहते हैं कि सही है तो यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जनाबवाला के जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर साहेब से अर्ज करूंगा अगर वह मेरी तरमीम पर गौर करेंगे तो वह मानेंगे कि यह दोनों अल्फाज यहां पर नहीं होनी चाहियें। काउंसिल से जो तरमीम आयी है उसमें से इन अल्फाज को निकल जाना चाहिए।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, मैंने अपने मित्र बाकी साहब की तरमीम से और उनकी तकरीर से यह नतीजा निकाला कि जहां तक इस धारा ६ की उपधारा (ग) के सब क्लाज (२) का उसूल है वह उससे इत्तफाक करते हैं। अगर जमींदार ने वस्ट के बाद का किसी समय का लगान या लोकल रेट वगैरह वसूल कर लिया हो तो वह उससे वसूल कर लिया जायगा यानी मुआविजे में से मिनहा कर लिया जायगा। इस उसूल को मेरे लायक दोस्त बाकी साहब तसलीम करते हैं।

अब बाकी उनको इस बात में शिकायत है कि अगर यह रकमें कम्पाउंड हुई हों या रिलीज हुई हों तो क्यों वसूल की जायं। यह नहीं होना चाहिए और इस खयाल से हमारे मित्र ने यह तरमीम उपस्थित की है और मुझे हुक्म भी दिया है कि मैं इस तरमीम को मानूं लेकिन कब्ल इसके कि मैं हुक्म की तामील करूं, मैं भी हक बजानिब हूं यह दरियाफ्त करने के लिए, अगर किसी जमींदार पर किसी काश्तकार की ५०० रु० की डिग्री अदालत दीवानी की हो और उस काश्तकार के जिम्मे जमींदार का ५०० रु० बकाया लगान हो, और दोनों आपस में मसलहत कर लें जमींदार साहब कह दें कि हमारा ५०० रु० बकाया लगान है वह आप की डिग्री में मुजरा हो जाय, काश्तकार अदालत दीवानी में जा करके दरख्वास्त दे दे कि मेरा मतालबा वसूल हो गया और डिग्री दाखिल दफ्तर हो जाय, काश्तकार भी छुट्टी पा जाय और जमींदार भी छुट्टी पा जाय, ऐसी हालत में अगर कम्पाउंड का लफ्ज निकाल दिया जाय तो क्या असर होगा। मेरे दोस्त ने तो इस शब्द को निकाल दिया, लेकिन जो उनकी लायबिलिटी डिग्री के तहत में थी उससे वह सुबुकदोश हो गया और उस पीरियड का मतालबा उसने उस डिग्री

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

में मुजरा दे दिया जो वेस्टिंग के बाद का पीरियड था, जिस वक्त कि वह उस जमीन का मालिक नहीं रहा था और लगान पाने का मुस्तहक भी नहीं था, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर वह मतालबा जमींदार से वसूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस कानून से महज काश्तकार की अदायगी को हम वैलिड डिस्चार्ज मानते हैं, वह सुबुकदोश हो जायगा, हम उससे फिर नहीं वसूल करना चाहते, लेकिन जिस शख्स को कोई हक नहीं था पाने का और उसने वसूल किया, तो उसका फर्ज हो जाता है कि वह उस मतालबे को वापस करे। ऐसी सूरत में कम्पाउंड हो जाने पर अगर हम यह तरमीम मान लें तो यह मतालबा कैसे वसूल होगा, बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इस उसूल को मान करके कि यकीनन वेस्टिंग के बाद इंटरमीडिएरीज लगान पाने के मुस्तहक नहीं हैं, मेरे लायक दोस्त अगर इस तरमीम को पेश करके ऐसा लूपहोल छोड़ देना चाहते हैं जिस से उस उसूल की खिलाफवर्जी की जा सके तो मैं इसको किसी तरह वाजिब और मुनासिब नहीं समझता।

इसी तरह अगर यह रिलीज का लफ्ज निकाल दिया जाय, तब भी गुंजायशें हो सकती हैं और मैं अपनी बात एक जुमले में खत्म कर देता हूं कि अगर यह तरमीम मान ली जाय तो सब-क्लाज रक्खा गया है उसका सारा मतलब खत्म हो जायगा और फ्राड के लिए गेट्स बिलकुल वाइड ओपेन खोल दिए जायेंगे और कल ही से वसूली तो नहीं की जायगी लेकिन लोग रिलीज करते रहेंगे और रिलीज कोई मुफ्त में नहीं करता है। सही बात कहने में तल्ख मालूम होती है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता और बिला वजह कोई गर्मी भी नहीं पैदा करना चाहता। जो ठंडक इस वक्त है वही बदस्तूर कायम रहे और मेरी यही ख्वाहिश है कि ठंडे दिल से हम सब लोग सोचें। इसमें दिक्कतें पड़ेंगी और अड़चनें होंगी। ऐसी सूरत में म अपने दोस्त से अर्ज करूंगा कि यह तरमीम नामुनासिब है, इसे अगर वापस ले लें तो ऐन इनायत होगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस तरमीम की मुखालिफत करता हूं।

श्री मुहम्मद उबैदुर्रहमान खां शेरवानी—जनाब सदर, जो तरमीम मेरे दोस्त अब्दुलबाकी साहब ने पेश की है और अभी उसका जवाब जनाब वजीर साहेब ने दिया है उस तरमीम की ताईद इस ऐवान के सामने करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे नजदीक जो कुछ अब्दुल बाकी साहब ने कहा वह बहुत मुनासिब, माकूल और निहायत कानूनी बात है। इसमें शुबहा नहीं कि जो तरमीम इस जेल में कौंसिल ने करके भेजी है वह उस बयान को जो कल इस ऐवान के सामने एक मेम्बर साहब ने इस तरफ से खड़े हो कर कहा था कि यह कानून और ज्यादा सख्त हो कर आया है, ताईद कर रही है। वजीर साहब ने भी फरमाया कि अगर वह इन अल्फाज को निकाल देंगे तो जो मकसद है वह फौत हो जायगा। क्या मैं वजीर साहब से मालूम कर सकता हूं कि जब यह कानून बना ही था और असेम्बली में बहस-मुबाहिसा हुआ था उस वक्त यह ख्याल जनाब वजीर साहब या उनके मुंशीरान के दिमाग में नहीं था ? अगर था तो उस वक्त क्यों नहीं यह चीज उस कानून का जुज करार दी गयी ? यह कौंसिल में जा करके क्यों तजवीज आयी। इसके पहले जो प्रोसीड्योर इस ऐवान में मंजूर हो चुकी है मेरे ख्याल में निहायत काफी व शाफी है ; इस वास्ते कि अगर कोई अबवाब, सायर या लगान वेस्ट होने के बाद काश्तकार अदा करेगा तो वह अदायगी उसकी नहीं समझी जायगी बल्कि वह जिम्मेदार रहेगा उसके अदा करने का। मेरी समझ में नहीं आता है कि जनाब वजीर साहब ने क्यों काश्तकार को इतना नासमझ और इतना बेखबर समझते हैं कि बावजूद वेस्ट हो जाने के भी वह जमींदार को लगान अबवाब, जो सायर देगा मेरा यकीन है कि जायदाद वेस्ट हो जायगी तो हरगिज नहीं देगा। इसलिए कि वह इतना नासमझ नहीं कि अपने पैसे को बेकार फेंके और क्या इस वक्त तक कोई मिसाल ह कि उस शख्स ने, जिसको कि हक नहीं वसूल करने का, उसने कोई मतालबा किसी काश्तकार से या किसी और सूबे के रहने वाले से वसूल कर लिया हो ? यह एक अजीब व गरीब फलसफा है, जिसका वजीर साहब को ही अपने वकालत के जमाने में तजुरबा हुआ हो, कम से कम मेरे इल्म में तो कोई ऐसी मिसाल नहीं आई। जब अपनी जगह पर वह दफा मौजूद है फिर उस दफा का इजाफा करना और

उसमें जमींदार को भी उसकी अदायगी का जिम्मेदार करार देना यह कहां तक हक बजा-निब है? इसके मानी यह हुए कि यह दफा दोधारी तलवार है, जिससे दोनों की गरदनें काटना चाहते हैं। कुछ देर हुई दौराने तकरीर में वजीर साहब को यह ख्याल हुआ कि बहुत से जमींदारों को बड़ी मोटी गरदनें हैं। इसका मतलब यह है कि वह तलवार इतनी तेज होनी चाहिए कि उनकी मोटी गरदनों को बाआसानी तराश सके या इसका और कोई मक़सद है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जनाब वजीर साहब ने बड़े गौर और खोज के बाद इरशाद फरमाया कि दीवानी में डिग्री है उसकी मुजराई दे देगा तो क्या वजह हो सकती है कि वह उसको जमींदार से वसूल न करें? क्या अदालत इसकी इजाजत दे सकती है कि वेस्ट होने के बाद उसकी मुजराई दे दी जाय? क्यों अदालत को खबर न होगी कि इसकी जायदाद वेस्ट हो जायगी? जब नोटिस होगा, ऐलान होगा कि यह जायदाद वेस्ट हो चुकी है, तो जब यह इल्म में आयेगा तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि अदालत इजाजत दे दे उस मतालबे के वसूल करने की, जिसके वसूल करने का वह मुस्तहक़ नहीं है। तो एक तरफ तो काश्तकार बेखबर, नासमझ तसव्वुर किया जा रहा है और दूसरी तरफ अदालत को बिलकुल बेखबर, बिलकुल नावाकिफ समझा जा रहा है और जमींदार के मुताल्लिक यह ख्याल कर लेना कि जितनी बेईमानियां दुनिया के पर्दे में हो सकती हैं, जितनी बदनामियां हो सकती हैं, जितनी नादेहंदगियां हो सकती हैं उसके अन्दर कूट-कूट कर भरी हुई हैं; जितनी शरारतें हो सकती हैं वह करता ही रहेगा चाहे वह जमींदार रहे या न रहे। यह एक ऐसी बदगुमानी है, जो हरगिज न करनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बदगुमानी होनी निहायत नावाजिब है। आखिर यह कितनी चीजों के वास्ते कानून बनायेंगी। कहां तक अपनी बदगुमानी दूर करेंगे। हमको तो यह सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि किसी के मुताल्लिक बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि जमींदारों के मुताल्लिक दुनिया के परदे में कोई बदगुमानी उठा नहीं रखी गयी। हर बदगुमानी के बाद एक दफा का इजाफा कर दिया, मालूम नहीं यह इजाफा का दौर कब तक जारी रहेगा। मुमकिन है कि कुछ और बदगुमानियां हों और इस ऐवान में उनके ऊपर मजीद इजाफे किए जायं। हो सकता है कि अब भी ख्याल में कुछ बदगुमानियां हों कि जमींदार इस तरीके से वसूल कर लेगा, तो उसके लिए भी इजाफा होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि बिल पास करने में ताखीर की जा रही है, मैं समझता हूं कि इस जुर्म की सब से बड़ी मुजरिम गवर्नमेंट है। आज तक उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या दफात उसको बढ़ानी है। रोजमर्रा उसका ख्याल होता जाता है कि इन चीजों में भी बदगुमानियां होंगी इसलिए उसके लिए भी दफात लायी जायं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो लफ्ज़ "रियलाइज" रखा गया है उससे उसको क्या हासिल होगा? लेकिन वजीर साहब ने फरमाया कि वह इसमें सख्ती नहीं पैदा करना चाहते, चाहते हैं कि ठंडे दिल से गौर किया जाय। इस वास्ते वह फरमाते नहीं। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशी होती अगर वह फरमा देते ताकि मालूम तो हो जाता कि कौन सी बात उनके खयाल मुबारक में हैं, इस वजह से इस दफा की जरूरत पड़ी। हम लोग बहुत से गुमान करते रहेंगे। मुमकिन है कि उसमें से कोई बात सही हो और कोई बात गलत हो। अगर मिनिस्टर साहब बतला देते तो हम लोगों को भी मौका मिलता समझने का, और अगर उनका ख्याल सही होता तो हम लोग इसके लिए उनको मुबारकबाद देते।

जैसा कि अब्दुल बाकी साहब ने फरमाया, है कि हिन्दी के बिल में जो कि असली बिल है उसके अन्दर यह है कि जरूर वसूल किया जायगा। दोनों से वसूलयाबी होगी। पहली दफा जो है उसमें काश्तकार जिम्मेदार रहेगा। दूसरी दफा में जमींदार से वसूलयाबी होगी, जिस तरह से भी हो, गिरफ्तार भी कर सकते हैं, कुरकी भी कर सकते हैं, नीलाम भी करवा सकते हैं, इस चीज के वास्ते जो कि गवर्नमेंट गुमान कर लेगी वेस्ट होने के बाद वसूल करेगी चाहे अबवाब हो, सायर होया लगान हो। तो जितनी कानून की दफात हैं तमाम की तमाम आयद कर दी जायंगी, इसलिए इसके लिए रख दिया गया है कि कोई शक्ल ऐसी नहीं हो सकती है जो कानून से मुमकिन हो वह उसके खिलाफ इस्तेमाल न की जाय।

[श्री मुहम्मद उबैदुर्रमान खां शेरवानी]

मैं समझता हूं कि इस जमाने में शायद और सख्ती की जरूरत है। काश ऐसी भी दफा रख दी जाय कि हमेशा के लिए उसको तमाम हुकूक से महरूम कर दिया जाय इस वजह से कि ऐसी बददयानती कर सकता है। उसके बाद गालिबन बददयानती करने का जो ख्याल है वह गालिबन मौकूफ हो जायगा। और अगर उसको इस जिन्दगी से महरूम कर दिया जाय तो सब से बेहतर है। जितनी दफात ख्याल में आ सकती हैं सब लगा दी जायं क्योंकि वह फरेबी, दगाबाज है। वह इसका मुस्तहक है कि कोई भी सजा, जो किसी मुजरिम को मिल सकती है, वह इस जुर्म के पादाश में, उसे उठा नहीं रखनी चाहिए, जिससे जो मकसद वजीर साहब का है वह पूरा हो जाय। वरना वह खुद इसका इंसाफ फरमायें कि यह महज ख्याली कयास के ऊपर तमाम दफात रखी गयी हैं। उसके बाद वजीर साहब का इरशाद फरमाना कि बहुत जरूरी है अगर यह न रखी गई तो सुक्म रह जायगा। बावजूद इसके कि बताया गया कि यह किसी तरह से मुनासिब नहीं है या जैसा कि अब्दुल बाकी साहब ने कहा यह जुल्म है और अगर इसको रखा जाय। लेकिन उसके बाद भी फरमाते हैं कि अगर यह दफा न रही तो कानून बेकार हो जायगा और इसका जो मकसद है वह फौत हो जायगा। मैं फिर जनाब वजीर साहब से अर्ज करूंगा कि सिर्फ इस वजह से कि चूंकि एक बात कलम से निकल चुकी है और चूंकि एक ख्याल आया था और वह कानून का जुज करार दे दिया गया है लिहाजा वह रखा जरूर जाय इस पर फिर गौर करें। यह महज एक सख्ती और बेजा सख्ती होगी। दूसरा तरीका भी वसूलयाबी का होगा लिहाजा इसे निकाल दिया जाय। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाला दिया था कि वह कम्पेंसेशन से वाजेह कर लिया जायगा तो यह चीज तो इतनी आसान है कि आप जब चाहें तब कर सकते हैं। कम्पेंसेशन देना आपके अख्तियार में है। आप जैसे चाहें कम करते चले जाइए। आप का मकसद तो यह है ही कि कम से कम दिया जाय और इसीलिए आपने शुरू में ही कम रखा है और बाद में कटते-कटते मुझे यकीन है कि आखिर में यह कह दिया जायगा कि हिसाब-किताब बराबर हो गया है। जैसा कि पिछले जमाने में यह होता था कि काश्तकार साहूकार से कर्ज लेता था। साहूकार बहीखाता तैयार करता था और आखिर में जब काश्तकार उसके पास जाता था कि हमारी खेती आपके पास है और मैंने रुपया दे दिया है या नहीं दिया और हमारी सारी पैदावार तो आपके पास जाती है तो वह साहूकार बहीखात में दिखा देता है कि तुम्हारा हमारे पास कुछ नहीं है बल्कि हमारा ही तुम्हारे जिम्मे कुछ निकलता है। इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट भी आखिर में जमींदारों से कहेगी कि हमारी ही तुम्हारे जिम्मे इतना निकलता है और उसकी वसूलयाबी का तरीका क्या होगा गिरफ्तारी, कुर्की, नीलाम वगैरः वगैरः। और इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी का आज जो एतराज है वह भी खत्म हो जायगा। गवनमेंट को कम्पेन्सेशन कुछ नहीं देना पड़ेगा। यकीकन, जब तक यह बिल पास रहेगा उस वक्त कटते-कटते जैसा कि अगर यह पास हो गया जो कौंसिल से आया है कि तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लिहाजा मैं फिर इस ऐवान के सामने इसरार करूंगा कि जो तरमीम अब्दुल बाकी साहब ने पेश की है निहायत मुनासिब है, निहायत जरूरी है और उसको मंजूर कर लिया जाय। अगर मंजूर कर लिया जायगा तो जिस जुल्म के होने का अन्देशा है उससे वह महफूज हो जायंगे।

स्वर्गीय माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के संगम पर अस्थि विसर्जन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के लिये प्रार्थना

श्री गोपाल नारायण सक्सेना--माननीय सभापति महोदय, मुझे इस समय यह निवेदन करना था कि कल स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की अस्थियां इलाहाबाद आ रही हैं और मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि कल लेजिस्लेचर का तो सेशन नहीं

होने जा रहा है लेकिन पब्लिक हालीडे नहीं हो रही है, हजारों आदमी, दफ्तर के भी और दूसरे लोग भी, जाना चाहेंगे। मैं देखता हूं कि इलाहाबाद के नजदीक के हजारों लोग शिरकत करना चाहते हैं। मैं आपके जरिए से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कल पब्लिक हालीडे करार दी जाए।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--मैं उसकी पूरे तरीक पर ताईद करता हूं जो मेरे दोस्त ने अभी कहा है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--सरकार ने यह निश्चय किया है कि कल लोकली यानी इलाहाबाद में हालीडे डिक्लेयर की जाय और जगहों के लिए पब्लिक हालीडे करना पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है।

सन् १९४९ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक (क्रमागत)

श्री साजिद हुसैन--मैं अब्दुल बाकी साहब की तरमीम की ताईद के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहिले मैंने एक तरमीम की ताईद की थी और उस उसूल से अब मैं किसी हद तक आगे गया और अब अपने ख्याल को मुझे माडीफाई करना पड़ा है। मेरा तो ख्याल यह था कि जमींदार मालिक हैं और उनको अख्तियार है कि चाहे वह अपनी चीज फरोख्त कर डालें, ठेके पर दे दें, मुफ्त दे दें, किसी तरीके से दें दे उनको पूरा अख्तियार है। अगर बाकी साहब ने जो तरमीम पेश की है उसका सिर्फ यही मंशा है कि अगर जमींदार को पैसा न मिला हो तो उसके मुआविजे से वह रकम नहीं काटी जायगी तो मेरी समझ में इससे ज्यादा रीजनेबिल मुनासिब बात नहीं हो सकती है। जब उसने कोई फायदा नहीं उठाया है तो उसके मुआविजे से वह रकम काटना बिलकुल नाजायज और गलत होगा। महज इस ख्याल से काटना कि जाहिरी तौर पर उसने ऐसा किया होगा और अंदुरुनी तौर से उसने जरूर फायदा हासिल कर लिया होगा, ऐसा प्रिजम्पशन सरकार के लिए नाजेबा और गलत है। अगर यही कहना सरकार को मंजूर है तो जो सूरत बाकी साहब ने बताई कि बजाय "शल" के "मे" का शब्द रखें, यानी यह कि यह मामला, यह फैसला, अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर अदालत यह समझती है कि यह जो रिलीज कर दिया गया है वह दरअसल रिलीज नहीं किया गया है बल्कि इससे फायदा उठाया गया है तो उस सूरत में सरकार को अख्तियार होना चाहिए। इससे ज्यादा मुनासिब और सही तरमीम, मेरी समझ में नहीं आती, कोई और हो सकती है। मगर यहां सही रास्ते पर चलने का सवाल ही क्या है, यहां तो जमींदारों को पेनालाइज करना है, उनके साथ जितनी ज्यादती हो सकती है वह करने का सवाल है और इंसाफ का तो कतई जिक्र ही नहीं है। अव्वल तो इस मसले पर यह प्रिज्युम कर लेना कि वाकई उसने ऐसा किया है और उसने रुपया अंदुरुनी तरीके से ले लिया है गलत है और अगर सरकार यह रवैया अख्तियार करती है तो उसकी शान के खिलाफ है और इंसाफ का तो खून होता ही है लेकिन मैं बाकी साहब की इस राय से इत्तिफाक करता हूं कि अगर सरकार इस बिल के अपने मुख्तलिफ, वर्जन्स यानी अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में सेहत कर दे तो भी काम चल सकता है। मैं हिन्दी से बहुत वाकिफ नहीं हूं और यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी वर्जन बिलकुल सही है, लेकिन जैसा कि बाकी साहब ने कहा कि इसके बाद उनकी तरमीम की कोई गुंजायश नहीं है, इसलिए सरकार को यह कर देना चाहिए। हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी वर्जन चलेगा और बाद को यही अंग्रेजी वर्जन कानून की शक्ल में आ जायगा। जिस वक्त गवर्नर साहब फरमा देंगे कि यह सही तर्जुमा है उस वक्त तो कोई दूसरा तर्जुमा करने नहीं बैठेगा

[श्री साजिद हुसैन]

और यही तर्जुमा वैलिड डिक्लेयर कर दिया जायगा, इसलिए सरकार इस बात को नोट कर ले। यह "शैल" के बजाय "मे" कर दिया जाय तो मेरे ख्याल में वह अमेंडमेंट की सूरत में नहीं होगी, बल्कि उनकी याददाश्त के लिए नोट होगा। अगर अमेंडमेंट हो सकता है तो हिन्दी के बिल में हो सकता है और जहां तक मैं बाकी साहब की तकरीर को समझा हूं उनका कहना है कि हिन्दी वर्जन में उतनी बुराई नहीं है जोकि अंग्रेजी वर्जन में है यानी हिन्दी के जो अल्फाज हैं उनसे "मे" का मतलब निकलता है यानी "मे बी डिडक्टेड फ्राम दी कम्पेनसेशन" लेकिन अंग्रेजी वर्जन में "शैल" है। तो यह मेरे ख्याल में अमेंडमेंट का बायस नहीं हो सकती है जब कि अंग्रेजी वर्जन हमारे सामने नहीं है। आफिशियली अंग्रेजी के ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में सरकार का यह कह देना और बाकी साहब का सर्टीफाई कर देना और कह देना कि हमने याददाश्त कर ली और तर्जुमे में तब्दीली कर ली जायगी। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ इसकी ताईद करता हूं।

श्री अब्दुल बाकी—जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर ने मेरी तरमीम के जवाब में जो कुछ फरमाया है वह अल्फाज़ का जो सही मफहूम लिया जाता है उसको हटा कर तजाबज करने की कोशिश की है इस तरमीम के जवाब देने में। दफा ६ में जो तरमीम हो कर आयी है उसमें मुझे यह अर्ज करना था कि यह अल्फाज हैं कि—
"Has been paid" (दे दिया गया हो) और लफ्ज पेड के साथ मेरे आनरेबिल मिनिस्टर कैश लगाना चाहते हैं। इसके माने हैं कि "paid in cash" (नगद दे दिया) वह वकालत कर चुके हैं और अदालत में काम कर चुके हैं फिर भी मैं उनकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि किसी लफ्ज के मफहूम के सिवाय दूसरे माने ठूंसन की गुंजायश नहीं है। अगर यह मान लिया जाय कि पेमेंट के माने हैं कैश पमेंट तो इस बिल के उसूलों पर बड़ा भारी जरब लगेगा। दफा २७ जो इस बिल की है और जहां असेसमेंट का जिक्र आया है वहां लायक वजीर साहब पढ़ लेंगे। अंग्रजी वर्जन में वह इस तरह से है:—

"Every intermediary whose rights, title or interest in any estate are acquired under the provisions of this Act shall be entitled to receive and be paid compensation as hereinafter provided."

(प्रत्येक मध्यवर्ती, जिसका किसी आस्थान में अधिकार, आगम या स्वत्व इस अधिनियम के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिया जाय, आगे की गयी व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिकर दिया जायगा।)

पेमेंट में जो मैं कहना चाहता हूं उसकी ताईद होती है दफा ६८ में। मेरे कहने का मतलब यह है कि पेमेंट दो तरह का होता है एक तो कैश और दूसरा बांड, बिल वगैरा के जरिए। मेरे दोस्त ने अभी बतलाया है वह दफा ६८ में आया है:—

"The compensation payable under this Act shall be given in cash or in bonds."

(इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर नगद अथवा बंधों के रूप में दिया जायगा।)

इसका मतलब निकल आया कि जहां पेमेंट को कैश पेमेंट में महदूद किया है वह गलत है क्योंकि खुद इस बिल को इसकी तरदीद हो जाती है। पेमेंट से पेमेंट बाई बांड्स और दूसरी तरह से भी हो सकता है, लेकिन कैश पेमेंट सिर्फ कश में ही पेमेंट हो सकता है। लायक वजीर साहब ने कहा है कि एक जहमत पैदा हो जायगी। अगर एक डिग्री बकाया है और जमींदार न कहा कि वसूल हो गया तो वह इस बात को भूल गए कि जब पेमेंट हो गया तो वह कवर हो जायगा। जब जमींदार कहता

है कि पेमेंट हो गया तो दूसरे को कहने की क्या गुंजायश है कि कहे पमेंट नहीं हुआ या काश्तकार ने कहा कि मैंने पे कर दिया है तो तीसरा क्या कहेगा कि पेमेंट नहीं हुआ। जो मेरी तजवीज में दलील पेश की है आनरेबिल मिनिस्टर न वह यह नहीं समझे कि अपनी ही तरदीद पेश कर रहे हैं। वह कह रहे थे कि जहां जमींदार को पेमेंट हो गया, वह खुद एकनालेज करता है कि पेमेंट हो गया, यह जरूरी नहीं कि कैस पेमेंट ही हुआ हो या बांड के जरिए से पेमेंट हुआ हो या यह समझिए रिलीज्ड के जरिए पेमेंट हुआ हो या यह समझिए कि कंबाइन्ड किया हो और वह पेमेंट में आ गया। चूंकि पेमेंट के साथ इस्तेमाल किया है, लिहाजा पेमेंट हो गया। कंपाउंडेड और रिलीज्ड के मानी यह हैं कि जमींदार को वह रकम कैश फार्म या किसी शक्ल में वसूल नहीं हुई है बल्कि वह काश्तकार के पास ही मौजूद है। दोनों अल्फाज के रखने के मानी यह होते हैं। आनरेबिल मिनिस्टर साहब यह कहना चाहते हैं कि पेमेंट इसमें भी शामिल है कंपाउंडेड और रिलीज्ड में। तो मैं कहूंगा कि पेमेंट के रखने के कोई मानो नहीं ही, पेमेंट रखने के मानी यह हुए किसी सूरत में जब जमींदार की वसूलयाबी हो गई और कंपाउंडड और रिलीज्ड जो रकमें रखी हैं इसक मानी यह हुए कि जमींदार ने उनको छोड़ दिया, सुलह कर ली या वह वसूल नहीं हुई। यह बात दरहकीकत मेरी ताईद करती है। दरअसल वह यह नहीं चाहते कि बिल की जबान सुधरे। वह गालिबन इस फिक्र में हैं कि इस पर किसी किस्म की तरमीम न आ सके और यह पास हो जाय। तो फिर जैसा आप चाहते हैं कानून का खून हो और कानून में जो सफाई होनी चाहिए, कानून का जो मंशा होना चाहिए वह न आए, तो जो आपकी मर्जी है वही हो। इस-लिए कि आपके पास तादाद है। इसी पर आज जीत सकेंगे। रीजन पर तो आप जीत नहीं सकते। मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई इसे शुरू से आखीर तक पढ़ेगा तो वह कभी भी पेमेंट के मानी कैश पेमेंट नहीं लगा सकता। न आपने इस बिल में कहीं रखा है, पेमट के मानी कैश पेमेंट के। इसलिए मैं तो जिस जगह अपनी तजवीज रखने के पहले था उससे कुछ आगे ही हूं। इसलिए फिर मैं कहूंगा कि आन-रेबिल मिनिस्टर इस पर दोबारा गौर करें। वह या तो गौर नहीं कर सके हैं या किसी से जल्दी में मशविरा ले लिया और वह उसे कैच नहीं कर सके। कंपाउंडेड और रिलीज्ड में पेमेंट नहीं आता। यहां तो पेमेंट है, कंपाउंडेड है, रिलीज्ड है। इसलिए इसके मानी यह हुए कि पेमेंट के मानी वसूलयाबी के हैं। वसूल हुआ किस जरिए से। कंपाउंडेड और रिलीज्ड के जरिए से। काश्तकार ने दिया नहीं, काश्तार के ही पास रह गया। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस तरमीम को मंजूर कर लें।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा पारित धारा ६ (ग) (२) की पंक्ति ५, ६ तथा ७ से निम्नलिखित वाक्यखंड निकाल दिया जाय--

"या उसके द्वारा अभिसन्धित (compounded) अथवा अभितिक्त (released) हो गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--११

विपक्ष में--३७)

श्री एजाज रसूल--जनाबवाला, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा ६ (ग) (२) की पंक्ति ९ में शब्द "किया जा सकेगा" के बाद के सब शब्द हटा दिए जायं।

हुजूरवाला, यह मेरा अमेंडमेंट बहुत ही साफ है और वाजे है ओर वह यह है कि न कम्पेनसेशन से वसूल किया जाय और न किसी और तरीके से वसूल किया जाय।

[श्री ऐजाज रसूल]

यह इसका मफहूम है। और बाकी अल्फाज जो ऊपर के हैं वह सब कायम रहेंगे और अगर आप देखें तो सेक्शन सी-१ में तरीका वसूलयाबी लिखा हुआ है। वह तरीका गवर्नमेंट के लिए काफी है। इसीलिए मैंने यह अमेंडमेंट पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको कबूल करेगी।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय सभापति महोदय, यह कम्पेनसेशन से मिनहा करने की बात यों रखी गयी है कि मुमकिन है कि कुछ जमींदार ऐसे हों कि जिनके ऊपर मुआविजे से ज्यादा रकम हो। दुगुनी हो, चौगुनी हो तो उनसे कैसे वसूल होगा। इसके अलावा एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो तरीका ला का ओपेन है उनके होते हुए भी पब्लिक का रुपया जो हो उसकी वसूलयाबी के लिए जितनी सहूलियत कानून में दी जा सके दी जानी चाहिए ताकि किसी तरह से पब्लिक का रुपया मारा न जा सके। इसलिए अगर यह सहूलियत दी गयी तो क्या मुजायका है क्योंकि जिन मित्रों ने वसूल किया है और उससे फायदा उठा चुके हैं वह उधर भी रकम वसूल कर चुके हैं और इधर भी उनको मुआविजा मिले कि जिसके वह मुस्तहक नहीं थे, कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। अगर मुआविजे से यह रकम मिनहा की जाय और पब्लिक का रुपया आसानी से वसूल हो जाय तो कोई बेजा बात नहीं है। इसलिए इस तरमीम की जरूरत नहीं है। अच्छा हो कि नवाब साहब इसको वापस ले लें। उन्होंने इसको पेश कर दिया अपने फर्ज को अदायगी कर दी, लेकिन यह पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है जैसा कि मैंने अर्ज किया। मुझे मजबूरन इसकी मुखालफत करनी पड़ रही है। इन चन्द अल्फाज के साथ में इसकी मुखालफत करता हूं।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, मुझे निहायत अफसोस है कि जो तकरीर इस वक्त आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर की है वह खुद समझते हैं और उनका जमीर कहता है कि जिस चीज को लेकर वह खड़े हुए हैं वह गलत चीज है। जिस चीज को वह सपोर्ट कर रहे थे उनका जमीर कहता है कि वह गलत है। इस वास्ते जो तरमीम इस हाउस के सामने पेश है उसके मायने साफ जाहिर हैं कि आप अगर मुआविजे से वसूल नहीं कर सकते हैं तो न वसूल करें। अगर उससे वसूल नहीं कर सकते तो और वसूलयाबी का तरीका आप अख्तियार न कीजिए। आप इस पर गौर फरमाइये कि वसूलयाबी के लिए उसको जेल में डालना या दूसरे तरीके अख्तियार करना जैसे उस की जायदाद से वसूल करना कहां तक जायज है और क्या यह उस पर जुल्म नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां पर कितनी ही माकूल बात कही जाय और कितनी ही माकूल तरमीम पेश की जाय लेकिन, गवर्नमेंट उसको मानने या कान धरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा तो यह फर्ज है कि गवर्नमेंट को हर कदम पर और हर मौके पर आगाह कर दें कि यह चीज जो आप करने जा रहे हैं वह इंसाफ के खिलाफ है और वह किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। अगर वह इसे मंजूर कर लेते तो मैं समझता कि हमारे मिनिस्टर इंचार्ज में इतनी मारल करेज है कि वह तमाम पार्टी की बातों को छोड़ कर एक सच्ची और इंसाफ की बात को मानने को तैयार हैं और उन्हें किसी किस्म का कोई पसोपेश नहीं है। इससे पहले तरमीम भी उन्होंने नहीं मानी। मैं समझ सकता था कि उनका मंशा यह है कि जो भी मुआविजा वह देना चाहते हैं वह दूसरी शक्ल में लेना चाहते हैं। इस तरह से जो मुआविजा किसी को मिले वह भी आप किसी न किसी तरह से वापिस लेना चाहते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि 'एक हाथ देना और दूसरे हाथ लेना।' लेकिन जो तरमीम इस वक्त हाउस के सामने है उसमें मुआविजे की वह सूरत भी नहीं है बल्कि इसमें यह कहा गया है कि आप ऐसे तरीके वसूलयाबी के अख्तियार न करें जो नामुनासिब और गलत

हों, जिस काम के लिए आप वह तरीके अख्तियार करना चाहते हैं जब वह चीज खुद ही गलत है तो उसकी वसूलयाबी के लिए ऐसे तरीके अख्तियार करें कि उसकी जायदाद से कुर्क करके, उसे सजा देकर या जेल भेज कर या दूसरे नामुनासिब तरीकों से लेना तो और भी ज्यादा जुल्म है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इस पर फिर गौर करेंगे और वह इसकी कोशिश न करेंगे कि जो कुछ एक मर्तबा उनकी जबान से निकल गया या गवर्नमेंट ने जो फैसला कर लिया चाहे वह गलत ही क्यों न हो लेकिन उस पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। यह तो एक तरह से डैमोक्रेसी का नेगेशन है कि गवर्नमेंट किसी गलत चीज पर जिद्द में एडमेंट हो जाय। इसलिए अगर मिनिस्टर इंचार्ज इसको न मानेंगे तो हम यही समझेंगे कि यह पब्लिक का रुपया जो इस बहस में यहां सर्फ किया जा रहा है वह सब वेस्ट हो रहा है और यह सब कार्यवाही ही गलत हो जाती है। अगर गवर्नमेंट इस बिल के सिलसिले में यही तरीका रखना चाहती है तो मुनासिब यही होगा कि मुख्य मंत्री जी यहां आकर एलान कर दें कि हम किसी तरमीम को नहीं मानेंगे और कोई भी माकूल से माकूल बात भी अपोजीशन की कबूल न करेंगे और इस तरह से तमाम किस्सा खत्म हो जाता है। पब्लिक का जो दो-ढाई हजार रुपया रोज खर्च असेम्बली पर हो रहा है वह भी बचेगा और लोगों का और अपोजीशन का जो वक्त इस तरह से वेस्ट हो रहा है वह भी बच जायगा और इस रुपए से बहुत से जरूरी काम किए जा सकते हैं बजाय इसके यह इस तरह से यहां जाया किया जाय। अगर ट्रेजरी बेंचेज ने और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि कोई भी तरमीम जो, इस तरफ से पेश की जायगी, वह मंजूर न की जायगी यही ज्यादा बेहतर होगा कि यहां पब्लिक इन्टरेस्ट में यह एलान कर दिया जाय कि हम अपोजीशन की किसी भी तरमीम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, ख्वाह वह कितनी ही जायज और वाजिब तरमीम क्यों न हो। किस्सा आज ही खत्म होता है, बिल भी आज ही खत्म हुआ जाता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं इस चीज का एलान कर देती ताकि बहुत सी गलतफहमियां जो, पैदा हो रही हैं, वे दूर हो जायं। इन अल्फाज के साथ में आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से जो इन बातों के सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं और ताकि इन बातों की, जो उनको बहुत ही खराब मालूम होती हैं, उनके कान में आवाज तक न पहुँचे, उन्होंने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर रखा है, मैं फिर अर्ज करूँगा कि वे जिद्द न करें और इसे मान लें। मैं अपने फर्ज को अदा कर रहा हूँ। और अपोजीशन मुतमइन है कि वह अपने फरायज को अंजाम दे रहा है और गवर्नमेंट को हर कदम के ऊपर यह बतला रहा है कि जो चीजें आप कर रहे हैं वे इंसाफ के खिलाफ हैं या कानूनी हैसियत से मुनासिब नहीं हैं और न मारली, न किसी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट के लिये यह मुनासिब है। इसी के साथ-साथ यह वेस्ट आफ पब्लिक मनी है अगर आपने यह फैसला कर लिया है कि हम किसी अमेंडमेंट को नहीं कबूल करेंगे और नामंजूर करेंगे। अगर कोई खास मिसाल आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू के सामने है तो उसके लिये कोई इस किस्म की सहूलियत वे रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह तय कर देना कि जिस तरह से मुनासिब समझा जायगा वसूल किया जायगा, यह चीज उनके लिये और इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिये शायोनशान नहीं है। यह कोई अच्छी चीज नहीं है कि अगर आप इस किस्म की चीजें गलत करते रहे हैं तो हमेशा आप गलत रास्ते पर ही जाइये। जिस वक्त भी गवर्नमेंट समझ जाय it is never too late. (अब भी समय है)। इन अल्फाज के साथ मैं आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू से दरख्वास्त करूँगा कि it is never too late for any reasonable thing (उचित चीज करने के लिये अब भी समय है)।

श्री वीरेन्द्र शाह--श्रीमान् जी, जो संशोधनन भवन के सामने नवाब ऐजाज रसूल साहब ने पेश किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं आपकी आज्ञा से विधान परिषद् ने जो बढ़ाया है उसको पूरा पढ़ देना चाहता हूँ--

"यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, अबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित (compounded) अथवा अभितिक्त (released) हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा।"

इसमें "और" से लेकर नीचे तक का हिस्सा हम निकालना चाहते हैं। श्रीमान् जी, सरकार ने और इस भवन ने पहले ही इस धारा को इतना व्यापक बनाया है कि उससे कोई आशंका यह नहीं रहती कि आपका रुपया बाकी रह जायगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के सलाहकारों ने और सरकार ने फिर परिषद् में यह महसूस किया कि नहीं, यह काफी नहीं होगा और नीचे के संशोधन द्वारा अब वह यह चाहती है कि जो प्रतिकर जमींदारों को दिया जा रहा है उसमें भी यह शर्त लगा दी है कि उसमें से काट लिया जाय। शायद और कोई जायदाद जमींदारों के पास छोड़ी नहीं है, इसलिये जो प्रतिकर दिया जायगा वह नक्द होगा लिहाजा उसी में से काट लें। यह साहब कहां तक न्यायपूर्ण बात है? आप दे ही क्या रहे हैं? हमारी सरकार यह नहीं सोचती कि जिसकी हम सारी चीज कौड़ियों में ले रहे हैं उसकी कैसे हम प्रतिकर में से भी खाल खींच लें। ऐसा मालूम देता है कि हमारी सरकार तो ऐसा करके ही मानेगी। यह गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता कि अगर किसी के पास हजार या दो हजार रुपया रह भी जाय तो उसे भी वह लेने की ठान ले। आप सबको छूट देते हैं और अगर जमींदार को भी छूट मिल जाय तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहां तो सरकार यह चाहती है कि उन पर एग्रीकल्चरल टैक्स लगा कर और तरह-तरह के टैक्स लगा कर उनको बरबाद कर दिया जाय और वे खड़े ही न रह सकें। हमारे माननीय मंत्री ने कई दफा यह कहा कि उनका जमींदारी प्रथा से विरोध है, जमींदारों से नहीं है। उन्होंने कहा कि वे जमींदारों से हमदर्दी रखते हैं और अब हम उनकी यह हमदर्दी देखना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी यहां पर उदारता दिखलाने की कोशिश करेंगे और अगर जमींदारों को कुछ थोड़ी रकम मिलती है तो उसे छोड़ देंगे और खुशी से छोड़ देंगे। इसमें जनता कुछ बुरा नहीं मानेगी। हम भी जानते हैं और हमको भी छूट मिलने का हक है। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री ऐजाज रसूल--जनाबवाला, मैंने आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू की तकरीर सुनी और बड़े गौर से सुनी। उनका ख्याल है कि जमींदारों ने बहुत ज्यादा रुपया वसूल किया और उसे वह रुपया किसी न किसी सूरत से वसूल कर लेना चाहिये। मैं, जनाबवाला, यह मिसाल देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार की जगह पर आई। ब्रिटिश सरकार से जितने जिसके ऐग्रीमेंट्स हुये उनको उन्होंने माना और मान कर ये आज तक उन्हीं पर चल रहे हैं, जैसे आई० सी० एस० के आफीसर्स को देखिये। उनसे जो एग्रीमेंट्स वगैरह तनख्वाहों और दूसरी चीजों के मुताल्लिक थे उनको सबको हमारी सरकार ने माना। वह आज तक उनके साथ उसी पुराने ढंग पर चल रही है। अगर कोई जमींदार अपनी जमीन

का मालिक था और उसने कंट्राक्ट किया अपनी जमीन के मुताल्लिक तो क्या बेजा बात की? मैंने यह तो नहीं कहा कि यह पूरी धारा निकाल दी जाय। क्योंकि हमारी सरकार को यह बहुत ख्याल है कि उनका रुपया महफूज रहे तो मैंने यह कहा कि गवर्नमेंट मुआविजे से रूपया वसूल कर ले, लेकिन जो वसूल करने के अख्तियार उन्होंने यहां आखिर में रखा है वह नहीं होना चाहिये। मालूम तो यह होता है कि सरकार किसी भी सूरत से जमींदार को बख्शना नहीं चाहती। वह तो चाहती है कि जैसे भी उनको परेशान कर सके करे। इसलिये अगर एसेम्बली में उनका ख्याल न रहा तो उन्होंने यह काउंसिल से पास कराया। अगर हुजूरवाला, जो बिल यहां से पास हुआ था उसे देखें तो दफा (सी) इस तरह से है--

"all rents, cesses, local rates and sayar in respect of any estate or holding therein for any period after the date of vesting and which, but for the acquisition would be payable to an intermediary, shall vest in and be payable to the State Government and not to the intermediary and any payment made in contravention of this clause shall not be valid discharge of the person liable to pay the same :"

(किसी आस्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से सम्बन्धित ऐसे सभी लगान, आबवाब, स्थानिक कर और सायर, जो निहित होने के दिनांक के बाद के हों और जो आस्थान न हस्तगत किये जाने की दशा में मध्यवर्ती को देय होते, राज्य सरकार में निहित हो जायंगे और उनको देय होंगे, न कि मध्यवर्ती को, और यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय तो देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मुक्त न होगा;)

यह तो हुजूरवाला, असेम्बली से दफा पास हुई, लेकिन जब यह कौंसिल में पहुँची तो यह कहा गया कि यह जमींदारों को परेशान करने के लिए काफी नहीं है, लिहाजा कोई न कोई और सूरत अख्तियार करनी चाहिये और जमींदारों को इससे शायद कुछ मुआविजा मिल जायगा, इसलिये उस मुआविजा को कम करना चाहिये। गवर्नमेंट यह चाहती है कि ऐसी तरमीमें पास हों जिनसे जमींदारों को कुछ भी मुआविजा न मिले। इसीलिए उन्होंने कौंसिल में यह सब-क्लाज (सी) (२) बढ़ा दिया--

"Where under an agreement or contract made before the date of vesting any rent, cess, local rate or sayar for any period after the said date has been paid to or compounded or released by an intermediary the same shall, notwithstanding the agreement or the contract, be recoverable by the State Government from the intermediary, and may without prejudice to any other mode of recovery, be realised by deducting the amount from the compensation money payable to such intermediary under Chapter III."

[(२) यदि निहित होने के दिनांक से पहले किये गये किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई लगान, आबवाब, स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिये मध्यवर्ती को दे दिया गया हो या उसके द्वारा अभिसन्धित अथवा अभितिक्त हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुये भी, वह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुये ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काट कर वसूल किया जा सकेगा।]

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या जरूरत पेश आई। गवर्नमेंट खुद अपने रास्ते पर नहीं चलती है बल्कि जो रास्ता उसको बतला दिया जाता है उस पर वह चलना शुरू कर देती है। मेरा यह ख्याल है कि इस बिल में गवर्नमेंट जो ब्लंडर्स कर रही है उनसे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यह बिल नाफिज

[श्री ऐजाज रसूल]

न हो। गवर्नमेंट दिखलाना तो यह चाहती है कि हम जनता के साथी हैं, अपने जमींदारी खत्म करने के लिये सब चीजें कीं, लेकिन दिल में उनके यह है कि किसी सूरत से यह बिल न चले। इसीलिए इस बिल में ऐसी तरकीबें की गयी हैं जिनकी वजह से यह चल न सके। मैं यह कहता हूँ कि आप कम्पेंसेशन काट लीजिये लेकिन गरीब जमींदारों के मकानात आप क्यों नीलाम करवाना चाहते हैं, उनकी मुएबिल प्रापर्टी आप क्यों अटैच करना चाहते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर जायद वसूलयाबी होती है, तो वह छोटे जमींदार ही करते हैं। वह छोटे जमींदार जिनके लिए गवर्नमेंट ने २८ गुना या २५ गुना मुआविजा या रिहैबिलीटेशन ग्रांट रक्खा है, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्यों यह तरीके अख्तियार कर रही है। लिहाजा मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन बेचारे छोटे जमींदारों पर रहम फरमाइये, उनके कम्पेंसेशन तक ही इक्तिफा कीजिये और उनके मकानात, बैल और रब्बों को न कुर्क करवाइये, यही बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर फिर इस पर गौर फरमायेंगे और अगर इस वक्त गौर न कर सकें हों तो इस वक्त इस दफा को मुलतवी करवा दें ताकि फिर यह सोचने-समझने का मौका मिल जाय कि इसका क्या नतीजा होने वाला है। अगर छोटे जमींदारान को मालूम हो गया कि हमारा मुआविजा तो जा ही रहा है लेकिन उसके साथ हमारे मकानात और हमारी गैर मनकूला जायदाद भी नीलाम हो रही है, तो देहात में एक हश्र बपा हो जायगा और उसका नतीजा हमारे सूबे के लिये फायदेमन्द नहीं होगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आनरेबिल मिनिस्टर इस पर फिर गौर फरमायेंगे। अगर वह इस तरमीम को मंजूर कर लेते हैं तो इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वह दफा तो कायम ही रहती है। यह तो सिर्फ एक जुजवी तरमीम है।

माननीय श्री हुकुम सिंह--माननीय सभापति महोदय, इस तरमीम के मुताल्लिक जितनी बातें थीं मैंने अपनी शुरू की तक़रीर में मुख्तसरन अर्ज कर दी थीं। हमारे मित्र नवाब साहब ने एक बात फ़रमाई है, जिसका जवाब मैं मुख्तसरन अर्ज करना चाहता हूं। उन्होंने यह फरमाया कि यह सरकार अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई। यह अंग्रेजों के पेट से पैदा नहीं हुई, अंग्रेजों को निकाल कर यह सरकार आई है और अगर मैं यह कहूँ कि अवध के ताल्लुकेदारान ब्रिटिश ऐसोसियेशन से तवल्लुद हुए तो गलत बात न होगी, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन ऐसोसिएशन जिसके माननीय सदस्य अभी मेम्बर हैं वह मौजूद है। तो यह अंग्रेजों के पेट से पैदा नहीं हुई। यह सरापा गलत है। उनके पास कोई बहुत सबूत नहीं और मेरे पास सबूत है कि वह ब्रिटिश ऐसोसिएशन से तवल्लुद हुए।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है मैं अर्ज किया कि पब्लिक मनी है, उसकी वसूलयाबी की हर तरह से सहूलियत देनी चाहिये और इस नुक्ते ख्याल से इस तरमीम को मैं मंजूर करने से कासिर हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ इसकी मुखालिफत करता हूँ।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा पारित धारा ६ (ग) (२) की पंक्ति ९ में शब्द "किया जा सकेगा" के बाद के सब शब्द हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ६ (ग) (२) की दसवीं पंक्ति के शब्द "वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए" निकाल दिये

जायं। जनाबवाला, ऐजाज रसूल साहब की तरमीम के पेश होने के बाद मेरा यह अमेंडमेंट मुमकिन है इस किस्म का साबित किया जाय कि यह उसी चीज का रेपीटीशन हो रहा है और इसका मकसद भी वही है जो कि ऐजाज रसूल साहब की तरमीम का था, लेकिन महज उनकी इस तरमीम के मंजूर न करने की जो मजबूरियां वजीर साहब ने जाहिर कीं उनसे मुझे जुर्रत हुई कि मैं इस तरमीम को पेश करूँ और शायद यह उनको काबिले मंजूरी हो सके। जनाब वाला, इस दफा के अन्दर जो आप एक नई दफा कौंसिल से बना कर लाये हैं उसमें अलावा और चीजों के आपने दोधारी तलवार जमींदार के वास्ते रखी हैं और वह भी उस सूरत के अन्दर रखी है जब कि उसकी आमदनी के तमाम जराये खत्म हो जायंगे। उसके वास्ते अपने पेट के पालने, अपने बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो जायगा। उसके बाद भी आप उसका पीछा छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं बल्कि जब आपके पास एक खुल्लमखुल्ला चीज वसूल करने के लिये कोई मतालबा मौजूद है तो उसके बाद भी आप इस किस्म की चीजें रखना चाहते हैं कि अलावा उस मुआविजे के, जो उसको मिलेगा उसमें से तो काटने का आपको हक होगा उसके बाद भी आप इस किस्म के जराये वसूली के अख्तियार करना चाहते हैं। जो रुपया आप देंगे जब उसमें से आप काट लेंगे तो दूसरी दफा कानून के अन्दर रखना बिलकुल खिलाफ कायदा है। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ उम्मीद करता हूं कि जनाब वजीर साहब मेरी इस तरमीम को जरूर मंजूर फरमायेंगे।

माननीय श्री हुकुम सिंह--सभापति महोदय, जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में केवल मुझे यह अर्ज करना है कि जो अल्फाज निकालने के लिये संशोधन उपस्थित किया गया है उनका यहां रहना इस विधेयक में और इस धारा में बहुत आवश्यक है, वरना ऐसी दिक्कतें पड़ेंगी कि अन्देशा है। मान लीजिये कि कोई और इंटरमीडियरी है, दो हजार रुपये उनका मुआविजा हुआ और १५ हजार रुपये पहले से कर्ज लिये बैठे हैं तो ऐसी सूरत में क्या किया जाय। मुआविजा तो एक पैसा बचेगा नहीं। कर्जदार ले जायंगे। तो यह पब्लिक मनी कहां से और किस से वसूल हो। यह दिक्कत है जिसकी वजह से मैं इस तरमीम को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री साजिद हुसैन--माननीय सभापति जी, मैं माननीय माल मंत्री जी के भाषण को समझ नहीं सका कि यह सूरत किस तरह से और कैसे पेश आयेगी। अगर किसी की जायदाद एक लाख के मुनाफे की है तो उसको आठ लाख रुपया मुआविजा मिलेगा, सरकारी हिसाब से। तो यह जो मसला उन्होंने पेश किया कि दो हजार मुआविजा हो और पंद्रह हजार कर्जा हो यह कैसे पैदा हो सकता है। हर सूरत में जो उसकी आमदनी है उससे मुआविजा कई गुना ज्यादा होना चाहिये और होता है। तो यह उससे कम तादाद कैसे पैदा हो जाती है यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। कायदा है कि जिसकी क्रेडिट होती है तो जब तक क्रेडिट रहती है तब तक दूसरे जराये वसूलयाबी के उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किये जाते यानी यह कि अगर किसी बैंक या सरकार के पास उसकी क्रेडिट है तो यह कहा जाय कि उसका मकान कुर्क कर लिया जाय, उसकी चीजें कुर्क कर ली जायं, उसको परेशान किया जाय या दूसरे तरीके सख्ती के हैं वह कम से कम सिविलाइज्ड स्टेट में रायज नहीं है। और वह कर्जा कैसा है? वह कर्जा ऐसा नहीं है कि उसने किसी से लिया हो बल्कि वही चीज है जो उसी की चीज है उसके अपने हुकूक के अन्दर उसको इस्तेमाल किया। अगर वह चीज इतनी खराब थी तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं थी। सरकार ने यही काम किया है कि अगर उसका कोई कर्जा हो तो उसके मुआविजे से निकाल लिया जाय। यह तो मेरे ख्याल में कंसीड किया गया। यह प्वाइंट ऐसा है कि उसको परेशान करना है। यह कहां

[श्री साजिद हुसैन]

तक मुनासिब और जायज है? यहां बैरूनी कर्ज का सवाल नहीं है, सिर्फ वह रकम है जो उसके जमींदारी से वाबस्ता है, वह रकम है जो ठेका या इसी किस्म की चीजों की है जो उसकी जायदाद से वास्ता रखती है। वह करजा नहीं है, बल्कि उसने कुछ पेशगी ली है। तो ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि दस हजार वर्ष का लगान किसी को कोई दे दे। इसका तजुरबा सरकार को हो गया है कि दस साल का लगान लेने में सरकार को क्या जहमत हुई है। तो यह बात बड़ी ताज्जुब की है तो जो सरकार ने रखी है कि कम्पेनसेशन से वह रकम निकल भी पावेगी। जो कम्पेनसेशन होगा वह सब खत्म हो जावेगा और उसके बाद उसकी दूसरी जायदाद लेनी होगी। तो यह तो बिलकुल हाइपाथेटिकल चीज है और मौजूदा सूरत में बिलकुल फिट-इन नहीं करती। अगर सरकार की यह नीयत नहीं कि जमींदारों को बिला वजह परेशान किया जाय तब तो सरकार को इसको मंजूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। अगर उसने प्रोप्राइटरी राइट को इस्तेमाल किया तो उसने कोई गलती नहीं की उसका कानूनी हक है उसने कोई नाजायज काम नहीं किया, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की बल्कि अपने हक को इस्तेमाल किया तो ऐसी सूरत में मैं तो यह कहूँगा कि अगर सरकार यह जायदाद इतना चींटी भरा कवाब है तो फिर क्यों सरकार को जहमत उठाने की पड़ी हुई है। किसी जमींदार ने दरख्वास्त तो दी नहीं है कि सरकार मेरी जायदाद ले लीजिये। कोई इस्तदुआ तो की नहीं जा रही है। लेकिन नहीं यहां तो यह है कि जबरदस्ती आपकी जायदाद ले भी लेंगे और फिर यह भी जबरदस्ती करेंगे। यह समझ में नहीं आता कि कौन सी साइकालोजी है सिवाय इसके कि एक पोलिटिकल एनमिटी है सियासी मुखालिफत है। इसमें तो बस यह बात है कि हम तो डूबेंगे लेकिन यार को भी ले डूबेंगे। इसके सिवाय कुछ नहीं है। सरकार तो परेशान होगी ही जनता को भी परेशान करेगी। इन चन्द शब्दों के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।

श्री प्रयाग नारायण--श्रीमान् सभापति जी, अम्मार साहब ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। माल मंत्री साहब ने यह कहा कि अगर मुआविजा जिनको दिया जायगा वे इतने कर्जदार हों कि उसके पास कुछ न रहे, इसलिये यह किया जा रहा है। मेरा कहना तो यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ यह चाहती है कि इन जमींदारों के पास ले-दे के कुछ न रहे और सब बराबर कर दिया जाय। अब आप यह गौर करें कि इसमें जो तरीका रखा गया है वह इतना सख्त है कि अगर कोई हाकिम ऐसे हुये जैसे कि आज कल के जमाने में हैं और उनकी नजरें इनायत जमींदारों पर हो गईं तो उनको जेल जाना पड़े, उम्मीद है कि उनकी कुर्की हो, उम्मीद है कि उनकी डिग्री हो तो मेरे ख्याल में यह अच्छा तरीका नहीं है बल्कि जो कम्पेंसेशन गवर्नमेंट देगी उसमें से आहिस्ता-आहिस्ता काट ले यह तरीका तो है उससे उनको भी न मालूम होगा और गवर्नमेंट का रुपया भी वसूल हो जायेगा। लेकिन गवर्नमेंट का यह ख्याल कि जितनों को रुपया दिया जायगा सब वैसे होंगे जिनसे रुपया वसूल नहीं होगा यह ठीक नहीं है। माननीय माल मंत्री जितने संशोधन इधर से पेश किये जाते हैं सभी की मुखालिफत में हैं। किसी तरह से भी नजरे इंसाफ से काम नहीं लेते। मेरे ख्याल में ऐसा संशोधन यह है जो बहुत मुनासिब है, वाजिब है। इसकी तरफ ध्यान देंगे और मंजूर करेंगे।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--जनाबवाला, आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने बिला वजह इतनी तकरीरों को खोल दिया यह बयान करके कि हमें इस तरमीम को मंजूर करने में दिक्कत जो है वह यह है कि अगर कोई केस ऐसा हो कि कर्जे जात

के जो केसेज ऐसे हैं उनको रुपया मिलेगा वह तमाम कर्जेजात में खत्म हो जायगा। और मुआविजे को वह कर्जा खत्म कर देगा और कोई चीज मुआविजे में देने को नहीं रह जायगी तो ऐसे केसेज के अन्दर किसी तरह से रियलाइज करेंगे। यह हकीकतन वह चीज है जिसके मुताल्लिक़ आज तक बराबर यह कहते चले आये हैं कि आप इस बिल के साथ-साथ कर्जेजात का बिल जब तक नहीं लायेंगे तब तक किसी शख्स को यह पता नहीं चल सकता कि उस मुआविजे की क्या पोजीशन होगी जोकि गवर्नमेंट ने देना तजवीज किया है। चुनांचे, दि कैट इज आउट आफ दि बैग। आज खुद आनरेबिल मिनिस्टर साहब की जबान से निकला कि ऐसे भी केसेज होंगे जहां मुआविजा नहीं मिल सकेगा और ऐसे केसेज उनके ख्याल में ज्यादा हैं।

माननीय श्री हुकुम सिंह--ऐसा ख्याल नहीं है।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--मैं समझता हूँ कि उन्होंने जबान से ऐसे अल्फाज नहीं कहे लेकिन इनफरेंस यही है और वह ठीक है कि ऐसे केसेज यकीनन ज्यादा होंगे और तभी उन्होंने यह खास प्राविजन रखा है, क्योंकि अगर एक दो केसेज होते तो मेरे ख्याल में, गवर्नमेंट के ख्याल में इतनी वैकन्टसी नहीं आ गई है कि इस सूबे में थोड़े से केसेज हों उनके लिये कोई खास दफा कानून में ले आये बल्कि यकीनन आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू के दिल और दिमाग में, ऐट दि बैक आफ हिज माइन्ड, यह जरूर है कि बहुत से ऐसे केसेज होंगे जिनको कोई मुआविजा न मिले, क्योंकि उनके ऊपर इतनी कसरत से कर्जेजात हैं। चूंकि मिनिस्टर साहब तमाम गवर्नमेंट मशीनरी के मालिक हैं, इसलिये वे तमाम अदादोशुमार उनके सामने जरूर रखे गये होंगे और उनको यह जरूर यकीन हो गया होगा और इसीलिये उन्होंने इस बात की जरूरत समझी कि एक खास दफा रखी जाय। जब आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने यह खतरा जाहिर किया है कि ऐसे केसेज के अन्दर जहां मुआविजा शुरू में कुछ निकले ही नहीं तो हम किस तरह से वसूल करेंगे तो मैं जनाब की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वह चाहते हैं कि रीजनेबिल तरीक़े से यह लेजिस्लेशन बनाया जाय, अगर वह चाहते हैं कि दुनिया के लोग, देखने वाले और पब्लिक वग़ैरह यह समझें कि हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट रीजनेबिल तरीक़ों से चीजों को देखना और समझना चाहती है तो अब भी यह मौक़ा है कि इस स्टेज पर जो डेट लेजिस्लेशन है उसको सामने रखें ताकि उन लोगों को जिनको मुआविजा मिलना है और उन बदनसीब जमींदारों को जो कि, डेट से मुबितला हैं, मालूम हो जाय कि वेयर डू दे स्टैंड, उनकी हकीकतन क्या पोजीशन है। आनरेबिल रेवेन्यू मिनिस्टर के फरमाने के बाद मुझे अंदेशा हो गया है कि वह शायद समझते हैं कि बाज-बाज जमींदारों को मुआविजे की रक़म इतनी भी नहीं होगी कि मामूली सिवांड़े, मामूली फिशरीज वग़ैरह के जो दो-तीन वर्ष के लिये कांट्रेक्ट दिये जाते हैं और जिनका रुपया तादाद ज्यादातर १००, ५०० या १,००० रु० ही होता है, वह भी रियलाइज किया जा सके। यह आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने कहा नहीं लेकिन उनके हर जुम्ले से यह इनफरेंस हर समझदार आदमी निकाल सकता है। जब यह सूरत है तो क्या वजह है कि इस तमाम हाउस को अंधेरे में रखा जा रहा है और हाउस को यह पता नहीं कि जो डेट लेजिस्लेशन होगा, जिसमें स्केल डाउन के मुताल्लिक़ बात होगी, वह कहां तक होगी। यहां तक कि हिज एक्सलेंसी के एड्रेस के अन्दर इसका तजकिरा किया गया था कि डेट लेजिस्लेशन लाया जायगा, लेकिन वह नहीं लाया गया था।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि न तो यह जनरल डिसकशन हो रहा है और न इस संशोधन का मुआवजे से कोई ताल्लुक है। इसलिये तमाम ग्राउंड्स पर बहस करना ठीक मालूम नहीं पड़ता है। इसलिये उनको इस पर ही महदूद रखा जाय तो अच्छा है।

अस्थायी सभापति--मैं नवाब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वह इस धारा में जो संशोधन हुआ है, उसी तक अपनी बहस को महदूद रखें।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--हुजूरवाला, मैं हर हुक्म की तामील करूँगा। यह चीज नहीं आती अगर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसका जिक्र न करते। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरफ के बैठने वालों के लिये क्या चीज रह जाती है जब कि उनको रोका जाय कि वह जवाब न दें उन बातों का जो कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से और खास तौर मिनिस्टर इंचार्ज आफ दि बिल की तरफ से कही गई हों। तो फिर जब मैं उसका जवाब न दूं तो क्या चीज मेरे लिये रह जाती है सिवाय इसके कि कसीदा तारीख में उनके सामने पेश कर दूं और कोई चीज बाकी नहीं रह जाती है। अगर मौर्य जी इसको पसन्द न करें तो जो बातें उनकी तरफ से कही जायं उनका जवाब न दिया जाय तो अपोजीशन को अपने ख्यालात का इजहार करने की क्या सूरत रह जाती है।

अस्थायी सभापति--मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाय जो इन आर्डर न हो तो उसके लिये जरूरी नहीं है कि आपकी तरफ से उन बातों का जवाब दिया जाय।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां--मुझे सेल्फ सैटिसफेक्शन है कि आप ट्रेजरी बेंचेज की इस बात को आउट आफ आर्डर करार देते हैं। इसलिये अब मैं मजीद कुछ अर्ज नहीं करूँगा।

श्री अम्मार अहमद खां--जनाबवाला, जनाब वजीरे माल साहब ने जो तक़रीर फरमाई है वह इस किस्म की थी कि जिसका मैं कोई हिस्सा बावजूद अपनी इंतिहा कोशिश के नहीं समझ सका और न नतीजे पर पहुँचा कि इसमें कोई दलील है या नहीं। उन्होंने हस्ब आदत जैसा कि वह तरमीमों के जवाब गोलमाल करके और टाल करके दिया करते हैं उसी चीज को सामने रख कर उन्होंने इसमें भी वही तरीक़ा बरता। उन्होंने सिर्फ तीन लफ्ज बतलाये कि यह तरमीम रहने के काबिल नहीं है। और इसी पर उन्होंने जोर दिया है। मैं भी सही समझता हूँ क्योंकि वह कौंसिल से इसको पास करवा कर लाये हैं अपनी मैजारिटी के बल पर, अपनी अकसरियत के बल पर फिर चाहे वह जायज हो या नाजायज, लेकिन वह चीज सही है, यही समझा जायेगा कि यह चीज सही है।

जनाबवाला, अगर आप ग़ौर से देखें तो मालूम होगा कि वजीर साहब के सिर्फ कह देने से ही कि कोई बात ग़लत है या सही है वह बात ग़लत या सही नहीं हो सकती। असलियत यह है कि जो बात पैमाने पर सही निकले वह सही है और जो बात पैमाने पर ग़लत निकले वह ग़लत है। असल बात यह है जिस बात से अवाम का भला हो सकता हो वही असली पैमाना है सही बात होने का यानी जिससे वाक़ई आप पब्लिक की भलाई कर रहे हों।

जनाबवाला, वजीरे माल साहब ने यह फरमाया कि अगर जमींदार की हालत ऐसी है कि २,००० रु० मुआवजे की रक़म है और उस पर १५,००० रुपये का कर्जा है तो कैसे रुपया वसूल होगा। वाक़ई यह बड़ी भारी दिक्कत हमारे वजीर साहब के सामने पैदा हो गई है। लेकिन हुजूरवाला, जरा आप ग़ौर फरमायें कि यह

दिक्कत किस की पैदा की हुई है। यह दिक्कत आपकी ही पैदा की हुई है। यह तबाही का दरवाजा आपका ही खोला हुआ है, अगर आप यह डेट लेजिस्लेशन ले आये होते तो कैसा रहता। कितना-कितना, किसके-किसके जिम्मे क़र्जा होगा और किन-किन उसूलों को सामने रखा जायगा। यह कुछ मालूम नहीं है। हम अंधेरी कोठरी में चल रहे हैं। अभी हमें यह भी मालूम नहीं है कि वाक़ई आप मुआवजा देंगे और अगर देंगे तो कितना मुआवजा ऐसा होगा जो हमको मिलेगा और कितना ऐसा होगा जो कर्जख्वाहों के पास चला जायगा। जनाबवाला, यह चीज ऐसी नहीं है कि मामूली तरीक़े से ब्रुश आफ कर दी जाय बल्कि यह चीज वह है जिससे हमारे सूबे की इकोनामी बनती और बिगड़ती है। ये चीजें वे हैं, जिनसे हमारे सूबे की आधी आबादी पर असर पड़ता है। इनटेक अप चीजों पर इतना लाइटली करना मैं समझता हूँ गलत है कि वह जमाना बहुत जल्द आने वाला है कि ज्यादा दिनों तक आप अवाम को मुतास्सिर न रख सकेंगे और न भलाई ही कर सकेंगे। जनाबवाला, हर शख्स को मालूम है कि जमींदारी खत्म हो रही है, आप चार बरस से बराबर यह राग अलाप रहे हैं। सन् ४६ में रिजोल्यूशन लाये और यह मोहर लगा दी कि उसके बाद जितने मुआहिदे होंगे वे नाजायज करार दिये जायंगे। तो शायद ही कोई बेवकूफ होगा जिसने फिर भी जमींदार को पेशगी रुपया दे दिया होगा। मैं तो यह समझता हूँ कि यह पूरी की पूरी दफा बिलकुल बेकार है। शायद ही कोई मिसाल ऐसी मिल सके जिसके अन्दर बहुत ज्यादा कसीर रक़म पेशगी दे दी गयी हो। हर शख्स जानता है कि जमींदारी खत्म हो रही है। आप ही अपने दावों में बहुत सी तारीखें मुक़र्रर कर चुके हैं और बतला चुके हैं कि फलां तारीख से खत्म कर देंगे और जब जनता के कानों में यह चीज पहुँचती है तो कैसे समझ लिया गया इस बात का हो जाना कि पेशगी रुपया दे देंगे।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--आप क्यों परेशान हैं।

श्री अम्मार अहमद खां--मौर्य जी ने एतराज किया लेकिन साथ ही साथ अगर उनमें कामनसेंस आ जाय तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता। मैं इस गुस्ताखी के लिये माफी चाहूँगा कि ट्रेजरी बेंचेज पर बैठना बिना कामनसेंस के होना कुछ ज्यादा शोभा नहीं देता। इस सिलसिले में यह तय कर लेना कि जनता की भलाई का हक आपको ही पहुँचता है, आप ही उसकी भलाई के ठेकेदार हैं, मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। ऐसी सूरत में मौर्य जी का यह कहना कि आपको क्यों नागवार मालूम हो रहा है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसी क्लास आफ सोसायटी से हम भी ताल्लुक़ रखते हैं। अपोजीशन का यह फर्ज है कि जो बुराई आप लेजिस्लेशन के जरिये से करने जा रहे हैं उसे आपको बतलाया जाय, आपको हर कदम पर रोका जाय, समझाया जाय कि आप यह ग़लती कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप उसी सूरत में गलत कदम उठाये जायं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं हो सकती, उसकी जिम्मेदारी आप ही साहबान पर होगी। आपने इसके अन्दर यह किया होता कि जो मुआविजे की रक़म है उसमें से काटने जा रहे हैं तो उसमें तो कोई जस्टिफिकेशन होता, उसकी बाबत समझा जा सकता था कि ठीक है कि अगर किसी शख्स ने ज्यादा वसूल कर लिया है जो-जो मुआविजा उसे आप दें उसमें से काट लें। हालांकि मेरी जाती राय में वह चीज भी गलत होती। आपको सिर्फ वही रक़म काटने का हक है जिसका मुआविजा आप दे रहे हैं। किसी चरागाह या किसी और चीज का आप मुआविजा नहीं दे रहे हैं तो उसके सिलसिले में आपको मुआविजे में से काटने का हक पैदा नहीं होता। जो चीज आप बिला मुआविजा लेने जा रहे हैं, जिसका मुआविजा आप नहीं देते उसकी बाबत किसी जमींदार

[श्री अम्मार अहमद खां]

ने रुपया वसूल कर लिया हो तो उसके लिये आप कोई रकम मुआविजे में से काटें, यह चीज काबिले इंसाफ नहीं कही जा सकती। जनाबवाला, जिस तरह से यह कौंसिल में पास हुआ है उससे एक शुबहा पैदा हो गया और चूंकि वजीर साहब जिस इसरार से इस तरमीम को मजूर नहीं कर रहे हैं और जिस सूरत से यह है वह इसी तरह से रहेगा, इससे और भी यकीन बढ़ता जाता है वह यह कि गालिबन आपका मुआविजा देने को कोई फौरी इरादा नहीं है। अगर आप इस किस्म की चीज रखते होते तो आपको कोई एतराज इसमें नहीं हो सकता था कि हम मुआविजे में से यह रकम काट लेंगे। आपको यही यकीन नहीं है कि आप मुआविजा दे भी सकेंगे या नहीं और कितना दे सकेंगे। इसी वजह से आप मजबूर हैं कि आप इस किस्म की चीजें रखें। मैं यह समझता हूँ कि जहां और बहुत सी गलतियां हो गयी हैं और जिनकी इसलाह बहुत से मौकों पर हो भी चुकी हैं। उसी तरह से यह भी एक गलती होगी। इस वक्त यह मौका है कि आप उस पर गौर करें और देख लें कि इसकी इसलाह हो सकती है तो जरूर कर दें। जानावबाला, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि जमींदार की आमदनी खत्म हो जाय, लेकिन उसके बाद उसके खाने-पीने के लिय, उसके बाल-बच्चों के गुजारे के लिये रुपये की जरूरत पड़ती है और वह खर्चा चलाने के लिये उसके पास कोई चाराकार नहीं है बजुज इसके कि जो उसके पास है उसे वह बेचे। आपने मुआविजे के अन्दर भी ९ महीने की शर्त लगा दी और कह दिया कि ९ महीने तक कुछ भी कहने का हक नहीं है। उसे अगर ९ महीने तक भी मुआविजा न मिले तब वह कहीं आपके दरबार में दरख्वास्त करने का हकदार हो सकता है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—यह कानून में नहीं है।

श्री अम्मार अहमद खां—माननीय माल मंत्री एक बार उस दफा को फिर पढ़ लें, मैंने उसे काफी गौर से पढ़ा है और अगर मैं गलती पर होऊं तो वे मेरी तसल्ली कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यही चीज है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इस ९ महीने के बारे में मैं एक बात और अर्ज करूँगा कि जो चीज इंसानी कुदरत ने तय कर दी है वह गवर्नमेंट ने भी तय कर दी।

माननीय श्री हुकुम सिंह—कानून कुदरत के खिलाफ कैसे जा सकता है।

श्री अम्मार अहमद खां—जैसा वजीर साहब ने फरमाया वह तो ठीक है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ९ महीने तक भी खाने-पीने की जरूरत पड़ती है और उसके लिये जो कुदरत करती है अगर वजीर साहब वह भी कर देते तो बेहतर होता। जनाबवाला, सबसे बेहतर और मुनासिब तरीका तो यह मालूम होता है कि जिस वक्त कंपेन्सेशन दिया जाता, जिस तरीके से उसकी अदायगी होती, जैसे-जैसे उसकी अदायगी होती वैसे-वैसे उसकी वसूली होती जाती, लेकिन अगर जो मोड्स आफ रिकवरी जो मालगुजारी के सिलसिले में होते रहे हैं यानी कुर्की, गिरफ्तारी और नीलाम वगैरा की जो मुसीबतें अब तक उठाते आये हैं वह मुसीबतें अगर फिर भी पीछा न छोड़ें तो एक निहायत की खराब बात होगी। अगर हमारे वजीर साहब को यकीन हो कि इस किस्म के कानून को इस्तेमाल करने की जरूरत ही न होगी तो मैं समझता हूँ कि इस दफा का रखना कोई मानी नहीं रखता। मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ वह यह कि यह भी हो सकता है कि मुमकिन है इस कानून को बनाते वक्त इस चीज का ख्याल न हो कि इस पर अमल किस सूरत से होगा तो उनको इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिये कि यह तजवीज

कौन पेश कर रहा है और किसकी तरफ से पेश की जा रही है अगर आप उसे मुनासिब समझते हैं तो आपको उस पर गौर करना जरूरी है और उसको मंजूर कर लेना चाहिये और महज इस वजह से उसको नामंजूर नहीं करना चाहिये कि कानून के बनाने में देर लगेगी या इसके अलावा और भी कोई बात हो तो उसका खमियाजा भुगतना चाहिये न कि इसको नामंजूर करना चाहिये। आपको तो जो खामी है उसको दूर करना चाहिये, आपको किसी पार्टी का ख्याल नहीं करना चाहिये बल्कि आपको तो जनता की भलाई का ख्याल रखना चाहिये लेकिन जिस तरीके से आप उसे करना चाहते हैं उस तरीके से वह हो नहीं सकती। आपको खूब सोच लेना चाहिये कि इसमें कितनी बुराई और कितनी भलाई होने जा रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि न सिर्फ हम लोग बल्कि हमारी आने वाली पुश्तें भी इसके असर से दूर नहीं हो सकतीं। इसका असर आयन्दा आने वाली नस्लों पर भी पड़ेगा। इसलिये आप इस बात की तरफ कतई गौर न फरमायें कि यह मुखालिफ बेंचेज की तरफ से पेश की गई है बल्कि आप इस तरफ देखें कि इससे रिआया का फायदा हो रहा है और अगर ऐसा है तो आपको उसे मंजूर कर लेना चाहिये।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्त अम्मार अहमद साहब को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सोच-समझ कर इस तरमीम को अपर हाउस में मंजूर किया था और अपर हाउस की इज्जत नवाब ऐजाज रसूल से कम मेरे नजदीक नहीं है और वहां पर जो फैसला हुआ उससे भी मैं अपने को बन्धा समझता हूँ।

श्री ऐजाज रसूल—वहां पर तो औरतों का फैसला है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मेरे नजदीक औरतों की इज्जत भी कम नहीं है। वहां पर एक तरमीम बेगम साहबा ने पेश की और उसको मंजूर किया गया तो मैं देखूंगा कि आप उसको कहां तक मानते हैं और आप उस पर कायम रहते हैं या नहीं। नवाब साहब ने बिना सोचे-समझे यह बात कही है अगर वह इसके ऊपर कायम रहेंगे तो तब मालूम होगा।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है मैं अपने मित्र अम्मार अहमद साहब की इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन अल्फाज को निकालने की कोशिश की जा रही है, वह उसी उसूल पर मबनी है जो यह हाउस मान चुका है और कोई नई बात नहीं है। अगर हमारे मित्र अम्मार अहमद साहब जरा अपनी गरदन को नीचा करके उस क्लाज के नीचे की क्लाज को देखने का तकलीफ करें तो वहां यह लिखा हुआ है कि—

"all arrears of revenue, cesses or other dues in respect of any estate so acquired and due from the intermediary for any period prior to the date of vesting shall continue to be recoverable from such intermediary and may, without prejudice to any other mode of recovery, be realised by deducting the amount from the compensation money payable to such intermediary under Chapter III";

(इस प्रकार हस्तगत किये गये आस्थान से संबंधित ऐसी सभी मालगुजारी अबवाब या अन्य देयों की सब बकाया, जो मध्यवर्ती से निहित होने के दिनांक से पहले के किसी समय के लिये प्राप्य हो, ऐसे मध्यवर्ती से वसूल की जाने योग्य रहेगी और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को, अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर की, धनराशि से काट कर वसूल की जा सकगी।)

[माननीय श्री हुकुम सिंह]

यह उसूल इस सदन ने मान लिया है। लिहाजा जो उसूल यह हाउस मान चुका ह और स्वीकार कर चुका है उसी के मुताबिक अपर हाउस में यह तरमीम रखी गई ह। लिहाजा अपर हाउस ने भी इस फैसले की ताईद की। अब मैं समझता हूँ कि मेरे लायक दोस्त के लिये यह कुछ शोभा की बात नहीं है कि एक मर्तबा फैसला करके दूसरे की यहां ताईद करें और पहले से मुन्किर हो जायं। मैं इस किमाश का नहीं हूँ कि एक बार फैसला करके उससे मुन्किर हो जाऊं और मैं तो अपने को उससे बंधा मानता हूँ जोकि हाउस का यहां पर फैसला होता है और नवाब साहब की तरह से अपने किये फैसले की खिलाफवर्जी करने के लिये तैयार हो जाऊं। मुझे इस बात का यकीन ह कि यह हाउस कभी भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वह ऐसा करें। हमारे लायक दोस्त ने कहा कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह हंसी-मजाक में टाल देते हैं। अगर कोई ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन की बात हो तो मैं हंसी-मजाक में टाल देता हूँ। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात होती है तो मैं कभी मजाक में नहीं टालता हू क्योंकि इससे तो बड़ा भारी ताल्लुकदारी पर असर पड़ता है। लिहाजा जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, मैं कोई गोलमाल बात नहीं करता। आपके लीडर साहब ने साफ कहा कि जो जो इन्टरमीडियरी है उनसे कैसे रुपया वसूल होगा। नवाब साहब अपने छोटे भाई की बात को भी गोलमाल समझें तो मेरे लिये यह परेशानी की बात है। अलावा इसके पब्लिक का मनी कैसे वसूल होगा और उसके वसूल होने के लिये सहूलियत होनी चाहिये। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया इस तरमीम में इस तरह की बात नहीं है कि जिनसे उनको आसानी हो। अगर यह औरतों का ही फैसला है तो मर्दों के लिये यह ठीक नहीं है कि वह उनके फैसले को अहमियत न दें क्योंकि अब वह भी बराबरी के हक की तलबगार हैं। नहीं, हां अगर यह औरतों का फैसला होता तो इसकी शुरूआत यहां से हुई और यहां औरतों ने फैसला नहीं किया। लिहाजा मैं यह अर्ज करूँगा कि यह तरमीम ऐसी है कि जिसको अगर मैं मंजूर करता हूँ तो वह इस माननीय सदन के अहकाम की खिलाफवर्जी होगी लिहाजा मैं तो ...सको डिसओबे नहीं कर सकता और इसलिये इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ।

अस्थायी सभापति--प्रश्न यह है कि विधान परिषद् द्वारा पारित धारा ६-ग (२) दसवीं पंक्ति के शब्द "वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए" निकाल जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित ...पर अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९

विपक्ष में--२७)

...जकुंवार सिंह--श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता ... ६ (ग) (२) की पंक्ति १२ में शब्द "में से" आगे के कुल शब्दों से के स्थान पर ... किस्तों (easy instalments) द्वारा वसूल किया जा सकेगा" रख

...रा है वह इस प्रकार है:--

...त होने के दिनांक से पहले किए गए किसी अनुबन्ध या संविदा के अधीन कोई स्थानिक कर या सायर उक्त दिनांक के बाद के किसी समय के लिए मध्य-...या हो या उसके द्वारा अभिसन्धित (Compounded) अथवा अभितिरत

(released) हो गया हो तो उक्त अनुबन्ध या संविदा के होते हुए भी, यह मध्यवर्ती से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जा सकेगा और वसूली के अन्य ढंग को बाधित न करते हुए ऐसे मध्यवर्ती को अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से काटकर वसूल किया जा सकेगा।"

यह ऐसा हो जाय "के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर में से सरल किस्तों द्वारा वसूल किया जा सकेगा" मेरी मंशा इस संशोधन के जरिए से यह है। श्रीमान् जी, ये जो रकमें सायर की हैं या जो लगान संबंधी रक़में वसूल होती हैं या जिनका मुआहिदा होता है वे क़िस्तवार तरीके से वसूल हुआ करती हैं। जैसे खेत के लगान में दो किस्तें होती हैं, एक रबी की और दूसरी खरीफ की, इसी तरीके से इन सायर वगैरह में भी दो किस्तें होती हैं। वह जिस शख्स को दिया जाता है उसकी सहूलियत के लिए ऐसे मौके पर किस्त मुकर्रर की जाती है कि वह आसानी से दे सके। बाज सूरतों में ऐसा जरूर होता है कि वह किस्तें एक साथ वसूल कर ली जाती हैं और उसका खास मंशा दो हुआ करते हैं। एक तो यह कि जब यह समझा जाता है कि शायद इस मामले के अन्दर यह कोई दिलचस्पी न ले तो उसके रुपये को एक बंधक के रूप में रख कर उसको रजामन्द किया जाता है कि वह इस काम को करे। सायर की चीजों के अन्दर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे गांव की तरक्की का एक बड़ा भारी सम्बन्ध होता है और यदि वह उनको न करे तो बहुत से आदमियों को नुकसान हो जाता है। इन चीजों के अन्दर बहुत से मजदूर या देहात के और कारीगर काम करने वाले होते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को कायम रखना बड़ा जरूरी होता है। इन चीजों का ख्याल रखते हुए वह रुपया उससे वसूल किया जाता है। इस संशोधन के होने से यह भी मंशा नहीं है, जिसका सरकार को अक्सर डर रहता है कि यह रुपया कैसे वसूल होगा या इसकी वसूली में कोई दिक्कत तो नहीं पैदा हो जाती है। बल्कि इसका मंशा यह है कि जैसे जैसे किस्तें आयें उसी तरीके से सरकार भी वसूल करे। मैं समझता हूं कि सदन इसको अवश्य स्वीकार करेगा।

माननीय श्री हुकुम सिंह—माननीय चेयरमैन महोदय, इस तरमीम के बारे में मुझे कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। हमारे मित्र ने फरमाया कि जैसे लगान किस्त ब किस्त वसूल किया जाता है वैसे ही आसान किस्तों में यह रक़म भी वसूल की जाय। गालिबन यही तो हमारे मित्र ने फरमाया है। अव्वल तो ये अल्फाज तरमीम के ऐसे हैं कि सरल किस्तों में। जो हमारे नवाब जमशेदअली खां साहब के लिए सरल हो सकता है मेरे लिए नहीं हो सकता। जो मेरे लिए सरल हो सकता है वह उनके लिये न हो सके। कानून इस तरह से बनाया जाता है कि जिसका इंटरप्रेटेशन ठीक हो सके और जिसकी प्रेक्टिस में दिक्कत पैदा न हो। मगर यह तो तरमीम की जबान के मुताल्लिक़ है। जहां तक मैरिट का सवाल है उस बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जब वह रक़म पेशगी वसूल कर ली गयी तब यह नहीं देखा गया कि किसान से जब उसका वजूह हो जाय तब वह ली जाती? वह तो वजूह होने के क़ब्ल वसूल की गयी है। तो लेने के वक्त तो किसान की सहूलियत न देखी जाय और देते वक्त सहूलियत और किस्त का सवाल उठाया जाय, यह कोई मुनासिब बात नहीं मालूम होती। कोई क़िस्त कभी मुल्तवी नहीं होती जब तक कि कोई सैलाब न आ जाय या सूखा न पड़ जाय जैसा कि इस साल हुआ। हां, अगर आप की फसल तैयार नहीं है तब तो उस वक्त नहीं ली जायगी। दफा ६८ में भी दिया हुआ है कि कैश में या बांड या दोनों में मुआविजा दिया जा सकता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, मेरे लिए बड़ी परेशानी है। कोई माकूल वजह नहीं बतलाई गई कि क्यों इस तरमीम को मंजूर किया जाय। इसलिए मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—जनाबवाला, पहली ही मर्तबा इस बिल की तवारीख के अन्दर आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू ने आज आंखें नीचे करके बात की है।

माननीय श्री हुकुम सिंह—मुझे साफ नहीं दिखाई पड़ता।

श्री मुहम्मद जमशेद अली खां—यह दूसरा एतराज है कि साफ दिखाई नहीं देता। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मिनिस्टर साहब खूब समझते हैं कि जिस

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

चीज की हिमायत में वह खड़े हुए हैं वह ऐसी नहीं है कि जिसकी हिमायत की जाय। जो तरमीम इस वक्त पेश है वह बहुत साफ है। उसमें साफ है कि जहां किस्त के जरिए रुपया वसूल किया जा सके यकीनन वसूल किया जाय। मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया कि "आसान" लफ्ज ऐसा है कि जो साफ नहीं है। एक चीज जो किसी के लिए आसान है दूसरे के लिए आसान नहीं हो सकती। बेशक, यह हो सकता है लेकिन अगर वह किस्त के उसूल को मान लें तो मैं मुतमइयन हो जाऊंगा। वह 'आसान' के लफ्ज को निकाल सकते हैं। उसके अलावा यह जो दलील दी गई है कि उस वक्त जो मुआहिदा किया गया था और वाजिब होने से पहले काश्तकार से वसूल किया गया था उस वक्त इनने सहूलियत का ख्याल नहीं किया। मैं इसके जबाब में यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी मिसालें कि जहां लगान १०–१० और ५–५ बरस का वसूल कर लिया गया है इस सूबे में बहुत कम मिलेंगी। और हो नहीं सकता, इम्पासिबिल है, इस वास्ते जब दस साल का लगान देने वाला काश्तकार आप को नहीं मिलता तो हमें कहां से मिल जायगा। लिहाजा यह कहना कतअन गलत है कि वाजिब होने से पहले काश्तकारों से दस साल का लगान वसूल कर लिया गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तरमीम निहायत वाजिब तरमीम है कि आप किस्तों के अन्दर वसूल कर लें। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि अगर आप आसान लफ्ज को निकाल देना चाहते हैं तो निकाल दीजिए और सिर्फ किस्तों के लफ्ज को ही रखिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। यह महज तकरीर के अन्दर कहने की चीज थी जो उन्होंने बयान कर दी। मेरा यह हमेशा से कहना रहा है कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू जो कुछ कहते हैं वह करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, और जो कुछ करते हैं वह हकीकतन उनके दिल में नहीं होता। इसी वजह से वह जब तकरीर करते हैं तो उससे वह असर पैदा नहीं होता जो असर वह पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि दरहकीकत उनके दिल में कुछ और होता है और जबान पर कुछ और होता है या जबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब यह बिल उस आखिरी स्टेज से गुजर रहा है जबकि इस गवर्नमेंट का रवैया निहायत रिजनेबिल होना चाहिए। मुझे बार–बार कहना अच्छा नहीं मालूम होता लेकिन वाकयात मजबूर करते हैं ऐसा कहने के लिए कि महज इस बिना पर कि वह हर सही व गलत बात को पास करा सकते हैं वह यह आयन्दा के लिए नई मिसालें कायम कर रहे हैं कि नावाजिब बातें भी मेजारिटी अपनी ताकत से और डिवीजन की पावर होने की वजह से पास करा सकती है। यह रवायतें इस तरह से कायम करना बड़ी गलत चीज है और इससे मुल्क के लिए बड़ा भारी नुकसान है। अगर आप इस तरह की मिसालें मुल्क के लिए पेश करेंगे कि एक गवर्नमेंट पावर में आ करके नावाजिब चीजें कर सकती है, तो आयन्दा चल कर यह मुल्क के लिए बहुत नुक्सानदेह साबित होगा। जमींदारों का यह कहना है कि इसमें जमींदारों के लिए बहुत बड़े लम्बे–चौड़े फायदा या नुक्सान का सवाल नहीं है लेकिन एक वाजबियत और गैर वाजबियत का सवाल है। अगर वाजिब तरीका से आप कोई सही तरीका अख्तियार कर सकते हैं और जमींदारों के किसी मतालबा को मान सकते हैं, तो मैं यह समझता हूं कि यह मतालबा उन मतालबों में से है जिनको इंसाफ की बिना पर मानना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इस पर आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू फिर गौर करेंगे। अगर वह किसी पार्टी मेंडेट की तहत में काम कर रहे हैं और उनको यह आर्डर्स हो चुके हैं कि उन्हें किसी चीज को नहीं मंजूर करना चाहिए, तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि ऐसी गलत चीजों से उनकी अपनी पोजीशन क्या हो जाती है। इन अल्फाज के साथ मैं उस तरमीम की ताईद करता हूं जो हाउस के सामने पेश की गई है।

श्री गुरु नारायण––माननीय सभापति जी, जिस संशोधन को हमारे मित्र श्री राजकुंवार सिंह जी ने इस भवन के सामने रक्खा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरी

कोई मंशा यह नहीं है कि बिला वजह इस संशोधन पर बहस बढ़ाई जाय। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस भवन के सामने इस समय पेश है वह इतना न्यायपूर्ण है कि उसको गवर्नमेंट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन के जरिए से सरकार से मांग की गयी है कि जो कंट्रेक्ट्स हुए हैं और जिनका कि रुपया सरकार बाद को वसूल करना चाहती है वह इंस्टालमेंट्स करके वसूल करे जिससे कि जो जमींदारान हैं उनको कुछ थोड़ी सी सहूलियत रहे। श्रीमन्, कांग्रेस सरकार छोटे जमींदारों के लिए शुरू ही से यह कहती आयी है और यह कहती है कि जो यह ऐक्ट है उसमें जो अधिकतर नुक्सान होगा वह बड़े जमींदारों का होगा, छोटे जमींदारों का कोई नुक्सान नहीं है। लेकिन अगर सरकार ध्यान दे और जिन छोटे जमींदारों के आराम और सहूलियत के लिए आप हर चीज करने के लिए तैयार हैं उनका खयाल करे तो वह छोटे जमींदार भी इस कानून के मातहत होंगे और उनको भ दुश्वारियां उठानी पड़ेंगी। तो अगर इसमें यह मांग की जाती है कि आप कुछ थोड़ी सी सहूलियत कर दें और जो वसूली आप बाद को करें उसको इंस्टालमेंट्स में कर दें तो यह ऐसी बात नहीं है कि आप मंजूर न कर सकें। अभी माननीय मालमंत्री ने ताल्लुकेदारों का मजाक उड़ाया और अपनी स्पीच में कहा कि ताल्लुकेदार ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन से तवल्लुद हुए हैं, अगर मैं यह कहूं कि इस कांग्रेस की जड़ भी एक अंग्रेज ही ने रखी थी और वह भी ह्यूम साहब थे तो कांग्रेस का तवल्लुद अंग्रेज से हुआ है तो शायद गलत न होगा। तो यह एक दूसरे पर आक्षेप करना और यह कहना मजाक उड़ा कर के कि ताल्लुकेदार अंग्रेजों से तवल्लुद हुए हैं तो मैं भी कह सकता हूं कि कांग्रेस का भी तवल्लुद भी अंग्रेज से हुआ है। अगर आप पाक-साफ हैं तो हमको भी पाक-साफ रहने का हक है। तो इस तरीके की बातों से तो संशोधन हट नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि कौंसिल से यह संशोधित हो कर आया है और २६ जनवरी आप ने डेडलाइन मुकर्रर कर दी कि २६ जनवरी को जितनी भी जमींदारियां होंगी वह वेस्ट हो जायंगी। अब आप के लिए यह नामुमकिन है कि अपने कहे हुए अल्फाज को बदलें और सोचें। तो इसके मानी यही हैं कि आप को तो एक कदम भी इस बिल से हटना नहीं है और जिस हालत म यह कौंसिल से आया है वैसे ही पास करना है। जहां तक दलीलों का ताल्लुक है, बहरहाल जाहिर है कि माननीय माल मंत्री अच्छे वकील रहे हैं, निहायत अच्छे तरीके से अपने केस को आरगू कर सकते हैं और अगर वह इधर बैठते तो इधर का वैसे ही आरगू करते, शायद मैं भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो जब आप को बदलना नहीं है तो आप का यह कहना कि यह संशोधन दिक्कत पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, रोड़े लगाता है रास्ते में, यह बिलकुल गलत बातें हैं। आप को मंजूर करना नहीं है तो आप जैसा जी चाहें वसा करें, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी एक सरकार के नाते महसूस करनी चाहिए। आप के हाथ में एक करोड़ आदमियों, जिनपर इस कानून का प्रभाव पड़ने वाला है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप से एक राजा की हैसियत से क्योंकि आज कांग्रेस आज यहां एक रूलिंग पार्टी की हैसियत से मौजूद है, प्रजा कोई बात कहती है और आप उसको हंसी-मजाक में ठुकरा दें यह बात ठीक नहीं है। मान लीजिए कि ज्वाइंट सेशन हुआ और २६ जनवरी से थोड़ा आगे बढ़ गया, महीना, दो महीना आगे और बढ़ाया तो कौन बड़ा भारी सितम हो जायगा, आसमान जमीन पर गिर पड़ेगा उससे आप इन बातों को स्वीकार न करें। मैं तो यह समझता हूं बहुत सी ऐसी धारायें हैं जिनमें बिलकुल न्याय के ऊपर संशोधन दिए गए हैं। उन को आप को मंजूर करना चाहिए और इस बात का खयाल नहीं करना चाहिए कि २६ जनवरी तय कर लिया है, इसलिए हम कोई संशोधन मंजूर नहीं कर सकते।

मैं आप से फिर यह प्रार्थना करूंगा कि यह भवन का कर्तव्य है कि इस संशोधित बिल को इस नियत से न देखें कि वह अब न बदला जाय बल्कि इस नियत से देखना चाहिए कि हमें इस में जो जरूरी सुधार हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री साजिद हुसैन---माननीय सभापति जी, इस संशोधन के सिलसिले में माननीय माल-मंत्री जी ने जो एतराज किया वह यह है कि सरल का फैसला कौन करेगा। अगर वह मुनासिब समझें तो सरल का फैसला अदालत के ऊपर छोड़ दें, कंपेंसेशन आफिसर के ऊपर छोड़ दें या खुद अपने ही ऊपर रख लें। इससे यहां बहस नहीं है। मतलब असल में इस संशोधन का यह है कि जमींदारों को कुछ सहूलियत मिलनी चाहिए। उनके लिए कुछ आसानी होनी चाहिए। उनकी यह मांग अगर उनकी हालत देखी जाय तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं है जब कि इस बात के ऊपर हमारी नजर है कि यह कोई कर्जा ऐसा नहीं है जिसको कर्जा कहा जाय। वह चीज नहीं है कि सरकार ने तोड़े उनको भेजवा दिए हों और जिसकी वसूलयाबी की उनको खास फिक्र हो। इसको कर्जा कहना इस हाउस और पब्लिक को गलतफहमी में डालना है। यह कतई कर्जा नहीं है। और जब यह कर्जा नहीं तो अगर इस वसूलयाबी में सरकार से कोई सहूलियत की दरख्वास्त की जाती है और मजबूरन की जाती है कि इस वक्त सरकार के हाथ में पावर है, डेमोक्रेसी भी यहां लाई गयी है, वोटों के जरिए से सरकार भी कायम है, बहरहाल एक गोरखधंधा है और चूंकि गलत या सही एक किस्म का कांस्टीट्यूशन है तो बहैसियत एक ला अबाईडिंग सिटिजन के हम रिवोल्ट नहीं करना चाहते बल्कि कांस्टीट्यूशनल तरीके से ले लेना चाहते हैं। अगर कर्जा लिया होता तब तो बात थी। फिर यह सरकार कर्ज किसी को क्या देगी यह तो हमेशा इस फिक्र में रहती है जिस तरह से भी हो दूसरे का पैसा ले लें। ऐसी सूरत में भी यह चीज मानी जा सकती थी अगर रुपये की १५ आने में ली गई होती या रुपये की चीज चौदह आने में ली गई होती लेकिन चीज तो कौड़ियों के मोल ली जा रही है। मुझे तो शर्म आती है अगर मैं ऐसे मौके पर उधर होता तो मैं तो इसे नहीं करने देता, लेकिन यह शानदार सरकार है न, इसके शान में कमी नहीं आ सकती, चाहे जो भी हालत हो जाय। इसके दिमाग में कभी यह आ नहीं सकता कि वह क्या कर रही है और इस वक्त सायल की शक्ल में कौन है। जो खुद जमीन का मालिक है वह जमीन को बेच नहीं रहा है उससे जबरन जमीन ली जा रही है उसको मजबूर किया है कि वह जो खरीदने वाला है उससे खरीद ले और और जिस भाव पर चाहे खरीदे और जो चाहे तरीके और शर्त रखे। यह अजीब किस्म का तरीका है सिवाय इसके कि जब्र है। यह शक्ल जब्र की वह है जो अंग्रेजों ने यहां नाजिल कर दी, कायम कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डिमोक्रेसी का बिलायती खिलौना कब तक चलेगा। हमारी सरकार को उस खिलौने को खेलना आये न आये लेकिन हमतो उसका शिकार बनते जा रहे हैं। उसके बाद क्या हालत हो, क्या नतीजा हो वह दूसरी शय है। सरकार को यह देखना चाहिए था कि जिन लोगों से वह डील कर रही है वह लोग कौन हैं जिन्हों ने अपनी गलती से इस सरकार को इस कुर्सी पर बैठाया किसी वक्त इस सरकार को यह भी याद नहीं आता है कि करोड़ों किसानों ने और लाखों जमींदारों ने वोट दे कर उसको यहां चुना था। किस लिए वोट दिए थे इस लिए कि वह खुद भीख मांगे। यानी जो देने वाला है वही खुद भीख मांगे। यह जमाना है। बहरहाल ऐसी सूरत में मैं इस सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे खतरात वह न मोल ले जिससे उसको आइंदा चल कर अफसोस करना हो।

स्थानापन्न सभापति---माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है। इसका वोटों से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री साजिद हुसैन---इसमें ईजी इंस्टालमेंट्स का जिक्र है। ईजी इंस्टालमेंट्स की बात तो तब आती जब कर्जा अगर किसी बैंक से लिया होता या किसी साहूकार से लिया होता या किसी कंसर्न से लिया होता तो हम कहते कि ईजी इंस्टालमेंट हो। उसमें यह सवाल पैदा होता है कि सख्ती की शिकायत का मौका नहीं होता क्योंकि उसमें या तो हार्ड कैश लेते या गोल्ड में लेते या किसी किस्म का लीगल मनी में लेते। मगर यह जिसको कर्जा कहा जाता है कर्जा नहीं है तो फिर इंस्टालमेंट का सवाल उठाया जाता है तो बेजा नहीं है। यह तो वह चीज है जो कि दरअसल उसी की है जोकि सायल की तरह से भीख मांगने को मज-

बूर किया गया है और जो कि खुद उस चीज का मालिक है। अगर कोई मालिक जाबिर से, जो जबर्दस्ती से लेता है, गासिब से कहता है तो उसमें तकल्लुफ करना कहां का न्याय, कहां का धर्म है और कहां का इंसाफ है। यहां थोड़ी सी सहूलियत का सवाल है और जब इस सहूलियत के सवाल को भी ठुकराया जाता है तो क्या हम इनको अपना भाई कहें या ये हमें भाई समझें, क्या हम उनको सिटीजन कहें या ये हमें सिटीजन समझें। यह तो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है जो अगर कोई विदेशी हुकूमत करती तो शिकायत नहीं होती, लेकिन यह तो हमारे ही भाई हैं। क्या इनके दिल में हमारी तरफ से नफरत पैदा हो गयी है।

अस्थायी सभापति--अब ५। बजे हैं, माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखेंगे या खतम करेंगे।

श्री साजिद हुसैन--बहरहाल, अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

अस्थायी सभापति--उठने से पहले मैं सदन के सदस्यों को सुविधा के लिए एक सूचना देना चाहता हूं कि जब हम आगामी वर्ष में फिर बैठेंगे तब इसी जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक पर विचार जारी रहेगा, जैसा कि अब हो रहा है, और दूसरा काम नहीं लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर मंगलवार, २ जनवरी सन् १९५१ ई० के ११ बजे दिन के लिए स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२८ दिसम्बर, सन् १९५० ई०।

नत्थी 'क'

(देखिए २८ दिसम्बर, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

१—श्री रज्जन द्विवेदी ..
२—श्री विजय कुमार ..
३—श्री रामकृष्ण राम प्यारे ..
४—श्री माता बदल भगवानदीन ..
५—श्री सजीवन लल्लू ..
६—श्री देवी चरण स्वामी दयाल ..
७—श्री देवनाथ कुंज बिहारी ..
८—श्री जागेश्वर रामजस त्रिवेदी ..
९—श्री बैजनाथ गंगा दास ..
१०—श्री मंगल प्रसाद नंगू ..
११—श्री श्रीकृष्ण लल्लू ..
१२—श्री आनन्द मोहन शिव प्रसाद ..
१३—श्री स्वामीदीन नंगू ..
१४—श्री श्यामविहारी देवी दीन
१५—श्री बिन्दादीन महादेव
१६—श्री जगमोहन हजारी
१७—श्री राजाराम देवी चरण
१८—श्री सेवालाल हीरा लाल
१९—श्री रामेश्वर बिन्दादीन
२०—श्री मनमोहन पराग
२१—श्री शिव नाथ लल्लू
२२—श्री सीतल प्रसाद राम नारायण
२३—श्री भवानी भीख महाबीर
२४—श्रीमती पार्वती बेवा मानसिंह
२५—श्री शिवनाथ गुप्त
२६—श्रीमती रमदेई
२७—श्री सधई

पी० एस० यू० पी०—२०४ एल० ए०—१९५०—६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड ८६

स्थानिक प्रश्न